PRESENTED TO
M.P. LEGISLATURE
29 MAR 2007

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष का

वाणिज्यिक

मध्यप्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		**ix**
विहंगावलोकन		**xi-xviii**
अध्याय-I		
सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	1.2 - 1.13	2-9
विद्युत क्षेत्र में सुधार	1.14-1.15	9-11
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	1.16 -1.20	11-13
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्थिति	1.21	13
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	1.22	13
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम	1.23-1.29	13-17
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देश पर आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में सुधार हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन	1.30	17
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुशंसायें	1.31	17-18
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.32	18
619-बी कंपनियाँ	1.33	18
अध्याय-2		
सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन समीक्षायें		
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता	**2.1**	
मुख्यांश		19-20

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना	2.1.1	20-22
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.1.2	22-23
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1.3	23
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.1.4	23-24
लेखापरीक्षा पद्धति	2.1.5	24
लेखापरीक्षा निष्कर्ष		
लक्ष्य एवं प्राप्ति	2.1.6	24-26
योजनाओं का क्रियान्वयन एवं ऋण सहायता की स्वीकृति	2.1.7-2.1.9	26-29
वित्तीय सहायता देने तथा योजनाओं के प्रवर्तन में कमियां	2.1.10-2.1.19	29-35
वसूली निष्पादन	2.1.20-2.1.22	35-37
आंतरिक नियंत्रण/लेखापरीक्षा	2.1.23-2.1.25	37-38
उपसंहार		39
अनुशंसाएं		39
मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित द्वारा वृक्षारोपण के वाणिज्यक उपयोग सहित उनका उन्नयन एवं विकास	**2.2**	
मुख्यांश		40-41
प्रस्तावना	2.2.1	41-43
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.2.2	43
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	2.2.3	43-44
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.2.4	44-45
लेखापरीक्षा पद्धति	2.2.5	45
लेखापरीक्षा निष्कर्ष		
कार्य योजना	2.2.6	45-46
भूमि अर्जन एवं उपयोग	2.2.7	46
अनुपयुक्त भूमि के विकास के कारण हानि	2.2.8	47

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
पौधशालाओं का निष्पादन	2.2.9-2.2.14	47-51
सागौन वृक्षारोपण में आकस्मिकताएं	2.2.15-2.2.27	51-57
वन उत्पादन का विक्रय	2.2.28-2.2.29	57-58
प्रबंधन सूचना पद्धति	2.2.30	58-59
आंतरिक नियत्रंण पद्धति	2.2.31	59
उपसंहार		60
अनुशंसाएं		60-61
अध्याय-3		
सांविधिक निगमों से संबंधित निष्पादन समीक्षाएं		
मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता	**3.1**	
मुख्यांश		63-64
प्रस्तावना	3.1.1	64-65
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.1.2	65
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	3.1.3	65-66
लेखापरीक्षा मानदण्ड	3.1.4	66
लेखापरीक्षा पद्धति	3.1.5	66-67
वित्तीय सहायता और वसूली के लिए प्रक्रिया	3.1.6	67
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.1.7-3.1.24	68-81
वसूली निष्पादन	3.1.25-3.1.29	81-84
एकमुश्त भुगतान	3.1.30-3.1.32	84-86
परिसम्पति प्रबन्धन; ऋणों का वर्गीकरण	3.1.3	86-87
आतंरिक नियंत्रण/पर्यवेक्षण	3.1.34-3.1.35	87-88
उपसंहार		88-89
अनुशंसाएं		89

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की सामग्री की अधिप्राप्ति एवं पारेषण तथा वितरण योजनाओं का कार्यान्वयन	**3.2**	
मुख्यांश		90
प्रस्तावना	3.2.1	90-91
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.2.2	92
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	3.2.3	92
लेखापरीक्षा के मानदण्ड	3.2.4	93
लेखापरीक्षा पद्धति	3.2.5	93
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.2.6-3.2.7	93-94
पारेषण निर्माण कार्य	3.2.8-3.2.13	94-99
सामग्री की अग्रिम अधिप्राप्ति	3.2.14	99-100
एशियन विकास बैंक की दोषपूर्ण शर्तों के कारण हानि	3.2.15	100
वितरण निर्माण कार्य	3.2.16-3.2.20	101-104
उपसंहार		104
अनुशंसाएं		104-105
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल में उर्जा और सामग्रियों की चोरी पर कार्यवाही करना	**3.3**	
मुख्यांश		106
प्रस्तावना	3.3.1	107
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.3.2	107-108
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	3.3.3	108
लेखापरीक्षा मानदण्ड	3.3.4	108
लेखापरीक्षा पद्धति	3.3.5	109
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.3.6-3.3.17	109-120
उपसंहार		120-121
अनुशंसाएं		121

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय-4 **लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां**		
प्रस्तावना		123
सरकारी कंपनियाँ		
मध्य प्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मर्यादित		
स्टॉक के संचालन की परिवीक्षा करने में हुई असफलता के कारण होने वाली हानि	4.1	123-125
प्रेषण योजना का अनुपालन न करने के कारण हानि	4.2	125-126
बैंक कमीशन पर परिहार्य व्यय	4.3	126-127
लम्बी दिशाओं से रैकों के अमितव्ययी संचालन के कारण भाड़े पर परिहार्य व्यय	4.4	127-128
भण्डारण स्थान का कम उपयोग किये जाने के कारण परिहार्य व्यय	4.5	128-129
अधिक लम्बे मार्ग से गेहूँ का परिवहन करने के कारण परिहार्य व्यय	4.6	129-130
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित		
यथेष्ट प्रतिभूति प्राप्त किये बिना इन्टर कॉरपोरेट ऋण में निवेश	4.7	130-131
एक फर्म का अनावश्यक पक्ष लेने के कारण हानि	4.8	132-133
मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम		
राज्य सरकार की परियोजना के अपूर्ण अमलीकरण के कारण हानि	4.9	133-135
न्यूनतम प्रस्ताव का अन्यायोचित अमान्यकरण	4.10	135-137
सांविधिक निगम		
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल		
अधिक भाड़े का भुगतान	4.11	137-138
निधियों का अवरोध	4.12	138-139

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
राजस्व का कम देयक बनाना	4.13	139-140
जोखिम और लागत क्रय धारा लागू नहीं करना	4.14	140-141
अनुचित प्रतिभूति जमा की स्वीकृति	4.15	141-142
ऊँची दरों पर वाणिज्यिक कर का भुगतान करने के कारण परिहार्य व्यय	4.16	142
आवश्यकता के बिना की गई खरीदारी	4.17	142-143
भुगतान जारी करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	4.18	144-145
अतिरिक्त व्यय	4.19	145-146
सामान्य		
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारुप कंडिकाओं तथा समीक्षाओं के उत्तर	4.20	146-147

क्रम संख्या	परिशिष्टियाँ	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1	सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2006 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण पत्रक	1.3, 1.4, 1.5 तथा 1.17	149-153
2	सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होने अपने लेखाओं को अंतिम रुप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश	1.6,1.7, 1.13,1.19 तथा 1.20	154-158
3	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियाँ दायित्वों को छोडना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूजी में परिवर्तन तथा मार्च 2006 के अंततक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.5 तथा 1.17	159-161
4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	162-164
5	सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.7	165-167
6	सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	1.12	168-171

क्रम संख्या	परिशिष्टियाँ	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
7	31 मार्च 2006 को अधिप्राप्त, उपयोग की गई भूमि की स्थिति एवं शेषों को दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.7	172
8	मानक आकार की रूटस के उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.10	173
9	सागौन वृक्षारोपण (वर्षा पोषितऋ की प्रति हैक्टेयर की लागत एवं तीन वर्षो तक संधारण सहित लागत को दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.19	174
10	2001-02 से 2005-06 के दौरान, विक्रीत समस्त वनोपज के विषण में कुल सरकारी बोली, विक्रय मूल्य, उनके अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र	2.2.29	175
11	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्षो के दौरान संस्वीकृतियों एवं संवितरणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.1.9	176
12	2000-01 से 2004-05 के दौरान उद्योग-वार, क्षेत्र-वार उद्योग के प्रकार, आकार एवं उद्देश्य वार आवधिक ऋणों की संस्वीकृति को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.1.13	177
13	ऋणों की संस्वीकृति एवं संवितरण में विभिन्न कमियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.1.14	178-183
14	31 मार्च 2005 को मूलधन एवं ब्याज की वसूली के लिए उठाई गई माँग, वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य, वास्तव में की गई वसूली के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.1.25	184
15	अनुवर्ती कार्यवाही का अभाव, वसूली के लिए न की गइ कार्यवाही के प्रकरणों के विस्तृत विवरण	3.1.27	185-186
16	ऋणों का एक मुश्त भुगतान	3.1.30	187-188
17	एशियन विकास बैंक के निर्माण कार्यों के लिए सामग्री की अग्रिम अधिप्राप्ति के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.2.14	189-190
18	एक ही निविदा के विभिन्न पैकेजों में अधिप्राप्त एक समान मदों की तुलनात्मक दारों को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.2.15	191-193

क्रम संख्या	परिशिष्टियाँ	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
19	31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठापनों की जांच की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.3.6	194
20	31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्ट की गई चोरी की घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.3.7	195
21	31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान उठाई गई मांग, वसूल की गई राशि एवं वसूल न की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्र	3.3.8	196
22	विद्युत प्रभारों की कम बिलिंग के विवरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.13	197
23	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र	4.20	198
24	समीक्षाएं एवं प्रारुप कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं	4.20	198

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक जिन सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं, वे निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:

(i) सरकारी कंपनियां,

(ii) सांविधिक निगम, तथा

(iii) विभाग द्वारा संचालित वाणिज्यिक उपक्रम,

यह प्रतिवेदन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल सहित सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है । विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) मध्यप्रदेश सरकार में समाविष्ट किए गए हैं ।

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है । मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो कि सांविधिक निगम हैं, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं । राज्य वित्त निगम (संशोधित) अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से निगम द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड-अकाउन्टेन्ट्स द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उन लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को है । मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिकस कॉरपोरेशन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखापरीक्षा करने का भी उनको अधिकार प्राप्त है । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं । इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से प्रेषित किए जाते हैं ।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2005-06 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे भी जो विगत वर्षों में ध्यान में आए थे किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में समाविष्ट नहीं किया गया था । जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, वहाँ 2005-06 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी समाविष्ट किए गए हैं ।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2006 को 38 सरकारी कंपनियों एवं चार सांविधिक निगमों को समाविष्ट करते हुए राज्य में 42 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे । 38 सरकारी कंपनियों में से 29 कंपनियां कार्यशील थी, जबकि नौ सरकारी कंपनियां अकार्यशील थी । सभी चार सांविधिक निगम कार्यशील निगम थे । इसके अतिरिक्त एक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अधीन थी ।

(कंडिका 1.1 एवं 1.33)

- कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश 31 मार्च 2005 को 5,637.59 करोड़ रूपए से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 18,796.34 करोड़ हो गया । अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश इसी अवधि के दौरान 224.36 करोड़ रूपए से बढ़कर 225.47 करोड़ रूपए हो गया ।

(कंडिका 1.2 एवं 1.16)

- पूंजी, ऋणों एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में, कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वितरित की गई बजट की सहायताएं 2004-05 में 1,449.99 करोड़ रूपए से बढ़कर 2005-06 में 4,531.88 करोड़ रूपए हो गई । 2005-06 के दौरान राज्य सरकार ने कुल 2,513.89 करोड़ रूपये के ऋणों की गारंटी दी थी । राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए गए बकाया ऋणों की कुल राशि 31 मार्च 2005 को 646.35 करोड़ रूपए से बढकर 31 मार्च 2006 तक 7,236.07 करोड़ रूपए हो गई।

(कंडिका 1.5)

- तीन कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं एक सांविधिक निगम ने 2005-06 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया था । 30 सितम्बर 2006 को, 26 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों के लेखें एक से सात वर्ष तक की अवधि के लिए बकाया थे । मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एवं दो नई कंपनियों ने आरम्भ से ही अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है । एक अकार्यशील सरकारी कंपनी ने अपने लेखाओं को 2005-06 के वर्ष के लिए अंतिम रूप दिया है । आठ अकार्यशील कंपनियों के लेखे 30 सितम्बर 2006 को एक से 16 वर्षों तक की अवधि के लिए बकाया थे ।

(कंडिका 1.6 एवं 1.19)

- अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार आठ कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों (छः सरकारी कंपनियों तथा दो सांविधिक निगमों) ने 56.57 करोड़ रूपए की कुल हानि उठाई । दुसरी ओर 17 कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों (15 सरकारी कंपनियों एवं दो सांविधिक निगमों) ने अपने अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 1,298.70 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया । छः कार्यशील सरकारी कंपनियों ने वर्ष के दौरान 11.17 करोड़ रूपए का लाभांश घोषित किया । दो हानि उठाने वाले सांविधिक निगमों ने 1,008.31 करोड़ रूपए की कुल संग्रहीत हानियां उठाईं जो कि 223.95 करोड़ रूपए की उनकी प्रदत्त पूंजी के चार गुना से भी अधिक थीं ।

(कंडिका 1.7, 1.8, 1.9 एवं 1.11)

- अपने अस्तित्व के पांच अथवा उससे अधिक वर्षों की पूर्णता के पश्चात भी, उनके अद्यतन अन्तिम रूप दिए गए पिछले पांच वर्षों के लेखाओं के अनुसार, आठ कार्यशील सरकारी कंपनियों में प्रत्येक की कुल बिक्री पांच करोड़ रूपए से कम रही थी ।

(कंडिका 1.31)

2. सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन समीक्षाएँ

2.1 मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता

- कंपनी द्वारा परिचालित समस्त योजनाओं के संबंध में 2001-06 तक के पांच वर्षों के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने में कंपनी का निष्पादन अत्यन्त कम था ।

(कंडिका 2.1.6)

- वित्तीय एजेंसी को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप 5.11 करोड़ रूपये का परिहार्य ब्याज देना पड़ा ।

(कंडिका 2.1.16)

- यद्यपि, कंपनी लक्षित जनसंख्या के आर्थिक उत्थान के लिए 12 वर्षों से भी अधिक समय से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है, तथापि, समस्त हितग्राहियों को सम्मिलित करने के लिए आधार बनाने हेतु चरणबद्ध रीति से लक्षित हितग्राहियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था ।

(कंडिका 2.1.10)

- हितग्राहियों को संवितरित किए जाने के लिए 6.04 करोड़ रूपए के ऋण एवं परियोजना लागत के सरकारी अंश (4.45 करोड़ रूपए) को एन बी सी एफ डी सी तथा एन एम डी एफ सी को देय किस्तों के पुनर्भुगतान के लिए व्यपवर्तित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद हितग्राहियों को सहायता प्राप्त नहीं हुई।

(कंडिका 2.1.15)

- अभिलेखों के अनुचित संधारण के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव में पांच जिलों में रोकड़ का दुर्विनियोजन हुआ । दुर्विनियोजनों के बावजूद, कंपनी ने कोई भी सुधारात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की थी ।

(कंडिका 2.1.25)

2.2 मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित द्वारा वृक्षारोपण के वाणिज्यिक उपयोग सहित उनका उन्नयन एवं विकास.

- मानक आकार के समूल पौधों का नर्सरियों में कम उत्पादन, मानदण्डों से अधिक मृत पौधों का प्रतिस्थापन, पूर्व-अंकुरित पॉली पॉट पौधों के द्वारा प्रतिस्थापन एवं असफल वृक्षारोपण के क्षेत्रों में पुनःवृक्षारोपण के कारण उन्नयन, विकास तथा वाणिज्यिक उपयोग के सम्बन्ध में कंपनी के निष्पादन में कमी पाई जाने के परिणामस्वरूप 12.51 करोड़ रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ । उत्तरोत्तर कम लक्ष्यों के निर्धारण के बावजूद, कंपनी उनको प्राप्त करने में विफल रही ।

(कंडिका 2.2.10,2.2.13,2.2.14,2.2.16 एवं 2.2.18)

- अप्रैल 2001 से मार्च 2005 के दौरान विभिन्न संभागों में बांस वृक्षारोपण की अत्याधिक विफलता एवं कम उपज (24 प्रतिशत) के परिणामस्वरूप 20.71 करोड़ रूपए के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.2.20 एवं 2.2.27)

- कम गुणवत्ता वाले सागौन वृक्षारोपण के कारण 7,349 हेक्टेयर में कांट-छांट में विलम्ब के परिणामस्वरूप 15.13 करोड़ रूपए के सम्भाव्य राजस्व की हानि के साथ 4.43 करोड़ रूपए के ब्याज की परिणामी हानि हुई । कुंडम संभाग, जबलपुर के सी टाइप के क्षेत्र में सागौन वृक्षारोपण की विफलता के परिणामस्वरूप 2.26 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.2.25 एवं 2.2.26)

- आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव के कारण 3.69 करोड़ रूपए तक की विक्रय प्राप्ति में गबन हुआ, जिसमें से 2.41 करोड़ रूपए की वसूल नहीं हो सके।

(कंडिका 2.2.31)

- अनुमानित लागत की तुलना में वृक्षारोपण की वास्तविक लागत में महत्वपूर्ण भिन्नताओं का आंकलन करने के लिए कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी । लागत नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए अथवा युक्तिसंगत अनुमानों की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए असाधारण भिन्नताओं के आंकलन हेतु वास्तविक लागत की कोई अंतर-संभागीय तुलना नहीं की गई थी ।

(कंडिका 2.2.19)

3. सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन समीक्षाएँ

3.1 मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता

- 31 मार्च 2005 को, 2,033 इकाईयों के विरूद्ध निगम का कुल बकाया ऋण 395.40 करोड़ रूपए थे जिसमें से 891 इकाईयां कार्यशील थी, 40 इकाईयां कार्यान्वयन के अधीन थी तथा 382 इकाईयां कार्यशील पूंजी एवं बाजार मांग के अभाव, तकनीकी अप्रचलन,आंतरिक विवादों तथा वित्तीय अव्यवस्थापन के कारण बंद हो गई थी ।

(कंडिका 3.1.1)

- यद्यपि निगम ने 1955 में अपने प्रारम्भ होने के समय से 8,720 आवेदकों को 1,882.11 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी, फिर भी राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु वित्तपोषित उद्योगों के द्वारा प्राप्त सफलता का मूल्यांकन नहीं किया गया था (मार्च 2006) जिससे भविष्य की कार्यवाही की दिशा निर्धारित करने के लिए योजना का संचालन किया जा सके ।

(कंडिका 3.1.13)

- परियोजनाओं की मुल्यांकन प्रणाली में कमी थी । 24 प्रकरणों में कुल 22.11 करोड़ रूपए की संस्वीकृतियों के विषय में, निगम द्वारा ऋणों की संस्वीकृति के लिए बनाए गए नियमों से विचलन था । असाध्य परियोजनाओं, अपात्र आवेदकों, संदेहास्पद साख वाले प्रवर्तकों, अपर्याप्त प्रतिभूति और अन्य वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋणों के अधिग्रहण इत्यादि के बावजूद भी ऋण सहायता प्रदान की गई ।

(कंडिका 3.1.15 से 3.1.24)

- सतत दोषों के बावजूद, ऋण की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्यवाही शिथिल थी और उसके लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई की । वसूली के लक्ष्य कम थे और कुल वसूली योग्य राशि के 38 प्रतिशत (2000-01) से 46 प्रतिशत (2003-04) की सीमा के मध्य थे । पुराने देयधन की वसूली के लिए पृथक रूप से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, जबकि उनकी वसूली केवल 18 प्रतिशत थी । उपलब्ध निधियों एवं अपेक्षित निधियों के अंतराल को पाटने के लिए निगम ने अतिरिक्त ब्याज भार उठाकर बंधपत्रों के माध्यम से उधारियों का आश्रय लिया ।

(कंडिका 3.1.25 एवं 3.1.7)

- जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों को तथा उन प्रकरणों में भी जहाँ पर्याप्त संपार्श्विक (कोलैट्रल) प्रतिभूतियां उपलब्ध थीं, एकमुश्त भुगतान का अवसर दिया गया था । यद्यपि 2001-05 के वर्ष के दौरान 85.76 करोड़ रूपए के लिए, निगम ने 157.10 करोड़ रूपए की देय राशि को एकमुश्त भुगतान के लिए 71.34 करोड़ रूपए का त्याग कर दिया, फिर भी मार्च 2005 तक निगम केवल 41 करोड़ रूपए (47 प्रतिशत) की वसूली कर सका, जिससे देय धन की त्वरित वसूली का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया ।

(कंडिका 3.1.30 से 3.1.32)

3.2 *मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की सामग्री की अधिप्राप्ति एवं पारेषण तथा वितरण योजनाओं का कार्यान्वयन*

- संचालकों की प्राप्ति में अनुचित योजना के परिणामस्वरूप सामग्री की अधिक प्राप्ति हुई एवं 3.19 करोड़ रूपए की निधियां दो वर्षों के लिए अवरूद्ध हो गयीं तथा उसके फलस्वरूप 82.11 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई ।

(कंडिका 3.2.9)

- बोर्ड ने 93 लाख रूपए मूल्य के लिक्विडेटेड डैमेज्स अधिरोपित किए बिना चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओं को माल की सुपुर्दगी के लिए समयावधि में वृद्वि कर दी ।

(कंडिका 3.2.10 एवं 3.2.11)

- विभिन्न 220/132 किलोवाट लाइनों/सब-स्टेशनों को चालू करने में विलम्ब के कारण मंडल उप-पारेषण हानियों में कमी के प्रत्यक्ष लाभों को प्राप्त नहीं कर सका।

(कंडिका 3.2.13)

- 67.45 करोड़ रूपए मूल्य की पारेषण/उप पारेषण सामग्री तथा 27.32 करोड़ रूपए मूल्य की वितरण सामग्री की अग्रिम प्राप्ति के परिणामस्वरूप 94.67 करोड़ रूपए की कुल निधियां अवरूद्ध हो गयीं ।

(कंडिका 3.2.14 एवं 3.2.17)

- एक ही निविदा के विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत सामग्री की एक समान मदों के लिए भिन्न दरों पर कार्यादेश जारी किए जाने के कारण मंडल को 2.81 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

(कंडिका 3.2.15)

3.3 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल में ऊर्जा एवं सामग्रियों की चोरी पर कार्यवाही करना

- मार्च 2005 के अंत तक पांच वर्षों के दौरान मण्डल की पारेषण एवं वितरण हानियाँ 15.5 प्रतिशत के स्वीकार्य स्तर के विरूद्ध 45.57 एवं 42.64 प्रतिशत की सीमा के मध्य थीं जिसके परिणामस्वरूप 9,397.47 करोड़ रूपए के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई ।
- मण्डल के पास उपभोक्ताओं के सर्विस कनेक्शन्स की जांच के लिए एक समान नीति नहीं थी तथा विभिन्न क्षेत्रों में जांच की प्रतिशतता में 4.06 और 46.95 के मध्य भिन्नता थी ।

(कंडिका 3.3.6)

- बिजली की पकड़ी गई चोरी के मूल्य के कारण 390.12 करोड़ रूपए की कुल मांग में से, 24.05 प्रतिशत अर्थात 93.82 करोड़ रूपए की वसूली लंबित थी।

(कंडिका 3.3.8)

- मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान 25.15 करोड़ रूपए की मंडल की सामग्री की चोरी के 10,423 प्रकरणों के विरूद्ध मंडल ने 4,328 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की जो कि कुल चोरी के प्रकरणों के 41.56 प्रतिशत की दर्शाती है ।

(कंडिका 3.3.14 एवं 3.3.15)

- 25.15 करोड़ रूपए की मण्डल की सम्पत्तियों की चोरी के विरूद्ध मण्डल केवल 8.63 लाख रूपए मूल्य की चोरी की गई सम्पत्ति की वसूली कर सका जो कि कुल चोरी के कुल मूल्य के 0.34 प्रतिशत को प्रदर्शित करती हैं ।

(कंडिका 3.3.17)

4. लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस रिपोर्ट में सम्मिलित की गई लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में कमियों को प्रकाश में लाया गया है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुईं । इंगित की गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्न प्रकार की हैः-

- वित्तीय अविवेक के परिणामस्वरूप, चैकों के स्थान पर डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करने तथा न्यूनतम निविदा को अनुचित रूप से निरस्त करने के कारण 82.80 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(कंडिका 4.3 एवं 4.10)

- वाणिज्यिक कर की रियायती दर का लाभ नहीं उठा पाने एवं अग्रिम तथा अंतिम भुगतान में विलंब के कारण मंडल को क्रमशः 15.81 लाख एवं 28.78 लाख रूपए मूल्य का परिहार्य व्यय तथा 28.78 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(कंडिका 4.16, 4.18 एवं 4.19)

- अनुचित रैक संचालन योजनाओं के कारण भाड़ा प्रभार पर 25.20 लाख रूपए का तथा उपयोग न किए गए भंडारण स्थान के भंडारण प्रभार पर 24.32 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(कंडिका 4.4 एवं 4.5)

कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नानुसार हैः-

सरकारी कंपनियां

मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मर्यादित

जिला कार्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रेषण अनुसूची का अनुपालन एवं गेहूँ के अन्तर्वर्ती भंडारण के परिणामस्वरूप स्थानीय परिवहन पर 1.01 करोड़ रूपए तथा निरूद्ध गेहूँ की लागत के ब्याज पर 1.06 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित

संस्वीकृति एवं पूर्व/पश्चात संवितरण प्रक्रियाओं में विभिन्न कमियों और सुरक्षा प्राप्त किए बिना इंटर-कार्पोरेट ऋण स्थापन के परिणामस्वरूप 20.28 करोड़ रूपए के ब्याज की वसूली न होने के अतिरिक्त 14.50 करोड़ रूपए निरूद्ध हुए ।

(कंडिका 4.7)

परिसम्पतियों के अधिग्रहण और राजस्व वसूली कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के लिए समय पर वैधानिक कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप 12.39 करोड़ रूपए के मूलधन तथा ब्याज दोनों की वसूली नहीं हो पाई ।

(कंडिका 4.8)

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

- अग्निशमन प्रणाली चालू नहीं करने एवं 3.36 करोड़ रूपए की निधियों के तत्परिणामी अवरोध के परिणामस्वरूप मण्डल को 1.28 करोड़ रूपए के ब्याज की हानि हुई ।

(कंडिका 4.12)

- भाड़ा देयकों की जाँच में विफलता एवं धन वापसी दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप परिवहन प्रभारों पर 2.86 करोड़ रूपए का अधिक व्यय हुआ ।

(कंडिका 4.11)

- टैरिफ आदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कम विद्युत प्रभारों के बिल तैयार करने से 1.10 करोड़ रूपए की तत्परिणामी राजस्व हानि हुई ।

(कंडिका 4.13)

- जोखिम और लागत क्रय धारा लागू न करने एवं अनियमित प्रतिभूति जमा स्वीकार करने के परिणामस्वरूप 70.06 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय एवं 38.67 लाख रूपए की राशि की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 4.14 एवं 4.15)

अध्याय एक

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2005 को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन, 38 सरकारी कंपनियों (29 कार्यशील एवं नौ अकार्यशील कंपनियां[1]) तथा चार साविधिक निगमों (सभी कार्यशील) की तुलना में 31 मार्च 2006 को 38 सरकारी कंपनियाँ (29 कार्यशील कंपनियां तथा नौ अकार्यशील कंपनियां) तथा चार सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया था एवं इसकी लेखा परीक्षा विद्युत अधिनियम 2003[2] की धारा 104(2) के अधीन नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौपी गई । सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित) के लेखाओ की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त करते हैं । ये लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था नीचे दर्शाए गए अनुसार है:-

क्रम संख्या	निगम का नाम	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्थापन
1.	**मध्यप्रदेश राज्य** विद्युत **मंडल**	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 172 (क) एवं 185(2)(घ) के साथ पठित विद्युत आपूर्ति (वार्षिक लेखे) नियमावली 1985 के नियम 14 के अंतर्गत	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
2.	**मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम**	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
3.	**मध्यप्रदेश वित्त** निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट द्वारा लेखा परीक्षा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
4.	**मध्यप्रदेश वेयर**हाउसिंग **एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन**	मध्यप्रदेश भंडार गृह अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट द्वारा लेखा परीक्षा तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

[1] *अकार्यशील कंपनियां वे कंपनियां हैं जो परिसमापन, बंद होने, संविलियन की प्रक्रिया के अधीन हैं ।*

[2] *विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम 2003 में परिवर्तित कर दिया गया है ।*

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.2 सार्वजनिक क्षेत्र के 33 कार्यशील उपक्रमों (29 सरकारी कंपनियों तथा चार सांविधिक निगमों) में मार्च 2005 तथा मार्च 2006 के अंत तक कुल निवेश निम्नानुसार था:

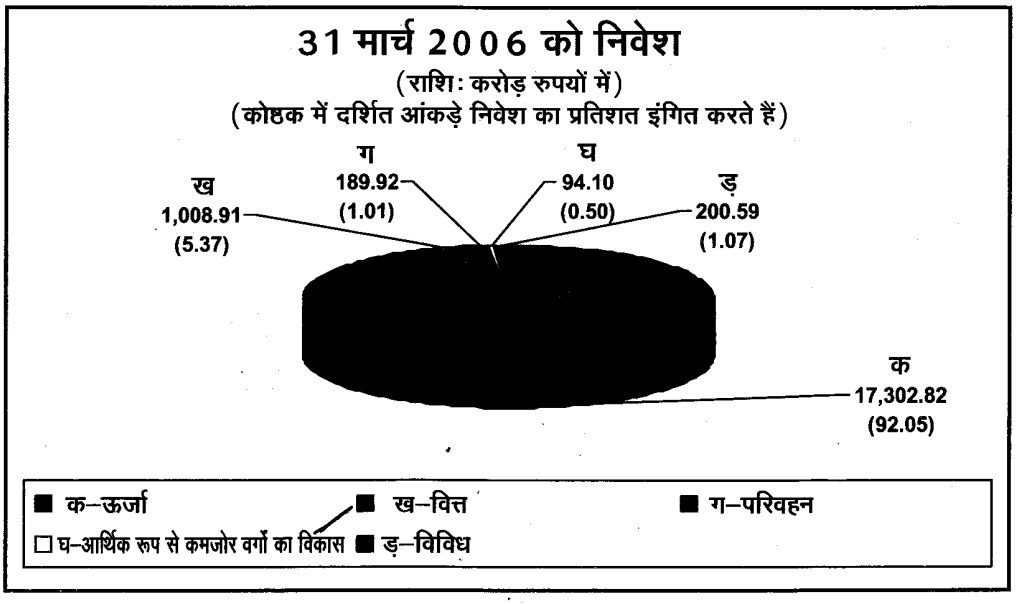
(राशि: करोड़ रुपये में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में निवेश			
		अंश पूंजी	अंश आवेदन राशि	कर्ज	योग
2004-05	33	538.35	109.56	4,989.68	5,637.59
2005-06	33	4,488.55	136.14	14,171.65	18,796.34[3]

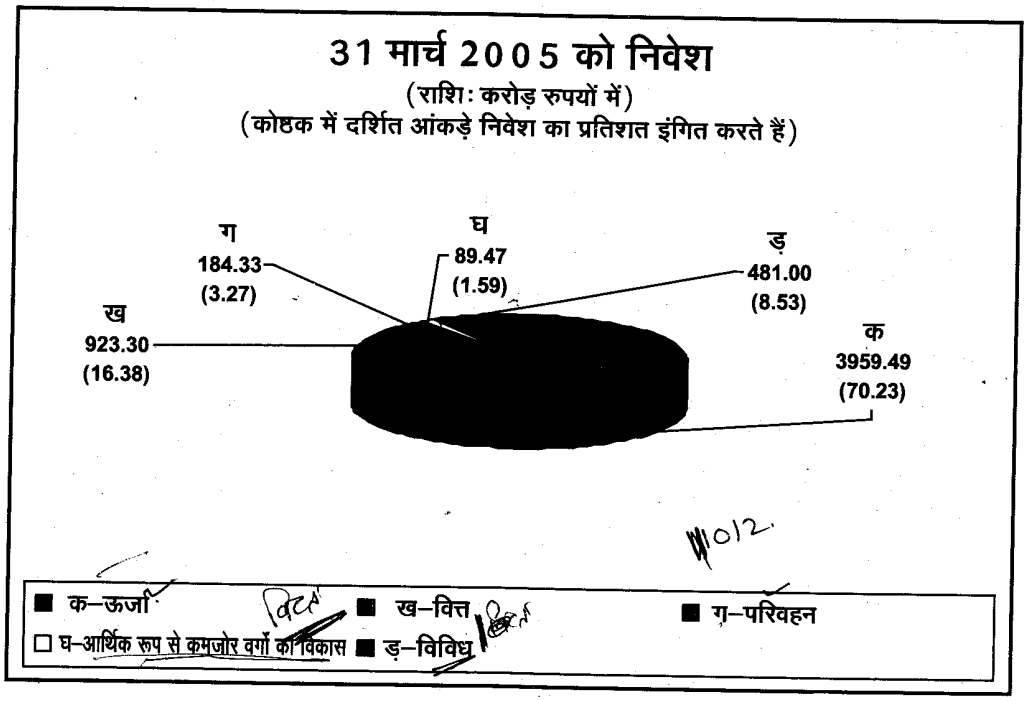
31 मार्च 2005 को कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के कुल निवेश में क्रमशः 11.56 एवं 88.44 प्रतिशत अंशपूजी तथा कर्जो की तुलना में 31 मार्च 2006 को अंशपूजी 24.60 प्रतिशत तथा कर्जे 75.40 प्रतिशत थे। वर्ष के दौरान अंशपूजी तथा कर्जो के द्वारा कुल निवेश 13,158.75 करोड़ रुपए था जिसका मुख्य कारण सुधार प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का विभाजन पांच सरकारी कंपनीयों के रुप में हो गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों में क्षेत्र-वार निवेश

31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2005 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (अंश पूंजी तथा दीर्घावधि कर्जो) और उनकी प्रतिशतता को नीचे वृत्त-चित्र में दर्शाया गया हैं:



[3] *कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 9,333.89 करोड रुपए था (अन्य में 9,462.45 करोड़ रुपए)। वित्त लेखाओं के अनुसार यह आंकडा 5,446.61 करोड़ रुपए है । अन्तर का समायोजन किया जा रहा है ।*



''(विविध में कृषि, उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स, निर्माण, क्षेत्र विकास, खनन, हथकरघा एवं हस्तकला, वन, पर्यटन तथा सार्वजनिक वितरण समाविष्ट है।)

कार्यशील सरकारी कंपनियां

1.3 मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के अंत में कार्यशील सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(राशि: करोड़ रूपए में)

वर्ष	कार्यशील सरकारी कंपनियों की संख्या	कार्यशील सरकारी कंपनियों में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	कर्जे	योग
2004-05	29	236.69	16.44	744.65	997.78
2005-06	29	3,631.02	43.03	5,276.47	8,950.52

कार्यशील सरकारी कंपनियों में अंशपूंजी तथा कर्जों के रूप में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दर्शाया गया है ।

31 मार्च 2005 को कार्यशील सरकारी कंपनियों में अंश पूंजी तथा कर्जो के रुप में क्रमशः 25.37 प्रतिशत तथा 74.63 प्रतिशत के कुल निवेश की तुलना में 31 मार्च 2006 को अंशपूजी का प्रतिशत 41.05 तथा कर्जो का प्रतिशत 58.95 था ।

अंशपूजी में राज्य सरकार का अंशदान बढ जाने के कारण कार्यशील सरकारी कंपनियों के ऋण अंशपूंजी का अनुपात में 2004-05 में 2.94:1 से घटकर 2005-06 में 1.44:1 हो गया ।

कार्यशील सांविधिक निगम

1.4 चार कार्यशील सांविधिक निगमों में मार्च 2005 तथा मार्च 2006 के अंत में कुल निवेश निम्नानुसार थाः

(राशिः करोड़ रूपए में)

निगम का नाम	2004-05		2005-06	
	पूंजी	कर्जे	पूंजी	कर्जे
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल	169.62	3,788.86	718.63	8,351.93
मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	141.81	42.52	141.81	48.12
मध्यप्रदेश वित्त निगम	75.30	413.61	82.14	492.37
मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	8.06	0.04	8.06	2.77
योग	**394.79**	**4,245.02**	**950.64**	**8,895.19**

कार्यशील सांविधिक निगमों में अंश पूंजी एवं कर्जो के रूप में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति का विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दिया गया है । सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को छः सरकारी कंपनियों में विभाजित (सितम्बर 2000) किया गया था । इनमें से केवल पाँच[4] कंपनियों को नवम्बर 2001 से मई 2002 में पंजीकृत की गया और इन्होने 31 मई 2005 तक मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के साथ अनुबन्ध के अंतर्गत कार्य करना जारी रखा । 1 जून 2005 से इन कंपनियों की स्वतंत्र हैसियत स्वीकृत हो गई थी जो कि राजस्व सहभागिता सहित निर्धारित रोकड़ प्रवाह तंत्र पर आधारित थी । 17 जून 2005 को तीन अनुबंध, यथा (i) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं मध्यप्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के मध्य विद्युत क्रय अनुबन्ध, (ii) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और 3 वितरण कंपनियों के मध्य पारेषण सेवा अनुबन्ध एवं (iii) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा 3 विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य थोक आपूर्ति अनुबंध, निष्पादित किए गए थे। इसी बीच, मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को 9 जून 2006 तक व्यापार लाइसेंसधारी के रुप में कार्य जारी रखने हेतु प्राधिकृत कर दिया। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा एक कंपनी जोकि अन्तर्राज्यीय/राज्य के अंतर्गत विद्युत व्यापार को नियमित करेगी बनाने हेतु आवश्यक पहल की जा रही थी (मार्च 2006) ।

कार्यशील सांविधिक निगमों में 31 मार्च 2005 को कुल निवेश में सम्मिलित अंशपूंजी 8.51 प्रतिशत तथा कर्जों के रुप में 91.49 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2006 को क्रमशः अंशपूजी का प्रतिशत 9.66 तथा कर्जो का 90.34 प्रतिशत समाविष्ट था । ऋण-अंशपूंजी अनुपात 2004-05 में 10.75:1 से घटकर 2005-06 में 9.36:1 हो गया, जिसका कारण 2005-06 में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल में अंशपूजी में पर्याप्त वृद्धि का होना था।

[4] *मध्यप्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।*

बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायताओं, गारंटियों, बकाया दायित्वों का अधित्याग एवं ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

1.5 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को राज्य सरकार द्वारा बजट से दी गई राशियों, अनुदानों/आर्थिक सहायताओं, दी गई गारंटियों, बकाया दायित्वों का अधित्याग और ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन संबंधी विवरण ***परिशिष्ट 1 व 3*** में दिए गए हैं ।

2005-06 तक तीन वर्षों के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों को बजट से दी गई राशियों (अंशपूंजी, एवं कर्जों के रूप में) एवं अनुदानों/आर्थिक सहायताओं के विवरण नीचे दिए गए हैः

(करोड़ रूपए में)

	2003-04				2004-05				2005-06			
	कंपनियां		निगम		कंपनियां		निगम		कंपनियां		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से दी गई अंशपूंजी	1	0.90	1	1.34	2	10.30	1	1.50	7	2,857.29	2	404.00
बजट से दिए गए कर्जे	1	7.24	--	--	1	4.28	2	375.44	3	91.16	3	651.31
अन्य अनुदान/ आर्थिक सहायता	11	46.90	--	--	10	213.14	2	845.33	9	32.49	1	495.69
कुल दी गई राशि	**11[5]**	**55.04**	**1[5]**	**1.34**	**12[5]**	**227.72**	**3[5]**	**1,222.27**	**16[5]**	**2,980.87**	**3[5]**	**1,551.00**

वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार ने छः कार्यशील सरकारी कंपनियों (1,662.89 करोड़ रूपए) तथा एक कार्यशील निगम (851.00 करोड़ रूपए) द्वारा लिए गए कुल 2,513.89 करोड़ रूपए के कर्जों के लिए गारंटियां दी थीं । गत वर्ष के अंत तक पांच कार्यशील सरकारी कंपनियों (66.79 करोड़ रूपए) तथा दो सांविधिक निगमों (579.56 करोड़ रूपए) से संबंधित 646.35 करोड़ रूपए की तुलना में इस वर्ष के अंत में नौ कार्यशील सरकारी कंपनियों (3,679.03 करोड़ रूपए) तथा तीन कार्यशील सांविधिक निगमों (3,557.04 करोड़ रूपए) से संबंधित 7,236.07 करोड़ रूपए की राशि की गारंटियां बकाया थीं। मार्च 2006 के अंत तक सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला गारंटी कमीशन क्रमशः 2.79 करोड़ रूपए तथा 94 लाख रूपए था।

5 *ये उन कंपनियों / निगमों की वास्तविक संख्या है, जिन्होने संबंधित वर्षों के दौरान राज्य सरकार से अंशपूंजी कर्जों, अनुदानों एवं / अथवा आर्थिक सहायता के रुप में बजट से सहायता प्राप्त की थी ।*

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.6 जैसा कि ***परिशिष्ट-2*** से देखा जा सकता है, कि 29 कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं चार सांविधिक निगमों में से केवल तीन कंपनियों एवं एक निगम ने ही वर्ष 2005-06 के अपने लेखाओं को 30 सितम्बर 2006 तक अंतिम रुप से तैयार किया था। अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 तक की अवधि के दौरान, 18 कार्यशील सरकारी कंपनीयों ने विगत वर्षों के 20 लेखाओं को अंतिम रूप दिया। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने भी विगत वर्ष के दो लेखाओं को अंतिम रुप दिया। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एवं दो[6] नई कम्पनीयों ने प्रारंभ से ही अपने लेखाओं को अंतिम रूप से तैयार नहीं किया है।

30 सितंबर 2006 को 26 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा तीन सांविधिक निगमों के लेखे एक से सात वर्षों तक की अवधि के लिये बकाया थे जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	कार्यशील सरकारी कंपनियों/ निगमों की संख्या		अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जिनके लेखे बकाया है	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ	
	सरकारी कंपनियां	सांविधिक निगम			सरकारी कंपनियां	सांविधिक निगम
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	1	--	1999-2000 से 2005-06	7	क-18	--
2.	1	--	2001-02 से 2005-06	5	क -19	--
3.	1	--	2002-03 से 2005-06	4	क-7	--
4.	1	--	2003-04 से 2005-06	3	क-13	--
5.	8	--	2004-05 से 2005-06	2	क- 1,10,11,12,16, 17,21,22	--
6.	14	3	2005-06	1	क-2,3,4,5,6,8,14, 23,24,25,26,27,28, 29	ख-1,2,4
	26	**3**				

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.7 अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों) के वित्तीय परिणामों का सारांश ***परिशिष्ट-2*** में दिया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यशील सांविधिक निगमों, जिनके

6 *परिशिष्ट -2 की क्रम संख्या क 4 एवं 11*

विगत तीन वर्षों के लेखाओं को अंतिम रुप दिया गया है, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम को क्रमशः ***परिशिष्ट-4 एवं 5*** में दर्शाया गया है ।

29 कार्यशील सरकारी कंपनियों तथा चार सांविधिक निगमों के अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार, छः कंपनियों और दो निगमों ने क्रमशः 6.09 करोड़ रूपए एवं 50.48 करोड़ रूपए की कुल हानि उठाई तथा 15 कंपनियों तथा दो निगमों ने क्रमशः 49.44 करोड़ रूपए एवं 1,249.26 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया । आठ[7] नई सरकारी कम्पनियों ने इस वर्ष हेतु कोई लाभ हानि लेखा तैयार नहीं किया।

सरकारी कंपनियों का कार्यचालन

लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियाँ और लाभांश

1.8 राज्य सरकार ने अंशपूंजी के 12 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश के भुगतान के लिए एक लाभांश नीति बनाई थी (जुलाई 1998), जिसे बाद में कर के पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत पर परिशोधित किया गया (जुलाई 2005) । दो कंपनियों यथा मध्य प्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मर्यादित एवं मध्य प्रदेश खनिज निगम मर्यादित ने अपने 2005-06 के लेखाओं को सितम्बर 2006 तक अंतिम रूप दिया, और 5.81 करोड़ रुपये (54.41 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया।

इसी प्रकार, 18 कार्यशील सरकारी कंपनियों में से, जिन्होने अपने पिछले वर्षों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया, 10 कंपनियों ने 15.55 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया तथा केवल छः कंपनियों ने उत्तरोत्तर दो अथवा अधिक वर्षों के लिए लाभ अर्जित किया । वर्ष के दौरान, चार कंपनियों ने गत वर्षो के लिए 5.36 करोड़ रूपए (9.51 प्रतिशत) का लाभांश घोषित किया । 2005-06 के दौरान लाभांश के द्वारा राज्य सरकार को, समस्त कार्यशील सरकारी कंपनियों में 3,637.54 करोड़ रुपए के कुल अंशपूजी निवेश के विरुद्ध कुल प्रतिलाभ 0.31 प्रतिशत प्राप्त हुआ । दो[8] कंपनियों ने 635.73 करोड़ रुपए की संचित हानियां उठाई, जो कि उनकी कुल प्रदत्त पूँजी 82.15 करोड रूपये की सात गुना से भी अधिक थी।

मध्य प्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मर्यादित द्वारा 2001-02 से 2004-05 तक के वर्षों के लिए 7.25 करोड़ रुपए की राशि के घोषित किए गए लाभांश का भुगतान सरकार को नहीं किया गया जिसका कारण संबंधित आम सभा में सशर्त संकल्प का पारित होना तथा कंपनी अधिनियम की धारा 205 क के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को उपलब्ध छूट का होना था।

7 *परिशिष्ट -2 के क्रम संख्या क 4,6,11,25,26,27,28,एवं 29*

8 *परिशिष्ट 2 की क्रम संख्या क 7 एवं 23*

हानि उठाने वाली कार्यशील सरकारी कंपनियां

1.9 खराब निष्पादन के बावजूद, राज्य सरकार ने इन कंपनियों को अंशदान के द्वारा अंशपूँजी, कर्जे, आर्थिक सहायता, अनुदानों इत्यादि के रुप में वित्तीय सहयोग करना जारी रखा । उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकार के द्वारा 2005-06 के दौरान चार हानि उठाने वाली कंपनियों को अंशपूजी, अनुदानों एव आर्थिक सहायताओं के माध्यम से 18.07 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया था ।

सांविधिक निगमों का कार्यचालन

लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम व लाभांश

1.10 दो लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम यथा मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन एवं मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल द्वारा वर्ष 2005-06 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना है । मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल जिसने वर्ष 2004-05 के अपने लेखाओं को 2005-06 के दौरान अंतिम रूप दिया था, ने 1,243.88 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

1.11 हानि उठाने वाले शेष दो सांविधिक निगमों, यथा मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम तथा गध्यप्रदेश वित्त निगम, को 1,008.31 करोड़ रूपये की कुल संचित हानि हुई जो कि 223.85 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूंजी के चार गुना से अधिक थी ।

उनके खराब निष्पादन के बावजूद, राज्य सरकार ने इन दो निगमों को 2005-06 के दौरान अंशपूजी एवं कर्ज के माध्यम से 76.26 करोड़ रूपए की राशि का वित्तीय सहायोग प्रदान किया ।

कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन

1.12 कार्यशील सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन ***परिशिष्ट-6*** में दिया गया है । कार्यचालन निष्पादन के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुएः

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

1.12.1 पारेषण एवं वितरण हानियाँ लगभग स्थिर रहीं अर्थात 2002-03 में 43.59 प्रतिशत, 2003-04 में 43.86 प्रतिशत एवं 2004-05 में 43.48 प्रतिशत ।

1.12.2 लोड फैक्टर 2002-03 में 73.14 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 72.09 प्रतिशत हो गया और 2005-06 के दौरान किसी भी गांव अथवा कस्बे को विद्युतीकृत नहीं किया गया।

1.12.3 कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय की प्रतिशतता 2002-03 में 14.50 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 16.82 प्रतिशत हो गई।

मध्यप्रदेश [राज्य] सड़क परिवहन निगम

1.12.4 मार्गस्थ वाहनों की औसत संख्या 2002-03 में 1,417 से घटकर 2004-05 में 925 रह गई तथा इसी अवधि में कर्मचारी वाहन अनुपात 8:1 से बढकर 11:1 हो गई।

1.12.5 परिचालित यात्री किलोमीटर 2002-03 में 553.54 करोड़ किलोमीटर से घटकर 2003-04 में 391.94 करोड़ किलोमीटर रह गए।

नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ

1.13 अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं के अनुसार 29 कार्यशील कंपनियों में नियोजित पूंजी[9] 1,127.64 करोड़ रूपए संगणित की गई तथा उस पर कुल प्रतिलाभ[10] विगत वर्ष के 15.61 करोड़ रुपए के कुल प्रतिलाभ की तुलना में 80.74 करोड़ रुपए (7.16 प्रतिशत) था। इसी प्रकार, कार्यशील सांविधिक निगमों के प्रकरणों में उनके अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं के अनुसार नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिलाभ क्रमशः 11,480.16 करोड़ रूपये एवं 1,555.71 करोड़ रूपये (13.55 प्रतिशत) था, जबकि विगत वर्ष में कुल प्रतिलाभ 533.75 करोड़ रूपये (29.73 प्रतिशत) था । कार्यशील सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के प्रकरण में नियोजित पूंजी और उस पर कुल प्रतिलाभ का विवरण ***परिशिष्ट-2*** में दिया गया है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के मध्य सहमति पत्र के क्रियान्वयन की स्थिति

1.14 ऊर्जा क्षेत्र में समयबद्ध तरीके से सुधारों हेतु संयुक्त प्रतिबद्धता के तौर मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए (मई 2000)। सहमति पत्र में की गई संबंधित वचनबद्धता की तुलना में सुधार-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	सहमति पत्र के अनुसार वचनबद्धताएं	लक्ष्य-निर्धारित पूर्णता अनुसूची	स्थिति (31 मार्च 2006 को)
1	2	3	4
	राज्य सरकार की वचनबद्धताएं		
1	पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी	नहीं दी गई	33 के.वी. एवं 11 के.वी. के नेटवर्क की ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु साफ्टवेयर विकास कार्य आरंभ

[9] *नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसंपत्तियों (प्रगत्याधीन पूंजीगत निर्माण कार्य सहित) तथा कार्यचालन पूंजी को दर्शाती है । यह वित्त कंपनियों एवं निगमों को छोड़कर है जिनमें यह प्रदत्त पूंजी, निर्बाध आरक्षित, निधियों, (बाण्ड्स) जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के आरंभिक तथा अंतिम शेषों के योग का औसत दर्शाती है ।*

[10] *नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ की गणना के लिए उधार ली गई निधियों पर ब्याज को लाभ-हानि लेखे में प्रकट किये गए शुद्ध लाभ में जोड़ा गया है/हानि में से घटाया गया है।*

			किए गए। हानि में कमी की योजना का कार्यक्रम वित्तीय सहायता हेतु एशियन डवलपमेन्ट बैंक, पी.एफ.सी.एवं नाबार्ड की ओर भेजा गया। भारत सरकार ने एन.टी.पी.सी.को सलाहकार तथा परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया।
2	सभी 11 के वी वितरण फीडरों का शत प्रतिशत मीटरीकरण	दिसम्बर 2003	पूर्ण किया गया।
3	समस्त उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत मीटरीकरण	दिसम्बर 2004	पी.एफ.सी.ने 22.03.2002 को मीटरीकरण करने तथा उसके उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 211 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी । मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने राशि का आहरण कर लिया और 46.49 लाख सिंगल फेज मीटर, एवं 6.91 लाख थ्री फेज मीटर एवं 7,529 एच.टी.मीटर लगाये गये थे।
4	केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों के बकाया प्राप्तव्यों का सुरक्षण (सिक्यूरिटीकरण)	अनुपलब्ध	सुरक्षण किया गया।
5	मण्डल का पुनर्गठन	अनुपलब्ध	पांच कम्पनीयों को निगर्मित किया गया और वह जून 2005 से अपना कारोबार स्वतंत्र रूप से कर रही है ।
6	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	2003 से आरंभ कर 2007 तक	51,806 ग्रामों में से 50,474 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया (97.43 प्रतिशत)
7	ऊर्जा लेखापरीक्षा	जून 2001, पुनरीक्षित लक्ष्य सितम्बर 2002 तक	132 के.वी. - 100 प्रतिशत 33 के.वी. - 92.46 प्रतिशत, 11 के.वी - 92.58 प्रतिशत
8	राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष के दौरान जारी किए गए टैरिफ आदेशों का क्रियान्वयन	प्रति वर्ष 31 दिसंबर को टेरिफ निवेदन प्रस्तुत करना	सभी पाँचो कम्पनियों ने अपने ए.आर.आर. प्रस्तुत कर दिए थे एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2006-07 के वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं ।
9	ग्रिड/उत्पादन स्टेशनों पर उर्जा मीटर संस्थापित करना	अनुपलब्ध	पूर्ण किया गया।
10	इलेक्ट्रोमेग्नेटिक मीटरों के बदले इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाना	अनुपलब्ध	26.62 लाख सिंगल फेज एवं 4.60 लाख थ्री फेज इलेक्ट्रोनिक मीटर मार्च 2004 तक प्रतिस्थापित/लगाये गए ।
11	अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति	अनुपलब्ध	भारत सरकार ने 350 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया जिसमें से 50 मेगावाट विद्युत का आवंटन पहले ही उत्तर क्षेत्र से किया जा चुका है।
12	जल विद्युत ऊर्जा विकास	अनुपलब्ध	मध्यप्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए । राष्ट्रीय जल विद्युत विकास निगम नामक एक स्वतंत्र संयुक्त उद्यम उपयोगिता (ज्वांइट वेंचर यूटीलिटी) ने पहले ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और यह मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को कोई प्रगति प्रतिवेदन नहीं देता है।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

1.15 राज्य में विद्युत शुल्क के निर्धारण, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण आदि से संबंधित मामलों में परामर्श देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (अधिनियम) की धारा 17 के अधीन अगस्त 1998 में किया गया था । इसने फरवरी 1999 से कार्य करना प्रारंभ किया । आयोग एक कार्पोरेट निकाय है, जिसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है । आयोग ने अभी तक (सितम्बर 2006) अपने प्रथम लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश

1.16 मार्च 2005 तथा 2006 के अंत में नौ अकार्यशील सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(राशिः करोड़ रुपए में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश			
		अंशपूंजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2004-05	9	59.69	0.19	164.48	224.36
2005-06	9	58.42	1.03	166.02	225.47[11]

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

(राशिःकरोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की स्थिति	कंपनियों की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में निवेश	
			अंशपूंजी[12]	दीर्घावधि कर्जे
(i)	परिसमापनाधीन	5	11.96	--
(ii).	बंद होने वाले	4	47.49	166.02
	योग	**9**	**59.45**	**166.02**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपर्युक्त नौ अकार्यशील उपक्रमों मे से समस्त सरकारी कंपनियां एक से 23 वर्षो से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन परिसमापन अथवा बंद होने के कगार पर थीं। इन कंपनियों में 225.47 करोड़ रुपए का सारभूत निवेश सम्मिलित था।

11 *सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 154.63 करोड़ रुपए (अन्य 70.84 करोड़ रुपए) था । वित्त लेखे के अनुसार 45.02 करोड़ रुपए है । अंतर का समायोजन किया जा रहा है ।*

12 *अंशपूंजी में एक कंपनी की 1.03 करोड़ रुपए की अंश (शेयर) आवेदन राशि सम्मिलित है ।*

इन कंपनियों के त्वरित समापन अथवा उन्हें पुनः चालू करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है ।

बजट से दी गई राशियां, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां, बकाया दायित्वों को छोडना तथा ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन

1.17 राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों को बजट के अंतर्गत प्रदत्त राशियों, अनुदानों/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियों, बकाया दायित्वों को छोडना तथा ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन करने संबंधी विवरण ***परिशिष्ट 1 व 3*** में दिए गए हैं ।

1.18 सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों पर कुल स्थापना व्यय

2005-06 तक के अंतिम तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों (सरकारी कंपनियों) पर कुल स्थापना व्यय एवं उनकी वित्त व्यवस्था के स्रोतों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः

(राशिः लाख रुपए में)

वर्ष	सरकारी कंपनियों की संख्या	कुल स्थापना व्यय	निवेश/ परिसंपत्तियों का निर्वतन	वित्त के स्रोत		
				सरकार से प्राप्त		अन्य[13]
				ऋण	अनुदान	
2003-04	9	178.93	2.27	168.38	--	8.28
2004-05	9	97.55	85.85	--	--	11.70
2005-06	9	124.07	--	--	40.00	84.07
योग	**--**	**400.55**	**88.12**	**168.38**	**40.00**	**104.85**

अकार्यशील नौ कंपनियां के स्थापना व्यय पर राज्य सरकार ने 2003-06 के दौरान 4.01 करोड रूपए का व्यय किया है । इन कंपनियों पर और अधिक अनुत्पादक व्यय को टालने के लिए इनको बंद करने हेतु त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

1.19 एक अकार्यशील सरकारी कंपनी ने अपने 2005-06 के लेखाओं को अंतिम रूप दिया है। शेष आठ अकार्यशील सरकारी कंपनियों के लेखे 30 सितंबर 2006 को अंतिम रूप देने हेतु एक से लेकर 16 वर्ष की अवधि तक के लिये बकाया थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2*** में दिखाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

1.20 अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं के अनुसार अकार्यशील सरकारी कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट-2*** में दिए गए है ।

13 *वित्त व्यवस्था के अन्य स्त्रोत में बैंको से प्राप्त ब्याज एवं भंडार सामग्री के विक्रय से प्राप्त आय है।*

नौं अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल अंशपूंजी निवेश 59.05[14] करोड़ रुपये था। ये कम्पनियाँ हानि वहन कर रही थीं, जिसमें 9.93 करोड़ रुपये की नकद हानि एवं 131.80 करोड़ रुपये का ऋणात्मक निवल मूल्य था । इन कम्पनियों की 234.72 करोड़ रुपये की संचित हानि उनके अंतिम रूप दिये गये अद्यतन लेखाओं के अनुसार उनकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना अधिक थी।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान-मंडल में रखे जाने की स्थिति

1.21 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (2003-04), मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (2003-04), मध्यप्रदेश वित्त निगम (2004-05) तथा मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (2004-05) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान-मंडल के पटल पर रखे जा चुके हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.22 2005-06 के दौरान राज्य सरकार ने अपने किसी भी सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना नहीं की है ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

1.23 अक्टूबर 2005 से सितंबर 2006 के दौरान 23 सरकारी कंपनियों (19 कार्यशील एवं चार अकार्यशील) तथा तीन सांविधिक निगमों के लेखाओं को लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिए चयन किया गया था। सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का अंतिम प्रभाव निम्नानुसार रहाः

क्रम संख्या	विवरण	लेखाओं की संख्या			(राशि लाख रुपए में)		
		सरकारी कंपनियां		सांविधिक निगम	सरकारी कंपनियां		सांविधिक निगम
		कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील	कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील
1	लाभ में कमी	3	--	3	477.27	-	71,405.37
2	लाभ में वृद्धि	--	--	1	--	--	6,116.00
3	हानि में वृद्धि	3	--	2	428.43	--	1,02,426.50
4	हानि में कमी	1	1	1	92.76	61.86	25.17
5	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	3	--	3	372.33	--	44,728.52
6	वर्गीकरण की त्रुटियां	4	--	2	6,652.37	--	1,14,160.20

14 मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की 1.04 करोड रुपए की अंशपूजी सम्मिलित है ।

सरकारी कंपनियों के संबंध में पाई गई दोष एवं चूकें

1.24 सरकारी कंपनियों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए कुछ दोष एवं चूकें निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	लेखावर्ष	दोष/चूकें	करोड़ रूपए में
1	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम	2004-05	रोकड़ एवं बैंक शेषो में रोकड़ का गबन तथा संदिग्ध ऋणों के लिए की गई व्यवस्था भी सम्मिलित है जिसके परिणामस्वरुप रोकड एवं बैंक शेषों को अधिक तथा ऋण एवं अग्रिमों को कम दर्शाया गया है ।	1.67
2	मध्यप्रदेश राज्य सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मर्यादित	2005-06	चालू वर्ष की बिक्री में से पिछले वर्षो के परम्परागत मिल के चावलो की दर के अधोमुखी पुनरीक्षण के समायोजन से लेखा नीति का उल्लंघन हुआ जिसके परिणामस्वरुप वर्ष के लिए विक्रय एवं लाभ का तथा पिछली अवधि के मदों (निवल) को इस सीमा तक कम दर्शाया गया ।	3.89
3	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	2002-03	बैंक में जमा नहीं की गई रोकड़ के परिणामस्वरुप रोकड़ एवं बैंक शेष को अधिक तथा हानि को कम दर्शाया गया ।	0.03
		2003-04	1981-82 से बकाया ऋणों के लिए प्रावधान न किया जाना, जिनकी वसूली के अवसर नगण्य है, के परिणामस्वरुप विविध देनदारों को अधिक तथा हानियों को कम दर्शाया गया ।	1.58

सांविधिक निगमों के प्रकरणों में पाई गई दोष एवं चूकें

1.25 सांविधिक निगमों के संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये कुछ महत्वपूर्ण दोष एवं चूकें निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं:

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	लेखावर्ष	दोष/चूकें	करोड़ रूपए में
1	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल	2004-05	1. वर्ष 2004-05 के दौरान वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड को भुगतान न किए गए कोयले के बिलों का प्रावधान न करना	59.81
			2. उपभोक्ता के प्रतिभूति जमाओं पर ब्याज का प्रावधान न करना ।	11.98
			3. राज्य सरकार की गारंटियों पर भुगतान योग्य गारंटी प्रभार का प्रावधान न करना ।	11.19
			4. विद्युत संयोजन से असम्बद्ध उपभोक्ताओं से वसूल न की गई राशि का प्रावधान न करना।	87.22

			5. रोकड़ एवं बैंक शेष में वह राशि सम्मिलित नहीं है जो कि जमा कर दी गई लेकिन पिछले तीन वर्षो से बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं की गई है ।	1.46
2.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	2003-04	1. भारतीय स्टेट बैंक (9.18 करोड रुपए) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (8.05 करोड़ रुपए) को भुगतान योग्य ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरुप हानि कम हुई ।	17.23
			2. कर्मचारी भविष्य निधि के अभीदान का प्रेषण न किए जाने के कारण ब्याज के दायित्व का प्रावधान न करने के परिणामस्वरुप हानि कम हुई ।	4.43
			3. स्वतंत्रता सैनानियों को जारी किए पास के दावों को सम्मलित करना जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया ।	8.47

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्यांकन

1.26 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वर्ष 2004-05 तक के तीन वर्षों के लिए कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन पर आधारित तथा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई प्रमुख अनियमितताओं एवं चूकों को ध्यान में रखते हुये और राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता/अर्थसहयोग को लेखाकंन में सम्मिलित न करते हुए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की नियोजित पूंजी पर शुद्ध आधिक्य/कमी तथा प्रतिफल की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05[15]
1.	लेखापुस्तकों के अनुसार शुद्ध आधिक्य/(-) कमी	(-) 154.38	(+) 151.03	(+) 1,243.88
2.	राज्य सरकार से आर्थिक सहायता	668.00	818.39	794.30
3.	राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के पूर्व शुद्ध आधिक्य/(-) कमी (1-2)	(-) 822.38	(-) 667.36	(+) 449.58
4.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों के कारण शुद्ध आधिक्य/ (-) कमी में शुद्ध वृद्धि/कमी	(-) 465.27	(-) 476.14	(-) 219.12
5.	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परंतु राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता से पूर्व शुद्ध आधिक्य/(-) कमी (3-4)	(-) 1,287.65	(-) 1,143.50	(+) 159.30
6.	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल**	**279.30**	**543.27**	**1,556.02**

15 *लेखा परीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने पर मंडल द्वारा प्रारंभ में अंगीकृत लेखाओं में 114.07 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया ।*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताएं एवं प्रणालीगत कमियां

1.27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान उनके वित्तीय मामलों में सतत अनियमितताओं एवं प्रणालीगत कमियों के संबंध में बार-बार इंगित किया गया परंतु इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है ।

सांविधिक निगम

1.28 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

- मण्डल ने स्थाई परिसंपत्तियों (मण्डल के अस्पताल को छोड़कर) के विवरण यथा स्थिति, मात्रा, मूल्य, अधिप्राप्ति/अधिष्ठापन तिथि, मूल्यह्रास प्रभार आदि दर्शाते हुए निर्धारित परिसम्पति पंजियों को तैयार नहीं किया है । परिणामस्वरूप लेखाओं में प्रदर्शित मूल्य का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका । परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया ।
- अधिकांश क्षेत्रीय लेखा इकाइयों के ट्रायल बैलेन्स में दर्शाए गए शेषों तथा अनुसूचियों/सहायक पुस्तिकाओं में दर्शाए गए शेषों के मध्य अंतर था जिसका समायोजन नहीं किया गया था।
- 20 फरवरी 2002 को मंडल द्वारा आठ ग्रामीण विद्युत निगम समितियों को अपने अधिकार में लेने के पश्चात उनकी परिसम्पतियों एवं देयताओं के लेखे में अंकित नहीं किया गया है।
- लेखापरीक्षा द्वारा नूमनां जांच की गई इकाईयों में अनेक लेखाशीर्षो में प्रतिकूल शेष दर्शाए जा रहे थे।

1.29 मध्यप्रदेश (राज्य) सड़क परिवहन निगम

- परिसंपत्तियों (बेड़े के अतिरिक्त) का भौतिक सत्यापन 1975-76 से नहीं किया गया है ।
- परिसंपत्तियों का विवरण तथा अधिग्रहण की तिथि, स्थिति, प्रस्थिति आदि का विवरण देने वाली परिसंपत्ति-पंजी का संधारण नहीं किया गया ।
- प्रगत्याधीन निर्माण कार्यों के विवरण अर्थात प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान वृद्धि, स्थाई परिसंपत्तियों में स्थानांतरित राशि तथा प्रतिवर्ष के अंत में अंतशेष, यथाअपेक्षित आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत लेखाओं में नहीं दर्शाए गए हैं ।
- अग्रिमों एवं जमाओं (डिपॉजिट) के वर्ष-वार तथा पार्टी-वार विवरण तैयार नहीं किए गए हैं ।
- अन्य राज्य सड़क परिवहन निगमों के विरुद्ध दस वर्षों से भी अधिक समय से 47.95 लाख रूपए बकाया हैं।

- देनदारों से अधिशेषों की पुष्टि प्राप्त नहीं हो पाई है तथा अवधि-वार एवं पार्टी-वार विवरण नहीं निकाले गए है ।
- कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया।
- निगम ने वर्ष 1991-92 में पश्चिम रेलवे से 18,488 वर्ग मीटर भूमि, भवन/आवसीय क्वाटरों सहित, आगर डिपों, उज्जैन संभाग के लिए अधिग्रहित किया था जिसके मूल्य के भुगतान न किये जाने के तथ्य को प्रकट नहीं किया गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निर्देशो पर आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार हेतु सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन

1.30 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षको को उनके द्वारा लेखापरीक्षा की गई कंपनियों में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन तथा ऐसे क्षेत्रों, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, की पहचान करनी होती है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 के मध्य 29 कार्यशील सरकारी कंपनियों के संबंध में निर्देश/उप निर्देश जारी किए गए थे । इस प्रकार से जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में 4 सरकारी कंपनियों के 4 लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त हुए (सितम्बर 2006) ।

राज्य सरकार की कंपनियों की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणालीयों सम्भाव्य सुधार के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाओं/अभ्युक्तियों के संबंध में विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई अनुसंशाओं की प्रकृति	उन कंपनियों की संख्या जिनके संबंध में अनुसंशाएं/ अभ्युक्तियां है	परिशिष्ट-2 की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	कंपनी अधिनियम की धारा 292 क का उल्लंघन करते हुए कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी ।	3	2,8,16
2	लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण न होना	2	2,8

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने हेतु अनुसंशाएं

1.31 आठ सरकारी कंपनियों (कार्यशील)[16] के अपने अस्तित्व में आने के पांच अथवा अधिक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी उनकी कुल बिक्री अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के

16 *मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल), (जबलपुर), (रीवा), इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट कारपोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, दि प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ।*

पूर्ववर्ती पांच वर्षो में प्रत्येक वर्ष पांच करोड़ रूपए से कम थी । कम सकल बिक्री और सतत हानियों की दृष्टि से सरकार या तो इन सरकारी कंपनियों के निष्पादन में सुधार के उपाय करे अथवा उनके बंद करने पर विचार करें।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

1.32 सितंबर 2006 के अंत में, कोपू में चर्चा की गई समीक्षाओं/कंडिकाओं और कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई समीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या		चर्चा की गई समीक्षाओं/ कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षाएं	कंडिकाएं	समीक्षाएं	कंडिकाएं
2002-03	03	20	-निरंक-	12
2003-04	02	17	-निरंक-	02
2004-05	03	22	-निरंक-	-निरंक-

619-बी कंपनियां

1.33 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी यथा मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड थी, जो कि अकार्यशील कंपनी है । इसके 1989-90 तक उपलब्ध अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य सरकार की कंपनियों (1.26 करोड़ रूपए) तथा केन्द्रीय सरकार और उसकी कंपनियों (24 लाख रूपए) द्वारा दिए गए अंशदान से उस वर्ष के दौरान 1.50 करोड़ रूपए की कुल प्रदत्त पूंजी वाली इस कंपनीं को वर्ष के दौरान 63 लाख रूपए की हानि उठानी पड़ी थी । 1989-90 के वर्ष तक इसकी संचित हानि 3.78 करोड़ रूपए थी ।

दूसरा अध्याय

सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में निष्पादन समीक्षायें

मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता

मुख्यांश

कंपनी द्वारा परिचालित समस्त योजनाओं के सम्बन्ध में, 2001-06 तक के पाँच वर्षों के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने में कम्पनी का निष्पादन अत्यन्त कम था ।

(कंडिका 2.1.6)

एन बी सी एफ डी सी द्वारा स्वीकृत 42 करोड़ रूपए के विरूद्ध कम्पनी केवल 13.41 करोड़ रूपए (32 प्रतिशत)ही आहरित कर सकी । एन एम डी एफ सी से स्वीकृत 8.50 करोड़ रूपए में से 2001-06 तक के पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी केवल 3 करोड़ रूपए (35 प्रतिशत)ही आहरित कर सकी । ऋणों का कम आहरण हितग्राहियों के चयन कें लिए पूर्व परिचय शिविर नहीं लगाए जाने तथा पूर्व में आहरित ऋणों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में असाधारण विलम्ब के कारण हुआ ।

(कंडिका 2.1.7 एवं 2.1.8)

यद्यपि, लक्षित जनसंख्या की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 12 वर्षो से भी अधिक समय से कम्पनी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, तथापि सभी हितग्राहियों को कर्जे देने के लिए आधार तैयार करने हेतु चरणवद्ध रीति से लक्षित हितग्राहियों का सर्वेक्षण नहीं कराया गया ।

(कंडिका 2.1.10)

95 लाख रुपये के ऋण की संस्वीकृति में एन बी सी एफ डी सी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ ।

(कंडिका 2.1.11)

लक्षित जनसंख्या के लिए ऋण सहायता का विस्तार अपर्याप्त एवं वित्तीय एजेन्सी के दिशा निर्देशों के विपरीत था । इसके परिणाम स्वरूप ऋण का असमान वितरण हुआ जिसके कारण एन एम डी एफ सी की योजनाओं के अंतर्गत जरुरतमंद हितग्राहियों को सहायता अस्वीकृत हुई ।

(कंडिका 2.1.13)

हितग्राहियों को वितरण के लिए रखे गये 6.04 करोड़ रूपए के ऋण तथा परियोजना लागत के सरकारी हिस्से (4.45 करोड़ रूपए) को एन बी सी एफ डी सी एवं एन एम डी एफ सी को देय किस्तों के भुगतान हेतु परिवर्तित कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप जरूरतमंद हितग्राहियों को सहायता अस्वीकृत हुई ।

(कंडिका 2.1.15)

वित्तीय एजेन्सी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में विलम्ब के परिणाम स्वरूप, 5.11 करोड़ रूपए का परिहार्य ब्याज देना पड़ा ।

(कंडिका 2.1.16)

वसूली का निष्पादन बहुत कम था, और बाद में 2003-06 के वर्षों के दौरान मुख्यालय द्वारा वितरित किये गये सावधि ऋण के मामले में 20 से 15 प्रतिशत एवं छोटे वित्तीय सहायता के मामले में 34 से 26 प्रतिशत तक गिरावट आयी,जिसके परिणाम स्वरूप 2.58 करोड़ रूपए के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पडा ।

(कंडिका 2.1.20,2.1.21 एवं 21.22)

अभिलेख के अनुचित रख रखाव तथा आंतरिक नियंत्रण के अभाव के कारण पाँच जिलों में रोकड़ का दुर्विनियोजन हुआ । दुर्विनियोजन के होते हुए भी, कम्पनी ने कोई सुधारात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही आरम्भ नहीं की ।

(कंडिका 2.1.25)

प्रस्तावना

2.1.1 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम मर्यादित (कम्पनी) का गठन सितम्बर 1994 में हुआ था । कम्पनी का नाम (सितम्बर 1997 में) " मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम " में परिवर्तित हो गया । कम्पनी का मुख्य उद्देश्य है, राज्य के पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए योजना, परियोजना तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, उनको आजीविका के लिए आमदनी उत्पन्न करने में, सक्षम बनाने के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करना, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वर्ग के सदस्यों को शिक्षा, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं संचालित करना, किसी भी न्यायाधिकरण में उनके हितों को आगे बढ़ाना, बचाव अथवा अभ्यावेदन करना और उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों को अग्रिम ऋण देना ।

यह कम्पनी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एंवं विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी), राष्ट्रीय अल्प संख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन एच एफ डी सी) द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन करती रही है । एन बी सी एफ डी सी तथा एन एम डी एफ सी द्वारा वित्त

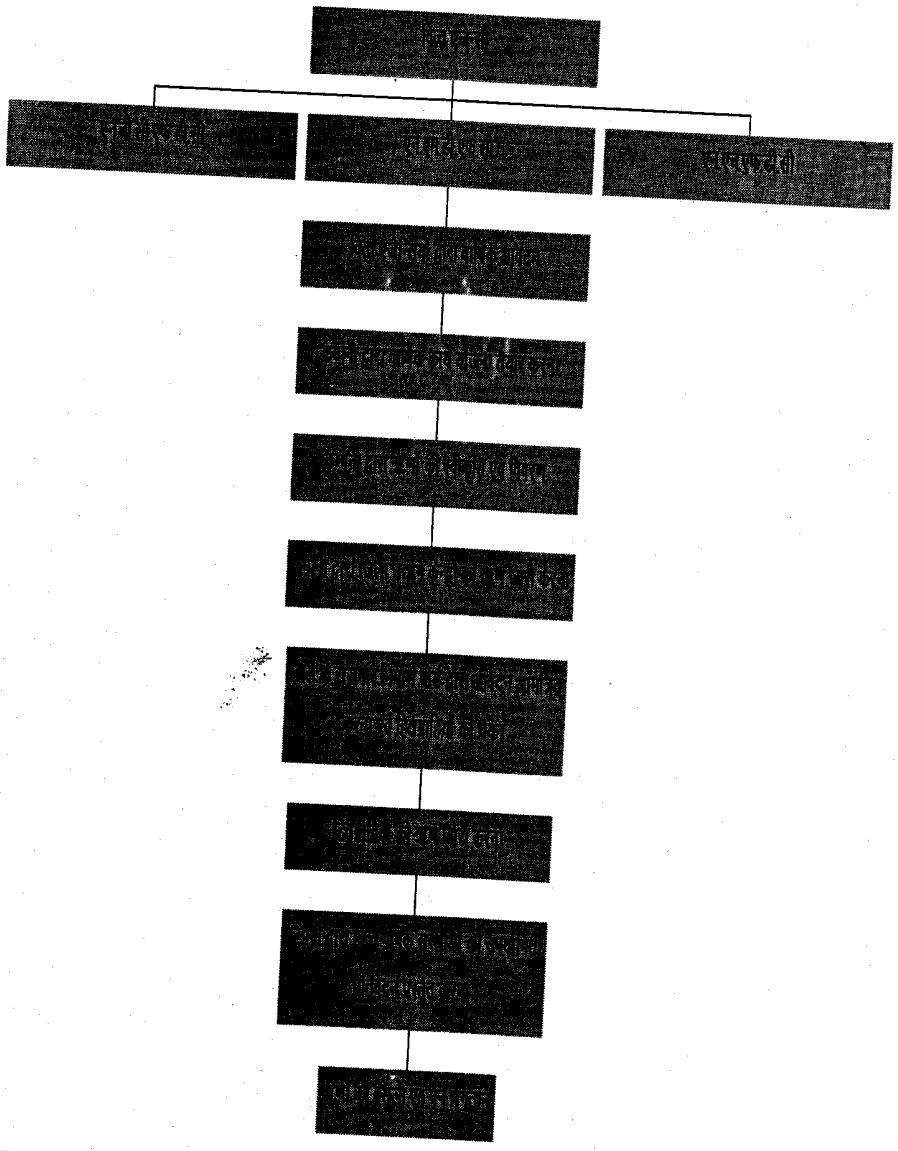
पोषित योजनाएं चार श्रेणियों में वर्गीकृत की गयी हैं, यथा - (i) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, (ii)लघु व्यापार /शिल्प एवं पारम्परिक धंधा, (iii) सेवा का क्षेत्र और (iv) परिवहन । एन एच एफ डी सी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं का उद्देश्य है अल्प संख्यक वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के विकलांग हितग्राहियों के लिए स्वरोजगार तथा अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित करना ।

निधियां उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं प्रति वर्ष कम्पनी को ऋण निधियों का आबंटन संसूचित करती हैं जो कि परिकल्पित होती है । एन बी सी एफ डी सी के वित्तीय दिशा निर्देशों के अनुसार, माध्यम एजेन्सी (कम्पनी) से अपेक्षित है कि वह हितग्राहियों के लिए उनकी वास्तविक आवश्यकता पर आधारित परियोजनाएं बनायें एवं राष्ट्रीय आबंटन को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करे । वार्षिक कार्य योजना में विभिन्न योजनाओं जैसे कि कृषि, परिवहन, लघु व्यापार तथा पारम्परिक धंधो में दिये जाने हेतु प्रस्तावित वित्तीय सहायता के विवरण, साथ ही हितग्राहियों की संख्या शामिल होती है । वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के बाद, निधियां उपलब्ध कराने वाली संस्था, कम्पनी को ऋण स्वीकृत करती है तथा जारी करती है । तब कम्पनी जिला उद्योग केन्द्रों को ऋण जारी करती है । जिला उद्योग केन्द्र ऐसे हितग्राहियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 रूपए (एन एम डी एफ सी के संबंध में 42,000 रूपए) तथा शहरी क्षेत्र में 55,000 रूपए से अधिक नहीं हो । आवेदन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा के बाद उन्हें चयन/स्वीकृति के लिए जिला रोजगार बोर्ड (जिला रोजगार निर्माण बोर्ड) को प्रस्तुत किया जाता है । तब जिला उद्योग केन्द्र चयनित हितग्राहियों को ऋण वितरित करते हैं । योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद उपयोगिता प्रतिवेदन एन बी सी एफ डी सी को भेज दिये जाते है । ऐसी ही कार्यविधि एन एम डी एफ सी तथा एन एच एफ डी सी की योजनाओं के संबंध में भी स्वीकृत की गयी है। कंपनी वार्षिक कार्य योजना बनाकर उसे निधियाँ उपलब्ध कराने वाली संस्था को प्रस्तुत करती है । एन बी सी एफ डी सी तथा एन एम डी एफ सी आबंटन के लिए निर्धारित सीमा में रहते हुए निधियां जारी करते हैं । एन एच एफ डी सी वार्षिक कार्य योजना प्राप्ति के पश्चात निधियां जारी करती है।

कम्पनी का प्रबंधन एक बोर्ड के अधीन होता है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री अध्यक्ष होते है । प्रबंध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यपालक होता है और मुख्यालय पर एक प्रबंधक तथा एक सहायक प्रबंधक उसके सहायक होते हैं ।

कम्पनी 48 जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित करती है, जो कि राज्य सरकार के उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है।

वित्तिय सहायता की प्रणाली के लिये प्रवाह सारणी



लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.1.2 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए प्राँच वर्षों के लिए विकास तथा वित्तीय सहायता गतिविधियों के सम्बन्ध में कम्पनी के निष्पादन का पुनरीक्षण, वितरित की गयी

संचयी ऋण सहायता के आधार पर, 48 में से चयनित 16[17] जिला कार्यालयों के अभिलेख के परीक्षण द्वारा, मई तथा अगस्त 2006 के बीच किया गया था ।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने की दृष्टि से की गई थी कि -

- क्या कम्पनी ने प्रभावकारी रुप से, मितव्ययता से एवं दक्षतापूर्वक अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है;
- क्या कम्पनी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे पिछड़े वर्ग तथा अल्प संख्यक वर्ग के लोगों के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर ऋण दिए हैं;
- क्या हितग्राहियों के निर्धारित समूह की पहचान का तरीका रखा गया था और यह दक्षतापूर्वक कार्य कर रहा था ;
- क्या लक्षित जनसंख्या को वित्तीय सहायता देने के लिए पर्याप्त संसाधनों की योजना बनाई गयी थी और उपलब्ध कराये गये थे तथा क्या उद्दिष्ट हितग्राहियों के लाभ के लिए निधियों का उपयोग प्रभावी ढँग से / प्रशस्त रूप से किया गया था, और यह कि कोई समर्पण अथवा व्यपवर्तन नहीं किया गया था ;
- क्या लक्षित समूह को स्थायी आधार पर आमदनी उत्पन्न करने, जिससे कि न केवल ऋणों का पुनर्भुगतान बल्कि आर्थिक उन्नति सुनिश्चित हो ऐसी सक्षम दीर्घजीवी परियोजनाओं के चयन तथा उन में परियोजनाओं के मूल्यांकन का तरीका सुनिश्चित किया गया था ;
- क्या कम्पनी ने ऋणों के वितरण के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण का कोई प्रभावी तरीका अपनाया था ; और
- क्या एन बी सी एफ डी सी, एन एम एफ डी सी तथा एन एच एफ डी सी के ऋणों की वापसी को सुनिश्चित करने हेतु वसूली का तरीका प्रभावशाली था, और क्या चूक के मामले में प्रभावी कार्यवाही की गयी थी;

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.1.4 उल्लिखित उद्देश्यों के संबंध में कम्पनी का निष्पादन निम्न मानदडों पर मूल्यांकित किया गया:-

17 भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, शाजापुर उज्जैन, इन्दौर, देवास, सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, दमोह, भिण्ड, गुना, छतरपुर, छिन्दवाडा, एवं खण्डवा ।

- राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पत्र के प्रावधान ।
- योजना निर्देश, स्वीकृति के नियम व शर्तें, वार्षिक कार्ययोजना ।
- योजनाओं तथा हितग्राहियों के चयन एवं ऋणों को जारी करने तथा उनके उपयोग से सम्बंधित निर्देशित प्रक्रिया एवं मूल्यांकन ।
- वितरण के पश्चात पर्यवेक्षण तथा वसूली से सम्बंधित निर्देशित प्रक्रिया ।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.1.5 लेखापरीक्षा निम्नांकित विधियों के माध्यम से की गई: -

- राज्य सरकार के साथ किए गए सहमति पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा,
- वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन, वार्षिक कार्य योजना एवं परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा हितग्राहियों के चयन से सम्बन्धित फाइलों का परीक्षण,
- स्वीकृतियों तथा वितरणों की सूक्ष्म परीक्षा,
- संचालित किये गये जागृति शिविरों के संख्यात्मक आंकडे, वसूली निष्पादन, सम्पत्तियों को कब्जे में लेना, की गयी कानूनी कार्यवाही की सूक्ष्म परीक्षा ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष अगस्त 2006 में सरकार /प्रबंधन को सूचित किये गये थे और 21 सितम्बर 2006 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति में इस पर विचार विमर्श किया गया था, जिसमें उपसचिव, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सरकार का प्रतिनिधित्व किया गया एवं कम्पनी का प्रतिनिधित्व प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया था । सरकार /प्रबंधन के विचारों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया था ।

आगामी कंडिकाओं में लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गयी है ।

लक्ष्य एवं प्राप्ति

2.1.6 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी के लक्ष्य एवं प्राप्ति नीचे दर्शाये गये हैं ।

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य		प्राप्ति		प्रतिशतता	
	भौतिक (मामलों की संख्या)	वित्तीय (राशि)	भौतिक (मामलों की संख्या)	वित्तीय (राशि)	भौतिक (मामलों की संख्या)	वित्तीय (राशि)
पिछड़े वर्गो के लिए एन बी सी एफ डी सी परियोजनाएं						
2001-02	3,518	1,100.00	989	415.22	28	38
2002-03	3,055	1,100.00	371	275.50	12	25
2003-04	3,055	1,100.00	140	450.00	5	41
2004-05	1,200	600.00	130	100.00	11	17
2005-06	1,177	500.00	531	100.00	45	20
योग	**12,005**	**4,400.00**	**2,161**	**1,340.72**	**18**	**30**
अल्प संख्यकों के लिए एन एम डी एफ सी परियोजनाएं						
2001-02	459	204.00	222	उपलब्ध नहीं	48	उपलब्ध नहीं
2002-03	459	204.00	19	उपलब्ध नहीं	4	उपलब्ध नहीं
2003-04	296	150.00	150	75.00	51	50
2004-05	720	262.08	148	225.00	21	86
2005-06	1,476	500.00	636	उपलब्ध नहीं	43	उपलब्ध नहीं
योग	**3,410**	**1,320.08**	**1,175**	**300.00**	**34**	**23**
विकलागों के लिए एन एच एफ डी सी परियोजनाएं						
2001-02	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	15	8.10	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2002-03	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	27	11.65	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2003-04	510	431.40	35	17.10	7	4
2004-05	1,465	1,518.00	12	5.50	1	1
2005-06	1,000	500.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
योग	**2,975**	**2,449.40**	**89**	**42.35**	**3**	**2**

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि:-

कम्पनी किसी भी योजना में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकी

- किसी भी वर्ष की किसी भी योजना के मामले में कम्पनी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकी । 2004-05 के दौरान एन बी सी एफ डी सी की परियोजनाओं, जिनके लक्ष्य कम कर दिए गए थे उनको भी कम्पनी प्राप्त नहीं कर सकी । एन बी सी एफ डी सी के मामलों में लक्ष्य प्राप्ति बहुत कम थी, अर्थात भौतिक लक्ष्यों में 5 से 45 प्रतिशत तथा वित्तीय लक्ष्यों के सम्बन्ध में 17 और 41 प्रतिशत के बीच ।

- एन एम डी एफ सी की परियोजनाओं के मामले में पूरे पाँच वर्षों की अवधि के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति क्रमशः केवल 34 एवं 23 प्रतिशत थी ।

- कम्पनी 2,975 हितग्राहियों के लिए निर्धारित 24.49 करोड़ रूपए के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 89 विकलांग हितग्राहियों के लिए 42.35 लाख रूपए का ही ऋण दे सकी ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि हितग्राहियों की पहचान के बिना लक्ष्य निर्धारित करने (एन बी सी एफ डी सी), उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजने में असफल रहने तथा देयताओं का भुगतान नहीं करने (एन एम डी एफ सी) स्वीकृति के लिए एन एच एफ डी सी को कम प्रकरण भेजे जाने तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार की गारंटी प्राप्त करने में असफल रहने के कारण लक्ष्य की कम प्राप्ति हुई । अप्रभावी पर्यवेक्षण तथा कम वसूली होने से भी लक्ष्य की कम प्राप्ति हुई जिसकी कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है ।

योजनाओं का क्रियान्वयन एवं ऋण सहायता की स्वीकृति

एन बी सी एफ डी सी योजनाएं

2.1.7 निम्नांकित सारणी में एन बी सी एफ डी सी द्वारा, 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षो के दौरान किये गये वर्ष-वार आबंटन, प्रस्तुत की गयी योजनाएं, स्वीकृत किये गये ऋण, जारी किये गये तथा जिला उद्योग केन्द्रों को वितरित किये गये ऋणों के विवरण दर्शाये गये हैं ।

(राशिः लाख रूपए में)

वर्ष	किया गया आंबटन	प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव	स्वीकृत राशि	एन बी सी एफ डी सी से आहरित राशि	स्वीकृत राशि से जारी की गयी राशि का प्रतिशत	जिलों को जारी की गयी राशि	मुख्यालय पर वितरित
2001-02	1,100	1,100	1,100	415.22	37.75	409.04	--
2002-03	1,100	1,100	1,100	275.50	25.05	495.56	276.50
2003-04	1,100	1,100	1,100	450.00	40.91	180.94	309.19
2004-05	600	600	600	100.00	16.67	5.00	57.00
2005-06	500	500	300	100.00	33.33	113.85	95.53
योग	**4,400**	**4,400**	**4,200**	**1,340.72**	**32 .00**	**1,204.39**	**738.22**

टीपः प्रत्येक वर्ष के वितरणों में, पूर्व वर्षो में स्वीकृत किये गये ऋणों में से किया गया वितरण भी शामिल है ।

उपर्युक्त तालिका में दृष्टव्य है कि :

एन बी सी एफ डी सी से स्वीकृत ऋण का केवल 32 प्रतिशत आहरित किया गया

- एन बी सी एफ डी सी द्वारा किया गया आबंटन, जो 2001-04 के दौरान प्रतिवर्ष 11 करोड़ रूपए था, 2004-05 में छः करोड़ रूपए तथा 2005-06 में पाँच करोड़ रुपए तक तीव्रता से नीचे आ गया ।
- यद्यपि एन बी सी एफ डी सी ने प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की सीमा तक (2005-06 के अलावा) ऋण स्वीकृत किये थे, तथापि कम्पनी पूर्ण स्वीकृत राशि को आहरित करने में असफल रही । स्वीकृत राशि का केवल 41 से 17 प्रतिशत तक (2003-05) वास्तविक ऋण आहरित किया गया ।

- कम्पनी द्वारा ऋण आहरण की कुल राशि केवल 13.41 करोड़ रूपए थी, जो कि पाँच वर्षों के दौरान स्वीकृत किये गये कुल ऋण का 32 प्रतिशत है ।

हितग्राहियों के लिए पूर्व परिचय शिविर नहीं लगाये गये, परिणामस्वरूप वितरण में विलम्ब हुआ

लेखापरीक्षा जाँच में यह प्रकट हुआ कि ऋण निधियों का आहरण करने तथा इसे हितग्राहियों को जारी करने में कम्पनी का कम निष्पादन इन कारणों से हुआ, (i) वित्तीय सहायता के लिए हितग्राहियों के चयन हेतु पूर्व परिचय शिविर आयोजित करने में कम्पनी की असफलता, जिसके परिणामस्वरूप वितरण में विलम्ब हुआ (10 से 24 माह तक) और (ii) उपयोगिता प्रमाण पत्रों को भेजने में विलम्ब, जैसा कि कंडिका क्रमांक 2.1.16 में चर्चा की गयी है ।

हितग्राहियों के लिए त्वरित ऋण वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था

ऋण जारी करने में विलम्ब के लिए कारणों का विश्लेषण करने से प्रकट हुआ कि (i) त्वरित वितरण, (ii) उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने और (iii) अवितरित राशि एन बी सी एफ डी सी को वापस करने की दृष्टि से मुख्यालय से प्राप्त निधियों के बारे में तिमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, वितरित की गयी निधियों, ऋणों के वितरण हेतु उपलब्ध शेष राशियों के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्रों ने निर्देशों का अनुपालन नहीं किया ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि एन बी सी एफ डी सी से आबंटन, वसूली तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने पर आधारित था जो कि अनिश्चित था और इसीलिए हितग्राहियों का चयन अग्रिम रूप से नहीं किया जा सका ।

यह उत्तर प्रासंगिक नहीं है । हितग्राहियों के अग्रिम रूप से चयन से त्वरित वितरण हो सकता था एवं इसके बाद दाण्डिक ब्याज में बचत तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण भी हो सकता था ।

एन एम डी एफ सी योजनाएं

2.1.8 निम्नांकित सारणी 31 मार्च 2006 तक के पाँच वर्षों के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव, स्वीकृत किये गये, जिला उद्योग केन्द्रों को जारी एवं वितरित किये गये ऋणों के वर्ष-वार विवरण दर्शाती है ।

(राशिः लाख रुपयों में)

वर्ष	प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव	स्वीकृत राशि	एन एम डी एफ सी द्वारा जारी राशि	स्वीकृत राशि से जारी की गयी राशि का प्रतिशत	मुख्यालय पर वितरित राशि	जिला उद्योग केन्द्रों* को जारी की गयी राशि
2001-02	204.00	100.00	निरंक	निरंक	निरंक	22.29
2002-03	204.00	150.00	निरंक	निरंक	44.50	22.20
2003-04	150.00	200.00	75.00	37.50	38.60	54.00
2004-05	262.08	200.00	225.00	112.50	61.55	10.00
2005-06	500.00	200.00	निरंक	निरंक	66.60	121.50
योग	**1,320.08**	**850.00**	**300.00**	**35.00**	**211.20**	**229.99**

* प्रत्येक वर्ष के वितरणों में, पूर्व वर्षों में स्वीकृत ऋणों में से किये गये वितरण भी शामिल है ।

कम्पनी एन एम डी एफ सी से स्वीकृत ऋण का केवल 35 प्रतिशत ही आहरित कर सकी ।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि कम्पनी ने 13.20 करोड़ रूपए की योजनाएं प्रस्तुत की और एन एम डी एफ सी ने 8.50 करोड़ रूपए तक के ऋण स्वीकृत किये, तथापि कम्पनी पाँच वर्षों के दौरान केवल 3 करोड़ रूपए (स्वीकृत ऋण का 35 प्रतिशत) ही आहरित कर सकी ।

उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर नहीं भेजे गये।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि कम्पनी द्वारा निधियों का कम आहरण एवं उन्हें हितग्राहियों के लिए जारी किये जाने में कमी, समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में असफल रहने, एन एम डी एफ सी के देयकों का भुगतान न किये जाने एवं ऋणों की कम वसूली के कारण हुई । इन कारकों के परिणाम स्वरूप अंततः हितग्रहियों को ऋणों के वितरण में कमी हुई जैसे कि कंडिका 2.1.16 में चर्चा की गयी है ।

एन एच डी एफ सी योजनाएं

2.1.9. एन एच डी एफ सी, (2000-01 से) अल्पसंख्यकों तथा पिछड़ा वर्ग के विकलांग हितग्राहियों के लाभार्थ, स्वरोजगार बढाने, लघु उद्योग इकाइयाँ, कृषि एवं सम्बद्ध इकाईयां एंव अधीनस्थ इकाईयां इत्यादि स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं वित्त पोषित करती रही है । इन योजनाओं के अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक अंपगता वाले, 18 से 55 वर्ष तक की आयु के, मध्यप्रदेश में रहने वाले, जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में एक लाख रूपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 रूपए से अधिक नहीं हो,ऐसे हितग्राही सहायता के लिए पात्र हैं ।

निम्नांकित सारणी में 2005-06 तक के पाँच वर्षों के दौरान एन एच एफ डी सी द्वारा निर्धारित लक्ष्य, अनुमोदन हेतु भेजे गये, स्वीकृत एवं जारी किये गये ऋण प्रकरण तथा कम्पनी द्वारा वितरित किये गये ऋण के विवरण दर्शाए गए हैं ।

(राशिः लाख रूपयों में)

वर्ष	लक्ष्य		अनुशंसा किये गये ऋण प्रकरण		एन एच एफ डी सी द्वारा स्वीकृत एवं जिला उद्योग केन्द्रों को जारी ऋण प्रकरण [18]		जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा वितरण		एन एच एफ डी सी को वापस की गयी राशि
	भौ.	वि.	भौ.	वि.	भौ.	वि.	भौ.	वि.	
2001-02	--	--	15	7.43	31	14.22	15	8.10	2.25
2002-03	--	--	85	75.64	24	10.48	27	11.65	2.85
2003-04	510	431.40	72	67.19	41	20.00	35	17.10	1.00
2004-05	1,465	1,518.00	98	48.92	--	0.00	12	5.50	2.50
2005-06	1,000	500.00	71	49.28	--	0.00	--	0.00	--
योग	**2,975**	**2,449.40**	**341**	**248.46**	**96**	**44.70**	**89**	**42.35**	**8.60**

(भौ = भौतिक(प्रकरणों की संख्या), वि= वित्तीय (राशि)

[18] *वर्ष 2001-02 के लिए स्वीकृतियों में वर्ष 1999- 2000 में भेजे गये प्रकरण भी शामिल हैं ।*

एन एच एफ डी सी को वापस किये गये 8.60 लाख रूपए के अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 में जिला उद्योग केन्द्रों से ऋण वसूली के निमित्त प्राप्त 6.19 लाख रुपए भी ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में एन एच एफ डी सी को प्रेषित किये गये थे ।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि:-

- 2001-02 से 2002-03 के वर्षों के दौरान विकलांग हितग्राहियों को वित्तीय सहयता के लिए कम्पनी द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे.।

कम्पनी प्रस्तावों के लिए निर्धारित लक्ष्य का केवल 7 प्रतिशत ही ऋण स्वीकृति के लिए भेज सकी ।

- 2003-06 की अवधि के दौरान 2,975 हितग्राहियों को 24.99 करोड़ रूपए की सहायता के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 1.65 करोड़ रूपए (निर्धारित लक्ष्य का 7 प्रतिशत) की कुल ऋण सहायता हेतु केवल 241 प्रकरण ही स्वीकृति के लिए अनुशंसित किये गये थे । 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान कम निष्पादन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया ।

- 2001-06 के दौरान केवल 89 हितग्राहियों को ही ऋण वितरित किये गये ।

- हितग्राहियों को ऋण वितरण में एक से 24 माह तक की सीमा के बीच असाधारण विलम्ब हुआ ।

छः वर्षो में कुल वितरित ऋण का केवल 14 प्रतिशत ही वसूल किया जा सका

- 31 मार्च 2006 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के दौरान केवल 6.19 लाख रूपए (कुल वितरित ऋण का 14 प्रतिशत) ही वसूल किये गये और 36.16 लाख रूपए (42.35 लाख रूपए - 6.19 लाख रूपए) वसूली के लिए छोड़ दिये गये ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि जिला उद्योग केन्द्रों पर कम्पनी का कोई कर्मचारी पदस्थ नहीं था, जिससे ऋण का वितरण तथा इसकी वसूली प्रभावित हुई । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने कम्पनी का कार्य निष्पादन करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों को आदेशित किया था (जुलाई 1999) एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार कम्पनी को उद्योग विभाग के माध्यम से समय-समय पर ऋण के वितरण तथा वसूली, दोनों का नियंत्रण करना चाहिए था ।

वित्तीय सहायता देने तथा योजनाओं के प्रवर्तन में कमियां

सर्वेक्षण का अभाव

2.1.10 कम्पनी ने, अपने आरम्भ काल से ही गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) रहने वाले हितग्राहियों का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया था, जिससे कि योजना बनाने एवं वित्तीय सहायता का विस्तार करने के लिए एक निश्चित गति से समस्त लक्षित जनसंख्या को समाहित करने के लिए आधार की संरचना हो सके । इसके परिणाम स्वरूप दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हितग्राहियों, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी, उन्हें योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया । निदेशक मण्डल ने महसूस

गरीबी रेखा से नीचे रह रही लक्षित जनसंख्या का सर्वेक्षण नहीं कराया गया

किया (जनवरी 2003)कि दोहरी गरीबी रेखा[19] के नीचे तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले हितग्राही इन योजनाओं के लाभ से वंचित रहे और इसी कारण आवश्यक समझा गया कि ऐसे हितग्राहियों का एक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए । तथापि, कम्पनी ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की (मार्च 2006) ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि ये सर्वेक्षण सरकार द्वारा संचालित किये जाते हैं, कम्पनी द्वारा नहीं । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार पहले ही कम्पनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की गतिविधि सौंप चुकी है और हितग्राहियों की पहचान के लिए अपेक्षित कोई भी सर्वेक्षण समुचित एजेन्सी के माध्यम से स्वयं कम्पनी को ही संचालित करना था । इस सम्बन्ध में प्रबंधन, बोर्ड के निर्देशों का पालन करने में भी असफल रहा ।

अपात्र परियोजनाओं को ऋण

अपात्र परियोजनाओं के लिए 95 लाख रूपए वितरित किये गये ।

2.1.11 एन बी सी एफ डी सी के वित्तीय दिशा निर्देशों के अनुसार, राज्य माध्यम एजेन्सी (कम्पनी) पाँच लाख रूपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने तथा वितरित करने के लिए सक्षम थी, बशर्ते कि ऐसी परियोजनाओं के लिए एन बी सी एफ डी सी का एक बार में ही अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो । कुल परियोजना लागत में से 85 प्रतिशत एन बी सी एफ डी सी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, 10 प्रतिशत कम्पनी द्वारा एवं शेष 5 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा अंशदान किया जाएगा । इन दिशा निर्देशों के विपरीत, कम्पनी ने पाँच लाख रूपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं (6.10 लाख रूपए से 19.03 लाख रूपए तक) समग्रतः एक से अधिक हितग्राही के बनाए गए समूह को, जनवरी 2003 से अगस्त 2005 तक की अवधि के दौरान आठ मामलों में 95.22 लाख रूपए के ऋण स्वीकृत किये थे ।

चूंकि प्रत्येक परियोजना की लागत पाँच लाख रूपए से अधिक थी, अतः इन हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत करना उचित नहीं था एवं इसके परिणामस्वरूप कुछ हितग्राहियों के पक्ष में अनुचित अतिकृपा हुई ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006)कि हितग्राहियों को उनका समूह बना कर ऋण वितरित किया गया था और एन बी सी एफ डी सी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिये गये थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ था ।

दीर्घ अवधि / अल्प अवधि के उददेश्यों का व्यवस्थापन न किया जाना

2.1.12 यद्यपि कम्पनी एक दशक से अधिक समय से अस्तित्व में है, तथापि उसने निर्धारित हितग्राहियों के वित्तपोषण के लिए कोई दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन रणनीति तैयार नहीं की है ।

[19] *जिनकी वार्षिक आय, एन बी सी एफ डी सी के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 55,000 रूपए और एन एम डी एफ सी के मामले में, क्रमशः 42,000 रूपए एवं 55,000 रूपए से अधिक नहीं हो ।*

लक्षित जनसंख्या को ऋण सहायता का गैर अनुपाती वितरण

लक्षित जनसंख्या को ऋण सहायता का विस्तार अपर्याप्त था ।

2.1.13 वर्ष 2002-06 के दौरान, कम्पनी ने मुख्यालय पर 2.11 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किये (एन एम डी एफ सी योजनाएं), जिसमें से 2002-04 के वर्षों के दौरान 23 अल्प संख्यक हितग्राहियों को 63.74 लाख रूपए वितरित किये गये थे । 63.74 लाख रूपयों में से 46.24 लाख रूपए (72 प्रतिशत) केवल भोपाल जिले के 18 हितग्राहियों को वितरित किये गये थे । इस प्रकार अन्य जिलों के हितग्राहियों का वितरण विकृत हुआ ।

राज्य के अल्प संख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए एन एम डी एफ सी द्वारा एक विशेष योजना का अनुमोदन किया गया था (फरवरी 2005)तथा भोपाल जिले में इसके क्रियान्वयन के लिए एक करोड़ रूपए की राशि जारी की गयी थी । यद्यपि भोपाल जिले का चयन किया गया था, तथापि कम्पनी के मुख्यालय ने सम्पूर्ण जिले में हितग्रहियों की सहायता का विस्तार करने के बजाय, केवल भोपाल शहर के ही 31 स्वयं सेवी समूह के हितग्राहियों को 30.50 लाख रूपए के ऋण वितरित कर दिये ।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2006) कि जिला उद्योग केन्द्रों से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात मुख्यालय पर ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये थे । यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा जिले के सभी हिस्सों से पात्र आवेदकों को आकर्षित करने के लिए योजना को पर्याप्त प्रचार नहीं दिया गया था ।

दिशा निर्देशों के विपरीत ऋण की स्वीकृति

एन एम डी एफ सी तथा एन बी सी एफ डी सी के दिशा निर्देशों के विपरीत 7.96 करोड़ रूपए की राशि के ऋण दिये गये ।

2.1.14 एन एम डी एफ सी के दिशानिर्देशों में निर्बन्धन किया गया है कि अधिकतम संख्या में हितग्राहियों को समाहित करने के लिए,राज्य माध्यम एजेन्सी (एस सी ए) द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए दिये गये सावधि ऋण के कम से कम 70 प्रतिशत भाग को प्रति हितग्राही एक लाख रूपए और इससे कम लागत वाली परियोजनाओं के लिए होना चाहिए, 20 प्रतिशत, एक से दो लाख रूपए के बीच प्रति हितग्राही की लागत वाली परियोजनाओं के लिए होना चाहिए और यह कि प्रति हितग्राही दो लाख रूपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2002-04 के वर्षों के दौरान वितरित किये गये 66.70 लाख रूपए तथा 92.60 लाख रूपए के कुल ऋणों में से 38.99 लाख रूपए तथा 19.57 लाख रूपए मूल्य के अर्थात 58 एवं 21 प्रतिशत ऋण एन एम डी एफ सी के दिशा निर्देशों के विपरीत दो लाख रूपए प्रत्येक से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए वितरित किये गये थे । निर्देशों के इस विचलन के परिणामस्वरूप अन्य जरूरतमंद हितग्राहियों को ऋण सहायता अस्वीकृत हुई ।

इसी प्रकार,एन बी सी एफ डी सी के दिशा निर्देशों में निर्बन्धन है कि हितग्राहियों की बड़ी संख्या को समाहित करने के लिए राज्य माध्यम एजेन्सी (एस.सी.ए.) को प्रति परियोजना 50,000 रूपए से कम लागत वाली परियोजनाओं के लिए कुल ऋण का 75 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए । मुख्यालय द्वारा जारी की गयी निधियों की स्थिति, जहाँ ऋण राशि 50,000 रूपए से अधिक थी, नीचे दर्शायी गयी है -

(राशिः लाख रूपयों में)

वर्ष	वितरित की गयी कुल राशि	मुख्यालय पर वितरित (प्रतिशत)
2001-02	409.04	-- --
2002-03	772.06	276.50 (36)
2003-04	490.13	309.19 (63)
2004-05	62.00	57.00 (92)
2005-06	209.38	95.53 (46)
योग	**1,942.61**	**738.22 (38)**

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मुख्यालय पर 50,000 रूपए से अधिक के, 36 से 92 प्रतिशत तक, ऋण वितरित किये । इसके परिणामस्वरूप अन्य हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ नहीं मिल सके ।

वित्तीय एजेन्सी को देयताओं का भुगतान करने के लिए ऋण निधियों का व्यपवर्तन

अवितरित ऋण राशि तथा राज्य सरकार का हिस्सा (10.49 करोड़ रूपए) ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया।

2.1.15 कम्पनी ने अपने आरम्भ काल से 31 मार्च 2001 तक 15.87 करोड़ रूपए के के ऋण (एन बी सी एफ डी सी और एन एम डी एफ सी दोनों द्वारा) वितरित कर दिये थे, जिनके विरूद्ध हितग्राहियों से केवल 1.99 करोड़ रूपए ही वसूल हुये । यद्यपि वसूली केवल 1.99 करोड़ रूपए ही थी, कम्पनी ने किस्तों के विरूद्ध 11.62 करोड़ रूपए का पुनर्भुगतान (8.32 करोड़ रूपए एन बी सी एफ डी सी को तथा 3.30 करोड़ रूपए एन एम डी एफ सी को)कर दिया, जो पुनर्भुगतान के लिए देय हो गया था । इसी प्रकार ,अप्रैल 2001 से मार्च 2006 तक के दौरान हितग्राहियों से 5.51 करोड़ रूपए की वसूली के विरूद्ध कम्पनी ने किस्तों के लिए 5.72 करोड़ रूपए (3.88 करोड़ रूपए एन बी सी एफ डी सी को तथा 1.84 करोड़ रूपए एन एम डी एफ सी को)भुगतान कर दिये जो 31 मार्च 2006 तक देय थे । वसूली से अधिक के ये पुनर्भुगतान, अवितरित ऋण राशि (6.04 करोड़ रूपए) और अंशपूजी के रूप में प्राप्त परियोजना लागत के सरकारी हिस्से (4.45 करोड़ रूपए)तथा हितग्राहियों से वसूल की गयी किस्त 6.85 करोड़ रूपए) में से किये गये थे । इस प्रकार ऋण के पुनर्भुगतान के लिए 10.49 करोड़ रूपए व्यपवर्तित किये गये जिसके परिणाम स्वरूप लक्षित हितग्राहियों को सहायता से वंचित होना पड़ा ।

प्रबन्धन ने उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2006).

उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में असाधारण विलम्ब

उपयोगिता प्रमाण पत्र को भेजने में हुई देरी के कारण 5.11 करोड़ रूपये का परिहार्य ब्याज व्यय हुआ ।

2.1.16 एन.बी.सी.एफ.डी.सी के दिशा निर्देशों के अनुसार, ऋण को उसके जारी होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर उपयोग कर लिया जाना चाहिए, ऐसा न होने पर 91 से 180 दिनों के बीच की विलम्ब सीमा के लिए 6 प्रतिशत (सामान्य दर 3 प्रतिशत) एवं 180 दिनों से अधिक के लिए 8 प्रतिशत ब्याज की उच्चत्तर दर प्रभारित की जाएगी। लेखापरीक्षा जाँच से यह प्रकट हुआ कि कम्पनी ने पाँच से 35 माह तक उपयोगिता

प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब किया तथा 31 मार्च 2001 तक वितरित किये गये 4.55 करोड़ रुपए की सहायता के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये, जिसके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी ने 31 मार्च 2006 तक उच्चतर दरों पर 2.57 करोड़ रुपए का ब्याज प्रभारित किया । आगे, 2001-02 से 2005-06 तक वितरित किये गये ऋणों के सम्बन्ध में कम्पनी ने उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में पुनः विलम्ब किया जिसके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी ने 31 मार्च 2006 तक 1.19 करोड़ रुपए का की ब्याज उच्चतर दरों पर प्रभारित किया, जिसमें से 19.44 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका था (नवम्बर 2003)

इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में विलम्ब के परिणाम स्वरुप 3.76 करोड़ रुपए का परिहार्य ब्याज व्यय हुआ ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में विलम्ब, जिला उद्योग केन्द्रों से उनकी प्राप्ति में विलम्ब के कारण हुआ । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि यह समग्रतः कम्पनी की ही जिम्मेंदारी है कि वह समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे । कम्पनी द्वारा सूक्ष्म नियंत्रण से यह सम्भव हो सकता था ।

इसी प्रकार, एन.एम.डी.एफ.सी के मामले में, 3 से 6 माह तक अनुपयुक्त रही निधियों पर 6.5 प्रतिशत (सामान्य दर 3.5 प्रतिशत) की दर से ब्याज लगता है और जो 6 माह से अधिक अवधि के लिए अनुपयुक्त रहे उन पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है। लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी ने उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में 2 से 54 माह तक का विलम्ब किया जिसके परिणाम स्वरुप एन.एम.डी.एफ.सी ने 31 मार्च 2006 तक 1.35 करोड़ रुपए का ब्याज की उच्चतर दरों पर प्रभारित किया ।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (अगस्त 2006) कि जिला उद्योग केन्द्रों से उपयोगिता प्रमाण पत्र मिलने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरुप उच्चतर दरों पर ब्याज का भुगतान हुआ ।

वितरण पश्चात छानबीन का अभाव

वितरण पश्चात छानबीन नहीं की गयी ।

2.1.17 एन.बी.सी.एफ.डी.सी के दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ लेनदेन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा ऋण के उपयोग एवं इसके पुनर्भुगतान की छानबीन/सत्यापन करने की दृष्टि से हितग्राही ऋण कार्ड की प्रस्तावना विनिर्दिष्ट की गयी है । इन दिशा निर्देशों में योजना की छानबीन तथा मूल्यांकन के लिए ऋणकर्ता से उसकी पहचान, प्राप्त किया गया ऋण, इसकी उपयोगिता /पुनर्भुगतान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया कार्ड की प्रक्रिया निर्बन्धित की गयी है । लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा इन दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया । कम्पनी, वित्तीय योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन तथा उनकी सफलता दरों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, योजनाओं / हितग्राहियों की वितरण पश्चात छानबीन करने में भी असफल रही, जिससे कि भविष्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक वित्तपोषण किया जा सकता था ।

सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन

कम्पनी ने हितग्रहियों को सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया ।

2.1.18 कम्पनी ने हितग्राहियों की सम्पत्ति का कोई भौतिक सत्यापन नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप वह इस स्थिति में नहीं थी कि अक्रियाशील सम्पत्ति का अस्तित्व अथवा क्रियाशील इकाईयों की वास्तविक संख्या, बेची गयी अथवा हितग्राहियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंध की गयी सम्पत्ति सुनिश्चित कर सकें ।

अभिलेख के अनुचित रख रखाव के कारण निधियों का दुर्विनियोजन ।

2.1.19 जिला उद्योग केन्द्रों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि:-

- रोकड़ पुस्तिका उचित रुप से नहीं रखी गयी थी और कुछ जिला उद्योग केन्द्रों में इसे संधारित ही नहीं किया गया ।
- हितग्राही खाता बही संधारित नहीं की गयी/उचित रुप से संधारित नहीं की गयी अर्थात सभी वर्षों के लिए प्रविष्टियां नहीं की गयी इसके परिणामस्वरुप, वसूली योग्य राशि तथा उनके विरुद्ध की गयी प्राप्तियों का विश्लेषण नहीं किया जा सका ।
- कम्पनी ने लेखाओं के संधारण हेतु जिला उद्योग केन्द्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया ।

हितग्रहियों द्वारा प्रस्तुत आगामी तारीखों के चैक बैंक को प्रस्तुत नहीं किये गये ।

- 5 जिला उद्योग केन्द्रों पर, ऋण की किस्तों के भुगतान हेतु हितग्राहियों द्वारा जारी किये गये, आगामी तारीखों वाले 677 पुराने चैक कम्पनी के खाते में जमा करने हेतु बैंक को प्रस्तुत नहीं किये गये । इससे वसूली विभाग की छानबीन एवं नियंत्रण में पूरी तरह त्रुटि होना प्रकट होता है । कम्पनी ने आदेश दिया था कि अक्टूबर 2000 के बाद से ऋण की सभी किस्ते केवल डिमांड ड्राफ्ट के रुप में अथवा नकद रुप में एकत्रित की जाएं जिससे नियंत्रण और कमजोर हो गया ।

जिला उद्योग केन्द्रों पर कमजोर नियंत्रण के परिणाम स्वरुप निधियों का दुर्विनियोजन हुआ

- **लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पाँच जिला उद्योग केन्द्रों (शाजापुर, ग्वालियर, छतरपुर, भिण्ड तथा दमोह) पर 250 धन रसीदों के विरुद्ध हितग्राहियों से प्राप्त 4,06,979 रुपये की राशि न तो रोकड़ पुस्तिका में प्रविष्ट की गयी और न ही बैंक में जमा की गई । सम्बन्धित कार्य सहायकों ने इस राशि का दुर्विनियोजन किया था । लेखा परीक्षा द्वारा दुर्विनियोजन बताए जाने के बाद (जून/जुलाई 2006), जिला उद्योग केन्द्र दमोह पर 2,30,000 रुपए तथा जिला उद्योग केन्द्र शाजापुर पर 45,900 रुपए, सम्बन्धित कार्य सहायकों द्वारा जमा करा दिये गये ।**

- तीन जिला उद्योग केन्द्रों (विदिशा, दमोह तथा खण्डवा) पर कम्पनी द्वारा प्रदाय की गयी धन की रसीदों का उपयोग करने की बजाय जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर धन की रसीदें मुद्रित करा ली गयी । एक रसीद पुस्तिका (29 नवम्बर 2004 के बाद से आरम्भ) जिला उद्योग केन्द्र दमोह पर सत्यापन हेतु लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी ।

सत्यापन के लिए धन की रसीद पुस्तिका लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी ।

- यद्यपि जिला उद्योग केन्द्र इन्दौर को धन रसीद पुस्तिका जारी की गयी थी, तथापि वह लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी । सम्बन्धित शाखा प्रबंधक ने बताया (जून 2006) कि मुख्यालय द्वारा उन्हें कोई धन रसीद पुस्तिका जारी नहीं की गई है । यह प्रकरण गम्भीर किस्म का होने पर भी, उसका अन्वेक्षण नहीं किया गया । इस जिला उद्योग केन्द्र में, यद्यपि हितग्राहियों ने बैंक में सीधे ही राशि जमा कर दी थी, तथापि उसे रोकड़ पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया ।

- राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया गया था कि वे भुगतान योग्य वास्तविक राशि का वस्तुतः सत्यापन किये बिना ही हितग्राहियों को भुगतान की गयी ऋण राशि के लिए राजस्व प्राप्ति प्रमाण पत्र (आर.आर.सी) जारी कर दें क्योकि खाते उचित रुप से संधारित नहीं किये गये थे ।

- मुख्यालय पर हितग्राही खाता बही, कम्पनी द्वारा स्वयं निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखी गयी थी । हितग्राहियों के बारे में सम्पूर्ण ब्यौरे, किस्तों की राशि तथा देय ब्याज हितग्राहियों की खाता बही में प्रविष्ट नहीं किये गये ।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006)कि लेखाओं के रखरखाव के लिए जिला उद्योग केन्द्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण मध्यप्रदेश परामर्श संगठन मर्यादित (एमपीकॉन) के माध्यम से दिया जाता है । यह उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है, इस तथ्य की दृष्टि से कि जून 2001 में एमपीकॉन को सौपें गये कार्य के परिक्षेत्र में प्रशिक्षण का कोई उल्लेख नहीं था । जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों ने भी बताया (जून /जुलाई 2006) कि कम्पनी ने उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया ।

यद्यपि,अभिलेख के अनुचित रखरखाव के परिणाम स्वरूप रोकड का दुर्विनियोजन हुआ तथापि कम्पनी ने न तो इस कमी को ठीक करने के लिए और न ही उसने गलती करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की ।

वसूली की स्थिति

सावधि ऋण

4.33 करोड़ रूपए के ऋण आगामी तारीखों के चैक प्राप्त किये बिना वितरित कर दिये गये जबकि उक्त प्रक्रिया प्रचलन में थी ।

2.1.20 कम्पनी अपने आरम्भ काल से ही जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत करती रही है । दिसम्बर 2002 से इसने अपने मुख्यालय पर ही प्रति हितग्राही एक लाख रूपए एवं अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए सभी ऋण वितरण करना आरम्भ कर दिया । मुख्यालय द्वारा वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में (जून 2003 तक) क्रमशः 2.86 करोड़ रूपए (2.42 करोड़ रूपए पिछड़ा वर्ग को एवं 0.44

करोड़ रूपए अल्पसंख्यकों का) तथा 1.47 करोड़ रूपए (1.27 करोड़ रूपये पिछड़ा वर्ग को एवं 0.20 करोड़ रूपये अल्पसंख्यकों को)के सावधि ऋण स्वीकृत किये गये थे ।

वर्ष-वार देय संचित वसूली (ब्याज सहित)एवं उनके विरूद्ध की गयी वास्तविक वसूलियां नीचे दर्शायी गयी है:-

(राशिः लाख रूपयों में)

वर्ष	पिछड़ा वर्ग			अल्प संख्यक			योग		
	देय	वसूल	प्रतिशत	देय	वसूल	प्रतिशत	देय	वसूल	प्रतिशत
2002-03	4.88	0.26	5	0.24	--		5.12	0.26	5
2003-04	86.39	18.31	21	14.91	2.11	14	101.30	20.42	20
2004-05	154.38	30.23	19	27.51	3.78	14	181.89	34.01	19
2005-06	227.63	35.12	15	40.57	5.08	13	268.20	40.2	15

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वसूली की स्थिति, जो पहले से ही कमजोर थी, 2003-04 एवं 2005-06 के दौरान 20 से 15 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष के हिसाब से और भी बिगड़ती गयी । लेखापरीक्षा ने यह देखा कि कम वसूली का मुख्य कारण, हितग्राहियों से आगामी तारीखों के चैक लिये बिना ही ऋण वितरण करना था, यद्यपि "माइक्रो फायनेंस " ऋणों के सम्बन्ध में यह विधि अस्तित्व में थी । कम्पनी ने दोषियों,यहाँ तक कि जब दोष गम्भीर किस्म के थे, के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही आरम्भ नहीं की ।

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा वसूली की स्थिति लेखापरीक्षा में विश्लेषित नहीं की जा सकी क्योकि हितग्राही-वार अभिलेख उचित रूप से संधारित नही किए गए थे ।

सूक्ष्म वित्तीय ऋण

दोषियो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी ।

2.1.21 2002 -03 से 2005-06 की अवधि के दौरान, अशासकीय संगठन (एन जी ओ) एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के स्व सहायता समूहों (एस एच जी) को आगामी तारीखों वाले चैक एकत्रित करने के बाद मुख्यालय द्वारा क्रमशः 2.05 करोड़ रूपए तथा 1.44 करोड़ रूपए के सूक्ष्म वित्तीय ऋण वितरित किये गये थे । वसूली की स्थिति निम्नानुसार है -

(राशिः लाख रूपयों में)

वर्ष	पिछडा वर्ग			अल्प संख्यक			योग		
	देय	प्राप्त	प्रतिशत	देय	प्राप्त	प्रतिशत	देय	प्राप्त	प्रतिशत
2002-03	0.98	-	-	-	-	-	0.98	-	-
2003-04	18.64	6.86	37	1.52	0.09	6	20.16	6.95	34
2004-05	40.92	9.13	22	20.00	7.73	39	60.92	16.86	28
2005-06	93.87	19.77	21	50.80	17.25	34	144.67	37.22	26

सारणी से यह देखा जा सकता है कि दोनों ही संवर्गों में वसूली धीरे धीरे कम होती गयी है । सम्पूर्ण वसूली 34 (2003-04) से 26 प्रतिशत (2005-06) तक नीचे आ गयी ।

कम वसूली होने का मुख्य कारण, हितग्राहियों के प्रति प्रबंधन द्वारा उदार दृष्टिकोण था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि यद्यपि हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत किये गये चैक अनादृत हो गये थे, तथापि प्रबंधन ने उनके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही आरंभ नहीं की, जैसा कि प्रचलित कानून के अंतर्गत अपेक्षित था ।

एन बी सी एफ डी सी ऋणों के सम्बन्ध में, 2001-06 के वर्षो के दौरान पाँच से 11 जिला उद्योग केन्द्रों ने "निरंक" वसूली अंकित की । इसी प्रकार, एन.एम.एफ.डी.सी. के ऋणों के संबंध में विभिन्न वर्षों के दौरान 17 जिला उद्योग केंद्रो में निरंक वसूली अंकित की ।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2006) कि दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। तथापि यह तथ्य शेष रह जाता है कि चैक अनादृत होने के बाद 19 माह तक प्रतीक्षा किये बिना तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए थी, क्योंकि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रतिकार केवल तभी उपलब्ध है, जब कि 30 दिन के अंदर कार्यवाही आरंभ कर दी जाए ।

दाण्डिक ब्याज का भुगतान

किस्तों के भुगतान में विलम्ब के लिए वित्तीय एजेन्सियों द्वारा 2.58 करोड़ रूपए का दाण्डिक ब्याज प्रभारित किया गया ।

2.1.22 कम वसूली के कारण, कम्पनी समय समय पर देय होने वाले मूल ऋण की किस्तों का भुगतान नहीं कर सकी । परिणामस्वरूप, वित्तीय एजेन्सियों ने 2001-06 की अवधि के दौरान 2.58 करोड़ रूपये (1.87 करोड़ रूपए एन बी सी एफ डी सी द्वारा तथा 0.71 करोड़ रूपए एन एम डी एफ सी द्वारा) दाण्डिक ब्याज प्रभारित वसूल किया गया जिसमें से 1.15 करोड़ रूपए (0.65 करोड़ रूपए एन बी सी एफ डी सी को तथा 0.50 करोड़ रूपए एन एम डी एफ सी को) पहले ही भुगतान कर दिये गये थे ।

आतंरिक नियंत्रण / लेखापरीक्षा

कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति में कमी पायी गयी । कमजोर आंतरिक नियत्रंण के परिणामस्वरूप निधियों का दुर्विनियोजन हुआ जैसा कि कंडिका 2.1.19 में दर्शाया गया है । अन्य कमियां निम्नानुसार थी ।

लेखा नियत्रंण

2.1.23 एक दशक से अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हुए भी, कम्पनी ने न तो मुख्यालय पर और न ही जिला उद्योग केन्द्रों पर उचित लेखा पद्धति प्रचलित की। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि -

जिला उद्योग केन्द्रों को जारी की गयी धन रसीद पुस्तिकाओं के लिए मुख्यालय पर कोई अभिलेख नहीं रखा गया ।

- लेखाओं की पुस्तिकाएं एक्रुअल आधार पर नहीं रखी गयी ।
- हितग्राहियों से एकत्रित किया गया ब्याज केवल मूलधन के विरूद्ध समायोजित किया गया ।
- बैंक समाशोधन विवरण पत्र नियमित रूप से तैयार नहीं किये गये ।
- 2000-01 तक अंतिम रूप दिये गये लेखाओं में आय/व्यय तथा सम्पत्ति /देनदारियों के सही रूप प्रकट नहीं हुए ।
- मुख्यालय पर 2004 तक, जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदाय की गयी धन रसीद पुस्तिकाओं तथा इन पुस्तिकाओं में से जारी की गयी रसीदों की संख्या के बारे में कोई अभिलेख नहीं रखा गया ।
- लेखा नियमावली तैयार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।
- मुख्यालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों के लेखे नियमित रूप से पुनर्मिलान नहीं किये गये ।

कार्यचालन नियत्रंण

ऋणों के वितरण तथा वसूली पर नियत्रंण के लिए जिला उद्योग केन्द्रों से मासिक विवरण प्राप्त नहीं किये गये ।

2.1.24 लेखाएरीक्षा ने देखा कि -

- वित्तीय लेखाओं में ऋण एवं अग्रिम, प्राप्त करने की सुनिश्चितता के आधार पर अवधि-वार एवं प्रतिभूति के अनुसार नहीं दर्शाए गये ।
- किस्तों की वसूली के लिए जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों के समर्थन में कोई अभिलेख नहीं रखा गया ।
- व्यय का मासिक विवरण पत्रक एवं किस्तों की वसूली तथा वितरित किये गये, ऋणों के ब्यौरे जिला उद्योग केन्द्रों से नियमित रूप से प्राप्त नहीं किए गए, जिससे कि ऋणों को वितरण की जाँच एवं किस्तों की वसूली तथा उनका मुख्यालय को त्वरित प्रेषण हो सकता था ।

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.1.25 यद्यपि कम्पनी 1994 से हितग्राहियों को वित्तीय सहायता देने में संलग्न रही है, तथापि इसने मुख्यालय /जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत करने तथा वितरण करने पर नियंत्रण रखने के लिए अभी तक कोई आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति आरम्भ नहीं की है । अभिलेख का अनुचित रख रखाव, साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव से पाँच जिलों में रोकड़ का दुर्विनियोजन हुआ, जैसा कि कंडिका 2.1.19 में दर्शाया गया है ।

उपसंहार

कम्पनी का निष्पादन इसके कथित उद्देश्यों के संदर्भ में कई मामलों में कम पाया गया । इसने निर्धारित जनसंख्या का कोई सर्वेक्षण नही कराया,यद्यपि वित्तीय ऐजेन्सियों द्वारा ऐसी अपेक्षा की गयी थी । इसने सम्पूर्ण राज्य में निर्धारित जनसंख्या को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई अल्प कालीन / दीर्घकालीन नीति तैयार नहीं की । वित्तीय सहायता का विस्तार करने में कमी रही, जैसे कि पूर्व परिचय शिविर आयोजित न करना,योजनाओं के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाना, अपात्र परियोजनाओं को ऋण स्वीकृत करना, निर्धारित जनसंख्या को असमान रूप में समाहित करना, ऋण वितरित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में असाधारण विलम्ब, और वित्तीय ऐजेन्सी को देय पुनर्भुगतान के लिए ऋण निधियों का व्यपवर्तन ।

सभी मामलों में आगामी तारीखों के चैक प्राप्त करते हुए ऋणों की वसूली सुनिश्चित नहीं की गयी और जहाँ चैक प्राप्त किये गये, वहाँ चैक अनादृत होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी । अभिलेखों के संधारण / लेखाकरण की पद्धति में गम्भीर कमियाँ थी,जिनसे रोकड़ के दुर्विनियोजन का पता नहीं लगाया जा सका । कम्पनी के आरम्भ काल से ही इसमें कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं थी । इन सभी कमियों के कारण निर्धारित जनसंख्या को समाहित करने में कमी हुई, स्वीकृति के विरूद्ध निधियों का कम आहरण हुआ, देयताओं की वसूली कम हुई ।

अनुशंसाएं

कम्पनी को आवश्यक है, कि:-

- निर्धारित जनसंख्या का सर्वेक्षण कराने के बाद उनके बीच जागरूकता उत्पन्न करना,
- हितग्राहियों से त्वरित परिचय के लिए परिचय शिविर आयोजित करना,
- ऋणों की स्वीकृति, ऋण जारी करने के लिए तथा हितग्राहियों की स्थिति की छानबीन करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना,
- जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर वसूली का निष्पादन सुधारने और अभिलेख संधारित करने के साथ ही आंतरिक नियंत्रण पद्धति सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करना,
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के प्रभाव का आकंलन करने के लिए तंत्र विकसित करना,
- उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना ।

उपरोक्त निष्कर्ष सरकार/ प्रबन्धन को सूचित कर दिये गये थे (अगस्त 2006), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2006) ।

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित द्वारा वृक्षारोपण के वाणिज्यिक उपयोग सहित उनका उन्नयन एवं विकास

मुख्यांश

पौधशालाओं में मानक आकार के समूल पौधों का कम उत्पादन, मानक से अधिक मृत पौधों का प्रतिस्थापन/ पूर्व अंकुरित पॉलिपॉटप्लान्ट द्वारा प्रतिस्थापन, और असफल वृक्षारोपण वाले क्षेत्रों में पुनः वृक्षारोपण के कारण,उन्नयन,विकास एवं वाणिज्यिक उपयोग के सम्बन्ध में कम्पनी का निष्पादन कम पाया गया,जिसके परिणामस्वरूप 12.51 करोड़ रूपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ । उत्तरोत्तर लक्ष्य कम निर्धारित किये जाने पर भी कम्पनी उन्हें प्राप्त करने में असफल रहीं ।

(कंडिका 2.2.10,2.2.13,2.2.14,2.2.16 एवं 2.2.18)

अधिग्रहीत की गयी भूमी का केवल 70 प्रतिशत ही वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया गया । वृक्षारोपण के लिए भूमि का उपयोग सबसे कम छिन्दवाडा में 53 प्रतिशत था तथा 59 प्रतिशत बरघाट (सिवनी) में, 61 प्रतिशत लामटा (बालाघाट)में और 62 प्रतिशत रामपुर भाटोदी (बैतूल) सम्भागों में रहा ।

(कंडिका 2.2.6 एवं 2.2.7)

अनुमानित लागत की तुलना में वृक्षारोपण की वास्तविक लागत में हुई विभिन्नताओं का आकंलन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी । लागत को नियंत्रित करने अथवा वास्तविक अनुमान तैयार करने की सुनिश्चितता के लिए,अंतर सम्भागीय वास्तविक लागत की असाधारण विभिन्नता की तुलना भी नहीं की गयी।

(कंडिका 2.2.19)

अप्रैल 2001 से मार्च 2005 के दौरान विभिन्न सम्भागों में बांस वृक्षों के रोपण की अत्यधिक विफलता एवं कम उत्पादन (24 प्रतिशत) के परिणामस्वरूप 20.71 करोड़ रूपए की सम्भावित राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.2.20 एवं 2.2.27)

कम गुणवत्ता वाले सागौन वृक्षारोपण के कारण 7,349 हेक्टेयर में कांट छांट का कार्य टालने के परिणामस्वरूप 15.13 करोड़ रूपये की सम्भावित राजस्व हानि तथा साथ ही 4.43 करोड़ रूपये के ब्याज की हाने हुई । कुण्डम संभाग, जबलपुर के सी-टाइप के क्षेत्र में सागौन वृक्षारोपण असफल हो जाने के परिणामस्वरूप 2.26 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई

(कंडिका 2.2.25 एवं 2.2.26)

कम्पनी ने न केवल संरक्षित मूल्य कम निर्धारित किया अपितु संरक्षित मूल्य से कम पर इमारती लकडी बेच दी, जिसके परिणाम स्वरूप 34.37 करोड़ रूपए की राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.2.29)

आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव के कारण 3.69 करोड़ रूपए तक की विक्रय प्राप्ति में गबन हुआ, जिसमें से 2.41 करोड़ रूपए वसूल नहीं हो सके ।

(कंडिका 2.2.31)

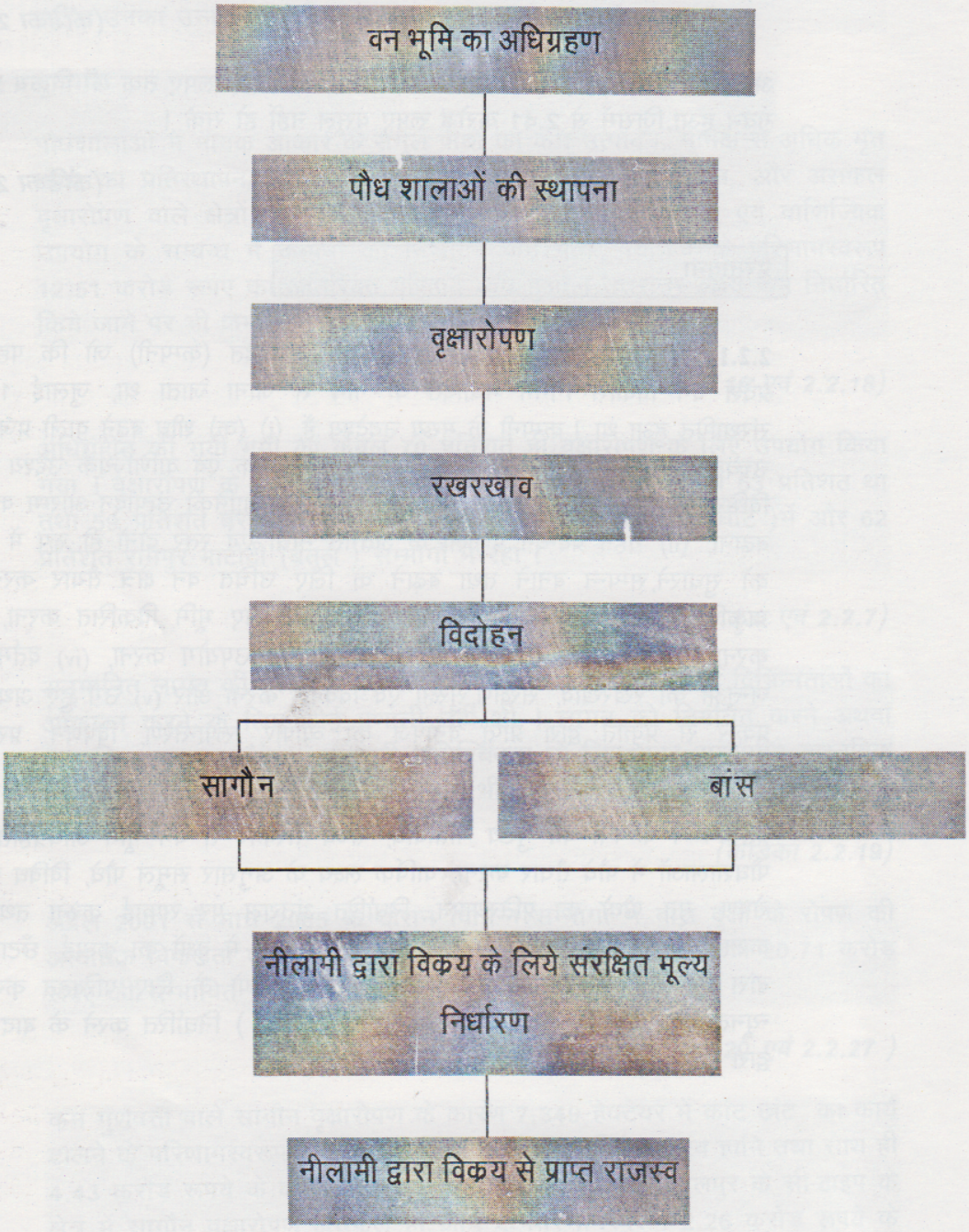
प्रस्तावना

2.2.1 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित (कम्पनी) जो कि पहले मध्य प्रदेश वन विकास निगम मर्यादित के नाम से जाना जाता था, जुलाई 1975 में संस्थापित हुआ था । कम्पनी के मुख्य उददेश्य हैं, (i) (क) शीघ्र बढ़ने वाली प्रजाती, (ख) उच्चतर आर्थिक मूल्य की प्रजाती तथा (ग) औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विभिन्न उपयोग हेतु सक्षम प्रजाती के वृक्ष उगा कर वानिकी उत्पादन आरम्भ करना एवं बढ़ाना, (ii) गहन प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत मात्रा एवं स्तर दोनों ही रूप में उत्पादन को सुधारने, सम्पन्न बनाने तथा बढ़ाने के लिए उचित वन क्षेत्र तैयार करना, (iii) प्राकृतिक रूप से उगे हुए फसल तथा वृक्षों के लिए भूमि विकसित करना, संरक्षण करना, सुरक्षा करना, बनाए रखना परिचर्चा करना, उपयोग करना, (iv) वर्तमान जीव जन्तुओं का रखरखाव, संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास करना और (v) उगे हुए अथवा अन्य प्रकार से प्रकृति द्वारा प्राप्त वनोपज का व्यापार, रूपान्तरण, विपणन, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण संचालित करना ।

वर्तमान में कम्पनी की मुख्य गतिविधि, राज्य सरकार से वन भूमि अधिग्रहीत करना, पौधशालाओं में पौधे तैयार करना, वार्षिक लक्ष्य के अनुसार समूल पौधे, विविध पौधों का रोपण, मृत पौधों का प्रतिस्थापन, निर्धारित अंतराल पर सफाई करना तथा छंटाई करना[20] और वाणिज्यिक उपयोग, यथा - वन कूपों में वृक्षों का कटाई, छँटाई करना बांस के लट्ठे/खम्भा/टाल लगाना/कटाई करना, डिपो के लिए परिवहन करना और न्यूनतम मूल्य (श्रेणी, प्रजाति एवं आकार के अनुसार) निर्धारित करने के बाद नीलामी द्वारा विक्रय करना है ।

20 *छंटाई का आशय पौधों के बेहतर लकड़ी उत्पादन एवं विकास हेतु उनके शाखाओं की छटनी तथा पौधों की संख्या कम करना है ।*

कम्पनी की गतिप्रवाह सारणी नीचे दी गयी है -



कम्पनी का प्रबंधन एक निदेशक मण्डल द्वारा संचालित किया जाता है जिसमें प्रबंध निदेशक, जो कि कम्पनी का मुख्य कार्यपालक होता है, के सहित 10 निदेशक होते हैं । प्रबंध निदेशक के साथ एक अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, दो कार्यपालन निदेशक, दो उप

महाप्रबंधक (एक वित्त व्यवस्था के लिए और एक विपणन के लिए) तथा दो क्षेत्रीय महाप्रबंधक होते हैं ।

वर्तमान में कम्पनी के आठ सम्भाग हैं,यथा - कुण्डम, उमरिया, लामटा, मोहगांव, बरघाट, छिन्दवाडा, रामपुर, भाटोदी और सीधी । इसके अतिरिक्त केवल डिपोजिट कार्यों को करने के लिए एक औद्योगिक पौधरोपण सम्भाग है ।

कम्पनी ने सागौन, बांस तथा अन्य प्रजाती के पौधों के वाणिज्यिक पौधरोपण के लिए 1976 के बाद से विभिन्न फेज (फेज I से V तक) परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया था । 2000-01 से 2004-05 के दौरान कम्पनी ने वाणिज्यिक पौधरोपण का फेज VI भी अधिग्रहीत किया,जिसमें आठ सम्भागों में, प्रतिवर्ष 2,460 हेक्टेयर की दर से इस पांच वर्षों के दौरान 12,300 हेक्टेयर के विशुद्ध क्षेत्र (वर्तमान प्राकृतिक वृक्षों के अलावा) में सागौन वृक्षारोपण परिकल्पित है ।

31 मार्च 1995 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के लिए कम्पनी के कार्यों पर एक समीक्षा, 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), मध्यप्रदेश सरकार, में शामिल किया गया था । इस प्रतिवेदन पर लोक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गयी थी (मार्च 1998) तथा इसकी अनुशंसाओं को अप्रैल 1998 में लोक उपक्रम समिति के 161 वें प्रतिवेदन में शामिल किया गया था । लोक उपक्रम समिति की निम्नांकित अनुशंसाओं का कम्पनी द्वारा ग्रहण एवं उन पर कोई कार्य नही किया गया (जैसा कि कंडिका 2.2.10,2.2.13 एवं 2.2.14 में चर्चा की गयी है) ।

- निर्धारित अवधि के अंदर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाने चाहिए ;
- कम्पनी द्वारा उल्लिखित मानकों के अनुसार समूल पौधों के उत्पादन को बढांने के लिए सामूहिक प्रयास किये जाने चाहिए ;
- पौधरोपण के लिए पालीपॉट पौधों की अपेक्षा अच्छी किस्म के समूल पौधों को वरीयता दी जानी चाहिए ।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2.2 जनवरी से मई 2006 के दौरान किये गये वर्तमान समीक्षा में, 31 मार्च 2006 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान, वृक्षारोपण वाणिज्यिक दोहन सहित पौधरोपण के उन्नयन तथा विकास के सम्बन्ध में कम्पनी का निष्पादन शामिल किया गया है । पौधरोपण की मात्रा एवं विदोहन गतिविधियों के संचालन के आधार पर लेखापरीक्षा जाँच के लिए आठ में से सात सम्भागों का चयन किया गया था ।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.2.3 यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने की दृष्टि से की गयी थी,कि: -

- क्या सरकार से प्राप्त की गयी भूमि, अधिग्रहीत करने से पहले उचित पौध रोपण के लिए परीक्षित कर ली गयी थी और क्या उसका अनुकूल रूप से उपयोग किया गया था ।

- क्या पौध रोपण एवं विकासात्मक गतिविधियां प्रभावशाली ढँग से, दक्षतापूर्ण तथा मितव्ययिता के साथ संचालित की गयी थी ।

- क्या प्रतिकारित कार्यवाही के लिए कमी वाले क्षेत्रों की पहचान हेतु की गयी उन्नयन तथा विकास गतिविधियों का निरन्तर छानबीन तथा विश्लेषण किया गया था ।

- क्या पौधशालाओं में पौधे उगाना, समूल पौधे तैयार करना, पौध रोपण करना, आकस्मिक प्रतिस्थापन, वृक्षारोपण का संधारण, पुनः पौधरोपण इत्यादि को परियोजना प्रतिवेदन/कम्पनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानकों के अनुसार किया गया था ।

- क्या प्रतिहेक्टेयर उपलब्धि एवं राजस्व, निर्धारित मानकों के अनुसार था ।

- क्या उपक्रम के संचालन की लागत, संचालन की मात्रा के सम्बन्ध में युक्तिसंगत थी ।

- क्या निगरानी रखने तथा हानि/गबन से बचने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति प्रभावशाली थी ।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.2.4 वृक्षारोपण के उन्नयन तथा विकास इत्यादि के उद्देश्यों के सम्बन्ध में कम्पनी का निष्पादन, निम्नांकित मानदण्डों के विरूद्ध निर्धारित किया गया था ।

- वाणिज्यिक पौधे उगाने के लिए फेज VI/VII की परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित वृक्षारोपण के लिए क्षेत्र का चयन, पौध भण्डार, पौधे रोपण, पौधे का रख रखाव, उत्पादन एवं वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए निर्धारित मानक ।

- निदेशक मण्डल/राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये नियम, निर्णय तथा दिशानिर्देश ।

- राज्य वन नीति, राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र वन (परिरक्षण) अधिनियम 1980, वन (परिरक्षण) नियम 1981, तथा वन (परिरक्षण) संशोधन अधिनियम 1988.

- कम्पनी के आदेश (जून-2000) के अनुसार कार्य योजनाएं/प्रबंध योजनाएं, प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के लिए उत्पादन के मानक तथा निर्धारित लक्ष्य/और,

- आंतरिक नियंत्रण पद्वति के व्यापक सिद्वांत । आंतरिक नियंत्रण के अनुपालन को लेखा नियमावली के प्रावधानों के संदर्भ में परीक्षण किया गया ।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.2.5. निम्नांकित विधियों का मिश्रण स्वीकृत किया गया था । अभिलेख की जाँच, जैसे कि:

- फेज VI के लिए परियोजना प्रतिवेदन,
- राज्य सरकार की नीति के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र ,
- वृक्षारोपण गतिविधियों से सम्बंधित अभिलेख, जैसे कि बीज बोना, पौधशालाओं में संरक्षण, पौधरोपण, उनका रख रखाव, काटछांट, पालन इत्यादि,
- कम्पनी द्वारा जारी कार्य योजना तथा दिशानिर्देश और उत्पादन के विक्रय के लिए स्वीकृत तरीके का औचित्य तथा प्रबंधन के साथ व्यक्तिगत समन्वय ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष जुलाई 2006 में सरकार/प्रबंधन को सूचित किये गये थे और 14 सितम्बर 2006 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में इन पर चर्चा की गयी थी, जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव, वन विभाग द्वारा एवं कम्पनी का प्रतिनिधित्व प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया था । सरकार/प्रबंधन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है ।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है ।

कार्य योजना

2.2.6. वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वन (संरक्षण) नियम 1981, एवं वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 1988 के अनुसार, पुनर्वनीकरण, जिसके लिए कार्य योजना/प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जानी है, के सहित वन क्षेत्रों में छँटाई कार्य को शामिल करते हुए सभी उद्धेश्यों के लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन आदेशात्मक है ।

कम्पनी द्वारा प्रत्येक सम्भाग के लिए कार्य योजना तैयार किया जाना अपेक्षित है जिसमें वर्षवार किया जाने वाला कार्य सम्मिलित हो (जैसे कि-राज्य सरकार से हस्तान्तरित किये जाने वाले वन क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण, इसका श्रेणीकरण, मिट्टी के लिए उपयुक्त प्रजातियों का चयन इत्यादि, कटाई के लिए बीज बोने से सम्बन्धित सावधिक गतिविधियाँ, उत्पादन के मानक, प्रतिवर्ष किया जाने वाला गतिविधि अनुसार व्यय के विवरण सहित नीलामी द्वारा वनोपज का विक्रय, विक्रय से सम्भावित प्राप्तियां इत्यादि)

एक सम्भाग में मार्च 2006 तक का कार्य योजना के अनुमोदन के बिना ही गतिविधियां चलती रहीं ।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि सीधी सम्भाग के लिए कार्य योजना यद्यपि 2001 में तैयार की गयी थी, मार्च 2006 तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं करायी गयी है । इस प्रकार, सीधी सम्भाग की गतिविधियां मार्च 2006 तक किसी अनुमोदित कार्य योजना के बिना ही चलती रहीं ।

भूमि का अर्जन एवं उपयोग

0.67 लाख हेक्टेयर भूमि एक से उन्तीस वर्षों तक व्यर्थ पड़ी रहीं ।

2.2.7. मध्यप्रदेश में 96.13 लाख हेक्टेयर वन भूमि है । राज्य वन नीति (अप्रैल - 2005) के अनुसार, वन भूमि का 10 प्रतिशत अर्थात् 9.61 लाख हेक्टेयर कम्पनी को विकसित करने के लिए हस्तांतरित किया जाना है । कम्पनी ने दीर्धअवधि पट्टे के आधर पर अब तक केवल 2.36 लाख हेक्टेयर अर्जित की है ***(परिशिष्ट-7)*** अर्थात 2.11 लाख हेक्टेयर आरम्भ काल से मार्च 200। तक और 0.25 लाख हेक्टेयर अप्रैल 2001 से मार्च 2006, तक, जोकि अर्जित की जाने वाली भूमि का केवल 25 प्रतिशत है ।

लेखा परीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि:

- मार्च 2006 तक हस्तांतरित वन भूमि के 2.36 लाख हेक्टेयर में से, केवल 1.65 लाख हेक्टेयर भूमि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया गया था और 0.04 लाख हेक्टेयर वापस कर दी गयी थी । शेष 0.67 लाख हेक्टेयर में से 0.44 लाख हेक्टेयर 1976 से मार्च 2001 के बीच अर्जित की गयी थी और 0.23 लाख हेक्टेयर 2001 से 2006 के बीच एक से 29 वर्षों तक के लिए बेकार पड़ी रही । इस प्रकार, राज्य वन नीति के जारी होने से पहले हस्तांतरित की गयी भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा (30 प्रतिशत) बेकार पड़ा रहा था ।

- राज्य वन नीति (अप्रैल 2005) जारी होने के बाद से 31 मार्च 2006 तक भूमि का हस्तांतरण नगण्य था क्योंकि 2005-06 में 1,453 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण हुआ ।

- भूमि का समग्र उपयोग, अर्जित भूमि का 70 प्रतिशत था, छिंदवाडा संभाग में उपयोग सबसे कम 53 प्रतिशत था, इसके बाद 59 प्रतिशत सिवनी में, 61 प्रतिशत लामटा सम्भाग बालाघाट में और 62 प्रतिशत बैतूल सम्भाग में रहा । छिन्दवाड़ा सम्भाग में भूमि का कम उपयोग सरकार द्वारा भूमि के हस्तांतरण में विलम्ब के कारण हुआ ।

- कम्पनी के आठ सम्भागों में से, पाँच सम्भागों, यथा - रामपुर भाटोडी, छिन्दवाड़ा, मोहगाँव, उमरिया तथा सीधी ने कार्यसाधक भूमि का विस्तृत विश्लेषण नहीं कराया, जैसा कि कार्य योजना में परिकल्पित था । लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि शेष तीन सम्भाग, यथा कुण्डम (जबलपुर) लामटा (बालाघाट) और बरधाट (सिवनी) के पास क्रमशः 15,000 हेक्टेयर, 1,750 हेक्टेयर तथा 2,500 हेक्टेयर कार्यसाधक भूमि थी, जिसे किसी उपयोग में नहीं लिया गया । भूमि के कम उपयोग के लिए कोई कारण, अभिलेख में दर्ज नहीं थे ।

अनुपयुक्त भूमि के विकास के कारण हानि

2.2.8 वन विभाग से हस्तांतरण के लिए भूमि का चयन करते समय, कम्पनी से अपेक्षित है कि वह वांछित वृक्षारोपण के लिए मिट्टी की उपयुक्ता का निर्धारण कर ले । लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने छिंदवाड़ा परियोजना (जमाई एवं बटका खापा क्षेत्र) के लिए 1992 से 1994 तक एवं 1998 के दौरान हस्तांतरित 3,225 हेक्टेयर भूमि को मिट्टी की उपयुक्तता का निर्धारण किये बिना ही प्राप्त कर ली और 1,535 हेक्टेयर पर सागौन वृक्षारोपण पर 39.75 लाख रूपए (1994-95) व्यय कर दिये । यह 3.225 हेक्टेयर का सम्पूर्ण क्षेत्र वन विभाग को वापस हस्तांतरित कर दिया गया (2001) क्योंकि यह मिट्टी सागौन वृक्षारोपण के लिए अनुत्पादक एवं अनुप्युक्त पायी गयी थी ।

इसी प्रकार, वन विभाग ने सिंचित सागौन वृक्षारोपण के लिए 2000-01 के दौरान दमोह जिले में 146 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण किया था । कम्पनी ने 40 हेक्टेयर में वृक्षारोपण पर 44.29 लाख रूपए खर्च किये किंतु 146 हेक्टेयर का सम्पूर्ण क्षेत्र वन विभाग को वापस करना पड़ा (मार्च 2005), क्योंकि यह मिट्टी सागौन वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त नहीं थी ।

इस प्रकार, भू-अर्जन के समय तथा वृक्षारोपण करने से पूर्व मिट्टी की उपयुक्तता का निर्धारण करने में कम्पनी की असफलता के परिणाम स्वरूप 83.99 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ । 14 सितम्बर 2006 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में प्रबंधन ने बताया कि इसकी क्षतिपूर्ति सरकार से की जाएगी । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कम्पनी की जिम्मेंदारी थी कि वह व्यय करने से पहले भूमि की उपयुक्तता सुनिश्चित करती ।

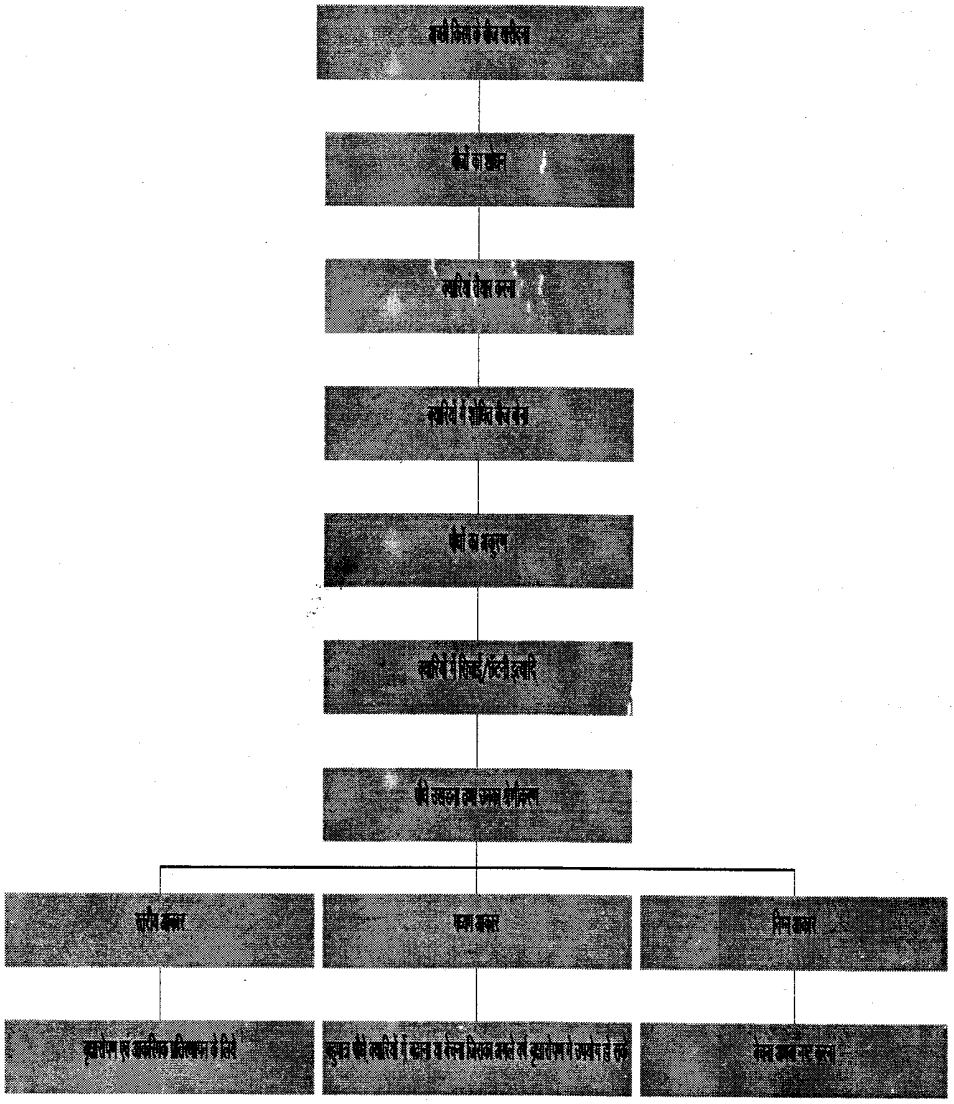
पौधशालाओं का निष्पादन

पौधशालाओं में समूल पौधों को उगाने की पद्धति

2.2.9. वृक्षारोपण के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर, कम्पनी का प्रत्येक सम्भाग प्रतिवर्ष अपने नियंत्रण के अंतर्गत पौधशालाओं में तैयार किये जाने हेतु समूल पौधों की मात्रा का निर्णय करता है । समूल पौधे, बीजों के अंकुरित पौधों में से तैयार किये जाते हैं । अच्छी किस्म के वृक्ष उगाने के लिए बीज, वन सुरक्षा समिति से एवं खुले बाजार से खरीदे जाते हैं और शोधन के बाद बीजों को 10 x 1 मीटर आकार की क्यारियों में प्रतिवर्ष अप्रैल/मई में अंकुरण के लिए बोये जाते हैं । इन क्यारियों में अगले वर्ष जून/जुलाई तक पौधे उग आते हैं । ये उगे हुए पौधे तीन श्रेणियों के होते हैं, यथा- स्तरीय, मध्यम एवं निम्न श्रेणी । समूल पौधे तैयार करने के लिए अच्छी गुणवत्ता एवं स्तरीय आकार के पौधों का चयन किया जाता है जिन्हें वृक्षारोपण के लिए तथा आकस्मिक प्रतिस्थापना के लिए उपयोग में लाया जाता है, अर्थात् पिछले वर्ष में किये गये वृक्षारोपण के मृत पौधों के स्थान पर प्रतिस्थापना समूल पौधे मध्यम आकार के पौधों में से भी तैयार किये जाते हैं किन्तु उन्हें क्यारी में रोपने के बाद से अगले वर्ष तक

स्तरीय आकार में बढ़ने तक के लिए निम्न आकार के पौधे नष्ट कर दिये जाते हैं अथवा बेच दिये जाते हैं ।

पौधशालाओं में समूल पौधे तैयार करने के लिए प्रवाह सारणी निम्नानुसार हैः-



स्तरीय आकार के समूल पौधों का कम उत्पादन

मानकों की तुलना में समूल पौधों के स्तरीय आकार के कम उत्पादन के कारण 1.20 करोड़ रूपए की हानि ।

2.2.10 कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक क्यारी में कम से कम 700 समूल पौधे तैयार किया जाना अपेक्षित है, जिनमें से 500 (71 प्रतिशत)स्तरीय आकार के होने चाहिए और 200(29 प्रतिशत) मध्यम तथा निम्न आकार के होने चाहिए । लेखा परीक्षा जाँच से यह प्रकट हुआ कि 2001-06 की अवधि के दौरान 92,820 क्यारियों से स्तरीय आकार के समूल पौधों का वास्तविक उत्पादन,500 प्रति क्यारी के मानक के विरूद्ध 90 से 469 के बीच रहा जिसके परिणाम स्वरूप 143.33 लाख स्तरीय आकार के समूलपौधों का कम उत्पादन हुआ । कम उत्पादन के परिणाम स्वरूप 1.20 करोड़ रूपए की परिहार्य हानि हुई (फेज VI के लिए परियोजना प्रतिवेदन में शामिल लागत अनुमान के अनुसार स्तरीय आकार के प्रति समूलपौधों के लिए 0.84 रूपए की दर से) जैसा कि ***परिशिष्ट 8*** में दिखाया गया है । यद्यपि कोपू ने अनुशंसा की थी,कि कंपनी द्वारा उल्लिखित मानकों के अनुसार समूलपौधों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये, कंपनी ने इस सम्बन्ध में कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की ।

समूल पौधों का लेखाकरण न किया जाना

समूलपौधों के अंतसंभागीय स्थानान्तर को प्राप्त कर्ता संभागों द्वारा लेखाबद्ध नहीं किया गया ।

2.2.11 उन संभागों को जहाँ मानक आकार के पौधों के उत्पादन में कमी के कारण समूल पौधों की अपेक्षित संख्या तैयार नहीं हो सकी, 2001-06 के दौरान अन्य संभागों से, अतिशेष समूलपौधे स्थानान्तरित कर दिये गये थे । लामटा (बालाघाट) छिन्दवाड़ा, कुण्डम (जबलपुर) तथा मोहगांव (मण्डला) संभागों के वृक्षारोपण लेखे के लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अन्य संभागों को स्थानान्तरित किये गये 11.81लाख रूपये मूल्य के 14,06,500 समूलपौधे दर्शाए गये हैं । तथापि,प्राप्तकर्ता संभागों ने उन्हें प्राप्त होना नहीं दर्शाया है । अन्य संभागों से प्राप्त समूल पौधों के उपयोग संबंधी विवरण भी अभिलेखित नही किये गये हैं । दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक (14.9.06)में प्रबन्धन ने भरोसा दिलाया कि इस मामले की जाँच की जाएगी और भविष्य में उचित लेखाकरण के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी ।

वाणिज्यिक वृक्षारोपाण

2.2.12. 1986-87 तक कम्पनी "संकेन्द्रित पुनरूत्पादन पद्धति" का अनुसरण करती रही थी, जिसमें सभी वर्तमान प्राकृतिक वन की स्पष्ट कटाई अपेक्षित है । इस पद्धति के अंतर्गत परिकल्पित पौधरोपण, प्रति हेक्टेयर 2,500 सागौन अथवा 625 बांस अथवा 1667 मिश्रित प्रजातियां थी । वर्ष 1987-88 से इस पद्धति को पूरक पुनरूत्पादन पद्धति में बदल दिया गया, जिसमें प्राकृतिक रूप से वृक्षों की वृद्धि कटाई के बिना बीच के रिक्त स्थानों में पौधरोपण तक सीमित हो गया । कम्पनी द्वारा स्वीकृत की गई नयी पद्धति में प्रति 2,500 सागौन अथवा 625 बांस अथवा 1667 मिश्रित प्रजाति के लिए एक हेक्टेयर से अधिक भूमि की आवश्यकता थी तथापि कंपनी 2001-06 के लिये

निर्धारित पौधे रोपण क्षेत्र के कम वैकल्पिक लक्ष्य को प्राप्त करने में भी असफल रही, जैसी कि आगामी कंडिका में चर्चा की गयी है ।

पौधरोपण लक्ष्य एवं उपलब्धि

निर्धारित लक्ष्य वैकल्पिक से भी कम थे।

2.2.13 प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के लिए निर्धारित लक्ष्य के आधर पर, कम्पनी का प्रत्येक सम्भाग अपने स्वामित्व की पौधशालाओं में तैयार करने हेतु समूलपौधों की संख्या तय करता है । फेज VI (2001-02 से 2004-05 तक के चार वर्ष फेज VII (एक वर्ष 2005-06) के लिए वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य तथा वास्तविक वृक्षारोपण (शुद्ध) निम्नांकित सारणी में दिया गया है:

(क्षेत्र:हेक्टेयर में)

संभाग का नाम	बजट के अनुसार लक्ष्य (2001-06)	वास्तविक वृक्षारोपण		
		नवीन क्षेत्र	पुराना क्षेत्र	कुल क्षेत्र
लामटा (बालाघाट)	2,669	2,054	578	2,632
रामपुर भाटोदी (बैतूल)	2,325	51	1,408	1,459
उमरिया (उमरिया)	2,200	1,066	326	1,392
कुण्डम (जबलपुर)	2,414	318	1,695	2,073
मोहगांव (मण्डला)	3,360	1,215	1,650	2,865
बरघाट (सिवनी)	2,550	1,706	536	2,242
छिंदवाडा (छिन्दवाडा)	1,235	926	105	1,031
योग	**1,6753**	**7,396**	**6,298**	**13,694**

नवीन वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य की प्राप्ति केवल 44 प्रतिशत थी

यह देखा गया कि कुल क्षेत्र में प्राप्ति 2001-06 के लिए निर्धारित बजट लक्ष्य का 82 प्रतिशत था, नवीन वृक्षारोपण के सम्बन्ध में उपलब्धि केवल 44 प्रतिशत रही । शेष 38 प्रतिशत वृक्षारोपण, पूर्व वर्षों के असफल वृक्षारोपण के क्षेत्र में पुनर्वृक्षारोपण के सम्बन्ध में था । इस प्रकार,कम्पनी ने निर्धारित लक्ष्य का केवल 44 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ । इसके परिणाम स्वरूप (I) 6,298 हेक्टेयर भूमि का कम वन समावेश हुआ, (II) पौधरोपण के आवर्तन में विलम्ब हुआ और (III) 6,298 हेक्टेयर तक के वृक्षारोपण पर राजस्व का स्थगन हुआ ।

यह भी देखा गया कि फेज III के लिए 37,844 हेक्टेयर (शुद्ध),फेज IV के लिए 25,550 हेक्टेयर (शुद्ध) और फेज V के लिए 23,900 हेक्टेयर (शुद्ध)तथा फेज VI के लिये 12,300 हेक्टेयर (शुद्ध) (इन आंकडों में मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के बाद बने छत्तीसगढ़ राज्य के आंकडे शामिल नहीं है) का प्रगामी निम्नतर लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

यह देखा गया कि कम्पनी के पास, प्रतिवर्ष वृक्षारोपण /पुनर्वृक्षारोपण के लिए सम्भागों से प्रस्ताव आमंत्रित करने की कोई पद्धति नहीं थी । मुख्यालय पर लक्ष्य निर्धारित किये जाते थे किन्तु उन्हें सम्भागों को सूचित नहीं किया जाता था । इस प्रकार,कोपू की अनुशंसा के सम्बन्ध में स्थिति कि "समय पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपाय किये जा रहे है" केवल अवनत होकर रह गयी ।

अंकुरण से पूर्व पॉलीपॉट पौधों द्वारा सागौन वृक्षारोपण

2.2.14 कम्पनी के आदेश (जून 2000) के अनुसार, सागौन का वृक्षारोपण उत्तम किस्म के स्तरीय आकार के समूल पौधों द्वारा किया जाना अपेक्षित है । तथापि, लेखापरीक्षा जाँच में यह प्रकट हुआ कि कम्पनी के छः सम्भागों ने 2001-02 एवं 2002-03 के वर्षों के दौरान वृक्षारोपण के लिए 11.17 लाख अंकुरण पूर्व पालीपॉट[21] पौधों का उपयोग किया,जिनमें से 8.48 लाख(76 प्रतिशत) पालीपॉट पौधे, लामटा संभाग, बालाघाट एवं मोहगांव संभाग, मण्डला द्वारा उपयोग किये गये थे । पालीपॉट पौधों के उपयोग में प्रति पौधा 2.65 रूपए की दर से अतिरिक्त व्यय शामिल है । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी ने कोपू की इस अनुशंसा का पालन नहीं किया, कि "पौधरोपण के लिए पालीपॉट पौधों की अपेक्षा अच्छी किस्म के समूलपौधों को वरीयता दी जानी चाहिए"।

इससे 11.17 लाख पालीपॉट पौधों पर 29.60 लाख रूपए का भी अतिरिक्त व्यय हुआ । सभी संभागों द्वारा पालीपॉट पौधों के उपयोग एवं लामटा संभाग,बालाघाट तथा मोहगांव संभाग,मण्डला द्वारा विशेष उपयोग के लिए कोई विशिष्ट कारण अभिलेख में नहीं था ।

सागौन वृक्षारोपण में आकस्मिकताएं

पौधों की उच्च मृत दर

2.2.15 फेज VI के लिए परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित मानकों के अनुसार,पौधों की अधिकतम मान्य मृत दर, कुल वृक्षारोपण के 20 प्रतिशत तक थी । लेखापरीक्षा के विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि -

पौधों की उच्च मृत दर को उपचारात्मक कार्यवाही के लिए अन्वेषित नहीं किया गया ।

- वर्ष 2001 के दौरान, मृत दर की सीमा 22 प्रतिशत (कुण्डम तथा उमरिया) से 45 प्रतिशत (बरघाट)के बीच थी ।
- वर्ष 2002 के दौरान मृत दर में प्रतिशतता की विविधता 17 प्रतिशत (बरघाट) से 50 प्रतिशत (छिन्दवाडा सम्भाग) थी ।
- वर्ष 2003 के दौराक मृत दर की सीमा 26 प्रतिशत (मोहगांव) से 70 प्रतिशत (छिन्दवाडा) तक थी ।
- वर्ष 2004 के दौरान, मृत दर की सीमा 10 प्रतिशत (मोंहगांव एवं कुण्डम) से 21 प्रतिशत (छिन्दवाडा) तक थी ।

20 प्रतिशत मानक की तुलना में 12.19 लाख पौधों की समग्र अधिक मृत दर के परिणामस्वरूप 18.77 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

[21] *पौधरोपण में उपयोग के लिए पालीपॉट में उगे हुए मध्यम/निम्न आकार के पौधे ।*

जब अच्छी किस्म के स्वस्थ पौधों में से समूल पौधे तैयार किये जाते है और उन्हें वृक्षारोपण में उपयोग किया जाता है, तब मृत दर के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिए । यद्यपि ,पौधरोपण के 70 प्रतिशत तक मृत दर थी,तथापि कम्पनी ने उच्च मृत दर के कारणों का अण्वेषण नहीं कराया, यह जानने के लिए कि क्या दर्शायी गयी मृत दर वास्तव में हुई थी और, यदि ऐसा है तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा सकती थी ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक (14.9.2006) में प्रबन्धन ने आश्वस्त किया कि सागौन वृक्षारोपण में उच्च मृत दर की छानबीन कराने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी ।

अंकुरित पूर्व पालीपॉट पौधों द्वारा मृत पौधों का प्रतिस्थापन

पॉलीपॉट पौधों द्वारा मृत पौधों का प्रतिस्थापन अतिरिक्त लागत सहित किया गया ।

2.2.16 कम्पनी के निर्देशों (जून 2000 एवं अप्रैल 2001) के अनुसार, पौधों की 100 प्रतिशत गणना (पौधरोपण के 10 वें माह के बाद की गयी) के दौरान सागौन पौधों में पायी गयी मृत पौधों को अगले वर्ष केवल स्तरीय आकार के समूल पौधों से प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है । तथापि, लेखापरीक्षा में पाया कि कंपनी ने 2001-02 तथा 2002-03 वर्षों के दौरान मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 27.44 लाख अंकुरण पूर्व पालीपॉट पौधों का उपयोग किया जिसके परिणामस्वरूप 72.71 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

इस प्रकार,मानक से अधिक मृत पौधों के प्रतिस्थापन, तथा अंकुरण पूर्व पालीपॉट पौधों द्वारा मृत पौधों के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप 91 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

उच्च लागत/उच्च तकनीक पौधरोपण

2.2.17 कम्पनी ने राज्य वन अनुसंधान संस्थान से लागत लाभ अनुपात एवं प्रतिलाभ की आंतरिक दर पर विचार लिये बिना ही, 2003 एवं 2004 में 200 हेक्टेयर (3.25 प्रतिशत) प्रत्येक में वाणिज्यिक उच्च लागत पौधरोपण एवं 2000-2005 के दौरान 302 हेक्टेयर (2.45 प्रतिशत) में उच्च तकनीक सिंचित पौधरोपण किया और नमूना जाँच किये गये सात संभागों में पौधरोपण पर 42 लाख रूपए तथा रखरखाव पर 1.43 करोड़ रूपये का व्यय किया । लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि, यद्यपि, संभागीय प्रबंधकों के प्रतिवेदन, जो कि प्रबंध निदेशक द्वारा भी पुष्ट किये गये थे (जून 2006), उनमें दर्शाया गया है कि लम्बाई तथा परिधि में संतोषजनक वृद्धि के साथ उत्तरजीविता की दर 91 से 98.65 प्रतिशत तक थी । कम्पनी ने 2005-06 से उपरोक्त पौधरोपण इस आधार पर रोक दिया कि इनमें से कुछ वृक्षारोपण के प्रारंभिक प्रतिवेदनों ने परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित परिणाम प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक (14.9.2006) में प्रबंधन ने बताया कि उच्च लागत/उच्च तकनीक पौधों का रोपण महँगा एवं मितव्ययिता विहीन होने के कारण रोक दिया गया था और यह मामला राज्य वन अनुसंधान संस्थान,

जबलपुर में परीक्षण के अंतर्गत था । तथापि, लागत एवं लाभ के ब्यौरे लेखापरीक्षा को नहीं दिये गये ।

असफल पौधरोपण के क्षेत्र में पुनर्वृक्षारोपण

पौधरोपण की स्थिति की देखभाल बहुत खराब थी । असफल पौधरोपण का पुनर्वृक्षारोपण 9.38 करोड़ रूपए की लागत से किया गया ।

2.2.18 सागौन के पौधों का तीन वर्षो तक प्रतिवर्ष रखरखाव किया जाता है । पौधों की सफाई 5 वें वर्ष में की जाती है । जबकि पहली छंटाई 11 वें वर्ष में की जाती है बाद की छंटाई 21 वें,31वें, 41 वें तथा 45 वें वर्ष में की जाती है । अंतिम रूप से कटाई 60 वें वर्ष में की जाती है । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि, प्रत्येक पौधरोपण की स्थिति पर नजर रखने के लिए एवं पौधों की स्थिति,जैसे कि लम्बाई, घेरा, उत्तरजीविता दर, चोरी,रोगग्रस्तता इत्यादि के बारे में मुख्यालय को सूचित करने के लिए सफाई के वर्ष से छंटाई के वर्ष तक तथा दो छंटाइयों के अवसरों के बीच सावधि अंतराल पर पौधों की जांच के लिए सम्भागों के पास कोई तंत्र नहीं था । नियमित देखभाल के अभाव में, वृद्धि का रूक जाना अथवा पौधों की स्थिति, संभागों /कम्पनी की जानकारी में तभी आती है जब उनकी छंटाई की जाती है ।

चयनित संभागों में पौधरोपण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से यह प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2006 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान, कम्पनी ने 6,298 हेक्टेयर क्षेत्र में 9.38 करोड़ रूपए की लागत से असफल वृक्षारोपण पर पुनर्वृक्षारोपण कराया था ।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि सागौन के मामले में सफाई तथा छंटाई के मध्य तथा बांस के मामले में एक पातन एवं दूसरे पातन के मध्य पौधों की स्थिति पर यह सुनिश्चित करने के लिए नजर नहीं रखी गयी कि क्या उनमें से कोई असफल रहा है। जहाँ कहीं अपेक्षित था, वहाँ पुनर्वृक्षारोपण तुरन्त नहीं कराया गया, किन्तु पौधरोपण के वर्ष के 13 से 27 वर्षों के अंतराल के बाद कराया गया । पुनर्वृक्षारोपण में हुए असाधारण विलम्ब के परिणाम स्वरूप -

- 13 से 27 वर्षों तक के लिए विक्रय राजस्व छूट गया ।
- वन क्षेत्र से संलग्न ग्रामीणों को रोजगार सुविधा नहीं मिली ।
- पुनर्वृक्षारोपण में विलम्ब के कारण उक्त अवधि के लिए 6,298 हेक्टेयर भूमि की सीमा तक वन आवरण में कमी, वन आवरण में वृद्धि के उद्देश्य के विपरीत था ।

सागौन पौधरोपण की लागत में व्यापक फेरबदल

विभिन्न संभागों के बीच अनुमान की तुलना में वास्तविक लागत में व्यापक विभिन्नता थी ।

2.2.19 फेज VI (2000-05) के लिए परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिहेक्टेयर सागौन (रेनफेड) की अनुमानित पौधरोपण लागत, 3 वर्षों तक उनके रखरखाव सहित, के विवरण और कम्पनी के विभिन्न संभागों द्वारा किया गया वास्तविक व्यय, ***परिशिष्ट 9*** में दिया गया है । परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि:-

- एक ही वर्ष में विभिन्न संभागों में प्रति हेक्टेयर वास्तविक लागत में व्यापक

विभिन्नतांए (42 से 74 प्रतिशत तक) थीं, जैसे कि 12,713 रूपए से 23,350 रूपए तक (2000-01), 16,243 रूपए से 28,263 रूपए तक (2001-02)और 14,410 रूपए से 20,476 रूपए तक (2002-03) ।

- जबकि पाँच संभागों ने 2001-02 में अनुमानित लागत से 45.69 लाख रूपए अधिक व्यय किये, चार संभागों ने 2002-03 में 39.82 लाख रूपए अधिक व्यय किये ।

- अनुमानों के अनुसार कार्य की प्रत्येक मद की लागत में वृद्धि रूझान के विपरीत, 2001-02 की तुलना में 2003-04 में की गयी वास्तविक लागत सार्थक रूप से कम हुई, जैसे कि लामटा संभाग में 18,645 रूपए से 16,509 रूपये तक, मोहगांव संभाग में 19,568 रूपये से 14,241 रूपये तक, बरघाट संभाग में 28,263 रूपए से 13,389 रूपए तक और कुण्डम संभाग में 18,992 रूपए से 13,792 रूपए तक ।

- अनुमानित लागत के संदर्भ में किये गये वास्तविक लागत खर्च की तुलना करने तथा वास्तविक लागत में प्रगामी वृद्धि /कमी के कारणों का पता लगाने और किस हद तक अनुमान सही थे, यह जानने के लिए, किये गये वास्तविक व्यय की अंतर्सम्भागीय तुलना के लिए कोई पद्धति नहीं थी ।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रबन्धन ने अनुमान तैयार करने के समय सभी तथ्यों को शामिल करना स्वीकार किया, जिससे कि उन्हें वास्तविक बनाया जा सके ।

बांस पौधरोपण

बांस पौधरोपण के असफल रहने से 2.99 करोड़ रूपए की हानि हुई।

2.2.20 मार्च 2001 के दौरान, कम्पनी ने, आरम्भ काल (1976) से मार्च 2001 तक उगाये गये बांस के पौधों के संबंध में अपने संभागों से मूल्यांकन प्रतिवेदन मंगाये थे । संभागों ने 2003 एवं 2006 के बीच में प्रतिवेदन भेज दिये थे । लेखापरीक्षा द्वारा इन मूल्यांकन प्रतिवेदनों की जांच से प्रकट हुआ कि आरम्भकाल से 2001 तक कम्पनी के चार संभागों यथा-लामटा, रामपुर भाटोदी, बरघाट और कुण्डम संभागों में 22,895 हेक्टेयर में बांस के पौधे उगाये थे, जिनमें से 15,172 हेक्टेयर में पौधरोपण (66 प्रतिशत) असफल रहा । इस संभागों में 65 से 76 प्रतिशत के बीच असफलता के परिणामस्वरूप 2.99 करोड़ रूपए की हानि हुई ।

प्रचुर मात्रा में असफलता के होते हुए भी कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया ।

बांस पौधों की कटाई नहीं होना

2.2.21 कम्पनी ने सीधी संभाग में 53 हेक्टेयर (1990-91) तथा 565 हेक्टेयर (1997) में बांस पौधरोपण किया था, जिनकी क्रमशः 1999 तथा 2005 में, आठवें वर्ष में कटाई होनी थी । 53 हेक्टेयर के लिए अगली कटाई भी 2005 में होनी थी ।

कम्पनी, भारत सरकार को अनुमोदन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत नहीं करने के कारण बांस की कटाई के लिए अनुमति लेने में असफल रही, और इसीलिए 618 हेक्टेयर क्षेत्र में कटाई नहीं कराई जा सकी (मार्च 2006)। इसके परिणामस्वरूप 33.95 लाख रूपए के संभावित राजस्व की हानि हुई ।

बांस पौधों में पुष्पन

2.2.22. 20,698 हेक्टेयर के कुल बांस के पौधरोपण में से बारघाट तथा मोहगांव संभागों में 8,807 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधों में 2001-05 के बीच पुष्पन शुरू हुआ । क्योंकि पुष्पन के बाद बांस की वृद्धि नहीं होती है, अतः उतनी सीमा तक वन परिक्षेत्र कम हो जाता है । प्रबन्धन ने पौधरोपण के क्षेत्र के पुनरूत्पादन के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

कटाई (एक्सप्लॉइटेशन)

2.2.23 कटाई से आशय पौधों के छंटाई और अंतिम रूप से काटने के द्वारा प्राप्ति से हैं। सागौन के मामले में, छंटाई का कार्य 11वें, 21वे, 31वें, 41वें, 45 वें वर्ष में किया जाता है और 60 वें वर्ष में अंतिम रूप से कटाई की जाती है और बांस के मामले में 8वें वर्ष में ओर उसके बाद प्रत्येक चौथे वर्ष से 40 वर्ष तक कटाई की जाती है । तथापि, कम्पनी अपनी असफलताओं के कारण पौधों की आशाजनक कटाई नहीं कर सकी, जिसकी आगामी कंडिका में चर्चा की गयी है ।

सागौन के लिए छंटाई की प्रक्रिया

2.2.24 एक हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में, 2500 सागौन पौधों का रोपण किया जाता है । छंटाई की प्रक्रिया में प्रति हेक्टेयर वृक्षों की एक निर्धारित संख्या बनाए रखी जाती है और बाकी को हटा दिया जाता है । वृक्षों को हटाये जाने से बचे हुए वृक्षों का अगले छंटाई के समय तक उचित वृद्धि एवं विकास सुनिश्चित होता है । छंटाई के बाद बचे हुए वृक्षों की संख्या, छंटाई योग्य क्षेत्र की गुणवत्ता पर निर्भर है, जो कि वृक्षों की ऊँचाई एवं घेरा के आधार पर तय की जाती है । कम्पनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों (1998-99) के अनुसार, छंटाई योग्य क्षेत्र, एक हेक्टेयर प्रत्येक के भूखण्डों में विभाजित कर दिया जाता है । प्रत्येक भूखण्ड को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है,यथा

टाइप-ए-सघन क्षेत्र, जिसमें छंटाई किया जाना आवश्यक है, टाइप-बी वह क्षेत्र जिसमें पौधों की वृद्धि समान नहीं है, और टाइप-सी-असफल पौधरोपण का क्षेत्र जहां पौधों के जीवित रहने की दर 20 प्रतिशत से कम है, जिसमें छंटाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। 11वें,/21वें वर्ष के छंटाई किये जाने में कमी पर नीचे चर्चा की गयी हैः -

11 वें वर्ष की छंटाई

निम्नस्तरीय पौधरोपण के कारण राजस्व की हानिं हुई ।

2.2.25 11 वें वर्ष की छंटाई, जो चार संभागों यथा-कुण्डम (जबलपुर), छिन्दवाडा, मोहगांव (मण्डला), और उमरिया में 2001-05 वर्षों के दौरान 7,999 हेक्टेयर क्षेत्र में की जानी थी, की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि -

7,999 हेक्टेयर में से 7,349 हेक्टेयर में निम्न स्तरीय पौधरोपण (पौधों की अपर्याप्त लम्बाई तथा घेरा) के कारण छंटाई नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप 15.13 करोड़ रूपए तक का राजस्व छूट गया (फेज VI के लिए परियोजना प्रतिवेदन पर आधारित प्रति हेक्टेयर शुद्ध राजस्व के 20,600 रूपए की दर से) और परिणामस्वरूप छंटाई न किये जाने के वर्ष से लेकर मार्च 2006 तक, प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से 4.43 करोड़ रूपए के ब्याज की हानि हुई ।

कुण्डम संभाग,जबलपुर में, 2003-05 में छंटाई के योग्य क्षेत्र के 456 हेक्टेयर में से 205 हेक्टेयर में पौधरोपण असफल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कोई प्राप्ति नहीं हो सकी । इससे 42.23 लाख रूपए (प्रतिवर्ष 20,600 रूपए शुद्ध राजस्व) के राजस्व की हानि हुई ।

21 वें वर्ष की छंटाई

पौधरोपण की असफलता (सी - टाइप क्षेत्र)के कारण 2.83 करोड़ रूपए की हानि हुई ।

2.2.26 2001-05 के दौरान 2,842 हेक्टेयर (शुद्ध) क्षेत्र, कुण्डम संभाग (जबलपुर) में 21 वें वर्ष की छंटाई के योग्य था, जिसमें 1,068 हेक्टेयर (38 प्रतिशत) तक का सी-टाइप क्षेत्र (असफल पौधरोपण वाला क्षेत्र) शामिल था । इस प्रकार इस क्षेत्र से कोई प्राप्ति नहीं हुई, परिणामस्वरूप 2.26 करोड़ रूपए के (फेज VI के लिए परियोजना प्रतिवेदन पर आधारित प्रतिहेक्टेयर 21,200 रूपए की दर से) राजस्व की हानि हुई ।

मोहगांव (मण्डला), उमरिया तथा लामटा (बालघाट) सम्भागों ने कम्पनी के आदेशों के विपरीत 758 हेक्टेयर (2001-05), 315 हेक्टेयर (2001- 02) में सी-टाइप के क्षेत्र में 21 वे वर्ष की छंटाई की थी । प्रबन्धन ने सभी संभागों में असफलता के लिए कारणों का विश्लेषण करने का आश्वासन दिया (सितम्बर 2006) । तथापि, सी टाइप क्षेत्र के छंटाई कार्य के बारे में प्रबंधन मौन रही ।

बांस का कम उत्पादन

बांस पौधरोपण में कम प्राप्ति के परिणाम स्वरूप दो संभागों में 17.72 करोड़ रूपए की हानि हुई ।

2.2.27. कम्पनी ने 1978 से 1985 तक के वर्षों के दौरान मोहगांव संभाग (मण्डला) में 7,759 हेक्टेयर में बांस के पौधे उगाये थे । ये 2001-05 के दौरान कटाई के योग्य हो गये थे । लेखापरीक्षा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि फेज III के परियोजना

प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिहेक्टेयर 6.06 काल्पनिक टन[22] की न्यूनतम सभांवित प्राप्ति के विरूद्ध, बांस की वास्तविक औसत प्राप्ति, 2001-02 में 2.02 टन प्रति हेक्टेयर, 2002-03 में 1.71 टन प्रति हेक्टेयर,2003-04 में 1.54 टन प्रति हेक्टेयर तथा 2004-05 में 0.74 टन प्रति हेक्टेयर तक कम होती गयी, जो कि अपेक्षित प्राप्ति का 24 प्रतिशत था तथा (1.46 टन प्रति हेक्टेयर के औसत से) बहुत कम था । इसके परिणाम स्वरूप 8.04 करोड़ रूपए (औद्योगिक बांसः 1.39 करोड़ रूपए और वाणिज्यिक बांस 6.65 करोड़ रूपए) के मूल्य के 35,691 टन (47,019 टन-11,328 टन) तक के राजस्व की हानि हुई ।

प्रतिकारक उपाय करने के लिए प्राप्ति में असाधारण हानि का अण्वेषण नहीं कराया गया ।

इसी प्रकार, लामटा संभाग (बालाघाट) में, 1985 से 1991 तक के वर्षों के दौरान 13,326 हेक्टेयर में बांस पौधे उगाये गये थे । इन पौधों की पहली से तीसरी कटाई 2001-05 के दौरान होनी थी । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पहली,दूसरी तथा तीसरी कटाई के लिए क्रमशः 2.02,4.04 तथा 6.06 काल्पनिक टन प्रति हेक्टेयर की कम से कम प्राप्ति के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति क्रमशः 1.78, 1.15 तथा 1.68 टन थी, जिसके परिणामस्वरूप 9.68 करोड़ रूपए मूल्य के 43,968 टन बांस की हानि हुई।

यद्यपि उत्पादन में हानि प्रचुर मात्रा में थी, तथापि कम्पनी ने उपचारात्मक उपाय करने के लिए उत्पादन में हानि हेतु कारणों का अण्वेषण नहीं कराया । ऐसी ही हानि यदि अन्य संभागों,यथा रामपुर भाटोदी (बैतुल) तथा कुण्डम (जबलपुर) संभागों में हुई हो तो उसे विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

वन उत्पादन का विक्रय

2.2.28 कटे हुए वन उत्पादों को लट्ठे, खंभे तथा टाल के रूप में बेचा जाता है । सागौन तथा अन्य प्रजाति के लट्ठों को मापन करने के बाद घनफल के द्वारा बेचा जाता है, खम्भों को संख्या के अनुसार बेचा जाता है और छोटे टुकडों का कम मूल्य होने के कारण जलाऊ लकडी के रूप में उपयोग हेतु ढेरी के रूप में निराकृत किया जाता है । इसी प्रकार, वाणिज्यिक बांस को संख्या के अनुसार बेचा जाता है तथा औद्योगिक बांस काल्पनिक तौल के आधार पर बेचा जाता है । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि गलत संरक्षित मूल्य निर्धारण करने तथा कुछ मामलों में संरक्षित मूल्य से भी कम मूल्य पर बेचने के कारण राजस्व की प्राप्ति कम हुई थी, जैसी कि नीचे चर्चा की गयी है ।

संरक्षित मूल्य निर्धारण

2.2.29 कम्पनी, वन उत्पादों (जैसे कि सागौन, बांस एवं अन्य विविध प्रजातियां) की नीलामी के लिए निविदांए आमंत्रित करती है । ये नीलामियां सम्बन्धित संभागों के भण्डारों पर की जाती है । संभाग पिछले छः माह/एक वर्ष में प्रति इकाई प्राप्त विक्रय राशि के औसत के आधार पर, इमारती लकडी, बांस तथा अन्य प्रजातियों के प्रत्येक ढेर

[22] काल्पनिक टन= वाणिज्यिक बांस की संख्या X 5.5 मीटर ÷ 2400.

के लिए संरक्षित मूल्य प्रस्तावित करता है । यह संरक्षित मूल्य संभाग के क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा, कम्पनी के निदेशक मण्डल की जानकारी में लाये बिना अनुमोदित किया जाता है ।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि -

विक्रय से कुल प्राप्ति, निर्धारित कुल संरक्षित मूल्य से 34.37 करोड़ रूपए कम थी ।

- 2001- 04 की अवधि के दौरान, सभी संभागों द्वारा प्राप्त की गयी विक्रय राशि, निर्धारित किये गये संरक्षित मूल्य से भी कम थी, जिसके परिणामस्वरूप 34.37 करोड़ रूपए की कम प्राप्ति हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट 10*** में ब्यौरा दिया गया है । रामपुर भाटोदी (बैतूल) संभाग (2003-04) में विक्रय किये गये वन उत्पादों से प्राप्ति, निर्धारित संरक्षित मूल्य का केवल 40 प्रतिशत था ।

- प्रति इकाई औसत विक्रय मूल्य की गणना करते समय, संभाग बेंचमार्क के रूप में संरक्षित मूल्य से नीचे के मूल्य पर बेचे गये उत्पाद के विक्रय मूल्य को भी लेखे में लेता रहा है, जो कि सही नहीं है । बेंचमार्क मूल्य की गणना के लिए न्यूनतम मूल्य से कम पर किए गए विक्रय को शामिल करने के परिणाम स्वरूप, अच्छी किस्म के लट्ठों का भी कम दरों पर संरक्षित मूल्य निर्धारित हो गया ।

इस प्रकार, कम्पनी ने न केवल संरक्षित मूल्य कम निर्धारित किया, अपितु संरक्षित मूल्य से कम में इमारती लकडी भी बेची जिससे 34.37 करोड़ रूपए तक के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक (14.9.2006) में प्रबन्धन ने बताया कि संरक्षित मूल्य निर्धारित करने का तरीका, वास्तविक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से परीक्षित किया जाएगा ।

प्रबंधन सूचना पद्धति

प्रबंधन सूचना पद्धति अपर्याप्त थी ।

2.2.30 कम्पनी ने अपनी विभिन्न गतिविधियों, जैसे कि पौधरोपण के लिए भूमि अर्जन, बीज शोधन, पौधशालाओं में समूल पौधे/पालीपॉट पौधों का उत्पादन, विभिन्न सम्भागों की पौधरोपण गतिविधियों के स्तर के बारे में उच्च प्रबंधन दर्शाने के लिए पर्याप्त प्रबंधन सूचना पद्धति विकसित नहीं की है, जिससे कि सूचना पंहुचाई जा सके, विश्लेषण किया जा सके और हानियों से बचने /कमी करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। उपलब्ध मानव संसाधन, उनकी नियुक्ति एवं उत्पादकता इत्यादि के आंकडे या तो नहीं भेजे गये, या संभागीय कार्यालयों की गतिविधि से सम्बद्ध नहीं थे ।

सम्भागों द्वारा संरक्षित मूल्य से कम पर बेचे गये वन उत्पादों की मात्रा, प्राप्त हुआ राजस्व, संरक्षित मूल्य से कम पर बेचने के कारण हुई हानि इत्यादि पर प्रगति प्रतिवेदन न तो आंकलित किया गया और न ही निदेशक मण्डल को सूचित किया गया । कम्पनी, असफल पौधरोपण की मात्रा, पुनर्वृक्षारेपण किये गये क्षेत्र एवं पुनर्वृक्षारोपण पर व्यय की

गयी राशि को भी मण्डल की जानकारी में नहीं लायी । निदेशक मण्डल ने भी निर्णय करने के लिए समीक्षात्मक सूचना प्राप्त करना सुनिश्चित नहीं किया ।

आंतरिक नियत्रंण पद्धति

2.2.31 आतंरिक नियंत्रण पद्धति, प्रबंधन गतिविधि का एक जरूरी हिस्सा होता है । एक कुशल तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण पद्धति, प्रबन्धन को उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होती है । लेखापरीक्षा द्वारा, कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण पद्धति में निम्नांकित कमियां पायी गयीः-

- कर्त्तव्यों का विभाजन नहीं किया गया था । कुण्डम संभाग (जबलपुर) में, धन राशि प्राप्त करने तथा धन रसीद जारी करने के लिए 2001-04 के दौरान संभाग में एक मात्र लेखापाल था । वह बैंक में रोकड़ जमा करने तथा कार्य आदेश तैयार करने के लिए भी जिम्मेंदार था । इस अवधि के दौरान, कर्मचारी ने बोली लगाने वालों को 598 जाली कार्यआदेश जारी किये और विक्रय राशि जमा कराये बिना 31 नीलामियों (2001-02 से 2003-04 के दौरान) में 3.69 करोड़ रूपए मूल्य का वन उत्पाद उठाने दिया । इसमें से 1.28 करोड़ रूपये की राशि वसूल कि गई और शेष राशि 2.41 करोड़ रूपए बकाया थी (अगस्त 2006)। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में (14.9.2006) प्रबन्धन ने बताया कि वन उत्पाद की विक्रय राशि के गबन के मामले में छानबीन प्रगति पर थी और यह आश्वासन दिया कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएगें जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । विक्रय राशि का गबन एक बडी आंतरिक नियंत्रण असफलता थी एवं इस संभाग में सहायक प्रबंधक (लेखापाल) की नियुक्ति, न होने के कारण हुई, जैसा कि कम्पनी के लेखा नियमों में प्रावधान है ।

- कम्पनी के विभिन्न संभागों द्वारा सहयोगी संभागों को समूलपौधों के प्रदाय सहित विभागीय सामग्री के सावधि पुनर्मिलान का प्रावधान नहीं था । इस महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण की असफलता के परिणामस्वरूप 14.16 लाख समूल पौधों का लेखाकरण नहीं हो सका जैसा कि कंडिका 2.2.11 में निर्दिष्ट किया गया है ।

- मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया गया पौधरोपण लक्ष्य संभागों को सूचित नहीं किया गया था ।

- विभिन्न उत्पादों के लिए, प्राप्त मूल्य सहित उपभोक्ता अनुसार विक्रय पंजी अधिकांश संभागों में संधारित नहीं की गयी थी ।

उपसंहार

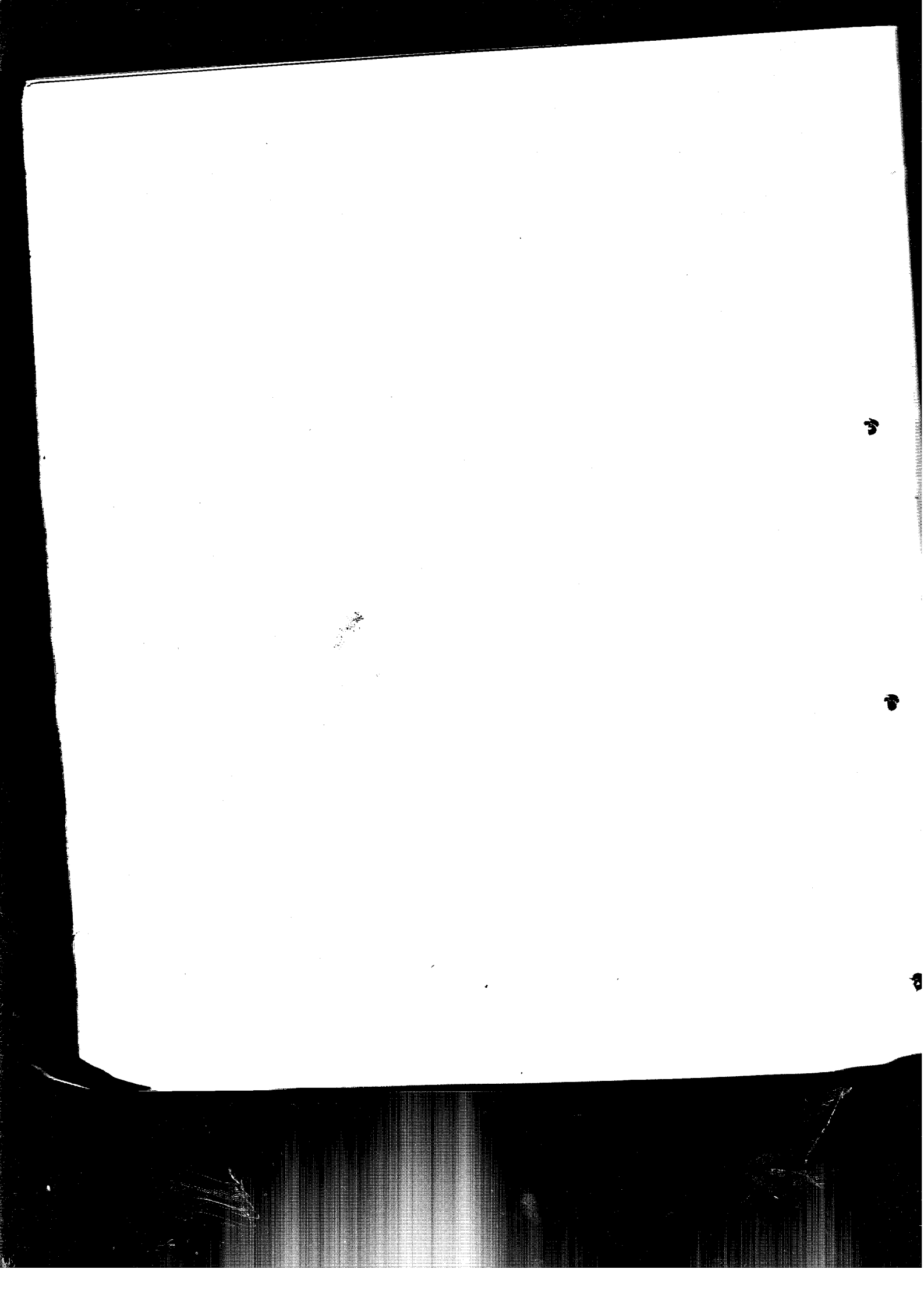
फेज VI के लिए परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित एवं राज्य सरकार के साथ सहमति पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति से सम्बन्धित कम्पनी का निष्पादन असंतोषजनक था । अन्य फेजों की तुलना में फेज VI के लिए पर्याप्त निम्नतर लक्ष्य निर्धारित होने के बावजूद लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई थी । स्तरीय आकार के समूलपौधों के कम उत्पादन,पौधों की उच्च मृत दर, मानकों से अधिक मृत दर, प्रतिस्थापन, अंकुरण से पूर्व पालीपॉट पौधों द्वारा प्रतिस्थापन एवं असफल पौधरोपण के क्षेत्रों में पुनर्वृक्षारोपण के कारण हानियां/परिहार्य व्यय हुआ । संतोषजनक वृद्धि होने के बावजूद उच्च लागत/उच्च तकनीक पौधेरोपण बंद कर दिया गया । बांस पौधरोपण में असफलता की दर अधिक रही । अनुमानों की तुलना में वास्तविक लागत में असामान्य विविधता और लागत पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न सम्भागों में की गयी लागत में विभिन्नता का विश्लेषण करने तथा छानबीन करने की कोई पद्धति नहीं थी । 11वें वर्ष की छंटाई टाल देने तथा 21वें वर्ष की छंटाई के दौरान सी-टाइप क्षेत्र में पाये गये सागौन पौधरोपण की असफलता के परिणामस्वरूप प्रचुर मात्रा में राजस्व की हानि हुई । कम संरक्षित मूल्य निर्धारित करने तथा संरक्षित मूल्य से कम में इमारती लकड़ी के विक्रय के परिणामस्वरूप राजस्व की महत्वपूर्ण हानि हुई । आंतरिक नियंत्रण के अभाव में ही विक्रय राशि का गबन सम्भव हो सका ।

अनुशंसाएं

कम्पनी को अपने निष्पादन को सुधारने के लिए आवश्यक है ।

- भूमि का अधिकतम उपयोग करना,
- सर्वोत्तम प्रबंधन तरीके अपना कर अधिकतम उत्पादन एवं वित्तीय प्राप्ति के लिए उचित उपाय करना,
- प्रत्येक फेज में परिकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी योजना प्रक्रिया को पुनर्गठित करना,
- पौधशलाओं के निष्पादन में सुधार करना,पौधरोपण की मृत दर को कम करना, समयबद्ध उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए पौधरोपण पर निरंतर नियंत्रण रखना,
- बाजार मूल्य से सम्बद्ध करते हुए संरक्षित मूल्य निर्धारण के लिए प्रणाली का पुनः परीक्षण करना, और
- आंतरिक नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ करना ।

- उपरोक्त निष्कर्ष जुलाई 2006 में सरकार/प्रबन्धन को सूचित कर दिये गये थे, उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (सितम्बर -2006) ।



अध्याय तीन

सांविधिक निगमों से संबंधित निष्पादन समीक्षाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता

मुख्यांश

यद्यपि राज्य सरकार ने संतुलित औद्योगिक विकास के लिए प्रबलित क्षेत्रों को विनिर्देशित किया था, फिर भी निगम ने उद्योग के प्रकार और श्रेणी, वित्त के उद्देश्य और आकार, विकास का क्षेत्र इत्यादि को प्रतिपादित करने के लिए कोई दीर्घावधि/ अल्पावधि वित्तीय नीति नहीं बनाई थी ।

(कण्डिका 3.1.10 से 3.1.12)

यघपि निगम ने 1955 में अपने प्रारंभ होने से, 8,720 आवेदकों को 1882.11 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी थी , फिर भी राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु वित्तपोषित उद्योगों के द्वारा प्राप्त सफलता का न तो मूल्यांकन किया गया था (मार्च 2006) जिससे भविष्य की कार्यवाही की दिशा निर्धारित करने के लिये योजना का संचालन किया जा सके ।

(कण्डिका 3.1.13)

31 मार्च 2005 को, 2033 इकाइयों के विरूद्ध निगम के कुल 395.40 करोड़ रूपए के ऋण बकाया थे, जिसमें से 891 इकाइयाँ प्रचालित थीं, 40 इकाइयाँ कार्यान्वयन के अधीन थीं और 382 इकाइयाँ कार्यशील पूंजी के अभाव में, बाजार की माँग, तकनीकी अप्रचलन, आंतरिक विवादों, वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण बंद हो गई थीं ।

(कंडिका 3.1.1)

परियोजनाओं की मुल्यांकन प्रणाली में कमी थी । 24 प्रकरणों में कुल 22.11 करोड़ रूपए की संस्वीकृतियों के विषय में, निगम द्वारा ऋणों की संस्वीकृति के लिए बनाए गए नियमों से विचलन था । असाध्य परियोजनाओं में, अपात्र आवेदकों, संदेहास्पद साख वाले प्रवर्तकों, अपर्याप्त प्रतिभूति और अन्य वित्तीय संस्थानो से बकाया ऋणों के अधिग्रहण इत्यादि के बावजूद भी ऋण सहायता विस्तृत रूप से प्रदान की गई ।

(कण्डिका 3.1.15 से 3.1.24)

ऋण की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्यवाही में कमी थी । सतत दोषों के बावजूद आधिपत्य में लेने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई । वसूली के लक्ष्य कम थे और कुल

वसूली योग्य राशि के 38 प्रतिशत (2000-01) से 46 प्रतिशत (2003-04) की सीमा के मध्य थे । पुराने देयधन की वसूली के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, जबकि उनकी वसूली केवल 18 प्रतिशत थी । उपलब्ध निधियों और अपेक्षित निधियों के अंतराल को पाटने के लिए निगम ने अतिरिक्त ब्याज का भार लेकर बंध - पत्रों (बॉन्डस) के माध्यम से ऋणों का आश्रय लिया ।

(कण्डिका 3.1.25 एवं 3.1.7)

2001-2005 के वर्षों के दौरान 532.18 करोड़ रूपए की ऋण सहायता में से 31 मार्च 2005 को 203.75 करोड़ रूपए वसूली हेतु लंबित थे । इसमें से 155.52 करोड़ रूपए मानक , 31.08 करोड़ अवमानक, 16.79 करोड़ रूपए संदेहास्पद और 0.35 करोड़ रूपये हानि उठाने वाली परिसम्पत्तियाँ थीं । अवमानक,संदेहास्पद एवं हानि उठाने वाली परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के 24 प्रतिशत को दर्शाती हैं ।

(कण्डिका 3.1.14)

जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों को तथा उन प्रकरणों में भी जहाँ पर्याप्त संपार्श्विक (कोलेटरल) प्रतिभूतियां उपलब्ध थीं, एकमुश्त भुगतान का अवसर दिया गया था । यद्यपि 2001-05 के वर्ष के दौरान 85.76 करोड़ रूपए के लिए, निगम ने 157.10 करोड़ रूपए की देय राशि को एक मुश्त भुगतान के लिए 71.34 करोड़ रूपए का त्याग कर दिया, फिर भी मार्च 2005 तक निगम केवल 41 करोड़ रूपए (47प्रतिशत)की वसूली कर सका जिससे देय धन की त्वरित वसूली का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया ।

(कंडिका 3.1.30 से 3.1.32)

2000-01 में अनिष्पादक परिसम्पत्तियों में 170.40 करोड़ से 2002-03 में 224.66 करोड़ रूपए तक की वृद्धि हुई । 2004-05 में 140.38 करोड़ रूपए तक की कमी का मुख्य कारण 2003-04 एवं 2004-05 में एक मुश्त भुगतान था ।

(कंडिका 3.1.33)

प्रस्तावना

3.1.1 मध्यप्रेदश वित्त निगम, (मध्य भारत वित्त निगम के नाम से ज्ञात) की स्थापना, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 (अधिनियम) की धारा 3 (1) के अधीन, नई औद्योगिक इकाइयों को लगाने अथवा विस्तार करने, वर्तमान इकाइयों का आधुनिकीकरण करने, मध्यम और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, राज्य में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के लिए जून 1955 को की गई थी। 31 मार्च 2005 को समाप्त पाँच वर्षो की अवधि के दौरान निगम ने स्वयं को मुख्यतः निधि आधारित क्रियाकलापों यथा सावधि ऋणों की स्वीकृति, परिसम्पत्ति साख

ऋणों, अल्पावधि ऋणों, कार्यशील पूंजी, मध्यम पूंजी के सावधि ऋणों तथा उनकी संपूर्ति तक परिसीमित कर लिया था ।

निगम का प्रबन्धन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है । 31 मार्च 2005 को अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, (3 निदेशक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, एक - एक भारतीय लघु उघोग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और निगम के निदेशक मंडल से) सहित सात निदेशक थे । प्रबन्ध निदेशक निगम का मुख्य कार्यपालक होता है जिसको मुख्यालय पर दो महाप्रबन्धक तथा क्षेत्र में एक महाप्रबंधक, तीन उप- महाप्रबंधक, चार क्षेत्रीय प्रबन्धक और चार शाखा प्रबंधक सहायता प्रदान करते है । निगम के पास नौ[23] व्यापार विकास केन्द्रों के अतिरिक्त 10[24] क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।

31 मार्च 2005 को, 2033 इकाइयों के विरूद्ध निगम के 395.40 करोड़ रूपए के ऋण बकाया थे । इनमें से 891 इकाइयाँ प्रचालन में थीं, 40 इकाइयाँ कार्यान्वयनाधीन थीं एवं 382 इकाइयाँ कार्याशीलया पूंजी के अभाव में, बाजार की माँग,तकनीकी अप्रचलन, आंतरिक विवाद, वित्तीय अव्यवस्थापन के कारण बंद गई थीं ।

निगम के वसूली निष्पादन की पिछली समीक्षा 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) में की गई थी । सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति (कोपू) द्वारा समीक्षा पर चर्चा मई एवं जुलाई 2001 के मध्य की गई थी ।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.1.2 जनवरी और मई 2006 के मध्य की गयी वर्तमान समीक्षा 31 मार्च 2005[25] को समाप्त पॉच वर्षो के दौरान विस्तारित वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में निगम के क्रिया कलापों का प्रतिपान करती है । निगम के मुख्यालय और 10 क्षेत्रीय /शाखा कार्यालयों में से, वितरित की गई सहायता के आधार पर चयनित, पांच कार्यालयों के अभिलेखों की जांच की गई थी

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.1.3 क्या लेखापरीक्षा इस दृष्टिकोण से आंकलन करने के लिए की गई थी कि:-

[23] *इंदौर-I , भोपाल, देवास, रतलाम, नई दिल्ली, इंदौर-II ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सतना*

[24] *इंदौर (शहरी), इन्दौर-II, कटनी, रीवा, सेंधवा, हरदा, नीमच, शहडोल और सागर*

[25] *कम्पनी के लेखे वर्ष 2004-05 तक अंतिम रूप दिये गये है ।*

- निगम ने अपने लक्ष्य दक्षतापूर्वक मितव्ययतापूर्वक और प्रभावी रूप से प्राप्त कर लिए थे ।

- परियोजना मुल्यांकन की उचित प्रणाली अस्तित्व में थी और उसका अनुपालन किया गया था ।

- भुगतान में चूक करने के प्रकरणों में मूलधन और उस पर देय ब्याज की समय से वसूली सुनिश्चित करने के लिए वसूली और कार्यवाही की प्रणाली अस्तित्व में थी ।

- संस्वीकृति, वितरण और देय धन की वसूली के सम्बन्ध में आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली उचित और प्रचलन में थी ।

- निगम ने अवधि-वार विश्लेषण की सुविधा के लिए ,आवश्यक दाण्डिक वसूली की कार्यवाही की सुविधा के लिए विलम्बित देयधन के विश्लेषण हेतु आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया था ।

विलम्बित देयधन की त्वरित वसूली और शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए इकाइयों को अधिग्रहण करने सहित भुगतान में चूककर्ता इकाइयों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए कोई दक्ष प्रणाली थी ।

लेखोपरीक्षा मानदण्ड

3.1.4 निगम के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नांकित मानदण्ड के विरूद्ध किया गया था।

- संस्वीकृति, संवितरण और वसूलियों के परिवीक्षण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई थी,

- भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय लघु उघोग विकास बैंक के द्वारा जारी किए परिपत्र और मार्गदर्शिकाएं, एवं

- उघोगों के विभिन्न क्षेत्रों को सहायता का आवंटन करने के संबंध में नीतियां एवं लक्ष्य, जहां निर्धारित किए गए थे ।

लेखापरीक्षा पद्धति

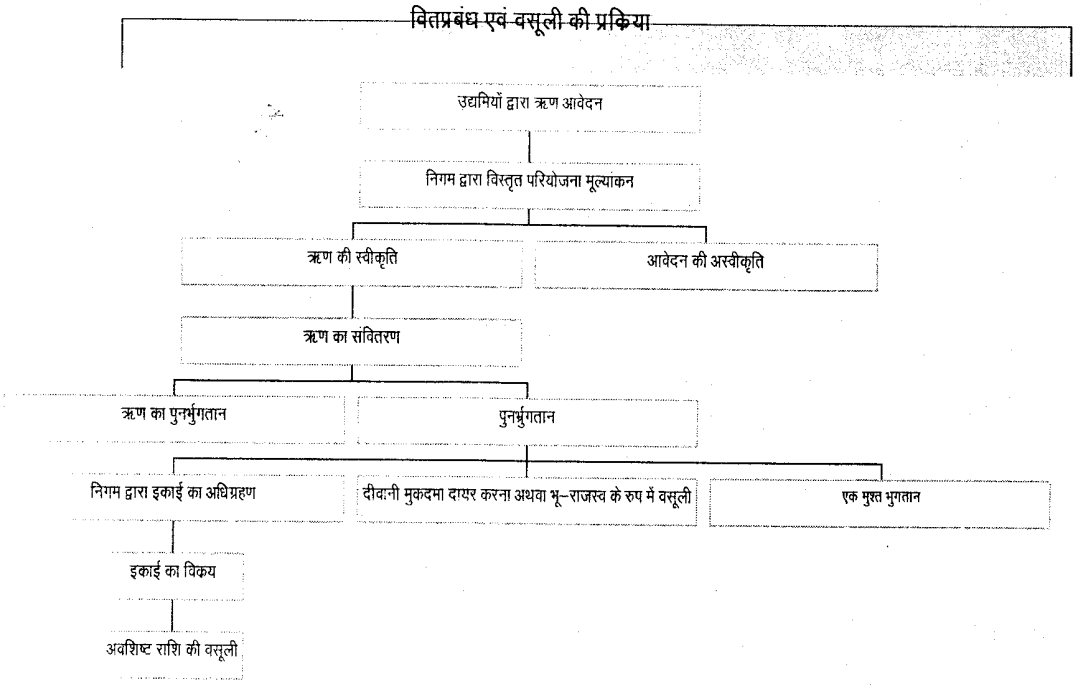
3.1.5 निम्नांकित मिश्रित लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों को अपनाया गया था:-

- राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के संगत प्रावधानो और समय समय पर राज्य सरकार, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त

- चयनित जिला कार्यालयों एवं मुख्यालय पर ऋण-नस्तियों की नमूना जांच ।
- ऋण बही-खातों की समीक्षा एवं
- कार्यसूची और मंडल की कार्यवृत्त योजना नस्तियों एवं पत्राचार नस्तियों की समीक्षा

वित्तीय सहायता और वसूली के लिए प्रक्रिया

3.1.6 निगम 5 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जिसकी ब्याज दर की सीमा 9 से 13.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होती है और योजना के प्रकार एवं वित्त के आकार पर निर्भर करती है । पुनर्भुगतान की अवधि की सीमा एक से आठ वर्षो तक है तथा विलम्बन काल एक वर्ष तक है । ऋणों की स्वीकृति,योजनाओं की अपनी माध्यता के मूल्यांकन के पश्चात् दी जाती है तथा ऋणग्रहीता के अंश के निवेश का सत्यापन करने के पश्चात् किस्तों में राशि मुक्त की जाती है । निगम द्वारा निधियों की प्राप्ति, राज्य सरकार से अंश पूजी के रूप में,बंधपत्रों के प्रवर्तन,भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा पुनर्वित्त और उसके मौजूदा ऋणग्रहिताओं से ऋणों की वसूली के माध्यम से प्राप्त निधियों एवं सहायता प्राप्त इकाइयों में अंशपूजी के विनिवेश के द्वारा होती है । संस्वीकृति संवितरण एवं उनकी वसूली की प्रंक्रिया के प्रवाह को सचित्र नीचे दर्शाया गया है ।



लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखा परीक्षा निष्कर्षों की सूचना सरकार प्रबंधन को दी गई थी (जून 2006) एवं उस पर चर्चा 13 सितम्बर 2006 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में की गई जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व प्रमुख सचिव (वित्त) एवं प्रबंधन का प्रतिनिधित्व निगम के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा किया गया था । समीक्षा को अंतिम रूप,सरकार/प्रबन्धन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के पश्चात् दिया गया था ।

लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर विस्तृत चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है ।

निधियों के स्त्रोत एवं उपयोग

3.1.7 नीचे दी गई सारणी 31 मार्च 2005 को समाप्त 5 वर्षों के दौरान ऋणों के संवितरण, बंधपत्रों के पुनर्भुगतान और अन्य व्ययों के लिए वित्त के स्त्रोतो एवं उनके उपयोग को दर्शाती है

(राशिः करोड़ रूपयो में)

	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
(क)	कुल रोकड़ का बहिर्प्रवाह#	166.80	183.21	179.33	127.02	184.96
(ख)	संसाधन					
	पुनर्वित्त	20.00	24.04	17.00	18.75	67.50
	मूल धन व ब्याज की वसूली	105.40	104.95	109.71	84.36	93.50
	बंध पत्रों के माध्यम से उधारियाँ	15.25	36.17	12.50	10.50	निरंक
	अन्य*	26.15	18.05	40.12	13.41	23.96
	योग	**166.80**	**183.21**	**179.33**	**127.02**	**184.96**

कुल रोकड़ बहिर्प्रवाह में ऋण संवितरण,पुनर्वित/बंधपत्रों और उन पर ब्याज का पुनर्भुगतान सम्मिलित हैं।

*** पुनर्वित्त/बंधपत्रों एवं उन पर ब्याज के पुनर्भुगतान सहित**

कमजोर वसूली के कारण बंधपत्रों के माध्यम से ऋणों का आश्रय लिया गया ।

उपर्युक्त सारणी से यह दृष्टिगोचर होता है कि ऋणों की वसूली में,वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक वर्ष 2002-03 को छोड़कर गिरावट आई । 2004-05 में वर्ष 2003-04 की अपेक्षा वसूली में हुई बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण एक मुश्त भुगतान में हुई बढ़ोत्तोरी थी । 2001-04 के दौरान कम वसूली के कारण संसाधनो की कमी को पूर्ण करने के लिए निगम को बंधपत्रों को जारी करना पड़ा ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि ब्याज की निम्न दरों पर बंधपत्रों के माध्यम से निधियों का उधार लेना विवेकपूर्ण समझा गया । यह उत्तर संगत नहीं है क्योंकि बंधपत्रों के माध्यम से उधारियों को, वसूली निष्पादन में सुधार करके कम किया जा

सकता था । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक के दौरान, प्रधान सचिव (वित्त) ने वसूली में सुधार करने का वचन दिया ।

ब्याज का परिहार्य भुगतान

3.1.8 औद्योगिक इकाइयों को अपनी ऋण वित्त व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम ने 1993-94 से बंधपत्रो के माध्यम से निधियों का संचारण प्रारंभ किया । जनवरी 1998 से मार्च 2003 के दौरान निगम ने 12.3 से 6.75 प्रतिशत तक की परिसीमा में ब्याज दर पर बंधपत्रों के माध्यम से 117.83 करोड़ रूपए का संचारण किया । बंधपत्रों को 10 वर्ष के पश्चात् अर्थात् 2008 से 2013 के दौरान मोचन किया जा सकता था ।

बंधपत्रों का पूर्व मोचन, सामान्य आह्वान विकल्प की धारा को लागू न करने के कारण नहीं हो सका ।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि यद्यपि उधारियो पर ब्याज की दरें 11.32 (1998) से 6.95 (2003) प्रतिशत तक गिर गई , तो भी निगम ने बंधपत्रों को जारी करने के सबंध में, उनके शीघ्र मोचन के लिए सामान्य प्रस्तुत आह्वान विकल्प की धारा को लागू करते हुए अपने हितों को सुरक्षित नहीं किया । लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित प्रभार,जो कि विकल्प को लागू न करने के कारण हुए,निम्नलिखित हैः

प्रदत्त आह्वान विकल्प को लागू न करने के कारण 9.95 करोड़ रूपये के अतिरिक्त ब्याज को वहन करना पड़ा

- 31.08 करोड़ रूपये मूल्य के बंधपत्र जनवरी 2000 से फरवरी 2002 के दौरान 11.5 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर जारी किये गये थे । यदि निगम ने इन बंधपत्रों में विकल्प की धारा को लागू किया होता तो पूर्व में उन्योचित बंधपत्रों के लिए फरवरी 2002 से मार्च 2002 तक के बीच में 6.75 से 8.30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर संधारित 35.03 करोड़ रूपये का उपयोग कर लिया होता और उसके परिणामस्वरूप 3.08 करोड़ रूपये के ब्याज की बचत की जा सकती थी ।

- 6.87 करोड़ रूपये के ब्याज के भविष्य दायित्वों का भी परिहार किया जा सकता था । प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि निगम ने इन बंधपत्रों को भारतीय रिजव बैंक की मार्ग-दर्शिकाओं के आधार पर जारी किया था ।आगे यह भी बताया गया कि बंध पत्र धारकों से बंधपत्रों के शीघ्र उन्मोचन का निवेदन किया गया था परन्तु वे उसके लिए सहमत नहीं हुए ।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योकि भारतीय रिजव बैंक ने प्रस्तुत / आह्वान विकल्प की धारा को लागू करने का निषेध नहीं किया ।

संस्वीकृति और संवितरण

3.1.9 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान उद्यमियों से आवेदन पत्रों की प्राप्ति, संस्वीकृत एवं संवितरित किए गए ऋणों का विस्तृत ब्यौरा ***परिशिष्ट 11*** में दिया गया है ।

परिशिष्ट से यह दृष्टिगोचर होता है किः

- 2003-04 के दौरान लक्ष्यों और वास्तविक संवितरणों में महत्वपूर्ण कमी आई थी जिसका मुख्य कारण वसूली की कम दर होने के कारण निधियों की अनुपलब्धता थी ।

- विगत वर्षों की तुलना में 2004-05 में लक्ष्यों और वास्तविक संवितरणों में महत्वपूर्ण वृद्वि हुई थी जिसका मुख्य कारण छोटे उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए व्यवसाय विकास केन्द्रों की व्यवस्था करना था जिसके लिए विगत चार वर्षो में कभी भी प्रयत्न नहीं किए गए ।

राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पत्र

निगम ने संतुलित औद्योगिक विकास के लिए लघु/दीर्घ अवधि की कार्यनीति तैयार नहीं की थी

3.1.10 31 मार्च 2005 को समाप्त प्रत्येक पांच वित्तीय वर्षों के लिए निगम ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पत्र तैयार किया । यद्यपि राज्य सरकार ने 2000-01 एवं 2002-03 के वर्षों में वित्तीय सहयोग के क्षेत्रों का सामान्य रूप से उल्लेख कर दिया था तो भी राज्य के संतुलित औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक वित्त व्यवस्था हेतु प्रचलित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करके 2003-04 एवं 2004-05 के वर्षों में सरकार ने निगम को विशिष्ट मिशन प्रदान किया । इनमें सूचना, संप्रेषण, मनोरंजन, सामाजिक, आधारिक संरचना, सहायक उद्योगों का विकास, लघु सेवा आधारित संगठनों और हरित क्षेत्र परियोजना इत्यादि सेवा क्षेत्र सम्मिलित थे । इन विशिष्ट निर्देशों के बावजूद भी निगम ने उद्योगों के वित्त प्रंबधन के लिए, उद्योग के प्रकार और श्रेणी, वित्त के आकार, विकास के क्षेत्र इत्यादि पर विशिष्ट संकेंद्रीकरण के साथ कोई अल्प/दीर्घ अवधि की कार्यनीति तैयार नहीं की थी ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि उद्योगो को वित्तीय सहायता राज्य सरकार की विस्तृत औद्योगिक नीति,निदेशक मंडल के नीति-निर्देशों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ साथ राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन-पत्र के अनुसार,उपलब्ध कराई गई थी । आगे यह भी बताया गया कि उद्योग के प्रकार और श्रेणी पर विशिष्ट संकेन्द्रीकरण के साथ एक दीर्घावधि नीति बनाना सदैव उपयुक्त नहीं था ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अल्पावधि/दीर्घावधि की कार्य नीति का प्रतिपादन नहीं करना समझौता ज्ञापन-पत्र की एवं संतुलित औद्योगिक विकास के उद्देश्य की गणना के विरूद्व होगा । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने अल्पावधि/दीर्घावधि कार्यनीति का प्रतिपादन करने की सहमति प्रदान की ।

संस्वीकृतियां

3.1.11 निम्न सारणी 31 मार्च 2005 को समाप्त 5 वर्षों के दौरान उद्योगों को ऋण् की स्वीकृति का वितरण दर्शाती है ।

मध्यप्रदेश के 46 जिलो में	संस्वीकृति	संवितरण
पिछड़े जिले (37)[26]	220.92	156.42
गैर-पिछड़े जिले (9)	212.25	134.78
योग	**433.17**	**291.20**

विभिन्न जिलों में ऋणों का फैलाव असमान था ।

3.1.12 उपर्युक्त सारणी से यह दृष्टिगत होगा कि मध्य प्रदेश के 46 जिलों में 433.17 करोड़ रूपए की कुल संस्वीकृतियों में से 220.92 करोड़ रूपए (51 प्रतिशत) 37 पिछड़े जिलों में संस्वीकृत किए गए थे जवकि 212.25 करोड़ रूपए (49 प्रतिशत) 9 गैर-पिछड़े जिलों में संस्वीकृत किए गए थे, आगे लेखा परीक्षा में यह भी देखा गया कि 37 पिछड़े जिलों में संस्वीकृत 220.92 करोड़ रूपयों में से 67 प्रतिशत की वित्तीय सहायता (147.38 करोड़) 6 पिछड़े जिलो में दी गई थी जबकि शेष 33 प्रतिशत (73.54 करोड़ रूपये) 31 जिलों में दी गई जो ऋण सहायता का असमान वितरण प्रदर्शित करती है । शेष 9 गैर पिछड़े जिलों में संस्वीकृत 212.24 करोड़ रूपये में से 119.08 करोड़ रूपये (56 प्रतिशत) अकेले इन्दौर के लिए संस्वीकृत किए गए थे ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि ऋण का फैलाव साध्यता और संभाव्य विकास पर आधारित था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार की सहायता से संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं होगा जिसकी पहचान समझौता ज्ञापन-पत्र में प्रबलित क्षेत्र के रूप में की गई थी ।

संस्वीकृतियों का विश्लेषण

3.1.13 उद्योग की श्रेणी इकाई का परिमाण निवेश का आकार,निवेश का उद्देश्य इत्यादि के संदर्भ में सावधि ऋणों की संस्वीकृतियों का 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान विश्लेषण ***परिशिष्ट 12*** में दिया गया है ।

परिशिष्ट से यह दृष्टिगत होता है कि-

सहायता निश्चित उद्योगों तक संकेन्द्रित थी ।

- 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान 532.18 करोड़ रूपये की कुल संस्वीकृति उधारियों में से उद्योगों की सात श्रेणियों यथा सेवाएं, परिवहन उपकरण, खाद्य उत्पादन, मूल धातुओं, औद्योगिक रसायनों के अतिरिक्त रसायनों निर्माण एवं अन्य ने 69 प्रतिशत (368.30 करोड़ रूपये) उधारियां प्राप्त कीं । उद्योगों की पांच श्रेणियों को कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई जबकि 21 श्रेणियों को 31 प्रतिशत (163.88 करोड़ रूपये)की सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार, सहायता निश्चित उद्योगों में संकेन्द्रित थी ।

[26] *क श्रेणी (20जिले), ख श्रेणी (12 जिले), ग श्रेणी (5 जिले)*

लधु उद्योगों को सहायता में गिरावट आई ।

- लघु उद्योगों को सहायता में गिरावट आई, जो कि 2000-01 में संस्वीकृत कुल राशि के 60 प्रतिशत से घटकर 2004-05, (2003-04 में 66 प्रतिशत को छोड़कर) 53 प्रतिशत तक आई । मध्यम श्रेणी के उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों को सहायता में वृद्धि हुई, जो कि 2000-01 में 40 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 47 प्रतिशत तक हुई (2002-03 में 73 प्रतिशत की वृद्वि के अपवाद को छोड़कर)

- 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो की संपूर्ण अवधि के दौरान बहुत छोटे क्षेत्रों और छोटे सहायक उद्योगों को कोई सहायता नहीं दी गई थी ।

लक्ष्य प्राप्तियों की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों की सफलता पर ऋण सहायता का प्रभावी मूल्यांकन संचालित नहीं किया गया था ।

- यद्यपि प्रारंभ से 31 मार्च 2005 की समाप्ति तक निगम ने 8720 आवेदकों को 1882.11 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की । तथापि राज्य में सहायता प्राप्त उद्योगों की सफलता का कोई मूल्यांकन (मार्च 2006), उद्योगों को प्रोत्साहन के लक्ष्यों की प्राप्ति की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए संचालित नहीं किया गया था तथा सहायता प्राप्त उद्योगों की विफलता के कारणों का मूल्यांकन जिससे कि भविष्य में वित्तीय सहायता दी जाने वाली परियोजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय अपनाये जा सकें, नहीं किया गया था ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006)कि-

- उभरती हुईं और वाणिज्यिक रूप से साध्य इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराए गए थे

- मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सहायता में वृद्धि का कारण, लधु उद्योगों का मध्यम श्रेणी के उद्योगों में क्रमिक रूप से औद्योगिक श्रेणीकरण किया जाना था ।

- छोटे उधार गृहिताओं को कम उधार दिया गया था क्योंकि पूरे देश में यही होने के कारण इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता था ।

- विद्यमान इकाइयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए और अधिक उधार देने का निर्णय संज्ञानपूर्ण था, और

- उद्योगों की सफलता का प्रभावी मूल्यांकन किया गया था ।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निगम को उद्योगों के प्रकार तथा श्रेणी, वित्तीय उद्देश्य एवं आकार, विकास के क्षेत्र इत्यादि के संदर्भ में मार्गदर्शिका/ प्राथमिकताओं का निर्धारण करना चाहिए था । आगे लेखापरीक्षा सत्यापन में यह प्रकट हुआ कि निगम ने कोई भी प्रभावी मूल्यांकन नहीं किया था । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की

बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने बताया कि मामले को आई.आई.एम., (भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर) के पास अध्ययन हेतु भेजा गया था ।

सहायता के लिए भली भांति परिभाषित नीति/मार्गदर्शिकाओं के अभाव में,संपूर्ण राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास के परिभाषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशों तथा संकेन्द्रीकरण का अभाव निगम के क्रियाकलापों में था । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने सहमति व्यक्त की कि निगम न्यायसंगत आधार पर ऋणों की स्वीकृति के लिए प्रयास करेगा ।

3.1.14 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान निगम ने 1305 आवेदनों के संबंध में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 532.18 करोड़ रूपये (रद्द करने के पश्चात कुल) की वित्तीय सहायता की संस्वीकृति प्रदान की और 366.66 करोड़ रूपये प्रदान किए,जिसमें से 31 मार्च 2005 को 203.75 करोड़ रूपये बकाया थे । बकाया राशि में से 155.52 करोड़ रूपये मान स्तर,31.08 करोड़ रूपये अवमानक, 16.79 करोड़ रूपये संदिग्ध एवं 35.30 लाख हानिप्रद परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे । अवमानक, संदिग्ध एवं हानिप्रद बकाया राशि का 24 प्रतिशत प्रदर्शित करती हैं ।

लेखापरीक्षा समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि अवमानक,संदिग्ध एवं हानिप्रद परिसंपत्तियों का कारण परियोजनाओं के मूल्यांकन में विभिन्न कमियों तथा उधारियों की स्वीकृति में मार्गदर्शिकाओं से विचलन का होना था, यथा संदिग्ध साखयोग्यता वाले प्रात्साहकों को ऋण,अपात्र इकाइयों को ऋण और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों का कार्यभार संभालना । व्यक्तिगत प्रकरणों के ब्यौरे ***परिशिष्ट-13*** में दिए गए हैं ।

परियोजनाओं के मूल्यांकन, संस्वीकृतियों,परिवीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही में कमियां

3.1.15 वित्तीय सहायता प्रदान कराये जाने वाली परियोजनाओं का प्रभावी मूल्यांकन एवं देय राशियों की समय पर वसूलीं न केवल निगम की वित्तीय हितों की सुरक्षा में अपितु औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी अति महत्वपूर्ण है ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह प्रकट हुआ कि सावधि ऋणों के 24 प्रकरणों में जिनमें कुल राशि 22.11 करोड़ रूपये थी । की संस्वीकृति एवं मूल्यांकन में बहुत कमियां थी । कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण निम्नानुसार हैं-

असाध्य परियोजनाओं को ऋण

निगम द्वारा किया गया विश्लेषण वस्तुपरक तथ्यों यथा बाजार की मांग के संदर्भ में परियोजनाओं की साध्यता,समरूप परियोजनाओं का अस्तित्व, विद्यमान प्रतिस्पर्धाएं, तकनीकी अप्रचलन संभावना एवं लाभ की मात्रा को ध्यान में रखे बिना किया गया था । इसके अतिरिक्त, वित्तीय सामर्थ्य का मूल्यांकन, परियोजनाओं के संचालन के लिए प्रोत्साहकों की व्यावसायिक योग्यता एवं अनुभव, परियोजना, प्रतिवेदनों में दिये गये प्रेषणों की वास्तविकता का मूल्यांकन करने में निगम विफल रहा इसके

परिणामवरूप असाध्य परियोजनाओं पर 5.39 करोड़ रूपये के कुल ऋण संस्वीकृत किए गए एवं 4.96 करोड़ रूपये का संवितरण किया गया जिस पर नीचे दी कंडिकाओं 3.1.16 से 3.1.19 में चर्चा की जा रही है ।

परियोजना मूल्यांकन में कई विषयों में कमी थी ।

3.1.16 निगम ने यश होटल, इंदौर (प्रतिष्ठान) के प्रवर्तकों को 75 लाख रूपये की राशि का सावधि ऋण संस्वीकृत किया (मार्च 2002) तथा मार्च 2002 एवं अक्टूबर 2002 के मध्य 70 लाख रूपये का संवितरण किया । प्रतिष्ठान ऋण का पुनर्भुगतान करने में विफल रहा और 31 मार्च 2004 को 86.33 लाख रूपये ब्याज सहित देय हो गया प्रतिष्ठान की परिसंपत्तियों का 19 फरवरी 2004 को अधिग्रहण कर लिया गया और प्रतिष्ठान द्वारा 15 मार्च 2004 तक 10 लाख रूपए का भुगतान करने के लिखित वचन के पश्चात ***सुपुर्दगी*** [27] पर वापस कर दिया गया । प्रतिष्ठान ने अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण नहीं किया और 31 जनवरी 2006 तक 1.11 करोड़ रूपए (ब्याज सहित) देय हो गए । यद्यपि निगम का बकाया ऋण से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियों (1.57 करोड़ रूपये) पर कब्जा था और प्रकरण निगम द्वारा तैयार की गई (अप्रैल 2004) एक मुश्त भुगतान नीति के अन्तर्गत नहीं आता था तो भी निगम ने एक मुश्त भुगतान के लिए ऋणग्रहीता के आवेदन पर 87 लाख रूपए के लिए विचार किया (मार्च 2006) । ऋणग्रहीता ने 10 लाख रूपए का भुगतान किया (मार्च 2006) और शेष राशि (77 लाख रूपए)का दिसम्बर 2006 तक भुगतान किया जाना है ।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में यह प्रकट हुआ कि परियोजना के प्रारंभिक मूल्यांकन में यह पाया गया था कि परियोजना (फरवरी 2002) में विभिन्न कमजोरियां थीं जैसे कि क्षमता का 50 प्रतिशत से कम उपयोग,अविकसित स्थिति और पूंजी उपलब्ध कराने में भागीदारों की अक्षमता । आगे अधिभोग स्तर के प्रक्षेपण के विषय में अंतिम मूल्यांकन/ साध्यता में कमी प्रस्तावित बटटे, विधुत-उपयोग (होटल के केन्द्रीय भाग में वातानुकूलन के लिए 8 घन्टे), उद्योग इत्यादि में विद्यमान भावों में गिरावट इत्यादि के संबंध में पाई गई थी । स्वतंत्र रूप से बाजार का सर्वे भी नहीं किया गया था । इस प्रकार एक असाध्य परियोजना, जिसके साथ वसूली के लिए कार्यवाही न करना, प्रतिभूतियों का निपटान न करना एवं एक मुश्त भुगतान के लिए सहमति प्रदान करना इत्यादि जुड़े हुये थे,का मूल्यांकन एवं वित्त व्यवस्था में कमी के परिणामस्वरूप 24[28] लाख रूपए की हानि हुई ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि उस समय विद्यमान बाजार की परिस्थितियों के आधार पर परियोजना को वाणिज्यिक रूप से साध्य समझा गया था । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम विद्यमान बाजार परिस्थितियों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में प्रधान सचिव ने परियोजना मूल्यांकन तंत्र की जांच करने तथा बल प्रदान करने का वचन दिया ।

[27] *लिखित में वचन प्राप्त करने के बाद परिसंपत्तियों का कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया*

[28] *कुल बकाया 1.11 करोड़ रूपए - एकमुश्त भुगतान 87 लाख रूपए= 24 लाख रूपए ।*

3.1.17 निगम ने मयूर मिल्क प्रोडक्टस् प्रायवेट लिमिटेड,इन्दौर (प्रतिष्ठान) को घी एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण के लिए संयंत्र की क्षमता में 900 से 1500 टन प्रतिवर्ष की वृद्वि करने के लिए 90 लाख रूपए का सावधि ऋण संस्वीकृत किया (अगस्त 2000) । ऋण अक्टूबर 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य जारी किया गया था । भुगतान में चूक के कारण, जनवरी 2003 में प्रतिष्ठान की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया परन्तु 12 आगामी तारीखों के मासिक चैक जिसमें प्रत्येक 2 लाख रूपए का था, की प्राप्ति पर, परिसंपत्तियों का कब्जा प्रतिष्ठान को वापस कर दिया गया था । परन्तु प्रतिष्ठान के चैंक अप्रतिष्ठित होने के कारण भुगतान करने में विफल रहा और देयधन 1.63 करोड़ रूपये तक संचित हो गया (मई 2005) (अर्थात मूलधन 90 लाख रूपए और व्याज 72.55 लाख) । प्रतिष्ठान द्वारा निवेदन किए जाने पर, निगम ने 95 लाख रूपए के एकमुश्त भुगतान के अंतर्गत देयधन के लिए समझौता किया (मई 2005)। प्रतिष्ठान एक मुश्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा । कड़ी प्रतिस्पर्धा और कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता के कारण इकाई बंद हो गई ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि

- सावधि ऋण की संस्वीकृति संयंत्र क्षमता का विस्तार करने के लिए दी गई थी, तो भी विद्यमान क्षमता (900 टन प्रति वर्ष) का केवल 40 प्रतिशत ही उपयोग किया गया था और प्रतिष्ठान आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी का संग्रह करने में सफल नहीं हुआ ।

महत्वपूर्ण पहलुओं यथा कड़ी प्रतिस्पर्धा, विपणन लागत को सम्मिलित न करना इत्यादि को मूल्यांकन करते समय ध्यान में नहीं रखा गया ।

- परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन करते समय, जो कि प्रतिष्ठान के द्वारा स्वयं ही तैयार किया गया था, महत्वपूर्ण पहलुओं यथा परियोजना प्रतिवेदन विपणन लागत को सम्मिलित न करना और अमूल,सांची इत्यादि सुस्थापित और विख्यात व्यापार घरानों के द्वारा बाजार में विद्यमान कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में नहीं रखा गया था ।

- पुनर्भुगतान में चिरकालिक चूक के पश्चात भी संपार्श्विक प्रतिभूतियों को भुनाने की मांग नहीं की गई ।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन और प्रतिभूतिओं को न भुनाने के परिणामस्वरूप 1.63 करोड़ रूपए की हानि हुई ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि ऋण संस्वीकृति के समय प्रतिष्ठान का प्रचालन साध्य क्षमता पर हो रहा था परन्तु आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी की समय पर अनुपलब्धता के कारण भली भांति कार्य नहीं हो सका । प्रतिष्ठान की परिसंपत्तियों को विक्रय नही किया जा सका यद्यपि उसके लिए विज्ञापन दिया गया था । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऋण की संस्वीकृति संयंत्र की क्षमता के विस्तार के लिए दी गई थी, तब भी विद्यमान क्षमता उपयोग केवल 40 प्रतिशत था ।

ऋण की स्वीकृति अहस्ताक्षरित अंतिम लेखाओं के आधार पर दी गई थी और लेखा परीक्षित तुलन पत्रों को प्राप्त किये बिना ऋण उपलब्ध करा दिया गया था ।

3.1.18 निगम ने 75 लाख रूपये की अल्पावधि कार्यशील पूंजी के सावधि ऋण की संस्वीकृति (अक्टूबर 2001) एवं संवितरण (नवम्बर 2001) श्री रविन्द्र सिंह तोमर, ग्वालियर की एक भागीदारी प्रतिष्ठान को किया । प्रतिष्ठान किश्तों का भुगतान करने में विफल रहा और सितम्बर 2002 तक जिस समय प्रतिष्ठान की परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया गया 85.64 लाख रूपये (मूलधन 75 लाख रूपए और ब्याज 10.64 लाख रूपए) बकाया थे । 31 मार्च 2005 को 69.34 लाख रूपए (मूलधन 69.25 लाख एवं ब्याज 0.09 लाख रूपए) बकाया थे ।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ऋण आवेदन के मूल्यांकन में निम्न कमियों की उपेक्षा की गई थी:

- सतत रूप से कम होती कुल बिक्री ।
- 2000-01 में मात्र 20,000 रूपए के वास्तविक लाभ के विरूद्ध 10.31 लाख रूपए के लाभ को मूल्यांकन के लिए ध्यान में रखा गया ।
- ऋण की संस्वीकृति अहस्ताक्षरित अन्तिम लेखों के आधार पर दी गई थी । संस्वीकृति की शर्तो के विपरीत निगम ने 2000-01 के लेखापरीक्षित लेखों को प्राप्त किए बिना ही ऋण जारी कर दिया ।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप 69.25 लाख रूपए की वसूली नहीं हो सकी ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि लाभ का आंकलन सहयोगी भागीदारों द्वारा लाभ के आहरण को ध्यान में रखकर किया गया था तथा लाभप्रदता उन ठेकों पर निर्भर थी जो हाथ में थे ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि साध्यता का निर्णय प्रतिष्ठान के अहस्ताक्षरित लेखाओं के आधार पर किया गया था जो कि प्रामाणिक नहीं थे । सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने मामले की जांच पड़ताल का वचन दिया ।

स्वतंत्र सर्वेक्षण किए बिना वित्तीय सहायता की संस्वीकृति ।

3.1.19 निगम ने इन्दौर में एक होटल एवं रेस्टोरेन्ट की स्थापना के लिए दयाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को 70 लाख रूपए संस्वीकृत किए (जून 2000) और 40 लाख रूपये का एक सावधि ऋण संवितरित किया (नवम्बर 2001) । परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ । प्रतिष्ठान किस्तों का भुगतान करने में विफल रहा और मार्च 2006 तक 70.81 लाख रूपए (मूलधन 40 लाख रूपए और ब्याज 30.81 लाख रूपए) देय थे । प्रतिष्ठान के द्वारा निवेदन किए जाने पर निगम द्वारा देय राशि के दिसम्बर 2006 तक भुगतान योग्य 55.50 लाख रूपए के एकमुश्त भुगतान के आधार पर समझौता किए जाने (मार्च 2006) के परिणामस्वरूप 15.31 लाख रूपए की हानि हो गई ।

परियोजना के मूल्यांकन में लेखापरीक्षा समीक्षा में निम्न कमियां प्रकट हुईं ।

- आसपास के अन्य होटलों के द्वारा प्रस्तावित की जा रही दरसूची (टैरिफ) व छूट, अधिभोग स्तर के बारे में स्वतंत्र सर्वेक्षण नहीं किया गया था ।
- बॉक्विट हाल (भोज-भवन) से पूरे 365 दिन प्राप्तियों की प्रत्याशा थी जो कि वास्तव में संभव नहीं था ।
- बिजली का उपयोग केवल 8 घंटे के लिए मानकर प्रचालन व्ययों को कम आंकलित किया गया था ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि परियोजना ऊपर नहीं उठ सकी क्योंकि भूतल पर अधिभोक्ताओं द्वारा दुकानें खाली नही की गई थीं ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल्यांकन में कमी थी । इसके अतिरिक्त, परिसरों को खाली कराने के लिए ऋण की संस्वीकृति से पहले अधिभोक्ताओं की लिखित सहमति पर बल नहीं दिया गया ।

संदिग्ध साख-योग्यता वाले प्रवर्तकों को ऋण

ऋणों की संस्वीकृति प्रदान करते समय,निगम को प्रवर्तकों/सहाय्यित इकाइयों एवं उनके सहयोगी इकाइयों की साख योग्यता का सत्यापन कर लेना चाहिए । लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि निगम ने 5.80 करोड़ रूपए की संस्वीकृति प्रदान की और 5.64 करोड़ रूपये का संवितरण ऐसे पांच उद्यमियों को किया जो कि या तो अन्य वित्तीय संस्थाओं के चूककर्ता थे अथवा जिनकी साख संदिग्ध । ऐसे दो रोचक प्रकरणों पर नीचे की कंडिकाओं 3.1.20 तथा 3.1.21 में चर्चा की जा रही है:

प्रतिष्ठान की क्षमता संदिग्ध थी ऋण जारी किया ।

3.1.20 निगम ने प्रतीक एसोसियट्स, ग्वालियर को एक मेंडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर (स्पाइनल सी.टी.स्केन) स्थापित करने के लिए 75 लाख रूपये का सावधि ऋण संस्वीकृत किया (अगस्त 2001)। चूंकि प्रतिष्ठान ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे, ऋण को रद्द कर दिया गया,। प्रतिष्ठान ने परियोजनाओं के लिए जी0ई0कैपिटल सर्वीसेज इंडिया से वित्त प्राप्त कर लिया (फरवरी 2002)। नवम्बर / दिसम्बर 2003 में, प्रतिष्ठान के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, निगम ने संस्वीकृति वापस प्रदान कर दी (दिसम्बर 2003) और जुलाई 2004 एवं जुलाई 2005 के मध्य ऋण का संवितरण इस तथ्य की जानकारी के वावजूद भी कर दिया कि ऋण लेने का उद्देश्य जी.ई.कैपिटल सर्वीसेज इंडिया के देय धन का भुगतान करने के लिए था । ऋण का पुर्नभुगतान दिसम्बर 2004 से प्रारंभ होने वाली 18 तिमाही किस्तों में होना था, प्रतिष्ठान द्वारा ऋण का उपयोग जी.ई.कैपिटल सर्विसेज के साथ अपने देय धन को भुगतान के लिए किया गया था । ईकाई अप्रैल 2006 बंद हो गयी जब 86.90 लाख रूपये भुगतान के लिए बकाया थे ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि डायग्नोस्टिक सेंटर की साध्यता का मूल्यांकन बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए तथा इस संदर्भ में नहीं किया गया था कि इस प्रकार की सुविधाएं नगर में पूर्व से ही विद्यमान थी । विशेष कर जी.ई.कैपिटल सर्विसेज इंडिया को किस्तों का भुगतान करने में ऋण ग्रहिता की विफलता रही । इस प्रकार, ऋण की संस्वीकृति एवं संवितरण एक ऐसी फर्म को दिया गया जो पूर्व वित्तदाता की चूककर्ता थी और उसकी साखयोग्यता संदिग्ध थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2002) कि परियोजना तकनीकी रूप से उपयुक्त एवं आर्थिक रूप से साध्य पाई गई थी । ऊपर उल्लेखित किये गये कारणों से यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है ।

ऋण की संस्वीकृति संदिग्ध साख-योग्यता वाले ऋणग्रहीता को प्रदान की गई।

3.1.21 निगम ने 2.40 करोड़ रूपये की एक सावधि ऋण गरहा यूटिलब्रोकी टूल्स लिमिटेड (प्रतिष्ठान) को संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु संस्वीकृत किया (जुलाई 2000)और अक्टूबर 2000 में जारी कर दिया । ऋण का पुनर्भुगतान 1 अक्टूबर 2001 से प्रारम्भ होने वाली 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में किया जाना था । भुगतान में सतत चूक और चैकों के अनादरित होने से पुनर्भुगतान अनुसूची अवधि को (अप्रैल 2003) संशोधित करके अप्रैल 2008 के अंत तक कर दिया गया । पुनर्भुगतान समय अनुसूची में संशोधन के बावजूद भी भुगतान के मामले में प्रतिष्ठान अनियमित था और देय राशि बढ़कर 3.28 करोड़ रूपये (मूलधन 2.06 करोड़ रूपए और ब्याज 1.22 करोड़ रूपये) हो गई । प्रतिष्ठान के द्वारा अनुरोध किए जाने पर निगम ने एक मुश्त भुगतान के अंतर्गत 2.67 करोड़ रूपए के देय धन का भुगतान करने का समझौता किया (जुलाई 2005) परन्तु प्रतिष्ठान द्वारा एकमुश्त भुगतान राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण प्रतिष्ठान का परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण मार्च 2006, में, राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत कर लिया गया ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि आवधिक ऋणों की पूनः पूर्ति की संस्वीकृति, लाभ अर्जित करने वाली विद्यमान इकाइयों को आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए निगम द्वारा वित्त-प्रबंधित किया जाना चाहिए था जिनका त्वरित पुनर्भुगतान का लेखा-जोखा अच्छा था । इसके विपरीत निगम ने इंटर कॉरपोरेट जमा के पुनर्भुगतान के लिए ऋण, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को जारी किया जिसे प्रतिष्ठान ने एकमुश्त भुगतान की राशि का भुगतान इन्डस्ट्रियल इनवेस्टमेंन्ट बोर्ड आफ इंडिया को करने के लिए लिया था ताकि वह 1.41 करोड़ रूपए के ब्याज के अधित्याग का लाभ उठा सकें। इस प्रकार ऋण एक संदिग्ध साख-योग्यता वाले ऋणग्रहीता को जारी किया गया । प्रतिष्ठान 1997-98 से हानि उठा रही थी और इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंन्ट बोर्ड आफ इंडिया की बकायादारी थी । इस प्रकार,फर्म को ऋण की संस्वीकृति दिए जाने के परिणामस्वरूप 61.98 लाख रूपए की एकमुश्त भुगतान की हानि के अतिरिक्त 2.67 करोड़ रूपए अवरूद्ध हो गए (मई 2006)

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि ऋण की संस्वीकृति ब्याज और उधारियें के कारण फर्म की प्रचालन लागत में कमी करने के लिए दी गई थी । इस उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि इकाई पहले से ही वित्तीय दबाव में थी ।

पर्याप्त प्रतिभूति के बिना ऋण की संस्वीकृति

निगम ने वित्त-पोषित परिसम्पत्तियों (प्राथमिक प्रतिभूतियों) के गिरवी/बन्धक रखे जाने के विरूद्ध सावधि ऋणों की संस्वीकृति प्रदान कर ऋण जारी करता है । जहां प्राथमिक प्रतिभूति पर्याप्त नही होती है वहां इस अंतर को पाटने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति (कोलेटरल सिक्यूरिटी) भी प्राप्त की जाती है । लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि निगम 2 प्रकरणों (संस्वीकृतिः 2 करोड़; जारीः 1.93 करोड़ रूपये) में पर्याप्त प्रतिभूतियों को प्राप्त करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 2.88 करोड़ रूपए की निधियां अवरूद्ध हो गईं । ऐसे एक प्रकरण की चर्चा नीचे दी गयी कंडिका 3.1.22 में की जा रही है:

प्रतिभूति प्राप्त बिना ऋण की दी गई थी ।

3.1.22 बलवेदर इन्फार्मेशन सिस्टमस एण्ड को-टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (फर्म) को इन्दौर में एक मेंडीकल ट्रान्सक्रिप्शन सेन्टर स्थापित करने के लिए 75 लाख रूपए का एक अल्पावधि ऋण संस्वीकृत किया (मार्च 2001)। सम्पूर्ण ऋण एक किस्त में जारी किया गया था (मार्च 2001) । ऋण का पुनर्भुगतान 25 लाख रूपए प्रति किस्त की तीन तिमाही किस्तों में किया जाना था । मई 2003 तक फर्म ने केवल 8.63 लाख रूपए का भुगतान किया तथा जिस समय परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया देय राशि इकट्ठी होकर 99.78 लाख रूपए हो गई थी लेकिन **सुपुर्दगी** के आधार पर परिसंपत्तियों को वापस कर दिया गया । फर्म भुगतान करने में विफल रही । फर्म द्वारा अनुरोध किए जाने पर (नवम्बर 2004) निगम ने मार्च 2005 तक भुगतान किए जाने के लिए 75 लाख रूपए के एकमुश्त भुगतान के अन्तर्गत देय राशि का समझौता किया । फर्म पुनः एकमुश्त भुगतान राशि का भुगतान करने में विफल रही, एक मुश्त भुगतान को जुलाई 2005 में रद्द कर दिया गया । राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा पराक्रम्य लिखित अधिनियम (निगोशेवल् इन्स्ट्रमेंन्ट एक्ट) की धारा 138 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई थी । 31 मई 2006 को 99.92 लाख रूपए (मूलधन 75 लाख रूपए और ब्याज 24.92 लाख रूपए) बकाया थे ।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाया गया कि 75 लाख रूपए के ऋण के विरूद्ध केवल 10 लाख रूपए मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयर मूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में प्राप्त किए गए थे निगम की नीति के अनुसार प्रतिभूति सुरक्षा का अंतर पाटने के लिए पर्याप्त समपार्श्विवक प्रतिभूतियां भी प्राप्त नही की गई थीं । इस प्रकार पर्याप्त प्रतिभूतियों को प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप 75 लाख रूपए के राशि अवरूद्ध हो गई तथा 24.92 लाख रूपए के ब्याज की वसूली भी नहीं हुई ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित सम्पत्ति अन्य पार्टी से संबंधित थी जिसे गिरवी नहीं रखा जा सकता था । 25 लाख रूपए की पहली तिमाही किस्त में से 8.63 लाख रूपए के भुगतान के पश्चात इकाई ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकी और यद्यपि एक मुश्त भुगतान के लिए 75 लाख रूपए का समझौता किया गया था परन्तु पार्टी उसका भी पालन करने में विफल रही । आगे यह भी बताया गया था कि निदेशकों के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाण पत्र की कार्यवाही

प्रारम्भ कर दी गई थी उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम ने पर्याप्त प्रतिभूति प्राप्त किए बिना ही ऋण जारी कर दिया था ।

अपात्र इकाइयों को ऋण की स्वीकृति

ऋण सहायता, फर्म के पहले वित्तदाता की देयराशि का पुनर्भुगतान करने के लिए, संस्वीकृत की गई थी ।

3.1.23 निगम ने 5.25 करोड़ रूपए का सावधि ऋण (25 लाख रूपए से लेकर 2.40 करोड़ रूपए तक की सीमा में प्रत्येक को) पांच उद्यमियों को संस्वीकृत किया (मई से दिसम्बर 2004) जो कि ऐसे शैक्षणिक/गैर-औद्योगिक क्रियाकलापों में संलग्न थे जिनके लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मार्गदर्शिकाओं के द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पात्रता नहीं थी । अपात्र इकाइयों को ऋण की संस्वीकृति के परिणामस्वरूप अन्य जरूरतमन्द औद्योगिक उद्यमियों को वित्तीय सहायता को नकारना पड़ा । एक प्रकरण पर चर्चा नीचे की जा रही है ।

निगम ने 1.90 करोड़ रूपए का एक सावधि ऋण, डी.के.सिंह एन्टरप्राइजेज, भोपाल एक भागीदारी फर्म (ऋण स्वीकृति के दिनांक को अपंजीकृत) को छात्रावास भवन के निर्माण तरण-ताल एवं स्वास्थ्य-क्लब (पूर्व से ही निर्माणाधीन) के निर्माण के लिए संस्वीकृत किया (जून 2005) जो कि निर्माण पूर्ण होने पर डी.के.सिंह शैक्षणिक एवं समाज कल्याण समिति भोपाल के "ए" समूह को पट्टे पर दिया जाना था ।

लेखा परीक्षा समीक्षा में पाया गया कि ऋण की संस्वीकृति अनियमित थी क्योकिः-

- ऋण की संस्वीकृति भागीदारी फर्म के निर्माण एवं पंजीयन के पूर्व ही दी गई थी ।
- कम से कम दो वर्षो की लाभप्रदता की शर्त की उपेक्षा की गई ।
- फर्म निर्माण क्रियाकलापों से जुड़ी हुई व्यावसायिक भवन निर्माता कंपनी नहीं थी तथा वित्त व्यवस्था, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों के कार्यक्षेत्र से बाहर थी ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि किसी अपंजीकृत फर्म को ऋण की स्वीकृति पर कोई रूकावट नही थी तथा फर्म को ऋण की पात्रता प्राप्त थी क्योंकि इसके क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते थे । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योकि फर्म कोई व्यावसायिक अथवा सुस्थापित निर्माता कंपनी नहीं थी । इसने ऋण स्वीकृत होने से पूर्व न तो कोई निर्माण कार्य किया और न ही उसके बाद ।

अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा दिए गए ऋणों की अदायगी के लिए ऋण की स्वीकृति

अन्य वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की अदायगी के लिए उधारग्रहीताओं को ऋण की स्वीकृति निगम की अनुमोदित योजना नहीं है । लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निगम ने 2.75 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता तीन उधारग्रहीताओं को उनके द्वारा

अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए गए ऋणों की अदायगी के लिए उपलब्ध कराई थी । एक प्रकरण पर नीचे चर्चा की जा रही है:

ऋणग्रहीता, फर्म के वित्तदाता की ...ि का पुनर्भुगतान ...के लिए, संस्वीकृत ...ई था ।

3.1.24 अनय ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड (फर्म) को 75 लाख रूपए का एक सावधि ऋण मुद्रणालय के विस्तार तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए संस्वीकृत किया गया था (जून 2001) । कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं अपर्याप्त कार्यशील पूंजी के कारण फर्म का कार्य लाभप्रद रूप से नहीं चल सका और फर्म देय राशि का भुगतान करने में विफल हो गई । अनादरित चैकों के लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई (दिसम्बर 2003) । चूंकि बकाया धन जनवरी 2004 तक संचित होकर 94.10 लाख रूपए हो गया था,अतः फर्म की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया लेकिन अप्रैल 2004 में 4 लाख रूपए का भुगतान करने पर वापस कर दिया गया । निगम ने पुनः परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया (जनवरी 2005) जब बकाया धन 114.14 लाख रूपए हो गया था । संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री 32 लाख रूपए में, 82.14 लाख रूपए की बकाया वसूली को छोड़ते हुए कर दी गई है (जुलाई 2006) । संपार्श्विक प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए दिए गए विज्ञापन पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि फर्म की साख-योग्यता को सुनिश्चित किए बिना ही ऋण की संस्वीकृति मुख्य रूप से सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के द्वारा दिए गए ऋण की अदायगी के लिये प्रदान की गई थी । कार्यशील पूंजी के लिए वित्त प्रबन्धन के स्त्रोत भी सुनिश्चित नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 75 लाख रूपए की निधियां अवरूद्ध हो गई और 7.14[29] लाख रूपए के ब्याज की वसूली नही हुई ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि उधारग्रहीता को अपर्याप्त कार्यशील पूंजी समेत अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह ऋण का पुनर्भुगतान नहीं कर सका ।

वसूली निष्पादन

3.1.25 निगम द्वारा ऋण का संवितरण किए जाने के पश्चात् वित्त पोषित इकाइयों की स्थिति का परिवीक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि वसूली के लिए प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके जो अन्य उद्यमियों के लिए ऋणों के पुर्नचक्रण को योग्य बना सके। मूलधन और उस पर देय ब्याज की वसूली के लिए उठाई गई मांग, वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य और वास्तव में की गई वसूली का 31 मार्च 2005 को समाप्त प्रत्येक पांच वर्षो का ब्यौरा ***परिशिष्ट-14*** में दिया गया है ।

[29] *बकाया राशि रूपए 114.14 लाख - 32 लाख विक्रय पर प्राप्त - 75 लाख रूपए मूलधन= 7.14 लाख रूपए*

वसूली के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य कम थे, पुराने बकाया धनों के लिए पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे ।

- वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य कम थे और 2001-04 के दौरान कुल वसूली योग्य राशि के 38 एवं 46 प्रतिशत की सीमा में थे ।
- पुरानी देय राशियों की वसूली के लिए पृथक लक्ष्य निर्धारित नही किए गए थे जबकि 2000-05 के दौरान पुराने देय धन की वसूली कुल पुराने देय धन की केवल 3 से 18 प्रतिशत (2004-05) की सीमा में थी ।
- यद्यपि सम्पूर्ण वसूली का प्रतिशत 2000-01 में 39 से बढ़कर 2004-05 में 45 तक पहुंच गया परन्तु फिर भी यह 31 मार्च 2005 को 108.67 करोड़ रूपए की बड़ी बकाया राशि की तुलना में कम था ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि लक्ष्यों का निर्धारण पुराने देय धन सहित चालू मांग की समग्र संग्रहणीयता को ध्यान में रखकर किया गया था । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम को पुराने एवं चालू देय धन के लिए पृथक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए थे ताकि प्रयासों को संक्रेन्दित किया जा सके । तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में प्रमुख सचिव ने पुराने एवं चालू दोनों प्रकार के देयधनों के लिए पृथक लक्ष्य निर्धारित करने का वचन दिया ।

कालातीत देय धन का विश्लेषण

3.1.26 निम्न सारणी कालातीत देय धन एवं उसक वर्गीकरण की प्रस्थिति को 2000-01 से 2004-05 तक के प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के अंत तक दर्शाती है ।

(राशिः करोड़ रूपये में)

विलंबित देय धनों की अवधि	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
छः माह तक	17.37 (12.07)	4.66 (3.96)	5.94 (4.69)	4.29 (3.47)	4.95 (4.56)
छः से अठारह माह तक	20.66 (14.37)	12.93 (10.99)	23.99 (18.92)	20.12 (16.28)	18.93 (17.42)
अठारह से छत्तीस माह तक	14.13 (9.82)	10.18 (8.65)	12.24 (9.65)	14.06 (11.37)	14.20 (13.06)
तीन वर्षो से अधिक	91.64 (63.74)	89.88 (76.40)	84.58 (66.74)	85.14 (68.88)	70.59 (64.96)
कुल	**143.80**	**117.65**	**126.75**	**123.61**	**108.67**

टिप्पणी-कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल कालातीत देय धन से प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

कालातीत देयधन 18 से 36 महीनों तक अवरूद्ध रहे ।

उपर्युक्त सारणी से यह दृष्टिगोचर होता है कि 31 मार्च 2005 को समाप्त सम्पूर्ण पांच वर्षो में उपर्युक्त समस्त श्रेणियों में विलंबित देयधन की प्रस्थिति लगभग स्थिर रही । (छः माह तक के विलंबित देयधन के प्रकरणो को छोड़कर) आगे लेखापरीक्षा विश्लेषण में यह प्रकट हुआ कि 73 से 85 प्रतिशत तक के विलम्बित देय धन 18 से 36 महीने से अधिक समय के लिए अवरूद्ध हो गए इन निधियों के अवरूद्ध होने के बावजूद निगम ने वसूली में सुधार के लिए उपाय नहीं किए ।

अनुवर्ती कार्यवाही का अभाव

3.1.27 देय धन की त्वरित वसूली के लिए निगम को चाहिए कि वह चिरकालिक एवं जानबूझकर चूक करने वालों की पहचान करे और राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 से 32 के अन्तर्गत तुरन्त उपयुक्त कार्यवाही करें । लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि निगम ने देय धन की नियतकालिक वसूली हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की । 7.79 करोड़ रूपए के बकाया ऋणों सहित नौ प्रकरणों के ब्यौरे ***परिशिष्ट 15*** में दिए हैं ।

दो रूचिकर प्रकरणों पर नीचे चर्चा की जा रही है:-

3.1.28 निगम ने एपीकाल ई-सोल्यूशन्स लिमिटेड (फर्म) को इन्दौर और भोपाल में सॉफ्टवेयर विकास एवं वेबसाइट ट्रेडिंग इकाइयों की स्थापना के लिए 95 लाख रूपए का एक सावधि ऋण संस्वीकृत किया (अगस्त 2000) और 80.25 लाख रूपए संवितरित किए (अक्टूबर/नवम्बर 2000) । फर्म ने नवम्बर 2001 में मूलधन की केवल एक किस्त (10 लाख रूपए) का भुगतान किया । ऋण के अनुपयोगी अंश को रद्द कर पुनर्भुगतान समय अनुसूची को संशोधित किया गया (मई 2002) तथा दिसमबर 2003 में पुनः संशोधित किया जो मई 2004 से आरम्भ होने वाली 17 तिमाही किस्तो में भुगतान योग्य थी । फर्म का निरीक्षण किए जाने पर (मार्च 2004) निगम ने पाया कि फर्म की मुख्य प्रतिभूतियां (संयंत्र और मशीनरी) जिनकी कीमत 71.59 लाख रूपए थी विछिन्न कर दिया गया और उपलब्ध परिसम्पत्तियों का मूल्य केवल 19 लाख रूपए रह गया था । फर्म की परिसम्पत्तियों का तत्काल अधिग्रहण नहीं किया गया था और संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उपयोग नही किया गया । फर्म अपनी वचनबद्वता का निर्वाह करने में पुनः विफल रही । 31 मार्च 2005 को मूलधन के रूप में 48.34 लाख रूपए और ब्याज के रूप में 6.08 लाख रूपए बकाया थे । फर्म द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऋण लेखे का निपटान (मार्च 2005) 40 लाख रूपए के मार्च 2006 तक भुगतान किए जाने की शर्त पर, एक मुश्त भुगतान के अन्तर्गत किया गया परन्तु राशि का भुगतान जुलाई 2006 तक नही किया गया था ।

जानवूझकर चूक करने के बावजूद वसूली के लिए अनुवर्ती कार्यवाही अपर्याप्त थी ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जानबूझकर लगातार चूक करने एवं 1.41 करोड़ रूपए मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूतियों की उपलब्धता के बावजूद निगम पुनर्भुगतान समय अनुसूची को बार-बार संशोधित करता रहा । निगम, 71.59 लाख रूपए मूल्य की मुख्य प्रतिभूतियों के विछिन्न किए जाने की जानकारी होने के पश्चात् भी परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सका जो कि अत्यन्त अनियमित है । सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षो को स्वीकार किया (जुलाई 2006)

बकाया राशि से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियो होने के बावजूद भी वसूली के लिए कार्यवाही प्रारंभ नही की गई थी ।

3.1.29 निगम ने,बिजीमैन आफसेट प्रिन्टर्स लिमिटेड,इन्दौर को 75 लाख रूपए प्रिन्टवेज को 25 लाख रूपए और सौमैय्या ट्रेडर्स को 30 लाख रूपए की कार्यशील पूंजी के सावधि ऋणों को संस्वीकृत (जुलाई 2001) एवं संवितरित (सितम्बर से नवम्बर 2001) किया । ऋणों का पुनर्भुगतान दिसम्बर 2001 के आगे किया जाना था । सभी फर्मों ने प्रारम्भ से ही चूक की और 53.89 लाख रूपए की सीमा तक थोड़ा थोड़ा करके भुगतान किया एवं समय-समय पर जारी किए गए नोटिसों का कोई प्रभाव नहीं

हुआ नवम्बर 2002 से अक्टूबर 2004 के मध्य फर्मों के द्वारा दी गई वचनबद्धता असत्य प्रमाणित हुई। निगम ने जानबूझकर की जाने वाली चूक की जानकारी होने के बावजूद परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ नही की अपितु ऋण भुगतान की अवधि को अक्टूबर 2003 में पुनः अनुसूचीबद्व किया । चूंकि वचनबद्धता का निर्वाह नहीं किया गया था अतः फर्मो की परिसम्पत्तियों के 8 नवम्बर 2004 को अधिग्रहीत कर लिया गया और उसी दिन **सुपुर्दगी** पर वापस कर दिया गया फर्मो की परिसम्पत्तियों के विक्रय के लिए 2005 में विज्ञापन जारी किया गया था । चूंकि प्रस्ताव आकर्षक नहीं था । अतः जनवरी 2006 में पुनः विज्ञापन दिया गया, निगम ने दो प्रतिभूतियों के विक्रय के द्वारा 70 लाख रूपए की वसूली की और 51 लाख रूपए की शेष राशि की वसूली बकाया थी ।

सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षो को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2006) ।

एकमुश्त भुगतान

3.1.30 निगम ने अवरूद्ध कालातीत देय राशियों की वसूली के प्रयोजन से 1992 में एकमुश्त भुगतान नीति का प्रवर्तन किया । नीचे दी गई सारणी 2000-05 के दौरान निगम द्वारा समझौते के समय बकाया राशि, राशि जिस पर बकाया राशि का निपटान किया गया और उठाई गई हानियों को दर्शाती है ।

(राशिः करोड़ रूपए में)

वर्ष	निपटाए गए प्रकरण	निपटान के समय कुल बकाया	समझौते की राशि	समझौते से हानि	समझौते के विरूद्ध प्राप्त राशि	कुल बकाया से हानि की प्रतिशतता
2000-01	184	30.23	18.02	12.21	9.29	40
2001-02	147	24.95	14.07	10.88	5.85	44
2002-03	153	25.14	13.42	11.72	7.43	47
2003-04	204	27.22	13.18	14.04	5.96	52
2004-05	355	49.56	27.07	22.49	12.47	45
योग	**1043**	**157.10**	**85.76**	**71.34**	**41.00**	45

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि -

देय राशि की शीघ्र वसूली के लाभ प्राप्त नही हुए यद्यपि 71.34 करोड़ रूपए की राशि एकमुक्त भुगतान को लागू करने में त्यागनी पड़ी

- यद्यपि निगम को 1043 इकाइयों के संबंध में 157.10 करोड़ रूपए मूल्य की देय राशियों के निपटान में 71.34 करोड़ रूपए का त्याग करना पड़ा तो भी समझौता की गई 85.76 करोड़ रूपए की राशि में से यह केवल 41 करोड़ रूपए (47 प्रतिशत) ही वसूल कर सका जिससे कि एकमुश्त भुगतान के अन्तर्गत देय राशियों की त्वरित वसूली का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया ।

- एकमुश्त भुगतान के विरूद्ध क्रमानुसार वर्षों में समझौता की गई राशि में से बकाया राशि 2000-01 में 48 प्रतिशत से बढकर 2004-05 में 54 प्रतिशत हो गयी । 2001-02 से एकमुश्त भुगतान के अधिक प्रसंगों से एक मुश्त भुगतान की आशा में स्वेच्छा से की गई चूक को स्वीकार कर शीघ्र भुगतान करने वालों

को प्रोत्साहित करने एवं शीघ्र वसूली को लागू करने में निगम की विफलता प्रदर्शित होती है ।

मुश्त भुगतान तक चने से पहले शिका समझौता ने में ऋणग्रहीताओं इकाइयों की परख नहीं ई थी ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे यह प्रकट हुआ कि निगम ने एकमुश्त भुगतान का प्रस्ताव दिया जबकि निगम के कब्जे में उत्कृष्ठ एवं संपार्श्विक प्रतिभूतियां थी जो कि बकाया राशि के मूल्य से अधिक थी । निगम ने एकमुश्त भुगतान का सहारा, स्वैच्छिक चूककर्ताओ के मामलों में वित्त पोषित इकाइयों की वित्तीय स्थिति की जांच किए बिना तथा उस स्त्रोत को सुनिश्चित किए बिना जहां से फर्म ने समझौता राशि का भुगतान करने के लिए प्रस्तावित किया था, कुछ प्रकरण ***परिशिष्ट -16*** में दर्शाए गए हैं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने एकमुश्त भुगतान प्रस्तावों को और पारदर्शी बनाने तथा चयनित क्षेत्रों में एस्क्रो खाता खोलने की संभावनाओं का पता करने के लिए सहमति दी ।

एकमुश्त भुगतान के दो रूचिकर प्रकरणो पर नीचे दी गई कंडिकाओं 3.1.31 तथा 3.1.32 में चर्चा की जा रही है ।

राशि की तूलना में प्रतिभूतियों की ता के बावजूद मुश्त भुगतान का दिया गया था ।

3.1.31 निगम ने सुपरा स्क्राइब्ज प्रायवेट लिमिटेड,भोपाल को एक चिकित्सा प्रतिलेखन इकाई (मेंडीकल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट) स्थापित करने के लिए 1.25 करोड़ रूपए का सावधि ऋण संस्वीकृत किया (अप्रैल 2000) । वित्त के इस नए क्षेत्र के लिए परियोजना प्रतिवेदन का एक दिन में मूल्यांकन कर लिया गया था । फर्म ने नवम्बर 2000 से फरवरी 2002 के बीच 91.25 लाख रूपए आहरित किए। फर्म ऋण की किस्तों का पुनर्भुगतान करने में विफल रही और सितम्बर 2004 को 1.38 करोड़ रूपए की राशि देय हो गई थी । फर्म द्वारा अनुरोध किए जाने पर वसूली समिति ने करोड़ रूपए के एकमुश्त भुगतान के अन्तर्गत देय राशि का समझौता किया (अक्टूबर 2004)

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह प्रकट हुआ कि 90.36 लाख रूपए मूल्य की उत्कृष्ठ प्रतिभूतियों की उपलब्धता 3.31 करोड़ रूपए मूल्य के प्रवर्तकों के वित्त एवं स्व-स्वामित्व के भूखण्ड के रूप में तथा 1.62 करोड़ रूपये की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बावजूद निगम ने देय राशि की वसूली के लिए राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण नहीं किया इस प्रकार एक मुश्त भुगतान के फलस्वरूप फर्म को अनुचित अनुग्रह में वृद्धि हुई और निगम को 37.61 लाख रूपए की हानि हुई ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि अनेक बाह्य तत्वो के कारण परियोजना संतोषप्रद रूप से नहीं चल सकी यह उत्तरमान्य नहीं है क्योंकि उत्कृष्ठ और संपार्श्विक प्रतिभूतियों की उपलब्धता के बावजूद निगम वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विफल रहा ।

3.1.32 नेशनल मेंटल् इन्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड,इन्दौर (फर्म) को, जो कि लोहे के घुमावदार सरियों के विनिर्माण का कार्य करती थी, 1.90 करोड़ रूपए का सावधि ऋण

संस्वीकृत किया गया (सितम्बर 1999) जिसमें से नवम्बर 1999 में 1.30 करोड़ रूपए तथा फरवरी 2000 में 35 लाख रूपए ज़ारी किए गए । फर्म ब्याज की 5.33 लाख रूपए की पहली किस्त का भुगतान करने में भी विफल रही जिसकी वसूली फरवरी 2000 में जारी किए गए 35 लाख में रूपए से की गई । बाद की किस्तों के लिए फर्म द्वारा जारी किए गए चैकों के अनादरित हो जाने के कारण निगम ने आपराधिक शिकायत दर्ज कर दी (अप्रैल 2001) । कार्यशील पूंजी को अपर्याप्तता एवं अन्य अवरोधों के कारण फर्म अक्टूबर 2000 से अगस्त 2003 तक बन्द रही और वाणिज्यिक उत्पादन सितम्बर 2003 में पुनः प्रारम्भ किया । 31 जुलाई 2005 को 2.92 करोड़ रूपए वसूली हेतु बकाया थे । फर्म द्वारा अनुरोध किए जाने पर, निगम ने देय राशि के 1.65 करोड़ रूपए (24.25 लाख रूपए अपफ्रन्ट फीस तथा शेष को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज सहित 24 मासिक किस्तों में भुगतान योग्य) का समझौता किया (जुलाई 2004) । 40 लाख रूपए का भुगतान करने के बाद, फर्म द्वारा अनुरोध किए जाने पर निगम ने भुगतान अवधि को बढ़ाकर अप्रैल 2008 तक कर दिया । 31 जुलाई 2006 तक 93 लाख रूपए प्राप्त हो गए थे और ब्याज सहित 1.26 करोड़ रूपए,1.27 करोड़ रूपए के उपार्जित ब्याज को छोड़कर, अभी तक बकाया है ।

देयराशि के लिए समझौता किया गया जबकि पर्याप्त प्रतिभूतियां उपलब्ध थीं ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि निगम ने समझौते के दिनांक को 4.63 करोड़ रूपए मूल्य की वसूली योग्य स्थाई परिसम्पत्तियों की उपलब्धता के बावजूद,देय राशि का समझौता किया जिससे कि मुख्य प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का विशिष्ट उद्देश्य ही विफल हो गया । एकमुश्त भुगतान के पूर्व फर्म की प्रस्थिति एवं इसके कार्यपालन परिणामों का परीक्षण नही किया गया था । चूंकि सावधि ऋण की संस्वीकृति फर्म के आधुनिकीकरण/ विस्तार के लिए दी गई थी,तथापि एकमुश्त भुगतान की संस्वीकृति प्रचालनों के अल्पसाध्य स्तर, विनिर्माण क्षमता में अपर्याप्त एवं असंतुलन के आधार पर प्रदान की गई थी । इस प्रकार,एक मुश्त भुगतान अनपेक्षित एवं निगम के हित में नहीं था ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि चूंकि फर्म बन्द हो गई थी और इस्पात उद्योग में मन्दी चल रही थी इसलिए एक मुश्त भुगतान का अनुमोदन किया गया था । यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक मुश्त भुगतान का भी निर्णय अंतिम रूप से कर लिया गया था जबकि ऋणों की वसूली किए जाने के लिए वसूली योग्य मूल्य की प्रतिभूतियां ही पर्याप्त थीं ।

परिसम्पत्ति प्रबंधनः ऋणों का वर्गीकरण

3.1.33 राज्य वित्त निगम के मामले में,भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऋणों को उनकी वसूली की संभावना पर आधारित निम्नांकित चार वर्गो में वगीकृत किया था (मार्च 1994)

मानक परिसम्पत्तियां - जहां भुगतान नियमित हो ।

अवमानक परिसम्पत्तियां - जहां ऋण एवं ब्याज, छः माह से अधिक किन्तु दो वर्ष से कम समय तक देय बना रहे ।

संदेहास्पद परिसम्पत्तियां - जहां ऋण एवं ब्याज दो वर्ष से अधिक समय तक देय बना रहे ।

हानिप्रद परिसम्पत्तियां - जहां हानियों की पहचान कर ली गयी हो किन्तु वर्ष के अन्त तक अपलेखित नहीं किया गया हो ।

मानक परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य परिसम्पत्तियाँ,अनिष्पादक परिसम्पत्तियों के रूप में जानी जाती है ।

निम्नांकित सारणी में 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के लिए निगम के शुद्व बकाया ऋणों,उधारियों तथा अनिष्पादक परिसम्पत्तियों का व्यौरा दर्शाया गया है --

(राशिः करोड़ रूपयों में)

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
बकाया ऋण	384.71	390.28	393.92	306.03	309.52
अनिष्पादक परिसम्पत्तियाँ	170.40	199.99	224.66	194.84	140.38
बकाया न रहे ऋण	309.17	287.21	287.29	209.87	252.75
बकाया उधारियां	370.68	445.02	442.05	367.46	410.76
उधारियो तथा शुद्व बकाया ऋण के बीच अन्तर	61.51	157.81	154.76	157.59	158.01

क परिसम्पत्तियों से से,उधारियों पर बढ़ गयी ।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि निगम बकाया उधारियों,तथा शुद्व बकाया ऋणों के बीच के अंतर को मिटाने में असफल रहा,जो कि 2000-01 में 61.51 करोड़ रूपए से बढ़कर 2004-05 में 158.01 करोड़ रूपए हो गया था । इससे वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उधारियों पर निर्भरता बढ़ गयी और नये उद्यमियों को सहायता का विस्तार करने के लिए निगम की क्षमता प्रतिबंधित हुई ।

आतंरिक नियंत्रण/लेखा परीक्षा पद्धति

न की मात्रा के आतंरिक ा आनुपातिक ।

3.1.34 निगम द्वारा औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता के भुगतान से संबंधित आतंरिक नियंत्रण के पुनरीक्षण से प्रकट हुआ कि---

- निगम ने सहायता प्राप्त इकाईयों की बंधक रखी संपत्तियों के सावधि निरीक्षण के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं रखा था । साहयता प्राप्त इकाईयों की परिसम्पत्तियों का वितरण पश्चात निरीक्षण भी नहीं किया गया । यद्यपि मुख्यालय ने उचित क्रमसूची तैयार करने के निर्देश दिये थे (जून 2001),

तथापि उचित अभिलेख संधारित न किये जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

➢ निगम ने ऋण की स्वीकृति की शर्तो तथा अनुबधों के उल्लंघन में, साहयता प्राप्त इकाईयों के बोर्ड पर कोई नामांकित निदेशक नियुक्त नहीं किया । निगम द्वारा सहायता प्राप्त 2033 इकाइयों में से 31 मार्च 2005 तक, केवल 18 मामलों में नामांकित निदेशक नियुक्त किये गये थे । चूंकि नामांकित निदेशक, साहयता प्राप्त इकाई की व्यावहारिक स्थिति की अच्छी जानकारी रखते है, उनका प्रतिवेदन,निगम को अपने हित में सुरक्षित रहने के लिए समयबद्व कार्यवाही करने हेतु सक्षम बनाने में लाभकारी सिद्ध हो सकता था ।

आतंरिक लेखापरीक्षा

3.1.35 1995 में निर्मित निगम के आतंरिक लेखापरीक्षा शाखा का प्रमुख एक उप महाप्रबधक होता है । आतंरिकलेखा परीक्षा संचालित करने के लिए इस शाखा में बिना सहायक कर्मचारियों के केवल एक सहायक प्रबंधक है । निगम ने 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए पांच वर्षो के दौरान आतंरिक लेखापरीक्षा शाखा में कर्मचारियों के कर्तव्य तथा जिम्मेंदारियों, लेखापरीक्षा योजना तथा क्रियान्वयन की गई जांचों की प्रतिशतता, लेखापरीक्षा टिप्पणियों क्षेत्रों/ गतिविधियों के परिवेष्ठन का दायरा तथा उनके अनुपालन के ब्यौरे नहीं भेजे ।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने का वचन दिया था ।

उपसंहार

राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के मामले में निगम के क्रियाकलापों में लक्ष्य एवं दिशा,दोनों का अभाव था । निगम ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई दीर्घावधि/अल्पावधि वित्तीय नीति तैयार नहीं की थी । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो,भौगोलिक क्षेत्रों तथा विभिन्न् आकार के उद्योगों के बीच ऋण का प्रसार असंतुलित रहा ।

कम मूल्यांकन, अपने ही दिशा-निर्देशों से विचलन के कारण निगम का कार्य निष्पादन दुष्प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप असाध्य, अपात्र इकाइयों,संदेहास्पद साख विश्वसनीयता वाले प्रवर्तकों को पर्याप्त प्रतिभूति के बिना ही और अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का विमोचन करने के लिए ऋण दे दिया गया । इन सभी कमियों के परिणामस्वरूप देय धन की कम वसूली हुई जबकि एक मुश्त भुगतान वाले प्रस्ताव भी दिए गए थे । पुराने तथा चालू देय धन की वसूली के लिए अलग लक्ष्यों का निर्धारण नही होने के कारण प्रयासों को केंद्रित करने हेतु पर्याप्त प्रतिभूतियों के होने

के बावजूद कार्यवाही न करने के कारण भी देय धन की वसूली भी अनुकूलतम नही रही । परिणामस्वरूप अनिष्पादक परिसम्पत्तियां 24 प्रतिशत तक अधिक थीं ।

अनुशंसाएं

निगम को चाहिए कि:-

- संतुलित औद्योगिक विकास प्राप्त करने के लिए अल्पावधि/ दीर्घावधि वित्तीय नीति तैयार करें ।
- उधारग्रहीताओं द्वारा भुगतान में चूक का जोखिम कम करने के लिए अपनी परियोजना मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ करें ।
- देयधन की समय पर तथा त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के लिए सहायित इकाइयों का परिवीक्षण करें
- राज्य वित्त निगम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत त्वरित वसूली कार्यवाही के लिए तंत्र का सृजन करें ।

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की सामग्री की अधिप्राप्ति एवं पारेषण तथा वितरण योजनाओं का कार्यान्वयन

मुख्यांश

67.45 करोड़ रूपए मूल्य की पारेषण/उप पारेषण सामग्री तथा 27.32 करोड़ रूपए मूल्य की वितरण सामग्री की अग्रिम प्राप्ति के परिणाम स्वरूप 94.67 करोड रूपए की कुल निधियां अवरूद्ध हो गयीं ।

(कंडिकाएं 3.2.14 एवं 3.2.17)

एक ही निविदा के विभिन्न पैकेज के अंतर्गत सामग्री के एक समान मदों के लिए विभिन्न दरों पर आदेश जारी करने के कारण बोर्ड को 2.81 करोड रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

(कंडिका 3.2.15)

बोर्ड ने 93 लाख रूपए परिनिर्धारित नुकसानी अधिरोपित किये बिना चूककर्ता आपूर्तिकर्ताओ को माल प्रदाय की अवधि बढ़ा दी ।

(कंडिकाए 3.2.10 एवं 3.2.11)

संचालकों की प्राप्ति में अनुचित योजना के परिणामस्वरूप सामग्री की अधिक प्राप्ति हुई एवं 3.91 करोड़ रूपए की निधियाँ दो वर्षो के लिए अवरूद्ध हो गयी तथा इसके फलस्वरूप 82.11 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई ।

(कंडिका 3.2.9)

विभिन्न 220/132 के.वी. लाइनों/उप-स्टेशनों के कमीशन में विलम्ब के कारण बोर्ड उप पारेषण हानि को कम करने में परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं कर सका ।

(कंडिका 3.2.13)

प्रस्तावना

3.2.1 भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के बीच,राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्निर्माण तथा पुर्नगठन के लिए मई 2000 में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे । सहमति पत्र के अनुसार मध्यप्रदेश शासन राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समयबद्ध पुनर्गठन के लिए एक कुशल, आर्थिक रूप से साध्य तथा प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा प्रदाय

तंत्र का उन्नयन करने तथा विकसित करने के लिए वचनबद्ध था जो कि प्रतिस्पर्धात्मक, मूल्यों पर विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा प्रदाय करने और राज्य में औद्योगिक विकास को सहयोग करेगा ।

तदनुसार राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के लिए मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (सुधार अधिनयम) का अधिनियमन किया गया था । सुधार अधिनियम के अनुपालन के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक उत्पादक कंपनी, एक पारेषण कंपनी तथा तीन वितरण कंपनियाँ[30] शामिल की गयी थी। इन कंपनियों ने जुलाई 2002 से मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल (बोर्ड) के साथ संचालन तथा संधारण समझौते के अंतर्गत कार्य आरम्भ कर दिया । प्रत्येक कंपनी का प्रमुख एक अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक होता है । अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के सहायक संबंधित कंपनी के मुख्य अभियंता होते हैं ।

मध्यप्रदेश सरकार ने विभिन्न सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एशियन विकास बैंक के माध्यम से निधियों की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया था । एशियन विकास बैंक भारत सरकार के माध्यम से बोर्ड को 350 मिलियन यू एस डालर तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ । तदनुसार,मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र विकास परियोजना के लिए ऋण अनुबंध पर भारत सरकार तथा एशियन विकास बैंक के बीच हस्ताक्षर हुए (मार्च 2002) । ऋण राशि (350 मिलियन यू एस डालर) में से 150 मिलियन यू एस डालर नीतिगत घटकों के लिए और 200 मिलियन यू एस डालर परियोजना घटकों के लिए रखे गये थे ।

ऋण के नीतिगत घटक वाला हिस्सा भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश सरकार को और फिर उसे एकमुश्त अनुदान के रूप में शासकीय विभागों,नगर निगमों इत्यादि के बोर्ड द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु बकायाओं के प्रति अग्रेषित किया जाना था । परियोजना घटको के लिए रखे गये 200 मिलियन यू एस डालर की शेष राशि को पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाना था । ऋण अनुबंध के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन में शामिल, अनुमोदित योजना लागत का 63 प्रतिशत हिस्सा एशियन विकास बैंक द्वारा दिया जाना था और 37 प्रतिशत हिस्सा योजनाओं को स्थापित करने तथा कार्यान्वियन करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार/मध्य प्रदेश राज्य विधुत मण्डल द्वारा वहन किया जाना था । परियोजना के मुख्य उद्देश्य थेः- (i) विद्युत प्रदाय की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार करना, सुदृढ़ीकरण,संचारण एवं वितरण पद्वति के आधुनिकीकरण एवं पुनर्वास से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना । (ii) कम्प्यूटरीकृत सूचना तथा राजस्व प्रबंधन तंत्र आरंभ करना । (iii)मीटर लगाना ।

[30] *मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादन कंपनी, जबलपुर,मध्यप्रदेश ऊर्जा संचारण कंपनी, जबलपुर,मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर,मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर,मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी,भोपाल।*

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2.2 दिसम्बर 2005 से मई 2006 के दौरान की गई वर्तमान समीक्षा में,मार्च 2006 को समाप्त हुए पांच वर्षो के दौरान एशियन विकास बैंक से उपलब्ध निधियों से बोर्ड द्वारा माल की प्राप्ति तथा पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं तथा ऊर्जा क्षेत्र, में सुधार परियोजनाओं का क्रियान्वयन सम्मिलित है । लेखापरीक्षा समीक्षा, बोर्ड के मुख्यालय पर,पांच में से दो[31] विद्युत कंपनियों,नौ में से सात[32] मुख्य अभियंता कार्यालयों, 11 में से चार[33] अधीक्षण यंत्री कार्यालयों, 14 में से दो[34] वितरण क्षेत्र भण्डार तथा तीन में से दो[35]संचारण क्षेत्र भण्डारों पर अभिलेणों के परीक्षण के माध्यम से की गयी थी तथा इनका चयन शुरू की गयी योजनाओं की संख्या/ किये गये व्यय के आधार पर किया गया था ।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.2.3 निष्पादन लेखा परीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गयी थी कि:--

- क्या यह योजनाऐं सावधानीपूर्वक रूपांकित की गई थीं,तथा समग्र अनुसार क्रियांवित की गई जिससे कि लक्षित लाभों की प्राप्ति हो सके ।
- क्या विभिन्न अधिप्राप्ति गतिविधियां भली प्रकार से समन्वित कर ली गई थीं तथा निधियां अवरूद्ध तो नहीं थीं ।
- क्या सामग्री की अधिप्राप्ति में विलम्ब को कम करने के लिए, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा अधिप्राप्ति में अतिरिक्त अधिक व्यय का परिहार करने के लिए कोई उपयुक्त प्रक्रिया विद्यमान थी ।
- क्या निविदा से संबंधित निबंधन व शर्तों को सावधानीपूर्वक बनाया गया था जिससे, कि मण्डल के हितों का बचाव हो सके तथा वित्त उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी को भी मान्य थीं ।

[31] *एमपीपीटी कंपनी लि. जबलपुर (नोडल एजेन्सी) तथा एम पी पी के वीवी. कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।*

[32] *मुख्य अभियंता (i) संचारण (ii) योजना (iii) भण्डारण एवं क्रय (iv) ई एचटी सी एण्ड एम. (v) ओ एण्ड एम (vi)परीक्षण एवं (vii) पावर सिस्टम, जबलपुर*

[33] *ई.एच.टी.इन्दौर में अधीक्षण यंत्री का कार्यालय,परीक्षण इन्दौर, ई.एच.टी.भोपाल परीक्षण भोपाल ।*

[34] *भोपाल तथा ग्वालियर में क्षेत्रीय भंडार ।*

[35] *इन्दौर तथा सागर में संचारण क्षेत्र भण्डार*

लेखापरीक्षा के मानदण्ड

3.2.4 निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निम्नांकित लेखापरीक्षा मानदण्ड अपनाए गए थे:-

- समझौता ज्ञापन-पत्र में निहित निबंधन और शर्तें
- मध्यप्रदेश सरकार के निबंधन और शर्तें तथा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशनिर्देश निबंधन ।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट स्थिर बिन्दुओं और इसके कार्यान्वयन हेतु निर्धारित अनुसूची ।
- संविदाएं देने के लिए निर्धारित नियम, मंडल के विभिन्न विभागों के बीच गतिविधियों का सामंजस्य ।

लेखापरीक्षा पद्धति

3.2.5 लेखापरीक्षा निम्नांकित परियोजनाओं/योजनाओं से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से की गई थी:--

- विभिन्न योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन,
- सामग्री की अधिप्राप्ति एवं योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेख,
- निविदाओं को जारी करना निविदाओं का क्रम-विकास तथा आदेश प्रसारित करना ।
- प्रबन्धन के साथ मेंल प्रक्रिया

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष 3 अगस्त 2006 को सरकार/प्रबंधन को सूचित किये गये थे और 20 सितम्बर 2006 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गयी जिसमें अपर सचिव, ऊर्जा विभाग ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया एवं अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक ने पारेषण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था । समीक्षा को शासन/प्रबंधन के विचारों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया था ।

3.2.6 एशियन विकास बैंक से निधियां प्राप्त परियोजना के अंतर्गत, पारेषण तथा उप पारेषण कार्यों एवं वितरण कार्य जैसे कि 15,849 ट्रान्सफार्मर स्थापित करना तथा विभिन्न दरों वाली 7,687 कि.मी. निम्न दाब लाइने डालने की 120 योजनाएं अनुमोदित की गयी थी (जुलाई 2001) और 200 मिलियन यू एस डालर की राशि का वित्तीय ऋण स्वीकृत किया गया था (मार्च 2002) । पारेषण उप पारेषण एवं वितरण की सभी योजनाएं दिसम्बर 2005 तक पूरी होनी निर्धारित थी । लेखापरीक्षा जांच से यह प्रकट हुआ कि बोर्ड अपने अनुचित नियोजन, समन्वय की कमी, संविदा प्रबंधन में कमी तथा परिहार्य विलम्ब के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा,जैसी कि आगामी कांडिकाओं में चर्चा की गयी है ।

परियोजना का वित्तीय प्रबंध

3.2.7 ऊर्जा क्षेत्र सुधार परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एशियन विकास बैंक ने सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु 200 मिलियन यू एस डालर स्वीकृत किये थे और बोर्ड ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऊर्जा वित्त निगम के माध्यम से (173.40 करोड़ रूपए) और अपने स्वयं के संसाधनों से शेष राशि की व्यवस्था की थी । अक्टूबर 2004 में एशियन विकास बैंक ने अतिरिक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 54 मिलियन यू एस डालर अनुमोदित किये । बोर्ड ने अपनी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में मार्च 2006 तक 145.09 मिलियन यू एस डॉलर खर्च किये । बोर्ड को योजनाएं प्राथमिक रूप से पूर्ण करने में सक्षम बनाने के लिए, एशियन विकास बैंक द्वारा ऋण की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर 2006 तक बढ़ा दी गयी ।

पारेषण निर्माण कार्य

भौतिक निष्पादन

3.2.8 जुलाई 2006 तक परियोजना के अंतर्गत लिये गये पारेषण निर्माण कार्यों की प्रगति निम्नांकित सारणी में दी गयी है: -

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	कुल स्वीकृत निर्माण कार्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1.	अतिरिक्त 400 केवी ट्रान्सफार्मर	3	3	100
2.	अतिरिक्त 220 केवी ट्रान्सफॉर्मर	5	5	100
3.	220 के वी के नये उप-स्टेशन	9	7	78
4.	132 के वी के नये उप-स्टेशन	38	32	84
5.	132 के वी के ट्रांसफार्मर की वृद्धि/आवर्धन	75	73	97
6.	220 के.वी. लाइनें	1208.98 किमी.	345.23 किमी.	29
7.	132 के वी लाइनें	1231.77 किमी.	849.39 किमी.	69

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि, बोर्ड को अभी भी जबकि समय से 6 महीने ऊपर हो चुके थे 220 केवी.की लाइनें डालने का 71 प्रतिशत कार्य, 132 के.वी.

की लाइनों का 31 प्रतिशत और 220 के.वी. के नये उप स्टेशन स्थापित करने का 22 प्रतिशत कार्य पूरा करना है इस देरी के परिणामस्वरूप परियोजना से होने वाले लाभों की प्राप्ति नहीं हो सकी ।

पारेषण निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान पाई गयी अनियमितताएं नीचे दी गई हैः

संवाहकों (कंडक्टर्स) की अधिक मात्रा में अधिप्राप्ति 3.91 करोड़ रूपए

आवश्यकता से अधिक मात्रा में संवाहकों की अधिप्राप्ति से 3.91 करोड़ रूपए की निधियां अवरूद्ध हुई फलतः 82.11 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई ।

3.2.9 220 के.वी. लाइनों के लिए 951 कि.मी. जेबरा संवाहकों तथा 132 के.वी. लाइनों के लिए 2,086 कि.मी. पेन्थर संवाहकों की आवश्यकता के विरूद्ध बोर्ड ने फरवरी 2003 और दिसम्बर 2003 के बीच 1,050 कि.मी. जेबरा संवाहक तथा 2,575 कि.मी पैन्थर संवाहक खरीदे । इस प्रकार, 1.07 करोड़ रूपए मूल्य के 99 कि.मी. जेबरा संवाहकों तथा 2.84 करोड़ रूपए मूल्य के 489 कि.मी. पैन्थर संवाहको का क्रय आवश्यकता से अधिक मात्रा में किया गया था

बोर्ड ने बताया (अप्रैल 2006) कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीदे गये 99 कि.मी. जेबरा संवाहकों तथा 489 कि.मी. पैन्थर संवाहकों का उपयोग अक्टूबर 2004 में एशियन विकास बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य योजना के लिए किया गया था । यह उत्तर इस दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है कि अधिक मात्रा में संवाहक दिसम्बर 2003 से दिसम्बर 2005 तक अनुपयोगी पड़े रहे जिसके परिणामस्वरूप 3.91 करोड़ रूपये की निधि अवरूद्ध हुई और फलतः 10.5 प्रतिशत[36] की दर से 82.11 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई ।

लिक्विडेटेड डेमेंज्स अधिरोपित नहीं करना

3.2.10 बोर्ड ने 30 मई 2003 को प्रतिपादन की अंतिम तारीख के साथ कुल 2.78 करोड़ रूपए मूल्य कें विशिष्टियों के 690 कि.मी. कॉपर कंट्रोल तथा अल्यूमिनियम विद्युत तार प्रदाय करने के लिए गोयदन फाइबर्स (इन्डिया) प्रा.लि. दमन, के साथ संविदा अनुबंधक किया (दिसम्बर 2002) । संविदा की शर्तों के अनुसार, अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 28 दिन के अंदर आपूर्तिकर्ता को राशि के 10 प्रतिशत, 27.80 लाख रूपए का अग्रिम भुगतान किया जाना था । चूंकि फर्म को किया गया अग्रिम भुगतान एक लाख यू एस डालर से कम था अतः एशियन विकास बैंक ने बोर्ड को परामर्श दिया कि वह भुगतान कर दे और एशियन विकास बैंक से प्रतिपूर्ति प्राप्त करे ले । बोर्ड ने देय तिथि से छः माह से अधिक विलम्ब के बाद 5 अगस्त 2003 को अग्रिम भुगतान जारी कर दिया ।

[36] *एडीबी ऋण के ब्याज की दर ।*

27.80 लाख रूपए की लिक्विडेटेड डैमेंज्स अधिरोपित न किया जाना तथा मूलय भिन्नता के कारण 12.08 लाख रूपए का परिहार्य व्यय ।

बोर्ड ने आपूर्ति अनुसूची को 8 दिसम्बर 2003 तक अर्थात अग्रिम के भुगतान में विलम्ब के बराबर अवधि के लिए बढ़ा दिया और मूल्य भिन्नता मान्य कर ली । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 31 दिसम्बर 2003 तक केवल 283 कि.मी. तार की आपूर्ति की गई थी । फर्म को पुनः 31 जुलाई 2004 तक की समयवृद्धि दे दी गयी । इन दो समयवृद्वियों के बावजूद, संविदाकार 80 कि.मी. तार को छोड़ते हुये सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति करने में असफल रहा । बोर्ड ने इस विलम्ब को एक प्रधान शक्ति (फोर्स मेंजोयर) के रूप में समझा और संविदाकार पर 27.80 लाख (2.78 करोड़ रूपए का 10 प्रतिशत) रूपए की राशि की लिक्विडेटेड डैमेंज्स अधिरोपित नहीं की । वैसे भी पहली समयवृद्वि की अवधि के दौरान मूल्य भिन्नता के कारण फर्म को 12.08 लाख रूपए का भुगतान किया गया । इस प्रकार अग्रिम के भुगतान में बोर्ड की चूक के कारण बढ़ाई हुई अवधि के लिए मूल्य भिन्नता मान्य कर ली गयी जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड को 39.88 लाख रूपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय करना पड़ा ।

बोर्ड ने बताया (अप्रैल 2006) कि मूल्य भिन्नता के साथ पहली समयवृद्वि अग्रिम भुगतान जारी करने में विलम्ब के आधार पर दी गयी थी जबकि बिना मूल्य भिन्नता के दूसरी समयवृद्वि इस आधार पर दीं गयी थी कि फर्म ने संविदा पूरी कर ली थी और अनेक वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद आपूर्ति पूर्ण कर दी थी तथा उनके द्वारा बड़ी हानि होना सूचित किया गया था । यह उत्तर इस दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है कि पूर्वोक्त कारण प्रधान शक्ति (फोर्स मेंजोयर) के लिए आधार नहीं बनते और दी गयी समयवृद्वि तर्कसंगत नहीं है ।

प्रदान अवधि की अनुचित वृद्वि

3.2.11 तीन क्रय आदेशों की जांच से प्रकट हुआ कि प्रदान अवधि में वृद्वि इसलिए की गयी थी क्योंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 28 दिनों के अन्दर फर्म को अग्रिम भुगतान नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे विवरण दिया है:

आपूर्तिकर्ता/फर्म का नाम/मद का नाम (टी.आर.क्रमांक)	अग्रिम के भुगतान मेंविलम्ब (सप्ताह)	अग्रिम की राशि (रू.लाख में)	आपूर्ति की निर्धारित तारीख	आपूर्ति में विलम्ब की अवधि(सप्ताह)	वृद्वि की अवधि (सप्ताह)	दावा नहीं की गयी लिक्विडेटेड डैमेंज्स (रू.लाख में)
वेन्सन इलेक्ट्रिक प्रा.लि. बैंगलोर कन्ट्रोल एवं रिलेपेनल्स(टी.आर.04)	32	41.00	जून 03 से सितम्बर 03	24	28	42.00

प्रदाय अवधि में अनुचित वृद्धि से 65 लाख रूपए की लिक्विडेटेड डैमेंज्स की वसूली न होना ।

एरिटेक लि., कोलकाता लाइनों तथा उप स्टेशनों के लिए हार्डवेयर तथा साजसजक (टी.आर. 17)	20	19.00	फरवरी 03 से जुलाई 03	34	32	19.00
एक्रोट्रान्स सिकन्दराबाद-33 केवी सीटी तथा पी.टी. (टी. आर 03)	11	8.98	अप्रैल 03 से नवम्बर 03	43	40	4.00
योग						**65.00**

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि आपूर्तिकर्ता को 32 सप्ताह,20 सप्ताह तथा 11 सप्ताह के विलम्ब के बाद क्रमशः 41 लाख,19 लाख एवं 8.98 लाख रूपए का अग्रिम भुगतान किया गया था । यद्यपि सामग्री क्रमशः 28 सप्ताह,32 सप्ताह एवं 40 सप्ताह के विलम्ब के बाद प्रदाय की गयी थी तथापि बोर्ड ने समय वृद्धि देते हुए आपूर्ति में विलम्ब को नियमित कर दिया और 65 लाख रूपए की राशि को परिनिर्धारित नुकसानी वसूल नहीं की ।

एशियन विकास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार,एशियन विकास बैंक द्वारा भुगतान तभी जारी किया जाना था जब पहले बिल की राशि और 10 प्रतिशत अग्रिम को साथ जोड़ने पर एक लाख यू एस डालर के बराबर या उससे अधिक राशि हो । यदि बोर्ड भुगतान संबंधी शर्तो को भली प्रकार से संविदाओं में समाविष्ट करता तो भुगतान में हुई देरी के कारण मिली समयवृद्धि को टाला जा सकता था ।

बोर्ड ने बताया (अप्रैल 2006) कि निधियों की तंगी के कारण उसके अपने संसाधनों से अग्रिम का भुगतान नहीं किया जा सका । यह उत्तर इस दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है कि एक लाख यू एस डालर से कम की बोली के लिए के लिए अग्रिम भुगतान को शामिल करना एशियन विकास बैंक के दिशा-निर्देशों कें अनिवार्य नहीं था ।

एम एस फ्लेट्स की अधिप्राप्ति पर अधिक व्यय 53.75 लाख रूपए

3.2.12 बोर्ड ने उप-स्टेशन स्विचयार्ड ढांचे तथा एम एस फ्लेटस के दो पैकेज,यथा पैकेज-I उप-स्टेशन स्विचयार्ड ढांचे 2300,एम एस फ्लेट 600 तथा पैकेज-II उप-स्टेशन स्विचयार्ड ढाचे -2600 प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित की थी (मई 2002)।

पैकेज-I के लिए बोली के मूल्यांकन (30 सितम्बर 2002) से प्रकट हुआ कि उपस्टेशन स्विचयार्ड ढांचे के लिए प्राप्त दरें,घरेलू निविदाओं के अंतर्गत प्राप्त दरों (जुलाई 2002) की तुलना में 3.2 प्रतिशत अधिक थी और एम एस फ्लेट की दरें 64 प्रतिशत अधिक थी । एम एस फ्लेट को प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती जबकि उप-स्टेशन स्विचयार्ड ढांचे को स्टील सेक्शन के प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है,अतः स्विचयार्ड ढाँचे का मूल्य सदैव एमएस फ्लेट के मूल्य से अधिक रहता है । इस तथ्य की

जानकारी मिलने पर बोर्ड ने इस पैकेज (पैकेज-I) को दो अलग पैकेजों में,एक उप-स्टेशन स्विचयार्ड ढांचे तथा दूसरा एम एस फ्लेट, में भंग करके इस बोली को निरस्त कर पुनः बोली लगाने के आमंत्रण के लिए एशियन विकास बैंक से अनुमति मांगी थी । एशियन विकास बैंक द्वारा अनुमति से इन्कार कर दिया गया परन्तु एम एस फ्लेट की मात्रा केवल 10 प्रतिशत तक कम करना स्वीकार कर लिया ।

एम एस फ्लेट की अधिप्राप्ति पर 53.75 रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

अंततः बोर्ड को एम एस फ्लेट के 540 एम टी (90 प्रतिशत) की आपूर्ति हेतु घरेलू निविदा (जुलाई 2002) में प्राप्त प्रति एम टी 14,856 रूपए के विरूद्ध एशियन विकास बैंक की निविदा प्रति एम टी 24,810 रूपए पर आपूर्ति करनी पड़ी । इस प्रकार बोली को अनुचित रूप देने के परिणामस्वरूप एम एस फ्लेट की अधिप्राप्ति पर 53.75 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

बोर्ड ने बताया (सितम्बर 2006) कि एशियन विकास बैंक ने सामग्री के पुनः संरूप के लिए उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया था । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड को एशियन विकास बैंक की शर्तों की पूर्ण जानकारी रखते हुए अलग अलग मदों के लिए अलग अलग बोली आमंत्रित करनी चाहिए थी ।

टावर पार्टस की आपूर्ति में विलम्ब और परिणामतः पारेषण लाइन के इरेक्शन/कमिशनिंग में विलम्ब

टावर पार्टस की आपूर्ति में विलम्ब तथा परिणामतः पारेषण लाइनों के इरेक्शन/कमिशनिंग में विलम्ब के कारण बोर्ड परकलित लाभों से वंचित रहा ।

3.2.13 बोर्ड ने ज्योति स्ट्रक्चर (220 के वी),आर पी जी तथा एल एण्ड टी (132 के वी) को 12,497 एम टी (2,617 एम टी-220 के वी, 9,880 एम टी-132 के.वी.) फब्रिकेटेड गेलवेनाइज्ड टावर पार्ट्स की अधिप्राप्ति हेतु आदेश जारी किए थे (अप्रैल 2003) । संविदा की शर्तों के अनुसार टावर पार्ट्स का प्रतिपादन जून 2003 से आरम्भ होकर दिसम्बर 2003 तक पूरा हो जाना था । पूर्णता की निर्धारित दिनांक तक ज्योति ने अपने आदेशों के अनुसार 22.64 प्रतिशत, आर पी.जी. ने 9.62 प्रतिशत और एल एण्ड टी ने 74.86 प्रतिशत की आपूर्ति की । यद्यपि बोर्ड ने बिना कारण बताए केवल ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को समयवृद्धि प्रदान की और संविदा के अनुसार लिक्विडेटेड डैमेंज्स अधिरोपित नहीं की । टावर पार्ट्स की आपूर्ति में विलम्ब ने, नवम्बर 2003 तथा जनवरी 2004 के बीच पूरे होने वाले चार[37] 132 के.वी लाइनों के निर्धारित कमीशनिंग को दुष्प्रभावित किया । लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि चार लाइनें 11 से 18 माह तक के विलम्ब के बाद पूरी हो सकी थीं, जिसका विवरण नीच दिया गया है:

[37] *कुक्षी-अलीराजपुर डी सी एस एस लाइन, मेंहगांव-रोन डी सी एस एस लाइन, नीमच-रतनगढ़ डी सी एस एस लाइन और सागर-गौरझमर डी सी एस एस लाइन ।*

132 के वी लाइन का नाम	एशियन विकास बैंक से निधिप्राप्त योजना के अंतर्गत आयोजित लक्ष्य के पूर्ण होने का दिनांक	पूर्ण होने का वास्तविक दिनांक	महीनों में विलम्ब की अवधि
कुक्षी-अलीराजपुर डी सी एस एस लाइन अलीराजपुर के लिए	अक्टूबर 2003	अप्रैल 2005	18
मेंहगांव रौन डी सी एस एस लाइन रौन के लिए	नवम्बर 2003	अप्रैल 2005	18
नीमच-रतनगढ़ डी सी एस एस लाइन	नवम्बर 2003	सितम्बर 2004	11
सागर गौर झामर डी सी एस एस लाइन गौर झामर के लिए	जनवरी 2004	दिसम्बर 2004	12

इस प्रकार उपरोक्त लाइनों के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण बोर्ड उप पारेषण हानियों को कम करने के परिकल्पित लाभों को प्राप्त नहीं कर सका ।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2006) कि एशियन विकास बैंक के निर्माण कार्यो की पूर्णता के लिए निर्धारित तिथि दिसम्बर 2006 तक बढ़ा दी गयी थी और इस प्रकार कोई उप पारेषण हानि नहीं हुई। लाइनों के निर्माण में विलम्ब की अवधि के कारण परिकल्पित लाभ भी लंबित हो गए ।

सामग्री की अग्रिम अधिप्राप्ति

उप स्टेशनों के लिए पारेषण/उप पारेषण सामग्री की अधिप्राप्ति

3.2.14 400/200/132 के वी के उप-स्टेशनों के निर्माण तथा क्षमता बढ़ाने के लिए बोर्ड ने 436.54 करोड़ रूपए मूल्य की विभिन्न योजनाएं शुरू की थीं ।

बोर्ड द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न उप-स्टेशनों में स्थापित किए जाने हेतु कुल 23.96 करोड़ रूपए की लागत पर पाँच पैकेजों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के सर्किट ब्रेकर्स की समग्र आवश्यकता पूरी करने हेतु क्रय आदेश जारी किए गए थे । (नवम्बर 2002)

ये सर्किट ब्रेकर्स उप-स्टेशनों के चार्ज पूर्ण होने से दो के तीन माह पहले उप- स्टेशनों पर लगाये जाते हैं । क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार,सामग्री का प्रतिपादन मई 2003 से आरम्भ होकर अगस्त 2003 तक पूरा किया जाना था ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बोर्ड ने अक्टूबर 2003 तक 23.96 करोड़ रूपये मूल्य के सर्किट ब्रेकर्स की पूरी मात्रा अधिप्राप्त कर ली थी । जब कि अधिकांश उप-स्टेशनों (106 में से 100) का निर्माण कार्य मार्च 2004 तथा जुलाई 2005 के बीच पूरा हुआ था । इस तरह अग्रिम अधिप्राप्ति (जरूरत से 24 महीने पूर्व) के परिणामस्वरूप 23.96 करोड़ रूपए का माल अवरूद्ध हुआ ।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि उपकरणों की अधिप्राप्ति तथा कमिशनिंग में कोई सामंजस्य नहीं था । नियंत्रण तथा रिले पेनल,सी टी/पी टी इकाई,आईसोलेटर्स,पी एल सी सी उपकरण, उप स्टेशन स्विचयार्ड ढांचे जरूरत से 24 माह तक की अवधि पहले ही प्राप्त कर लिये गये थे, इसके साथ ही लाइटनिंग अरेस्टर्स को चालू करने में 20 माह का (प्रतिष्ठापना के लिए तीन माह छोड़ते हुए) का विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप मण्डल की रू. 43.49 करोड़ की सामग्री अवरूद्ध रही । ***(परिशिष्ट-17)***

इस तरह उप-स्टेशनों के लिए निष्पादन अनुक्रम के अनुसार योजना की कमी तथा विभिन्न सामग्रियों की अधिप्राप्ति में समन्वय का अभाव होने के परिणामस्वरूप 67.45 करोड़ रूपए की निधियां अवरूद्ध हो गई ।

बोर्ड ने बताया (सितम्बर 2006) कि परियोजनाओ के पूर्ण होने की निर्धारित दिनांको के आधार पर अधिप्राप्ति की गई थी और सर्किट ब्रेकर्स परियोजना के चालू होने से पूर्व अग्रिम प्राप्त किये जाने थे । साथ ही बोर्ड ने सर्किट ब्रेकर्स की प्राप्ति तथा आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के बीच 5 माह के अन्तराल का भी संकेत दिया था ।

यह उत्तर स्वीकार्य करने योग्य नहीं है क्योंकि सर्किट ब्रेकर्स तथा कंट्रोल रिलैपैनल, टावर पार्ट तथा स्टील ढांचे की अधिप्राप्ति से बहुत पहले ही आदेशित/अधिप्राप्त कर लिये गये थे जो कि निष्पादन अनुक्रम विचलन था ।

एशियन विकास बैंक की दोषपूर्ण शर्तों के कारण हानि

एक ही निविदा के विभिन्न पैकेजों में विभिन्न दरों पर समान मदों के लिए आदेश जारी करने के कारण 2.81 करोड़ रूपए का अतरिक्त व्यय ।

3.2.15 लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि बोर्ड ने एक ही निविदा के विभिन्न पैकेजों में विभिन्न दरों पर सामग्री की समान मदों की अधिप्राप्ति की थी ।

एक ही निविदा की विभिन्न दरों पर समान मदों की अधिप्राप्ति के कारण बोर्ड को 2.81 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

एक ही निविदा के विभिन्न पैकेजों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अधिप्राप्त समान मदों की दरों में अंतर को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र ***परिशिष्ट-18*** में दिया गया है । विभिन्न दरों पर समान सामग्री की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप बोर्ड को 2.81 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

बोर्ड ने बताया (फरवरी 2006) कि अधिक मात्रा की आवश्यकता एवं आपूर्तिकर्ता की विनिर्माण क्षमता के आधार पर एक से अधिक पैकेज के अंतर्गत सामग्री की अधिप्राप्ति पर विचार किया गया था (एशियन विकास बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद) जिससे कि निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री का प्रतिपादन प्राप्त किया जा सके ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि एक ही दर/तकनीकी विशिष्टताओं की सामग्री की अधिप्राप्ति विभिन्न पैकेजों के अंतर्गत की जा सकती थी, न कि विभिन्न दरों पर ।

भौतिक निष्पादन

3.2.16 जुलाई 2006 तक के वितरण निर्माण कार्यों की भौतिक पूर्णता की प्रस्थिति को निम्नांकित सारणी में दिया गया है:

क्रम संख्या	कार्यकलाप	कुल संस्वीकृत निर्माण कार्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
1.	नये 33/11 के वी. उप स्टेशन			
	5 एम वी ए ट्रान्सफार्मर	54	37	69
	3.15 एम वी ए ट्रान्सफार्मर	194	103	53
	1.6 एम वी ए ट्रान्सफार्मर	34	5	15
	योग	282	145	51
2.	नये वितरण ट्रान्सफार्मर	15354	9577	62
3.	33/11 के वी उप स्टेशनों में बढ़े हुये/अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर	213	182	85
4.	33 के वी लाइने तथा रीकंडक्टरिंग	3424 किमी.	1521	44
5.	11 के वी लाइने तथा रीकंडक्टरिंग	3427 किमी.	1852	54
6.	एल टी. लाइनें तथा रीकंडक्टरिंग	836 किमी.	216	26

उपरोक्त से यह देखा जा सकता था कि:-

बोर्ड ने 282, 33/11 के वी के नये उप-स्टेशनों एवं 15,354 स्टेशनों की संख्या के प्रावधानों के विरूद्व क्रमशः145 11/0.4 के वी के 9,577 उप-स्टेशन चालू किये जो कि नियोजित उप स्टेशनों के क्रमशः 51 एवं 62 प्रतिशत को दर्शाते हैं ।

कार्य की प्रगति धीमी थी ।

परियोजना के अंतर्गत 33 के वी की 3,424 कि.मी., 11 केवी. की 3,427 किमी., तथा एल टी की 836 किमी. नई लाइनों तथा लाइनों की रीकंडक्टरिंग को क्रमशः पूरा किया जाना था । इसके विरूद्व बोर्ड द्वारा जुलाई 2006 तक 33 के वी की 1,521 कि.मी. 11 के वी. की 1,852 कि.मी. तथा 216 कि.मी. एल टी लाइनें पूरी की गयी थीं, जो कि नियोजित कार्य की क्रमशः44,54 तथा 26 प्रतिशत को दर्शाती है ।

वितरण निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में पायी गयी कुछ अनियमितताओं पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गयी है:

वितरण निर्माण कार्यों के लिए सामग्री की अग्रिम अधिप्राप्ति

3.2.17 राज्य में विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बोर्ड ने अप्रैल 2003, नवम्बर 2003, फरवरी/मार्च 2004 एवं सितम्बर/अक्टूबर 2004 में विभिन्न निविदाओं के अंतर्गत क्रमशः 1,477 कि.मी. आरमर्ड केबल (15.56 करोड़ रूपये) 18,999 एम टी स्टील सपोर्टस एवं स्ट्रकचर्स (39.24 करोड़ रूपय) तथा 11 के वी/33 के वी के 1,614 सर्किट ब्रेकर्स (22.39 करोड़ रूपये) अधिप्राप्त किये थे ।

सामग्री का उपयोग न किये जाने के परिणाम-स्वरूप 27.22 करोड रूपए की निधियां अवरूद्ध हुई ।

लेखापरीक्षा समीक्षा में प्रकट हुआ है कि वितरण निर्माण कार्य के कार्यान्वयन के लिए अनुपयुक्त योजना के कारण जो कि विभाग द्वारा तैयार की जानी थी, बोर्ड दिसम्बर 2005 तक केवल 801 कि.मी. आरमर्ड केबल, 1,037 सर्किट ब्रेकर्स और 13,962 एम टी स्टील स्ट्रक्चर्स का ही उपयोग कर सका था ।

इस प्रकार आवश्यकता से अधिक सामग्री खरीदने के परिणामस्वरूप 27.22 करोड़ रूपए तक की निधियां अवरूद्ध हो गयीं (केबल पर 21 माह के लिए 8.44 करोड़ रूपए, सर्किट ब्रेकर्स पर 18 माह के लिए 7.77 करोड़ रूपए और स्टील स्ट्रक्चर्स पर 10 माह के लिए 11.01 करोड़ रूपये) जिसके परिणामस्वरूप, दिसम्बर 2005 तक, जिसके बाद इनका उपयोग किया जाना था, 3.73[38] करोड़ रूपए के ब्याज की परिणामी हानि हुई ।

33 के वी/11 के वी तथा एल टी ओवरहैड वितरण प्रणाली के लिए अल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइनफोर्सड (ए सी एस आर) की प्राप्ति

3.2.18 बोर्ड ने विभिन्न लाइनों के निर्माण के लिए 31.97 करोड़ रूपए की कुल लागत पर 16,889 कि.मी. ए सी एस आर (रैबिट 6,604 कि.मी., रैकून- 6,639 कि.मी., डॉग-3,646 कि.मी.) अधिप्राप्त किये थे (फरवरी 2003) । यद्यपि इन संवाहकों को मई 2003से दिसम्बर 2003 तक की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भण्डारों पर भेज दिया गया था, तथापि सामग्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना उपयोग किए, भण्डार में पड़ा रहा ।

सामग्री का उपयोग न किए जाने से 12.91 करोड़ रूपए अवरूद्ध हुए साथ ही 2.71 करोड़ रूपए के ब्याज की हानि हुई ।

16,889 कि.मी. के संवाहकों (31.97 करोड़ रूपए मूल्य के) की कुल अधिप्राप्त मात्रा के विरूद्ध 12.91 करोड़ रूपए मूल्य के 6,685 कि.मी. के संवाहक योजना की निर्धारित अवधि पूर्ण (दिसम्बर 2005) के 24 माह तक अनुपयुक्त पड़े रहे । इस प्रकार, उचित योजना के बनाए बिना सामग्रीयों की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 12.91 करोड़ रूपए अवरूद्ध हुए साथ ही 2.71 करोड़ रूपए के ब्याज की परिणामी हानि हुई ।

लेखापरीक्षा के दौरान आये यह भी देखा गया कि सामग्रियों की आपूर्ति हेतु, प्रेषण के निर्देश, आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना दिये गए थे, जिसके परिणामस्वरूप एक मंडल में आवश्यकता से अधिक एवं दूसरे मंडल में आवश्यकता से कम संवाहक भेजे गए ।

[38] निधियों के अवरूद्ध होने की अवधि के लिए 10.5 प्रतिशत ब्याज (एशियन विकास बैंक)

इस प्रकार,संवाहकों की आवश्यकता एवं आपूर्ति के बीच असंतुलन से सामग्री का अनावश्यक भण्डारण हुआ और कार्य पूरा होने में भी विलम्ब हुआ ।

वितरण योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति

3.2.19 राज्य में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने/सुधारने के लिए एशियन विकास बैंक से वित्तीय सहायता के अंतर्गत 495.41 करोड़ रूपए राशि की विभिन्न योजनाएं अनुमोदित की गयी थी । मार्च 2006 की स्थिति में, लक्ष्यों,उपलब्धियों,लक्ष्यो की प्राप्ति में कमी तथा कमी की प्रतिशतता निम्नानुसार है-

योजनाएं	लक्ष्य (संख्या)	प्राप्त लक्ष्य (संख्या)	लक्ष्यो की प्राप्ति में कमी	कमी की प्रतिशतता
33/11 केवी. नये उप-स्टेशनों का सृजन				
(i) 5 एम वी ए. ट्रान्सफार्मर	54	34	20	37
(ii) 3.15 एम वी ए ट्रान्सफार्मर	194	94	100	52
(iii) 1.6 एम वी ए ट्रान्सफार्मर	34	7	27	79
उप-योग	282	135	147	52
11/0.4 के वी. के नये सब स्टेशनो का सृजनः वितरण ट्रान्सफार्मर	15,354	8,822	6,532	43
वर्तमान 33/11 के वी के उप-स्टेशनों में ट्रान्सफार्मर की क्षमता में वृद्वि/ आवर्धन	213	168	45	21
3. 33/11 के वी तथा निम्नदाब की नई लाइनें				
(क) 33 के वी लाइनें (किमी.)	3,424	1,393	2,031	59
(ख) 11 के वी लाइनें (किमी.)	3,427	1,705	1,722	15
(ग) एल टी लाइनें (किमी.)	836	211	625	75
उप योग	7,687	3,309	4,378	57

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति अत्यन्त धीमी थी, बोर्ड ने विभिन्न वितरण निर्माण कार्यो के लिए दिसम्बर 2003 तथा दिसम्बर 2004 के बीच, 147.08 करोड़ रूपए मूल्य की सामग्री की अधिप्राप्ति की, जो डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक बिना उपयोग के पड़ी रही, जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2005 तक (जिसके बाद बोर्ड द्वारा इन्हें उपयोग किया गया था), 147.08 करोड़ रूपए अवरूद्व हुए साथ ही 21.41[39] करोड़ रूपए के ब्याज की हानि हुई ।

बोर्ड ने बताया (दिसम्बर 2005) कि कार्य की धीमी प्रगति के कारणों में,लम्बे समय तक क्षेत्रीय भण्डार में सुमेंल सामग्री की अनुपलब्धता, रेल्स्, एवं स्टील अनुभागों द्वारा

[39] *एशियन विकास बैंक के ऋणों पर लागू 10.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर आधारित*

आर एस जोइस्ट,बी सी.बी. तथा अन्य सामग्री का विलम्ब से प्रदान किया जाना, फुटकर खरीद एवं वाहन मरम्मत आदि की व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय संभागो को परिक्रामी निधि/अस्थायी अग्रिम की अनुपलब्धता और वाहन तथा जनशक्ति की कमी, इत्यादि थे ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा बेहतर योजना बनाने तथा समन्वित सोच के द्वारा इन बाधाओं पर नियंत्रण किया जा सकता था और निधियों को अवरूद्ध होने से रोका जा सकता था ।

4.71 करोड़ रूपए मूल्य की एशियन विकास बैंक सामग्री को गैर एशियन विकास निर्माण कार्यो के लिए व्यवर्तन ।

बोर्ड ने 4.71 करोड़ रूपए मूल्य की एशियन विकास बैंक सामग्री को गैर एशियन विकास बैंक निर्माण कार्यो के लिए व्यपवर्तित कर दिया ।

3.2.20 ऋण अनुबंध (धारा 2.13) के अनुसार एशियन विकास बैंक योजना के लिए अधिप्राप्त सामग्री का उपयोग केवल योजना के उद्देश्य के लिए ही किया जाना था । लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय भण्डार ग्वालियर में पाया गया कि एशियन विकास बैंक से प्राप्त निधि के अंतर्गत 4.71 करोड़ रूपए मूल्य की सामग्री 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2006 तक की अवधि के दौरान गैर एशियन विकास बैंक निर्माण कार्यों के लिए व्यवर्तित कर दी गयी थीं ।

उपसंहार

एशियन विकास बैंक से निधि-प्राप्त योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बोर्ड के निष्पादन में कमी रही । आवश्यकता से अधिक एवं समय से पूर्व क्रय दोषपूर्ण योजना बनाने,समन्वयन का अभाव एवं विभिन्न क्रियाकलापों में समकालिकता के न होने के कारण बोर्ड पुनर्वास योजनाओं के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा,जिसके परिणामस्वरूप निष्क्रिय माल सूची के रूप में निधियां अवरूद्ध पड़ी रहीं ।

बोर्ड मुख्य रूप से उप-पारेषण तथा वितरण योजनाओं के निर्माण कार्य की अपेक्षित गति को बनाए रखने में असफल रहा ।

निधियां उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के साथ शर्तों का निर्धारण करते समय बोर्ड अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ ।

अनुशंसाएं

बोर्ड को निम्नांकित के संबंध में प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही करना चाहिए:-

- विभिन्न वितरण योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब को रोकने के लिए अपने योजना बनाने एवं परिवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना.,
- निष्क्रिय माल-सूची में निधियों को अवरूद्ध होने से रोकने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री की समकालिक अधिप्राप्ति करना
- उन निबन्धन एवं शर्तों को समाविष्ट करना जो कि बोर्ड के वित्तीय हितों के लिए हितकर हों एवं एशियन विकास बैंक को मान्य हों ।

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल में ऊर्जा और सामग्रियों की चोरी पर कार्यवाही करना

मुख्यांश

मंडल के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे पृथक रूप से वास्तविक पारेषण एवं वितरण हानियों की पहचान की जा सके जिससे मंडल की प्रणाली में हो रही ऊर्जा की चोरी की सही मात्रा को जाना जा सके ।

मार्च 2005 के अंत तक पांच वर्षों के दौरान मंडल की पारेषण एवं वितरण हानियां 15.5 प्रतिशत के स्वीकार्य स्तर के विरूद्ध 45.57 और 42.62 प्रतिशत की सीमा में थी जिसके परिणामस्वरूप 9,397.47 करोड़ रूपए के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

मंडल के पास उपभोक्तओं के सर्विस कनेक्शन की जांच के लिए एक समान नीति नहीं थी तथा विभिन्न क्षेत्रों में जांच की प्रतिशतता में 4.06 और 46.95 के मध्य भिन्नता थी ।

(कंडिका 3.3.6)

बिजली की पकड़ी गई चोरी के मूल्य के कारण 390.12 करोड़ रूपए की कुल मांग में से 24.05 प्रतिशत अर्थात 93.82 करोड़ रूपए की वसूली लंबित थी ।

(कंडिका 3.3.8)

मार्च 2005 के अंत तक पांच वर्षों के दौरान 25.15 करोड़ रूपए की मंडल की संपत्तियों की चोरी के 10,413 प्रकरणों के विरूद्ध मंडल ने केवल 4,328 प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ आई आर) दायर की जो कि कुल चोरी के प्रकरणों के 41.56 प्रतिशत को दर्शाती है ।

(कंडिकाएं 3.3.14 एवं 3.3.15)

25.15 करोड़ रूपए की मंडल की सम्पत्तियों की चोरी के विरूद्ध मंडल केवल 8.63 लाख रूपए मूल्य की चोरी की गई सम्पत्ति की वसूली कर सका जो कि कुल चोरी के कुल मूल्य के 0.34 प्रतिशत को प्रदर्शित करती है ।

(कंडिका 3.3.17)

प्रस्तावना

3.3.1 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल अपनी विद्युत की मांग को अंशतः अपने विद्युत उत्पादन स्टेशनो से और अंशतः अन्य विद्युत उत्पादन कंपनियों से क्रय करके पूरा करता है ।

नीचे दी गई सारणी, 31 मार्च 2005 के अन्त तक पांच वर्षों के लिए उत्पादित विद्युत, क्रय की गई विद्युत, विक्रय के लिए उपलब्ध कुल विद्युत, विक्रय की गई विद्युत, पारेषण एवं वितरण हानियों एवं पारेषण तथा वितरण हानियों की प्रतिशतता को दर्शाती है ।

(मिलियन इकाइयो में)

वर्ष	उत्पादित विद्युत	क्रय की गई विद्युत	प्रणाली में उपलब्ध उर्जा (शुद्ध)[40]	विक्रय की गई ऊर्जा	संचारण एवं वितरण हानियां	संचारण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2000-01*	22,198	15,830	36,037	19,614	16,423	45.57
2001-02	13,661	13,124	25,669	14,730	10,939	42.62
2002-03	15,418	12,926	27,025	15,280	11,745	43.46
2003-04	15,801	14,000	28,493	15,996	12,497	43.86
2004-05	15,758	16,206	30,625	17,310	13,315	43.48

* संयुक्त राज्य (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) के लिए आंकड़े

** स्त्रोतः बोर्ड के वार्षिक लेखे

पारेषण एवं वितरण हानियों में तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां समाविष्ट है तकनीकी हानि संवाहकों (कंडकटर्स) में प्रतिरोधशक्ति (रेजिस्टेन्स) एवं पारेषण तथा वितरण प्रणाली में कमियों के कारण होती है । तकनीकी हानि को ऊर्जा प्रणाली में सुधार करके कम किया जा सकता है । वाणिज्यिक हानि मुख्यतः विद्युत की चोरी के कारण होती है एवं इसको उपभोक्तओं के सर्विस कनेक्शन के प्रभावी परिवीक्षण/सर्तकता के द्वारा समय-समय पर जांच के माध्यम से कम किया जा सकता है ।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.3.2 निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा में मार्च 2005[41] को समाप्त पांच वर्षों के लिए ऊर्जा एवं सामग्रियों की चोरी पर मंडल की कार्यवाही को समाविष्ट किया गया है । लेखापरीक्षा, अक्टूबर 2005 से फरवरी 2006 के मध्य बोर्ड के जबलपुर स्थित मुख्यालय

[40] सहायक उपभोग को घटाने के पश्चात विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा

[41] आंकड़े केवल मार्च 2005 तक ही उपलब्ध हैं ।

एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (इन्दौर), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (भोपाल) एवं मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (जबलपुर) के अभिलेखों की जांच के माध्यम से संचालित की गई थी ।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.3.3 ऊर्जा एवं सामग्रियों की चोरी की रोकथाम के विषय में राज्य विद्युत कंपनियों के निष्पादन की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या-

- विभिन्न श्रेणियों के सर्विस कनेक्शन की जांच के लिए समुचित प्रणाली अस्तित्व में है,
- जहां बिजली चोरी की घटनाएं अधिक होती हैं वहां मंडल ने सर्विस कनेक्शन की जांच को प्राथमिकता दी है,
- जब कभी चोरी का पता लगा, तभी बिजली चोरी के मूल्य का त्वरित निर्धारण किया गया था ।
- चोरी का पता लगने पर उसके मूल्य की त्वरित वसूली के लिए प्रणाली विकसित की गई थी।
- पर्याप्त निवारक प्रावधान विद्यमान थे और आवश्यकता होने पर उनको लागू किया गया था ।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

3.3.4 निम्न लेखापरीक्षा मानदण्ड अपनाए गए थे

- चोरी का पता लगाने एवं अनुवर्ती कार्यवाही के विषय में मंडल की नीति एवं अनुदेश,
- मंडल की विभिन्न शाखाओं के सर्विस कनेक्शन्स की जांच के लिए निर्धारित मानदण्ड ।
- उपभोग की गई ऊर्जा के मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपभोग नमूना मानदण्ड, एवं
- ऊर्जा की चोरी से संबंधित विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान ।

लेखा परीक्षा पद्धति

3.3.5 निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न के आंकड़ों/सूचनाओं के विश्लेषण के माध्यम से की गई थी -

- सर्विस कनेक्शन की जांच,
- बिजली-चोरी के विरूद्ध बिल तैयार करना,
- तैयार किए गए बिल की राशि की वसूली,
- मंडल की सामग्रियों की चोरी एवं उनके मूल्य की वसूली,
- पुलिस विभाग के साथ प्रकरणों की अनुवर्ती कार्यवाही
- वसूल न की गई शेष सामग्री का मूल्य और
- कार्यकारिणी (मेंनेजमेंट) के साथ व्यक्तिगत बातचीत

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार/मंडल को 2 अगस्त 2006 को संसूचित किए गए थे और 20 अक्टूबर 2006 को, जबलपुर स्थित मंडल के मुख्यालय पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों संबंधी लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में, जहां मंडल की ओर से सचिव ने प्रतिनिधित्व किया था, चर्चा की गई थी । मंडल के विचारों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अंतिम रूप प्रदान किया गया था ।

लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर आगामी कंडिकाओ में चर्चा की गई है ।

ऊर्जा की चोरी

पारेषण एवं वितरण हानियों के 15.5 प्रतिशत के स्वीकार्य स्तर से अधिक होने के परिणामस्वरूप 9,397.47 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हुई

3.3.6 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) ने पारेषण एवं वितरण हानियों का स्वीकार्य स्तर 15.5 प्रतिशत (पारेषण एवं उप-पारेषण की हानियों के लिए 8.5 प्रतिशत और वितरण हानियों के लिए 7 प्रतिशत) निर्धारित किया है । पारेषण एवं वितरण हानियों के 15.5 प्रतिशत के स्वीकार्य स्तर के विरूद्ध 31 मार्च 2005 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान मंडल की प्रणाली में पारेषण एवं वितरण हानियां 45.57 एंव 42.62 प्रतिशत की सीमा में थी जिसके परिणामस्वरूप नीचे दी गई सारणी के अनुसार 9,397.47 करोड़ रूपए मूल्य के राजस्व की हानि हुई ।

वर्ष	पारेषण एवं वितरण हानियां (मिलियन यूनिट में)	प्रतिशतता	मानदंड से अधिक पारेषण एवं वितरण हानियां (मिलियन यूनिट में)	प्रति यूनिट लागत (रूपए)	हानि (करोड़ रूपयों में)
2000-01	16,423	45.57	10,837.25	2.10	2,275.82
2001-02	10,939	42.62	6,960.30	2.27	1,579.98
2002-03	11,745	43.46	7,555.12	2.15	1,624.35
2003-04	12,497	43.86	8,080.58	2.25	1,818.13
2004-05	13,315	43.48	8,568.12	2.45	2,099.19
				योग	**9,397.47**

अधिक पारेषण एवं वितरण हानियों का कारण ऊर्जा की चोरी के साथ-साथ पारेषण एवं वितरण प्रणाली में अन्तर्निहित कमियां थीं । लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मंडल के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे पृथक रूप से वास्तविक पारेषण एवं वितरण हानियों की पहचान की जा सके जिससे मंडल की प्रणाली में हो रही ऊर्जा की चोरी की सही मात्रा को जाना जा सके । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अवलोकन किया था कि 2003-04 में संपूर्ण भारत में 32.53 प्रतिशत के पारेषण एवं वितरण हानियों के औसत के विरूद्ध पश्चिम क्षेत्र में 32.94 प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश ने अपने 41.44 प्रतिशत के पारेषण एवं वितरण हानियों के लिए क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था ।

मंडल ने बताया (अक्टूबर 2006) कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य में पारेषण एवं वितरण हानियों की उच्चतर दर का कारण निम्न उपभोक्ता घनत्व, निम्न दाब से उच्च दाब प्रणाली का उच्च अनुपात, बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की अधिक संख्या और ग्रामीण विद्युतीकरण का उच्चतर स्तर था । आगे यह भी बताया कि मंडल पारेषण एवं वितरण हानियों के विषय में चिंतित था और हानियों को कम करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहा था । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंडल परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रभावी उपाय करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की चोरी हुई, जिसकी चर्चा कंडिका 3.3.7 से 3.3.13 में की गई है ।

पारेषण वितरण हानियों में 1998-99 में 21 प्रतिशत से 2000-01 में 45.57 प्रतिशत तथा उसके पश्चात 43 प्रतिशत के लगभग हुई, वृद्धि के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया और मंडल द्वारा सुधारात्मक उपायों को नहीं अपनाया गया ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1996-97 से 2000-01 तक की अवधि के लिए प्रकाशित किए गए आंकड़ों के अनुसार मंडल की पारेषण एवं वितरण हानियां 1998-99 तक 21 प्रतिशत से कम थी । मंडल ने बताया (सितम्बर 2005) कि पिछली अवधियों के दौरान प्रतिशतता में कमी का कारण बिना मीटर वाले सर्विस कनेक्शन के मामलों में ऊर्जा विक्रय के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई अन्य कार्यप्रणाली थी । मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल में 2000-01 के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों में 21 से 45.57 प्रतिशत तक की वृद्धि का तथा उसके पश्चात 43 प्रतिशत के आसपास तक की वृद्धि के कारणों का, तथापि, विश्लेषण नहीं किया गया था और मंडल द्वारा

सुधारात्मक उपाय 2000-01 के लिए सम्पूर्ण भारत के सूचित किए केवल 32.86 प्रतिशत की औसत हानियों के संदर्भ में नहीं अपनाए गए थे ।

ऊर्जा की चोरी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए मंडल ने उपभोक्ताओं के परिसरों पर प्रतिष्ठापन जांच के लिए योजना बनाई जिसमें (i) उपभोग के नमूने का विश्लेषण और (ii) ऊर्जा की चोरी के संबंध अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी को माध्यम बनाया । मंडल दो प्रकार की जांचों को उपयोग में ला रहा है (1) संभागीय स्तर पर ओ.एण्ड एम. कर्मचारी (2) मुख्यालय स्तर पर सतर्कता कर्मचारी ।

उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल प्रतिष्ठापनों के संदर्भ में उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठापनों की जांच के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत प्रतिष्ठापनों की संख्या के संदर्भ में उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठापनों की जांच के लिए मंडल ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे । मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, भोपाल, मंडल के विभाजन के द्वारा निर्मित एक विद्युत वितरण कंपनी, ने बताया कि मंडल द्वारा जांच के लक्ष्य सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित किए गए थे । विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के गठन के साथ, चालू प्रभारों की मांग में वृद्धि पर आधारित लक्ष्य जांच के लिए निर्धारित किए गए थे जो कि विगत वर्षों और चालू वर्ष के लिए प्रत्याशित राजस्व वसूली के विरूद्ध थे । मंडल ने बताया कि उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के सर्विस कनेक्शन की जांच के विषय में आंकड़ों का ब्यौरा शीघ्र उपलब्ध नहीं था । इस प्रकार, मंडल द्वारा श्रेणी वार जांच और जांच का श्रेणी वार डाटाबेस संधारित नहीं किया गया था ।

मंडल के सतर्कता प्रकोष्ठ की निष्पादन स्थिति पर मध्य प्रदेश विधुत नियामक आयोग के द्वारा निम्न टिप्पणियां की गई थी (अक्टूबर 2003)

(I) तैयार किए गए बिल की राशि के विरूद्ध वसूल की गई राशि में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता थी,

(II) राशि की वसूली सतर्कता प्रकोष्ठ पर किए गए व्यय के अनुरूप नहीं थी,

(III) रिपोर्ट निम्न तथ्यों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार की जानी चाहिये

- चोरी/अनियमितताओं की भौगोलिक खण्ड वार जानकारी,
- सर्विस कनेक्शन की विभिन्न श्रेणियों में चोरी/अनियमितताऐं,
- पता लगी अनियमितताओं की प्रकृति ।

(IV) उच्च दाब प्रतिष्ठापनों की जांच में बहुत कमी थी,

(V) उच्च दाब श्रेणी प्रतिष्ठापनों में तैयार किए बिलों के विरूद्ध वसूली कम थी,

(VI) चोरी के प्रकरणों की तुलना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर किए गए प्रकरणों की संख्या लगभग नगण्य थी ।

मंडल ने बताया (सितम्बर 2005) कि प्रतिष्ठापनों की जांच के अतिरिक्त ऊर्जा की चोरी को नियंत्रित करने के लिए नीचे दर्शाए गए अन्य उपाय भी किए गए थेः

- उच्च यथार्थता वाले एवं अत्याधुनिक तकनीक वाले (स्टेट-ऑफ-दी आर्ट) इलैक्ट्रोनिक, मीटर उपलब्ध कराना जिसमें उपभोग प्राचकों/रूपरेखा एवं कुछ विशिष्ठ परिस्थितियों के अंतर्गत मीटर के साथ की गई छेड़छाड़ का पता लगाया जा सके ।
- निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए स्टेटिक इलेक्ट्रोनिक मीटर उपलब्ध कराना,
- चोरी संभाव्य क्षेत्रों में सीधे तार डालकर हुक द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए ओवरहैड कंडक्टर्स के स्थान पर आर्मर्ड तार उपलब्ध कराए गए थे ।
- अति मूल्यवान ग्राहकों के लिए दूरस्थ मीटरीकरण अथवा चैक मीटर्स लगाए गए थे।
- अप्राधिकृत/प्रत्यक्ष टेपिंग की रोकथाम के लिए वितरण प्रणाली को प्रतिरोधी बनाने हेतु उच्च वोल्टेज अथवा निम्न दाव रहित वितरण प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था।

जिन क्षेत्रों में चोरी की अधिक घटनाएं होती हैं वहां नियंत्रक उपायों का कार्यान्वयन न करने के कारण मंडल चोरी में ठोस कमी नहीं कर सका ।

मंडल ने तथापि, ऊर्जा की चोरी के नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी उपायों का मूल्यांकन नहीं किया । मंडल ने उन क्षेत्रों में जहां बिजली चोरी की घटनाएं अधिक थी, नियंत्रक उपायों के कार्यान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए उपभोक्ता क्षेत्र वार हानि/चोरी का विश्लेषण भी नहीं किया था । मंडल ने बताया (सितम्बर 2005) कि ऊर्जा की चोरी एवं कदाचार के विरूद्ध विगत चार वर्षों के दौरान उठाई गई कुल राजस्व मांग के तैयार किए गए बिलों की राशि 1.5 प्रतिशत के लगभग स्थिर रही । इस प्रकार चोरी के मामलों में कोई ठोस कमी नहीं की जा सकी ।

मंडल के पास सर्विस कनेक्शन की जांच करने के लिए नीति में एकरूपता नहीं थी और जांच की प्रतिशतता भी अधोवर्ती रूझान दर्शाती है ।

नीचे दी गई सारणी 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान मंडल द्वारा प्रतिष्ठापित किए गए सर्विस कनेक्शन की संख्या,जांच किए गए सर्विस कनेक्शन की संख्या एवं जांच की प्रतिशतता को दर्शाती है ।

वर्ष	प्रतिष्ठापित सर्विस कनेक्शन की संख्या	जांच किए गए सर्विस कनेक्शने की संख्या	जांच की प्रतिशतता
2000-01	61,17,797	14,43,440	23.59
2001-02	64,03,115	13,04,535	20.37
2002-03	63,95,639	13,70,252	21.42
2003-04	64,42,054	12,27,550	19.06
2004-05	64,91,548	11,05,707	17.03
योग	**3,18,50,153**	**64,51,484**	**20.38**

उपर्युक्त सारणी से यह दृष्टिगत होता है कि जब सर्विस कनेक्शन की जांच की प्रतिशतता अद्योवर्ती रूझान दर्शा रही थी तब इस अवधि के दौरान मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में सर्विस कनेक्शन की जांच के लिए नीति में एकरूपता को नहीं अपनाया । 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सर्विस कनेक्शन की जांच की प्रतिशतता ***परिशिष्ट-19*** में दर्शाई गई है ।

परिशिष्ट से यह दृष्टिगत होता है कि 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान ग्वालियर,भोपाल एवं सागर क्षेत्रों में क्रमशः 53, 89, 39.05 एवं 29.07 प्रतिशत ऊर्जा की चोरी के विरूद्व उपभोक्ताओं के सर्विस कनेक्शन की जांच का प्रतिशत क्रमशः 4.38 10.47 एवं 10.72 प्रतिशत था ।

चोरी का पता लगाना

चोरी की अधिक घटनाओं वाले क्षेत्रों में सघन जांच के लिए मंडल द्वारा कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी ।

3.3.7 लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जिन क्षेत्रो में सर्विस कनेक्शन की जांच की गई थी वहां चोरी की घटनाओं में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृह्द असमानता भी थी । जिन क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं अधिक होती थीं उन क्षेत्रों में सघन जांच संचालित करने के लिए मंडल के पास कोई नीति नहीं थी । 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्ट की गई चोरी की घटनाओं का ब्यौरा ***परिशिष्ट-20*** में दिया गया है ।

रिपोर्ट की गई चोरी की अधिक घटनाओं वाले क्षेत्रों में सघन जांच की किसी प्रणाली के अभाव में चोरी का पता न लगाए जा तथा सके अनेक प्रकरणों के छुट जाने की भी संभावना है ।

मंडल ने बताया (अक्टूबर 2006) कि ऊर्जा की चोरी की आवश्यक जांचों को प्रादेशिक/क्षेत्र अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था और चोरी का पता लगने वाले प्रकरणो में मंडल न्यायालयीन प्रकरणों में मंडल मुदकमों के माध्यम से सीधे कार्यवाही कर रहा था ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रादेशिक/क्षेत्र अधिकारियों द्वारा सर्विस कनेक्शन की जांच एकसमान नीति के द्वारा नहीं की गई थी,और मंडल ने इस कार्यवाही को चोरी का पता लगने पर केवल मुकदमों की अनुवर्ती कार्यवाही तक प्रतिबंधित कर दिया था ।

चोरी के निर्धारित मूल्य की वसूली

3.3.8 लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चोरी के मूल्य की वसूली के लिए मंडल, चोरी के प्रकरणों में प्रभावी रूप से लगातार अनुवर्ती कार्यवाही नहीं कर रहा था । जहां चोरी के प्रकरणों का पता लगा था और चोरी के मूल्य का निर्धारण किया गया था,वहां विद्युत चोरी/दुर्विनियोजन के मूल्य की वसूली में कमी पाई गई थी ।

चोरी के प्रकरणों में अप्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही के कारण वसूली में कमी रही ।

31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान उठाई गई मांग,वसूल की जाने वाली राशि एवं वसूल न की गई राशि का प्रतिशत ***परिशिष्ट-21*** में दिया गया है ।

परिशिष्ट से दृष्टिगोचर होगा कि चोरी का पता लगने के कारण 390.12 करोड़ की कुल मांग में से 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि के संबंध में 93.82 करोड़ रूपए अर्थात् 24.05 प्रतिशत् वसूली हेतु बकाया थे । लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मंडल ने क्षेत्र वार जांच के लिए कोई मात्रात्मक लक्ष्य,यथा उच्चदाब उपभोक्ता,निम्नदाब औधोगिक उपभोक्ता, निम्नदाब वाणिज्यिक एवं घरेलू उपभोक्ता इत्यादि,निर्धारित नहीं किए थे । उच्चदाब उपभोक्ताओं, निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं एवं निम्नदाब वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की जांच कम से कम छः माह में एक बार,विद्युत अधिनियम 2003 के दिशानिर्देशों के अनुरूप की जानी चाहिए,जिसमें व्यवस्था है कि चोरी का पता चलने के कारण, बकाया दावा चोरी के पता चलने के दिनांक से छः माह पूर्व की अवधि तक सीमित है ।

मंडल द्वारा ऊर्जा की चोरी का पता लगाए गए प्रकरणों जिनमें तैयार किए गए बिल की राशि की वसूली नहीं की जा सकी थी की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की जा रही है ।

जी.आर.डी प्रोफाइल स्टील प्रायवेट लिमिटेड,इन्दौर से 1.25 करोड़ रूपए की वसूली नहीं किया जाना

चोरी का पता लगाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रूपए का संचित होना व वसूली न होना ।

3.3.9 जी.आर.डी प्रोफाइल स्टील प्रायवेट लिमिटेड,इन्दौर 33 किलोवाट पर 2,500 किलोवाट एम्पीयर की संविदा मांग की बिजली आपूर्ति का लाभ उठा रहा था । 20 अप्रैल 2000 को मंडल को उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा की चोरी का पता लगा और पूर्ति को रोक दिया गया । यद्यपि मंडल ने देयराशि वसूली अधिनियम[42] के अन्तर्गत वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की परन्तु मंडल इसे आगे नही बढ़ा पाया क्योंकि उपभोक्ता की सम्पत्तियाँ, मध्यप्रदेश वित्त निगम और वाणिज्यिक कर विभाग ने देयधन की वसूली हेतु कुर्क कर ली थी तथा वाणिज्यिक कर विभाग ने उपभोक्ता की सम्पत्ति का विक्रय कर दिया परन्तु मंडल इस विक्रय से कोई राशि वसूल नहीं कर सका ।

उपभोक्ता के परिसर की जांच छः महीने में कम से कम एक बार अवश्य की जानी चाहिए थी क्योंकि विद्युत अधिनियम,2003 चोरी पकड़े जाने के पिछले छः महीनों के लिए ही प्रभारों की वसूली करता है ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उपभोक्ता के परिसरों की जांच सर्विस कनेक्शन जारी करने के दिनांक से 18 माह बीत जाने के पश्चात ही की गई थी ।

[42] *राज्य विधानमण्डल द्वारा दोषी चूककर्ताओं की सम्पत्तियों की कुर्की के द्वारा देयधन की वसूली के लिए बनाया गया एक अधिनियम*

इस प्रकार,मंडल द्वारा ऊर्जा की चोरी का पता लगाने के लिए, शीघ्र जांच में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रूपए मूल्य की चोरी हुई जो कि अंततः वसूल न होने के कारण बकाया रह गई ।

आई.आर.एस इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड से 12.34 करोड़ रूपए एवं बी.आर. एसोसिएट्स द्वारा 3.89 करोड़ रूपए की देय राशि ।

3.3.10 मंडल को 30 सितम्बर 1999 को आई.आर.एस. इन्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, बानमौर के परिसर में ऊर्जा की चोरी का पता लगा । उपभोक्ता 33 किलोवाट लाइन से बिजली ले रहा था और एक पड़ोसी इकाई बी.आर. एसोसिएट्स को अवैधानिक रूप से बिजली प्रदाय कर रहा था । 1 अक्टूबर 1999 से बिजली काट दी गई और आई.आर.एस.इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड तथा बी.आर. एसोसिएट्स को क्रमशः 15.72 करोड़ रूपए एवं 8.23 करोड़ रूपए की पूरक मांगे उठाई गईं । उपभोक्ताओं ने मंडल की केन्द्रीय स्तर समिति से निवारण हेतु सम्पर्क साधा । समिति ने पाया कि उपभोक्ता ऊर्जा की चोरी की सत्यता का खंडन नहीं कर सके । तथापि, चोरी का पता लगने के दिनांक पर लागू मंडल के परिपत्र के अनुसार तीन वर्षो की चोरी के मूल्यांकन के स्थान पर,समिति ने एक वर्ष का मूल्यांकन किया जिसमें मंडल के द्वारा जारी किए गए परिपत्र (दिसम्बर 1999) का उल्लेख किया गया था ।

तदनुसार,आई.आर.एस. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर 12.31 करोड़ रूपए और बी.आर. एसोसिएट्स पर 3.05 करोड़ रूपए की संशोधित पूरक मांगे जारी की गई ।

सतर्कता की कमी तथा चोरी के प्रकरणों में अनुवर्ती कार्यवाही में कमी के परिणामस्वरूप 16.23 करोड़ रूपए की वसूली नहीं हो सकी ।

बाद में, आई.आर.एस. इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड ने प्रतिवाद के अधीन, विद्युत के पुर्नसंयोजन के लिए आवेदन दिया और जमा के रूप में 50 लाख रूपए तथा 50,000 रूपए की अतिरिक्त मासिक किस्त का मांग के निराकृत हो जाने तक के लिए प्रस्ताव रखा । अगस्त 2000 को ऊर्जा प्रभारों के रूप में 12.31 करोड़ रूपए की राशि तथा न्यूनतम टैरिफ प्रभारों के रूप में 3.49 लाख रूपये आई.आर.एस. इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड के विरूद्ध बकाया थे । इसी प्रकार बी.आर. एसोसिएट्स से ऊर्जा प्रभारो के रूप में 3.05 करोड़ रूपए और न्यूनतम टैरिफ प्रभारों के रूप में 84.17 लाख रूपए बकाया थे ।

देय राशि की वसूली के लिए तत्काल अदायगी तथा किस्तों की संख्या का निर्धारण करने के लिए मामला बोर्ड को भेजा गया था परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है (अगस्त 2006)

इस प्रकार सतर्कता के अभाव तथा मंडल द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 16.23 करोड़ रूपए की पूरक मांग वसूल होने से रह गई ।

हिमांशु फ्लोर मिल्स लिमिटेड,मंडीद्वीप से 55.60 लाख रूपए की वसूली न होना

3.3.11 हिमांशु फ्लोर मिल्स लिमिटेड,मंडीदीप के परिसर में ऊर्जा की चोरी का पता लगा और 19.12 लाख रूपए का पूरक बिल उपभोक्ता को जारी किया गया । उपभोक्ता ने इसका प्रतिवाद किया और उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसने इसके

बदले में मंडल की समीक्षा समिति को संपर्क करने के लिए निर्देशित किया । केन्द्रीय समीक्षा समिति ने पूरक बिल को संशोधित करके 41.37 लाख रूपए कर दिया । केन्द्रीय समीक्षा समिति के निर्णय से व्यथित होकर उपभोक्ता सदस्य स्तर समिति (मेंम्बर लैवल समिति) के पास पहुंचा,जिसने केन्द्रीय स्तर समिति के निर्णय को यथावत बनाए रखा । इसके पश्चात् उपभोक्ता ने उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका दायर की, जो कि अभी भी अनिर्णीत है (अगस्त 2006) ।

प्रकरण में निर्णय करने में विलम्ब के कारण 55.60 लाख रूपये की वसूली नहीं हो सकी ।

इस बीच, उपभोक्ता पुनर्संयोजन के लिए मंडल के पास गया । 12.41 लाख रूपए की तत्काल अदायगी और 1.61 लाख रूपए के छः आगामी तारीखों के चैकों के भुगतान के पश्चात अगस्त 2000 में विद्युत की आपूर्ति पुनः चालू कर दी गई । अक्टूबर 2001 तक, अथात एक वर्ष से अधिक समय तक उपभोक्ता ने केवल ऊर्जा प्रभारों का भुगतान किया (पूरक बिल में भुगतानी अधिभार को घटाकर)। जुलाई 2002 में विद्युत आपूर्ति स्थाई रूप से काट दी गई । उस समय बकाया राशि 55.60 लाख रूपए थी । उपभोक्ता ने ऊर्जा की चोरी के विरूद्व 10.54 लाख रूपए की बिल की राशि के अधिभार को छोड़ने का आग्रह किया । मामला मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । मंडल का निर्णय प्रतीक्षित है (अगस्त 2006)।

पटेल इंडस्ट्रीज एवं इंजीनियरिंग,इन्दौर के परिसर में ऊर्जा की चोरी

3.3.12 14 जनवरी 1997 को पटेल इंडस्ट्रीज,इन्दौर के परिसर में ऊर्जा की चोरी का पता चला । 222 किलोवाट एम्पियर की मांग को निर्धारित करते हुए, जनवरी 1994 से दिसम्बर 1996 तक, 24,600 यूनिटों के उपभोग के रूप में 31.55 लाख रूपए का एक सामथिक बिल जारी किया । उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर के समक्ष एक याचिका दायर की (13 फरवरी 1997) ।

उपभोक्ता को सुनने के बाद,समीक्षा समिति ने बिल को संशोधित करके 15.32 लाख रूपए कर दिया, जिसमें ऊर्जा की चोरी को 1 फरवरी,1996 से 15 जनवरी 1997 तक मानते हुए 2,38,224 यूनिटों की खपत का निर्धारण, नवम्बर 1995, दिसम्बर 1995 एवं जनवरी 1996 के दौरान औसत मासिक मांग और खपत के आधार पर कर दिया ।

न्यायालय ने मंडल को मध्यप्रदेश ऊर्जा अधिनियम,2001 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण में आगे कार्यवाही करने का आदेश दिया (दिसम्बर 2003) । तदनुसार, उपभोक्ता की देयताओं का पुनः निर्धारण 1972 यूनिटों के, अनुसार जुलाई 1996 से दिसम्बर 1996 तक के उपभोग के आधार पर 2,79,890 रूपए पर कर दिया । उपभोक्ता ने अभी तक (अगस्त 2006) कोई भुगतान नहीं किया है ।

नागोरी सीमेंन्ट (प्रायवेट) लिमिटेड द्वारा ऊर्जा की चोरी 1.16 करोड़ रूपए

3.3.13 नागोरी सीमेंन्ट,बाघ के परिसर में ऊर्जा की चोरी का पता लगा था (मई 2001) । तदनुसार, 1.16 करोड़ रूपए की पूरक मांग प्रस्तुत की गई । उपभोक्ता द्वारा दायर याचिका न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई । मंडल ने भी ऊर्जा की चोरी के लिए उपभोक्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की थी । मंडल ने पूरक बिल की राशि की वसूली के लिए उपभोक्ता की संपत्ति को जब्त कर लिया,परन्तु वसूली की कार्यवाही को आगे नही बढ़ा पाया क्योंकि सम्पत्ति विवादित थी । आगे, मंडल ने पाया (जून 2004) कि उपभोक्ता कारखाने का संचालन डी जी सेट के माध्यम से विद्युत उत्पादन करके कर रहा था जो कि अवैधानिक था । मंडल ने तथापि,उपभोक्ता के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दायर नहीं किया अपितु, राज्य सरकार को केवल सूचित किया (जुलाई 2004) कि सरकार से यथोचित संस्वीकृति प्राप्त किए बिना कारखाना स्वतः उत्सर्जित ऊर्जा (सेल्फ जेनरेटेड पावर) के द्वारा चलाया जा रहा था ।

डी जी सेटों की प्रतिष्ठापना का पता लगाने में विफल रहने तथा चोरी के प्रकरण की अनुवर्ती कार्यवाही में कमी के कारण 1.16 करोड़ रूपए की वसूली नहीं हो सकी ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही उचित रूप से नहीं की गई थी। मंडल डी जी सेटों की प्रतिष्ठापना का पता लगाने में तथा उपभोक्ता द्वारा उत्सर्जित विद्युत पर शुल्क (डयूटी) का संग्रह करने में भी विफल रहा ।

प्रकरण की वर्तमान प्रस्थिति तथा ऊर्जा की चोरी के विरूद्ध उठाई गई 1.16 करोड़ रूपए की पूरक मांग की वसूली का ब्यौरा प्रतीक्षित है (अगस्त 2006) ।

सामग्रियों की चोरी

3.3.14 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान सामग्रियो की चोरी के प्रकरणों की कुल संख्या और उनका मूल्य नीचे दर्शाए गए अनुसार था:-

वर्ष	प्रकरणों की कुल संख्या	चोरी की गई संपत्तियों का मूल्य (राशि: करोड़ रूपए में)
2000-01	1,151	1.66
2001-02	1,846	2.96
2002-03	2,559	9.65
2003-04	2,632	6.10
2004-05	2,225	4.78
योग-	**10,413**	**25.15**

संवाहक तार (कंडक्टर वायर),ट्रान्सफार्मर वाइन्डिंग,ट्रान्सफार्मर तेल एवं भंडार सामग्री इत्यादि वस्तुएं मंडल के परिसर से सामान्यतः चोरी की जाती थी । इसमें से 16.26 करोड़ रूपए मूल्य के संवाहक तारों की चोरी, इसके मूल्य के 64.65 प्रतिशत मूल्य को तथा चोरी की घटनाओं के 70.94 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट होता है:-

(राशिः लाख रूपए में)

वर्ष	प्रकरणो की कुल संख्या	संवाहक तारों की चोरी को सम्मिलित करते हुये प्रकरणो की संख्या	संवाहक तारों की चोरी की घटनाएं (प्रतिशतत)	चोरी का कुल मूल्य	संवाहक की चोरी का मूल्य	संवाहक तारों की चोरी की प्रतिशतता
2000-01	1,151	980	85.14	166.35	132.38	79.58
2001-02	1,846	1,429	77.41	296.25	205.95	69.52
2002-03	2,559	1,843	72.02	965.25	582.40	60.34
2003-04	2,632	1,810	68.77	609.76	407.41	66.81
2004-05	2,225	1,325	59.55	477.69	297.92	62.36
योग	**10,413**	**7,387**	**70.94**	**2,515.30**	**1,626.06**	**64.65**

3.3.15 मंडल के अनुदेश थे कि चोरी के समस्त प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए तथा पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट को दायर करने में कठिनाइयों का सामना होने पर मंडल के सतर्कता एवं सुरक्षा निदेशक की सहायता लेनी चाहिए । तथापि, सारणी से दृष्टिगोचर होता है कि प्रकरणों में से केवल 42 प्रतिशत में मंडल ने पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की थी ।

वर्ष	चोरी का पता लगे प्रकरणों की संख्या	प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर किए गए प्रकरणों की संख्या	प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर किए गए प्रकरणों की प्रतिशतता
2000-01	1,151	431	37.45
2001-02	1,846	944	51.14
2002-03	2,559	1,347	52.64
2003-04	2,632	871	33.09
2004-05	2,225	735	33.03
योग	**10,413**	**4,328**	**41.56**

इस प्रकार चोरी के प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के दायर करने की संख्या में कमी तथा उन्हीं प्रकरणों में अनुवर्ती कार्यवाही में कमी के फलस्वरूप वसूली/चोरी की संपत्ति की उगाही अपर्याप्त रही ।

पर्याप्त प्रतिवेदनों के अभाव, में मंडल चोरी की अधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर सका ।

चोरी/दुरूपयोग संबंधी प्रकरणों के संबंध में मंडल के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों को चाहिए था कि हानियों की एक पंजी तथा निर्धारित प्रपत्र में उससे संबंधित प्रगति प्रतिवेदन बनाएं । निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रगति-प्रतिवेदन की एक प्रति प्रादेशिक अधीक्षण अभियन्ताओं और संयुक्त निदेशक (लेखापरीक्षा) को भेजी जानी थी,जो प्रतिवर्ष जनवरी माह में एक समेंकित प्रतिवेदन मंडल को प्रस्तुत करते हैं । 2000-01 से 2004-05 की अवधि से संबंधित ऐसे प्रतिवेदन,मांगे जाने पर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे । इसके अतिरिक्त,यह भी पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट पंजी का संधारण नहीं कर रहे थे और मंडल को समेंकित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए, उनके द्वारा समेंकित प्रतिवेदन प्रादेशिक अधीक्षण अभियन्ताओं अथवा संयुक्त निदेशक (लेखापरीक्षा) को नहीं भेजे जा रहे थे । इस प्रकार,चोरी के प्रकरणों की रिपोर्ट तथा उनके संबंधित अनुवर्ती कार्यवाही के संबंध में निदेशक मण्डल अपने अनुदेशों का पालन करने में विफल रहा ।

अपनी सम्पत्ति की चोरी को नियंत्रित करने के लिए उपायों के प्रभावी निरीक्षण के अभाव में चोरी के प्रकरणों की संख्या तथा मूल्य में वृद्धि हुई ।

मण्डल की सम्पत्तियों की चोरी के प्रकरणों की रिपोर्ट तथा उनके निवारक उपायों के संबंध में कार्यपालन निदेशक (ओ.एण्ड एम.) के विद्यमान निर्देशों में ये सम्मिलित थे (क) उन लाइनों को हटाना जो कि केवल असम्बद्ध पम्पों के लिए विद्यमान थीं तथा जहाँ पम्पों की अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो गई थी अथवा जहां अनुबन्ध समाप्त नहीं भी हुए थे वहां पर, यह सत्यापन करने के पश्चात कि असम्बद्ध पम्पों के सम्बद्ध होने की संभावना नहीं है,सामग्री भंडार को वापस करना,(ख) निम्न दाब लाइन के किसी भी खण्ड का ऊर्जारहित न रहना (ग) वितरण केन्द्रों के द्वारा निम्नदाब लाइनों की नियमित गश्त लगाना, (घ) गुप्त रूप से रात्रि गश्त की व्यवस्था करना,(ड) चोरी संभाव्य क्षेत्रों में सघन गश्त,(च) मंडल के सतर्कता एवम् सुरक्षा निदेशक एवं जिले के पुलिस अधीक्षक के सहयोग से गश्त में पुलिस की सहायता लेना,(छ)ग्रामीण स्तर पर समस्त विद्युतीकृत ग्रामों में, तथा उन ग्रामों में जहां,विद्युत लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा हो, सुरक्षा समितियों का गठन करना साथ ही सामान्य जनता,भू-स्वामियों,सरपंच और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करना ।

लेखापरीक्षा में, तथापि, यह पाया गया कि ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जो यह दर्शाता हो कि मंडल इन उपायों के कार्यान्वयन पर निगरानी रख रहा था । नीचे दी गई सारणी (कंडिका क्रं. 3.3.14) से,तथापि यह देखा जा सकता है कि चोरी के मूल्य में 1.66 करोड़ रूपए (2000-01) से 9.65 करोड़ रूपए (2002-03) तक की वृद्वि हुई थी ।

3.3.16 सामग्रियों की चोरी के आकड़ो का विश्लेषण करने पर प्रकट हुआ कि मंडल के सात क्षेत्रों में से रिपोर्ट किए गए चोरी के प्रकरणों के मूल्य का 36.22 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व ग्वालियर क्षेत्र करता है । ग्वालियर क्षेत्र के पांच वृत्तों में से तीन वृत्त यथा,ग्वालियर (ओ.एण्ड.एम.), शिवपुरी एवं मुरैना, चोरी के प्रकरणों का 33.12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं । जैसा कि नीचे की सारणी से देखा जा सकता हैः .

(राशिः लाख रूपयों में)

वर्ष	मंडल में चोरी का मूल्य	ग्वालियर क्षेत्र की हिस्सेदारी	ग्वालियर क्षेत्र में प्रतिशतता	ग्वालियर ओ.एण्ड एम.वृत्त की हिस्सेदारी	शिवपुरी वृत्त की हिस्सेदारी	मुरेना वृत्त की हिस्सेदारी	तीनो वृत्तों का योग (प्रतिशतता कोष्ठक में दी गई है)
2000-01	166.35	71.59	43.04	13.94	13.14	37.72	64.80 (38.95)
2001-02	296.25	120.35	40.62	33.39	15.15	50.94	99.48 (33.58)
2002-03	965.25	180.71	18.70	41.37	35.67	91.99	169.03 (17.50)
2003-04	609.76	317.99	52.15	78.21	110.75	106.75	295.71 (48.50)
2004-05	477.69	220.29	46.11	86.00	5.62	112.52	204.14 (42.73)
योग	**2,515.30**	**910.93**	**36.22**	**252.91**	**180.33**	**399.92**	**833.16 (33.12)**

मंडल ने बताया कि डकैतों की गतिविधियों के कारण ग्वालियर क्षेत्र में चोरी की बहुतायत थी साथ ही पुलिस बल में कमी के कारण पुलिस से सहयोग का अभाव भी

था । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चोरी के कारणों का पता लगने के पश्चात् भी मंडल द्वारा कोई प्रभावी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी ।

3.3.17 मंडल ने अवलोकन किया (नवम्बर 1993) कि वरिष्ठ अधिकारी सम्पत्ति की चोरी के प्रकरणों को उचित महत्व नहीं दे रहे थे । अधिकांश प्रकरणों में प्रपत्र एवं ब्यौरे वार रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियो को प्रेषित नहीं की जा रही थी तथा जैसी कि कंडिका 3.3.15 में चर्चा की गई है अनेक प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपार्ट दायर नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप चोरी गई सामग्री की वसूली में कमी रही । 31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान चोरी गई सम्पत्ति का मूल्य, वसूल की गई सम्पत्ति/मूल्य तथा वसूली की प्रतिशतता नीचे दर्शाए अनुसार है:

मंडल चोरी के प्रकरणों में अप्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही के कारण चोरी गई सम्पत्ति के मूल्य का केवल 0.34 प्रतिशत वसूल कर सका ।

(राशिः लाख रूपयों में)

वर्ष	चोरी का मूल्य	की गई वसूली का मूल्य	वसूली की प्रतिशतता	चोरी के कारण हानि
2000-01	166.35	0.82	0.49	165.53
2001-02	296.25	5.08	1.71	291.17
2002-03	965.25	2.44	0.25	962.81
2003-04	609.76	0.29	0.05	609.47
2004-05	477.69	--	0.00	477.69
योग	**2,515.30**	**8.63**	**0.34**	**2,506.68**

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चोरी की गई सम्पत्ति की वसूली अथवा उसके मूल्य की वसूली, चोरी की गई सम्पत्ति के मूल्य का केवल 0.34 प्रतिशत थी, जो कि मंडल द्वारा प्रकरणों की अप्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही और कमी को इंगित करती है ।

इस प्रकार, मंडल अपनी स्वयं की मार्गदर्शिकाओं को लागू करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप चोरी की गई सामग्री अथवा उसके मूल्य की वसूली में कमी रही ।

उपसंहार

उर्जा तथा सामग्रियों की चोरी के प्रकरणों को संभालने में मंडल का निष्पादन कम था । मंडल ने ऊर्जा की चोरी की सही मात्रा की पहचान करने के लिए न तो कोई प्रणाली विकसित की थी जिससे सुधरात्मक कार्य किया जा सके और न ही उपभोक्ता प्रतिष्ठापनों की जांच जैसे उपचारात्मक उपायों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था । मंडल ने चोरी के प्रकरणों के विरूद्ध केन्द्रित प्रयत्नों के लिए क्षेत्र वार विश्लेषण नहीं किया ।

चोरी के मूल्य की वसूली कें लिए चोरी के प्रकरणों पर अनुवर्ती कार्यवाही अप्रभावी थी तथा बकाया राशियों की वसूली भी नगण्य थी ।

अनुशंसाएं

मंडल को निम्न आवश्यक उपाय करने चाहिए:---

- मंडल की प्रणाली में विद्युतीय ऊर्जा की चोरी की मात्रा को अभिज्ञापित करने के लिए एक तंत्र को विकसित करना,
- उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के सर्विस कनेक्शन की जांच के लिए एकसमान नीति का निर्धारण करना,
- उन क्षेत्रों /श्रेणियों में जहां चोरी की अधिक घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त होती है वहाँ और अधिक जांच संचालित करना,और
- प्रकरणों में सशक्तापूर्वक अनुवर्ती कार्यवाही करना ताकि चोरी में कमी की जा सके और चोरी के मूल्य की वसूली की जा सके ।

अध्याय चार

लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां

प्रस्तावना

राज्य सरकार की कंपनियों तथा सांविधिक निगमों द्वारा किए गए लेन-देनों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस अध्याय में समाविष्ट किए गए हैं।

सरकारी कंपनियां

मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मर्यादित

स्टॉक के संचालन की परिवीक्षा करने में हुई असफलता के कारण होनेवाली हानि

स्टॉक के अंतवर्ती भण्डारण के परिणामस्वरूप, स्थानीय परिवहन एवं भण्डारण पर 1.01 करोड़ रूपए तथा निरूद्ध (लॉक अप) किये गये गेहूँ की लागत पर ब्याज के रूप में 1.06 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

4.1 रबी विपणन अवधि (सीजन) 2005-06 के दौरान कम्पनी ने अपने गेहूँ प्राप्तिकर्ता जिलों को निर्देश दिया (फरवरी/मार्च 2005) कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (गरीबी रेखा से नीचे तथा अन्नधन अंत्योदय योजना) के अन्तर्गत छः माह की आपूर्ति के लिये आवश्यक गेहूँ का स्टॉक रोककर रखा जाये तथा शेष मात्रा की आवश्यकता रखने वाले अन्य जिलों को, उनकी आवश्यकतायें सुनिश्चित करने के पश्चात भेज दिया जाये । इन जिलों को ये भी निर्देश दिये गये कि राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगमों के गोदामों में आवश्यक भंडारण स्थान रखा जाये; शेष बचे हुये गेहूँ को सीधे (अंतर्वर्ती भण्डारण किये बिना) भेज दिया जाये; तथा आवश्यकता से अधिक कोई स्टॉक हो तो उन्हे भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द कर दिया जाये ।

मई 2005 में, जबकि गेहूँ की उल्लेखनीय मात्रा पहले ही प्राप्त की जा चुकी थी, कम्पनी के मुख्यालय ने देखने में यह पाया कि सीहौर, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, उज्जैन तथा सतना जिलों में आठ महीनों की आवश्यक मात्रा एक तरफ रख दिये जाने के पश्चात् भी केन्द्रों पर 48,266 मैट्रिक टन की मात्रा तक अधिक स्टॉक रखा हुआ था। यद्यपि इन अतिरिक्त स्टॉकों को आवश्यकता रखने वाले अन्य जिलों को भेजने के अनुदेश जारी किये गये थे (जून 2005), फिर भी उनके तत्कालिक संचालन की परिवीक्षा नहीं की गई तथा अक्टूबर 2005 तक कोई संचालन नहीं किया गया था नवम्बर 2005 में, जब क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने मुख्यालय को सूचित किया कि सीहौर जिले में उसकी आवश्यकताओं से, 18,695 मैट्रिक टन अधिक गेहूँ रखा हुआ था

तब कुल अतिरिक्त स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की गई तथा 18,610 मैट्रिक टन का सीहौर से शाजापुर, भोपाल, देवास तथा रायगढ़ जिलों को , 13,200 मैट्रिक टन का उज्जैन से देवास, शाजापुर तथा इंदौर जिलों को और 2,000 मैट्रिक टन का सतना से सीधी तथा रीवा जिलों को भेजने के अनुदेश जारी किये गये (नवम्बर 2005) । परिणामस्वरूप नवम्बर 2005 से जनवरी 2006 के बीच में, 30,809 मैट्रिक टन गेहूँ को अन्य जिलों को (अर्थात् 16,708 मैट्रिक टन सीहौर से 8,714 मैट्रिक टन उज्जैन से तथा 5,387 मैट्रिक टन सतना से) भेजा गया ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उपर्युक्त 30,809 मैट्रिक टन के अतिरिक्त स्टॉकों के संचालन की परिवीक्षा न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ (स्थानीय परिवहन पर 44 लाख रूपए तथा छः महीने के लिये भण्डारण पर 57 लाख रूपए) । इसके अतिरिक्त कम्पनी ने छः महीने के लिये निरुद्ध (लॉक अप) गेहूँ की लागत पर ब्याज के रूप में 1.06[43] करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय भी किया ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) किः

- उज्जैन में 41,809 मैट्रिक टन गेहूँ का स्टॉक आठ महीनों की आवश्यकताओं के (41,440 मैट्रिक टन) लिए पर्याप्त था ।
- अन्य जिलों को, उन जिलों में भण्डारण के लिये स्थान की उपलब्धता न होने के कारण, स्टॉक का परिवहन नहीं किया जा सका तथा भण्डारण के लिये स्थान की कमी के कारण 1,533 मैट्रिक टन स्टॉक होशंगाबाद में भारतीय खाद्य निगम के सुपर्द कर दिया गया था । बचत हितग्राहियों द्वारा आबंटन न उठाये जाने के कारण ही अतिरिक्त गेहूँ बचा ।
- भारत सरकार ने परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति कर दी थी ।
- कम्पनी ने भण्डारण वृद्धि[44] का लाभ उठाया तथा कोई हानि नहीं हुई ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकिः

- उज्जैन के सम्बंध में कम्पनी द्वारा प्रस्तुत आठ महीनें की आवश्यकता केवल 36,608 मैट्रिक टन थी, न कि 41,440 मैट्रिक टन ।
- अतिरिक्त स्टॉकों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव (नवम्बर 2005) में यह उल्लेख नहीं था, कि अतिरिक्त स्टॉक का संचालन, भण्डारण स्थान के अभाव तथा

43 *प्रति मैट्रिक टन 7,540 रूपए की अनन्तिम आर्थिक लागत पर 30,809 मैट्रिक टन=23.23 करोड़ रूपए x 9.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष छः महीने के लिये ।*

44 *वृद्धि से आशय गेहूँ के वजन में हुई बढ़ोत्तरी से है, जो भण्डारण के समय नमी को सोखने की वजह से होती है ।*

हितग्राहियों (उज्जैन) द्वारा आबंटन न उठाये जाने के कारण था । यह भी कि भण्डारण स्थान पहले से अरक्षित किया जा सकता था अथवा स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को सुपूर्द किया जा सकता था जैसा कि होशंगाबाद में किया गया था ।

- सामयिक आर्थिक लागत में स्वीकृत मात्रा से अधिक परिवहन लागत भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने योग्य नहीं थी ।

- इस बुनियादी लेखापरीक्षा टिप्पणी का कोई उत्तर नहीं है कि अक्टूबर 2005 तक मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त स्टॉकों की स्थिति की परिवीक्षा क्यों नहीं की गई ।

इस प्रकार प्राप्तिकर्ता जिलों से आवश्यकता वाले अन्य जिलों को स्टॉकों के संचालन को प्रभावी बनाने/ उसकी परिवीक्षा करने में मुख्यालय के पक्ष पर कार्यवाही ना किये जाने के साथ ही प्राप्ति के समय पर ही अतिरिक्त स्टॉकों के परिवहन में हुई जिला कार्यालयों की असफलता के परिणामस्वरूप 2.07 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

प्रेषण योजना का अनुपालन न करने के कारण हानि

जिला कार्यालयों द्वारा गेहूँ की निर्दिष्ट प्रेषण अनुसूची का अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप स्थानीय परिवहन एवं भण्डारण पर 30.27 लाख रूपए की हानि हुई, 6.64 करोड़ रूपए की राशि निरूद्ध हुई जिसके कारण 30.19 लाख रूपए के ब्याज की हानि हुई ।

4.2 रबी विपणन अवधि 2004-05 के दौरान, कम्पनी के मुख्यालय ने हरदा, होशंगाबाद और इंदौर जिला कार्यालयों को निर्देश दिये (मार्च 2004) कि 18,400 मैट्रिक टन गेहूँ मार्च 2004 से जुलाई 2004 की अवधि में खंडवा, बैतुल, बड़वानी और धार जिलों को सीधे प्राप्ति केन्द्रों/ रेलवे रैक से ही भेज दिया जाये । तथापि जिला कार्यालयों ने केवल 4,948 मैट्रिक टन गेहूँ को ही भेजा तथा 13,452 मैट्रिक टन की शेष मात्रा का अगस्त 2004 तक जिलों के भीतर ही भण्डारण किया ।

सितम्बर 2004 में मुख्यालय ने देखा कि हरदा, होशंगाबाद और इंदौर जिला कार्यालयों में 4 महीनों की आवश्यकता से अधिक गेहूँ रखे हुये थे तथा उन्हे 7,150 मैट्रिक टन गेहूँ खण्डवा, धार, बड़वानी, बैतूल और रतलाम जिलों को भेजने का निर्देश दिया । जिला कार्यालयों ने अक्टूबर से दिसम्बर 2004 के दौरान निर्दिष्ट जिलों को 9,077 मैट्रिक टन भेजा ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि जिला कार्यालयों द्वारा निर्दिष्ट प्रेषण अनुसूची का अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप 9,077 मैट्रिक टन को रखने पर 13.50 लाख रूपए तथा अंतर्वर्ती भण्डारण पर 16.77 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ । यह भी कि, जबकि जुलाई और दिसम्बर 2004 के बीच में हरदा, होशंगाबाद और इंदौर जिलों में 9,077 मैट्रिक टन गेहूँ का भण्डारण किया गया था तब भी आवश्यकता रखने वाले जिले अपनी आवश्यकता का आहरण भरतीय खाद्य निगम से कर रहे थे । इसके

परिणामस्वरूप छः महीने के लिये 6.64[45] करोड़ रूपए की राशि निरूद्ध रही तथा इस कारण से नकदी उधार (कैश क्रैडिट) पर ब्याज के रूप में 30.19 लाख रूपए का भुगतान किया गया । इस प्रकार कम्पनी ने 60.46 लाख रूपए का कुल परिहार्य व्यय किया ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि हरदा और होशंगाबाद में स्टॉक उनकी अपनी आवश्यकता के लिये ही पर्याप्त थे और हरदा में अतिरिक्त स्टॉक, विभिन्न योजनाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गये सम्पूर्ण आबंटन न उठाने के कारण हुई । यह भी बताया गया कि इंदौर का स्टॉक भण्डारण स्थान की कमी होने तथा "कार्य के लिये भोजन" के स्टॉक अग्रता पर उठाये जाने के कारण धार और बड़वानी को नहीं भेजा जा सका ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकिः

- सभी उक्त तीन जिलों के लिये कम्पनी द्वारा प्रेषित छः महीनों की आवश्यकता का सही मिलान मार्च 2004 में राज्य सरकार द्वारा किये गये उस आबंटन से नहीं किया गया था जिसके आधार पर प्रारंभ में परिवहन के लिये अनुदेश दिये गये थे । यदि आबंटन नहीं उठाया गया था तो यह तथ्य जिला कार्यालयों द्वारा मुख्यालय की जानकारी में लाया जाना चाहिये था । यह कार्य अगस्त 2004 तक नहीं किया गया।

- अप्रैल से नवम्बर 2004 तक की अवधि में "कार्य के लिये भोजन" के अन्तर्गत कोई आबंटन/उठान नहीं किया गया था । यह भी कि मुख्यालय के अनुदेशों के अनुसार पहले से ही उपयुक्त भण्डारण स्थान आरक्षित किया जा सकता था ।

इस प्रकार मुख्यालय द्वारा शिथिल परिवीक्षा करने के साथ ही जिला कार्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रेषण अनुसूची की अनुपालन न किये जाने के परिणामस्वरूप 60.46 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

बैंक कमीशन पर परिहार्य व्यय

चैकों के स्थान पर डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भारतीय खाद्य निगम को गेहूँ की लागत का भुगतान करने के परिणामस्वरूप बैंक कमीशन पर 48.56 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

4.3 भारत सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं के वितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम से, कम्पनी अनाज के स्टॉक उठा रही थी । भारतीय खाद्य निगम ने अपने सभी परिक्षेत्रीय (जोनल)/क्षेत्रीय और जिला कार्यालयों को निर्देश दिये (दिसम्बर 1993) कि सिविल सप्लाईज कॉपरेशन से अनाज की लागत का भुगतान चैक द्वारा उन्हीं स्थानों पर स्वीकार किया जाये जँहा भारतीय खाद्य निगम का बैंक

[45] *7,310 रूपए प्रति मैट्रिक टन की सामयिक आर्थिक लागत पर 9,077 मैट्रिक टन=6.64 करोड़ रूपए ।*

खाता उपलब्ध था, ये आदेश जुलाई 2003 और जनवरी 2004 में दुबारा भी जारी किये गये थे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 45 जिला कार्यालयों में से केवल सात[46] ही चैक द्वारा भारतीय खाद्य निगम को भुगतान कर रहे थे जबकि कंम्पनी के शेष 38 जिला कार्यालय अनाज की लागत डिमांड ड्राफ्टों द्वारा जमा कर रहे थे । 2003-04 से 2005-06 के दौरान (दिसम्बर 2005 तक) कम्पनी ने भारतीय खाद्य निगम को भुगतान के लिये प्राप्त डिमांड ड्राफ्टों पर बैंक कमीशन के रूप में 48.56 लाख रूपए व्यय किये । इस प्रकार चैकों के स्थान पर डिमांड ड्राफ्टों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को अनाज की लागत के भुगतान के परिणामस्वरूप 48.56 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में केवल सात जिलों में ही अपना बैंक खाता रखा था जहाँ कम्पनी ने चैक द्वारा भुगतान किया । यह उत्तर सही नहीं है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ने राज्य के सभी जिलों में बैंक खाते रखे हुए है इस प्रकार कम्पनीं बैंक को चैकों से भुगतान करते हुए 48.56 लाख रूपए के बैंक कमीशन की बचत कर सकती थी ।

लम्बी दिशाओं से रैकों के अमितव्ययी संचालन के कारण भाड़े पर परिहार्य व्यय

अपने ही अनुदेशों के विपरीत, कम्पनी के मुख्यालय ने उसी अवधि के दौरान दो जिला कार्यालयों द्वारा लम्बी दिशाओं से रैकों का संचालन किये जाने के लिए रैक संचालन योजना को अंतिम रूप दिया इसके परिणामस्वरूप परिवहन पर भाड़े के रूप में 25.20 लाख रुपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

4.4 रबी विपणन अवधि 2005-06 के दौरान (मार्च 2005 से जून 2005), मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के होशंगाबाद और रायसेन जिला कार्यालयों ने क्रमशः 1,17,454 तथा 86,632 मैट्रिक टन गेहूँ प्राप्त किया । कम्पनी ने इन जिलों को अनुदेश जारी किये (मार्च 2005) कि वितरण हेतु छः महीनों की आवश्यकेता के समतुल्य गेहूँ का स्टॉक रोककर रखा जाये तथा शेष मात्रा, न्यूनतम दूरी की अवधारणा का नियमानुसार पालन करते हुये रैक संचालन योजना के अनुसार अन्य आवश्यकता वाले जिलों को भेज दी जाये । कम्पनी ने इस अवधारणा का नियमानुसार पालन करते हुये इन जिलों के लिये रैक संचालन योजना को अंतिम रूप दिया (मार्च 2005) । तथापि, यह योजना उपर्युक्त अवधारणा की अनदेखी करते हुये मुख्यालय द्वारा पुनरीक्षित कर दी गई (अप्रैल/मई 2005) । तदनुसार होशंगाबाद और रायसेन जिला कार्यालयों ने मुख्यालय द्वारा दी गई पुनरीक्षित रैक संचालन योजना का पालन किया ।

वास्तविक प्रेषणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि होशंगाबाद जिला कार्यालय ने इटारसी रैक स्थान (पॉइन्ट) से गुना, उज्जैन, बीना, ब्यावरा, सागर, मुरैना और मेघनगर को 22 अप्रैल 2005 से 13 मई 2005 के दौरान गेहूँ के 11 रैक

[46] *भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, सतना, ग्वालियर और जबलपुर ।*

(26,328 मैट्रिक टन) भेजे । वास्तव में, रायसेन जिला कार्यालय द्वारा मंडीदीप रैक स्थान (पॉइन्ट) से इन गंतव्यों को रैकों का संचालन, इटारसी रैक स्थान की तुलना में 69 किलोमीटर की दूरी कम करके मितव्ययी तौर पर किया जा सकता था ।

इसी प्रकार, 19 अप्रैल 2005 से 25 मई 2005 तक की अवधि के दौरान रायसेन जिला कार्यालय ने मंडीदीप रैक स्थान (पॉइन्ट) से सतना, कटनी, गोंदिया, छिंदवाडा और शहडोल को गेहूँ के 10 रैक (23,923 मैट्रिक टन) भेजे । होशंगाबाद जिला कार्यालय द्वारा इन गंतव्यों को रैकों का संचालन इटारसी रैक स्थान (पॉइन्ट) से किया जा सकता था जो कि मंडीदीप रैक स्थान (पॉइन्ट) की तुलना में 69 किलोमीटर कम दूरी पर है ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मुख्यालय द्वारा दी गई रैक संचालन योजना में कम व्यय करते हुये, कम दूरी के मार्गों से रैक भेजना परिकल्पित था, जबकि पुनरीक्षित रैक संचालन योजना उसके अपने ही अनुदेशों के विपरीत तैयार की गई थी । त्रुटिपूर्ण रैक संचालन योजना के परिणामस्वरूप कम्पनी ने अधिक लम्बे मार्ग से गेहूँ के 20[47] रैकों के परिवहन पर भाड़े के रूप में 25.20 लाख रूपए का परिहार्य व्यय किया ।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2006) कि यद्यपि प्रारंभिक तौर पर रैक संचालन योजना केवल सही दिशा में रैको का संचालन करने के लिये दी गई थी, बाद में यह प्राप्ति और माल उतारने की व्यवस्थाओं आदि जैसे कुछ कारकों (कारणों) से पुनरीक्षित की गई थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रैक संचालन योजना के पुनरीक्षण के प्रस्तावों में ऊपर बताये गये कारकों का कोई उल्लेख नहीं था । यह भी कि परिवहन ठेकेदार को गेहूँ का परिवहन, कम्पनी की आवश्यकता के अनुसार करना था न कि उसकी अपनी सुविधा के अनुसार ।

भण्डारण स्थान का कम उपयोग किये जाने के कारण परिहार्य व्यय

स्टॉकों के वास्तविक प्रेषण और रैक संचालन योजना के बीच मेंल नहीं बैठने के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त आरक्षित भण्डारण स्थान पर भण्डारण प्रभार के रूप में 24.32 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

4.5 रबी विपणन अवधि 2005-06 के लिये अन्तिम रूप दी गई (मार्च 2005) रैक संचालन योजना के अनुसार, विकेन्द्रीकृत प्राप्ति योजना के अन्तर्गत गेहूँ की प्राप्ति के लिये गेहूँ के चार रैक लदानों (9,200 मैट्रिक टन) का परिवहन होशंगाबाद जिले से उज्जैन को किया जाना था, जिसका खरगोन, धार, झाबुआ और बड़वानी के पड़ोसी जिलों में इंदौर और अन्य निकासी केन्द्रों को सड़क द्वारा आगे परिवहन किया जाना था। यह योजना पुनरीक्षित की गई तथा 9 से 24 अप्रैल 2005 के दौरान सात रैक (16,032 मैट्रिक टन) उज्जैन को भेजे गये (अप्रैल 2005) । तथापि, उज्जैन जिला ने इंदौर एवं

47 *परिहार्य व्यय मंडीदिप और इटारसी रैक स्थानों (पॉइंट) से प्रत्येक से 10 रैको तक प्रतिबंधित रहा ।*

अन्य जिलों को केवल 8,288 मैट्रिक टन माल ही भेजा तथा शेष मात्रा उज्जैन में भण्डारित कर ली । इसी प्रकार, भिण्ड और मुरैना जिलों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ग्वालियर को भेजे जाने वाले गेहूँ के नौ रैकों (26,700 मैट्रिक टन) के विरूद्ध केवल चार रैक ही भेजे गये ।

गेहूँ के स्टॉक पहुँचने की प्रत्याशा में, इंदौर, भिण्ड, मुरैना और शिवपुरी जिला कार्यालयों ने अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय से परामर्श करके, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगमो के गोदामों में 3 महीने के लिये क्रमशः 45,000 मैट्रिक टन (इंदौर जिले के महू, देवालपुर, सनावाद, इंदौर और राऊ केन्द्रों) तथा 88,980 मैट्रिक टन (ग्वालियर जिले के भिण्ड मुरैना और शिवपुरी केन्द्रों) के लिये भण्डारण क्षमताएं आरक्षित की ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि रैक संचालन योजना की तुलना में स्टॉकों की वास्तविक प्राप्ति में मेंल नहीं बैठने के कारण, इंदौर और ग्वालियर जिला कार्यालय केवल 10,200 मैट्रिक टन तथा 54,800 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता (उनकी अपनी प्राप्ति के लिये क्षमता सहित) का ही उपयोग कर सके तथा क्रमशः 34,950 मैट्रिक टन तथा 34,120 मैट्रिक टन की भण्डारण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका । परिणामस्वरूप कम्पनी ने अप्रयुक्त आरक्षित भण्डारण क्षमता पर भण्डारण प्रभार के रूप में 24.32 लाख रूपए का परिहार्य व्यय किया ।

सरकार ने बताया (अगस्त 2006) कि अधिकतम स्थान का उपयोग किया गया था ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित जिला कार्यालय आरक्षित भण्डारण क्षमता के कम उपयोग किये जाने की पुष्टि पहले ही कर चुके थे ।

अधिक लम्बे मार्ग से गेहूँ का परिवहन करने के कारण परिहार्य व्यय ।

अधिक लम्बे मार्ग से 7,022 मैट्रिक टन गेहूँ का परिवहन करने के परिणामस्वरूप 10.53 लाख रूपए का परिहार्य व्यय ।

4.6 मध्यप्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मर्यादित का होशंगाबाद जिला कार्यालय प्रत्येक रबी विपणन अवधि (सीजन) में बड़ी मात्रा में गेहूँ की प्राप्ति करता है । जिले के भीतर छः महीने के वितरण के लिये आवश्यक मात्रा रोकने के पश्चात यह अतिरिक्त मात्रा का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उनके उपयोग हेतु, अन्य जिलों को सड़क/रेल मार्ग से भेजता है ।

अप्रैल 2003 में, होशंगाबाद जिला कार्यालय ने 6,86,558 रूपए का भाड़ा व्यय करते हुये (इटारसी-भोपाल-बीना-गुना-ब्यावरा-शाजापुर मार्ग) 536 किलोमीटर से होकर इटारसी से शाजापुर को 2,344 मैट्रिक टन गेहूँ का एक रैक भेजा इस प्रकार इस कार्यालय ने भाड़े के रूप में 13,70,538 रूपए का व्यय करते हुये, इसी मार्ग से शाजापुर को गेहूँ (4,678 मैट्रिक टन) के दो रैक मई 2004 में भी भेजे ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इटारसी-भोपाल-मक्सी (262 किलोमीटर) से होकर शाजापुर के लिए एक कम दूरी का मार्ग भी था जिससे होकर ये रैक कम लागत से भी भेजे जा सकते थे ।

इस प्रकार 2003-04 और 2004-05 की अवधि में 7,022 मैट्रिक टन गेहूँ का परिवहन अधिक लम्बे मार्ग से किये जाने के परिणामस्वरूप 10.53 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि कम दूरी का मार्ग अप्रैल 2003 से मई 2004 की अवधि के दौरान इस प्रकार के भारी ट्रैफिक के संचालन के लिये उपलब्ध नहीं था और यदि कम दूरी का मार्ग उपलब्ध होता तो रेलवे ने इस मार्ग से ही ये रैक भेजे होते ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम दूरी का मार्ग उपलब्ध था तथा रायसेन जिला कार्यालय ने अप्रैल 2004 में ही इसी कम दूरी के मार्ग से ब्यावरा को रैक भेजे थे ।

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित

यथेष्ट प्रतिभूति प्राप्त किये बिना इंटर कॉरपोरेट ऋण में निवेश

संस्वीकृति और पूर्व/उत्तर संवितरण प्रक्रियाओं में विभिन्न कमियों के साथ ही प्रतिभूति प्राप्त किये बिना इंटर कॉरपोरेट ऋण का स्थापन करने के परिणामस्वरूप 14.50 करोड़ रूपए का ऋण निरूद्ध हुआ, इसके अतिरिक्त 20.28 करोड़ रूपए के ब्याज की वसूली भी नहीं हुई ।

4.7 मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित ने 17 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिसम्बर 1999 और जनवरी 2000 के बीच में सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड, इन्दौर को इंटर कॉरपोरेट ऋण दिया (जनवरी 2000) जिसको एक वर्ष के स्वीकृत व्यवहार क्रम के विरूद्ध तीन से पाँच वर्षों के पश्चात प्रतिभुगतान किया जाना था । चूंकि सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड ने इंटर कॉरपोरेट ऋण का प्रतिभुगतान नहीं किया तो कम्पनी ने मध्यप्रदेश लोक ऋण वसूली अधिनियम, 1987 के नियम 3 के अंतर्गत राजस्व वसूली प्रमाण पत्र कार्यविधियां प्रारंभ कर दी (मई 2002) तथा जून 2004 में राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र नोटिस जारी कर दिया । 31 मार्च 2005 को 34.78 करोड़ रूपए जिसमें कि 14.50 करोड़ रूपए मूलधन (अक्टूबर 1996 में स्थापित इंटर कॉरपोरेट ऋण के 50 लाख रूपए सहित) तथा ब्याज के 20.28 करोड़ रूपए के रूप में बकाया थे । राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र कार्यविधियां रद्द कर दी गई (जून 2005) क्योंकि इंटर कॉरपोरेट ऋण की वसूली लोक ऋण वसूली अधिनियम के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती थी तथा उसने कम्पनी को यह प्रकरण उपयुक्त न्यायालय में पेश करने के लिये निर्देशित किया । इसी बीच में, सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड ने कम्पनी को एकमुश्त भुगतान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ ही, स्वयं को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड में पंजीकृत करा लिया । एकमुश्त भुगतान प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया (मई 2006) क्योंकि यह कम्पनी की एकमुश्त भुगतान नीति के अनुरूप नहीं था ।

सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड को इंटर कॉरपोरेट ऋण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नांकित कमियां प्रकाश में आईः-

- कम्पनी ने 90 दिवस की अवधि के लिये अक्टूबर 1996 में सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड को एक करोड़ रूपए का एक *इंटर कॉरपोरेट* ऋण दिया था, जिसका दिसम्बर 1999 तक प्रतिभुगतान नहीं किया गया था । प्रतिभुगतान करने में सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड के दोषी होने के बावजूद, कम्पनी ने दिसम्बर 1999 और जनवरी 2000 के बीच में इस कम्पनी को 14 करोड़ रूपए दिये ।

- 14 करोड़ रूपए में से, सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड ने जुलाई 2000 में केवल 50 लाख रूपए का भुगतान किया तथा उसके बाद किसी राशि का भुगतान नहीं किया ।

- सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड का वित्तीय निष्पादन 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि से ही गिरावट की ओर था, इसके बावजूद 14 करोड़ रूपए के इंटर कॉरपोरेट ऋण देने से पूर्व उसकी वित्तीय स्थिति का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया ।

- संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार, 15 करोड़ रूपए के इंटर कॉरपोरेट ऋण (अक्टूबर 1996 में दिये गये एक करोड़ रूपए सहित) को सिद्धार्थ ट्यूब्स लिमिटेड की परिसम्पत्तियों को गिरवी रखकर, प्रथम प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत नहीं किया गया था ।

- संयुक्त गारंटी बंध-पत्र/क्षतिपूर्ति सह मुख्तारनामा पंजीकृत नहीं किया गया था ।

- इंटर कॉरपोरेट ऋण तीन से पांच वर्षों के लिये दिये गये थे जबकि प्राप्त किया गया मांग रूक्का (डिमांड प्रामीसरी नोट) केवल तीन वर्षों के लिये ही कानूनी तौर पर वैध था ।

- प्रवर्तक ने इंटर कॉरपोरेट ऋण, कोल्ड रॉल्ड मिल प्रारंभ करने के लिये प्राप्त किया था, जबकि उसने इस इंटर कॉरपोरेट ऋण की अधिकांश राशि का उपयोग अपनी ईक्विटी बढ़ाने के लिये किया । कम्पनी ने न तो इंटर कॉरपोरेट ऋणों के उत्तर संवितरण उपयोग की परिवीक्षा की और न ही उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये ।

सरकार ने बताया (जून 2006) कि फर्म को, कम्पनी की एकमुश्त भुगतान नीति के अनुसार, एकमुश्त भुगतान प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था, जो कि उससे अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृति तथा पूर्व/उत्तर संवितरण प्रक्रियाओं की शर्तों का पालन न करने/उनमें कमियाँ रहने के साथ ही प्रतिभूति के बिना इंटर कॉरपोरेट ऋण देने के परिणामस्वरूप मार्च 2005 तक 14.50 करोड़ रूपए के अवरोध के साथ-साथ 20.28 करोड़ रूपए के ब्याज की वसूली भी नहीं हुई ।

एक फर्म का अनावश्यक पक्ष लेने के कारण हानि

परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिये समय पर प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने में तथा राजस्व वसूली कार्यविधियां प्रारंभ करने में असफलता के परिणामस्वरूप 12.39 करोड़ रूपए के मूलधन तथा ब्याज दोनों की ही वसूली नहीं हुई ।

4.8 मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित (कम्पनी) ने 19.50 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर, 13 छःमाही किस्तों के प्रतिभुगतान निबंधन के साथ, लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु धार जिले में वाध सीमेंट लिमिटेड (फर्म), रामपुरा को 90 लाख रूपए का एक सावधि ऋण संस्वीकृत किया (दिसम्बर 1991) । फर्म ने एकमुश्त भुगतान हेतु कम्पनी से सम्पर्क किया (अक्टूबर 2001) जब 3.87 करोड़ रूपए (मूलधन के रूप में 90 लाख रूपए तथा ब्याज के रूप में 2.97 करोड़ रूपए) बकाया थे (मार्च 2001) । कम्पनी ने फर्म के इस अनुरोध पर विचार नहीं किया क्योंकि उसका प्रकरण एकमुश्त भुगतान नीति के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था तथा जिस व्यवसाय के लिये उन्होंने कम्पनी से ऋण प्राप्त किया था उनके उस व्यवसाय (लघु सीमेंन्ट संयंत्र) को बंद होने (मई 2001) के पश्चात तीन वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई थी ।

इस फर्म ने एकमुश्त भुगतान के अंतर्गत देय धन के व्यवस्थापन हेतु दुबारा अनुरोध किया (सितम्बर 2004) तथा कम्पनी ने 8.05 करोड़ रूपए के सम्पूर्ण ब्याज (सितम्बर 2004 तक) एवं 22.50 लाख रूपए की मूलधन की राशि (25 प्रतिशत) का अपलेखन करने के पश्चात 67.50 लाख रूपए के लिये एकमुश्त भुगतान का अनुमोदन कर दिया (दिसम्बर 2004) । चूँकि फर्म एकमुश्त भुगतान के अंतर्गत की गई वचनबद्धताओं को पूरा करने में असफल रही अतएव उसे निरस्त कर दिया गया (जनवरी 2006) । दिसम्बर 2005 तक, कम्पनी ने ब्याज के रूप में 34.40 लाख रूपए की कुल राशि प्राप्त कर ली थी ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि फर्म ने सितम्बर 1993 से जुलाई 1994 के मध्य संवितरित ऋण के विरूद्ध किसी राशि का भुगतान नहीं किया था । सितम्बर 1995 से सितम्बर 2001 तक 19.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज का भुगतान भी फर्म द्वारा नहीं किया गया था । ऐसी पहले से चली आ रही त्रुटि तथा वचनदत्त प्रतिभूतियों की उपलब्धता के बावजूद, कम्पनी ने परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिये वैधानिक कार्यवाही प्रांरभ नहीं की परन्तु लम्बे अंतराल से अर्थात दिसम्बर 1996 दिसम्बर 1997 तथा नवम्बर 2000 में केवल कानूनी नोटिस जारी किये तथा समय को लम्बा खिंचने दिया ।

इस प्रकार परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिये समय पर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ करने तथा राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र कार्यविधियां प्रारंभ करने में कम्पनी की असफलता परिणामस्वरूप मार्च 2006 तक ब्याज के रूप में 11.83 करोड़ रूपए (11.49 करोड़ रूपए - 0.34 करोड़ रूपए) तथा ऋण के मूलधन के रूप में 90 लाख रूपए की वसूली नहीं की जा सकी ।

कम्पनी ने बताया (फरवरी 2006) कि विगत समय में सीमेंट संयंत्रों की परिसम्पतियों का अधिग्रहण करने और विक्रय करने से यथेष्ट वसूली नहीं हुई तथा राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र भी प्रभावी नहीं हुआ, देय धन का एकमुश्त भुगतान योजना के अंतर्गत [illegible] व्यवस्थापन किया गया । कम्पनी ने यह भी बताया (अप्रैल 2006) कि फर्म, उसके प्रमोटरों/गारंटी देने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा था ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कम्पनी ने यथेष्ट अचल परिसम्पत्तियों तथा (कोलैट्रल) प्रतिभूति की उपलब्धता के बावजूद तुरंत वैधानिक कार्यवाही नहीं की बल्कि एकमुश्त भुगतान योजना के लिये प्रकरण की अर्हता बनने तक प्रतीक्षा की ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2006), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2006) ।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम

राज्य सरकार की परियोजना के अपूर्ण अमलीकरण के कारण हानि

योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों का नियमितता से पालन करने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की असफलता के परिणामस्वरूप, 95.45 करोड़ रूपए के सम्पूर्ण ऋण दायित्व को प्रतिभूति रहित रखने के अतिरिक्त औद्योगिक इकाईयों से 14.75 करोड़ रूपए की वसूली नहीं की गई, सरकार को पहले से ही वसूल की गई 26 लाख रूपए की राशि का भुगतान नहीं किया गया, स्टाम्प शुल्क पर 95 लाख रूपए की हानि हुई तथा 9.70 करोड़ रूपए के ब्याज का संग्रहण नहीं किया जा सका ।

4.9 राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 1981 को या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली औद्योगिक इकाईयों को आस्थगन आधार पर विक्रय कर के भुगतान का लाभ पहुँचाने के लिये " मध्यप्रदेश ऋण दायित्व में आस्थगित कर की राशि के रूपान्तरण की योजना 1989 " (योजना) प्रारंभ की (1988) । मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल (अब मध्यप्रदेश राज्य औधागिक विकास निगम मर्यादित) मध्यम और बड़े उद्योगों के लिये कार्यान्वयक एजेन्सी था, जबकि लधु उद्योगों के लिये ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर और रीवा स्थित औद्योगिक विकास निगम उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यान्वयक एजेंसी थे । इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत, एक औद्योगिक इकाई, विक्रय कर प्राधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी (संबंधित औद्योगिक केन्द्र विकास निगम का प्रबंध संचालक) के समक्ष आवेदन करती है तथा आस्थगित विक्रय कर को सामयिक ऋण दायित्व में रूपांतरित कराती है । मूल्यांकन पूर्ण होने पर, औद्योगिक केंद्र विकास निगमों के पक्ष में इकाई की चल परिसम्पत्तियों को दृष्टिबंधक करने तथा अचल परिसम्पत्तियों को संयुक्त गिरवी रखने के पश्चात उस आशय का औद्योगिक इकाई के साथ समझौता करके सामयिक दायित्व को अंतिम ऋण दायित्व में परिवर्तित कर दिया जाता है । प्रत्येक वर्ष का ऋण दायित्व 5/10 वर्ष तक स्थगित रहेगा तथा अस्थगन की अवधि के अन्तर्गत लाये गये

प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात 30 दिवसों के अंतर्गत भुगतान योग्य होता है । देयधन का प्रतिभुगतान करने में असफल रहने पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना होता है ।

भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर स्थित औद्योगिक केंद्र विकास निगम ने 124 औद्योगिक इकाईयों द्वारा ऋण दायित्व में 1985-86 और 2003-04 के मध्य रूपान्तरणीय हुये विक्रय कर के 95.45 करोड़ रूपए रूपांतरित कर दिये थे जिसमें से 47.96 करोड़ रूपए का 31 मार्च 2005 तक भुगतान देने का समय हो गया था ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आए:

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, औद्योगिक इकाईयों के पक्ष में, उनकी अचल/चल परिसम्पत्तियों के गिरवी या दृष्टिबंधन के माध्यम से 94.83 करोड़ रूपए के सामयिक ऋण दायित्व को अंतिम दायित्व में रूपांतरित करने में असफल रहे । ऐसा करने से सरकार को भुगतान योग्य ऋण की राशियाँ असुरक्षित हो गई, इसके अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में 95 लाख रूपए के राजस्व की हानि हुई ।

- 31 मार्च 2005 तक भुगतान के लिये देय हुये 47.96 करोड़ रूपए में से, उद्योगों ने औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों को सूचना देते हुये 33.21 करोड़ रूपए विक्रय कर प्राधिकारियों के पास सीधे जमा कर दिये । औद्योगिक केन्द्र विकास निगम 14.75 करोड़ रूपए के शेष देय धन के भुगतान के लिये अथवा प्रदत्त रूपान्तरण का आह्वान करने के लिये उद्योगों का अनुशीलन करने में असफल रहे । दूसरी ओर, ऋण दायित्व का रूपान्तरण करने की सुविधा अनुवर्ती वर्षों में भी दी जाती रही ।

- यद्यपि देय धन के प्रेषण में इकाइयों द्वारा विलम्ब किया गया किन्तु तब भी जुलाई 2006 तक 9.70 करोड़ रूपए के ब्याज का संग्रहण नहीं किया गया ।

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रीवा ने 3.57 करोड़ रूपए का संग्रहण किया किन्तु इस राशि का निवेश अपनी धारक कम्पनी (मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित) में कर दिया । उसने बाद में सरकार को केवल 3.31 करोड़ रूपए प्रेषित किये । 26 लाख रूपए की शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया (अगस्त 2006) ।

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल ने समझौता और गिरवी/दृष्टिबंधन अभिलेख का निष्पादन किये बिना चार इकाईयों के संबंध में, 62.20 लाख रूपए के सामयिक दायित्व को अंतिम दायित्व में रूपांतरित कर दिया, परिणामस्वरूप ये दायित्व असुरक्षित हो गये । इनमें से, एक इकाई के विरूद्ध जिसका बंद हो जाना सूचित किया गया था 21.70 लाख रूपए का शेष तथा 35.83 लाख रूपए का ब्याज (जुलाई 2006 तक) छोड़कर, तीन इकाईयों के विरूद्ध 40.50 लाख रूपए वसूल किये गये थे ।

- औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों ने इकाईयों की कार्यप्रणाली की अवस्था, उनकी प्रतिभुगतान क्षमता, चल और अचल परिसम्पत्तियों का अस्तित्व, ह्रास के पश्चात उनका मूल्य तथा उनसे प्राप्त धन की वसूली की संभावना की पहचान करने के लिये कोई परिवीक्षा प्रणाली प्रारंभ नहीं की थी ।

इस प्रकार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करने में औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की असफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को भुगतान योग्य 95.45 करोड़ रूपए के ऋण दायित्व की सम्पूर्ण राशि असुरक्षित हो जाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार को भुगतान योग्य 14.75 करोड़ रूपए की वसूली नहीं हुई, राज्य सरकार को 26 लाख रूपए का प्रेषण भी नहीं किया गया, स्टाम्प शुल्क पर 95.44 लाख रूपए की हानि हुई तथा 9.70 करोड़ रूपए के ब्याज का संग्रहण नहीं किया जा सका ।

उत्तर में, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अभ्युक्तियों पर कार्यवाही की जा रही है । औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, ग्वालियर ने बताया कि 6.64 लाख रूपए का संग्रहण किया जा चुका है तथा 2.73 करोड़ रूपए की वसूली के लिये राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये है । औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर ने बताया कि 73.54 लाख रूपए को अंतिम ऋण दायित्व में रूपान्तरित किये जा चुके है तथा 56.84 लाख रूपए का उद्योगों द्वारा भुगतान किया गया है । औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर ने बताया कि वसूली के रूप में दर्शाये गये 9.22 करोड़ रूपए में से 8.20 करोड़ रूपए का भुगतान सीधे विक्रय कर विभाग को कर दिया गया था ।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 33.89 करोड़ रूपए में से मूलधन के रूप में 7.32 करोड़ रूपए तथा ब्याज के रूप में 3.62 करोड़ रूपए सरकार को भुगतान हेतु बकाया थे (जुलाई 2006) । इस प्रकार औद्योगिक केंद्र विकास निगम आस्थगित कर का संग्रहण कर राज्य सरकार को प्रेषित करने में असफल रहे ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (जुलाई 2006), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2006) ।

न्यूनतम प्रस्ताव का अन्यायोचित अमान्यकरण ।

न्यूनतम प्रस्ताव को अन्यायोचित अमान्य करने तथा निविदाएं पुनः आमंत्रित करने के परिणामस्वरूप 34.24 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

4.10 औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मर्यादित ने 'इंदौर हवाई अड्डे से पीतमपुर तक सडक का डामरीकरण करने' के निर्माण कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की (मई 2002) । इस निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 2.63 करोड़ रूपए थी । निविदा आमंत्रित करने के नोटिस की शर्तो में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी परिकल्पित था कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात, ठेकेदार अपनी लागत से तीन वर्षो

तक सड़क की सतह का अनुरक्षण करेगा । कम्पनी ने छः प्रस्ताव प्राप्त किये जो 4 जून 2002 को खोले गये । न्यूनतम तीन प्रस्ताव थे- खुराना कंस्ट्रक्शन (न्यूनतम-1)[48] दीप इन्टर प्राइजेज (न्यूनतम-2)[49] तथा प्रकाश आस्फाल्टिंग टॉल हाईवेज लिमिटेड (न्यूनतम-3)[50]।

निविदा समिति ने पहले और दूसरे न्यूनतम निविदाकारों के प्रस्तावों पर इस आधार पर विचार नहीं किया (जून 2002) कि निविदाओं के साथ निविदा आमंत्रण नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न नहीं थी तथा निविदाएं खोलने के समय उपस्थित अन्य निविदाकारों का यह मत था कि यदि निविदा आंमत्रण नोटिस संलग्न नहीं होगा तो ठेकेदार तीन वर्षों के लिये सड़क का अनुरक्षण करने के लिये बाध्य नहीं होगा । प्रकाश आस्फल्टिंग टॉल हाईवेज लिमिटेड का तीसरा न्यूनतम प्रस्ताव क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) की तत्कालीन प्रचलित दरों की तुलना में ऊँचा माना गया था अतएव यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तथा दुबारा निविदा आमंत्रित करना तय किया गया । निविदाएं दुबारा आमंत्रित की गई (जुलाई 2002) जिनके विरूद्ध चार प्रस्ताव प्राप्त हुए । दर अनुसूची से 10.10 प्रतिशत नीचे प्रकाश आस्फाल्टिंग टॉल हाईवेज लिमिटेड का न्यूनतम प्रस्ताव (जून 2002 में जारी किये गये निविदा आमंत्रण नोटिस में तीसरा न्यूनतम) स्वीकार किया गया (अगस्त 2002) क्योंकि उसके द्वारा उदद्यृत दरें विवेकसम्मत मानी गई तथा उसे सितम्बर 2002 में निमार्ण कार्य दे दिया गया । यह निमार्ण कार्य 2.40 करोड़ रूपए की लागत से पूर्ण किया गया था । लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः

- निविदा अनुसूची की धारा 8 (पृष्ठ 3) के अनुसार, ठेकेदार द्वारा निविदा की प्रस्तुति करने का यह अभिप्राय है कि उसने नोटिस, निविदा की शर्तों एवं अन्य सभी ठेका संबंधी दस्तावेजों को पढ़ लिया है तथा उसने इस संबंध में निर्धारित मानक तथा कार्यविधि एवं किये जाने वाले निर्माण कार्य के क्षेत्र एवं नमूने से स्वयं को अवगत कर लिया है । शंका होने के प्रकरण में, निविदा समिति निविदाकारों से अथवा निविदाएं खुलने के समय पर उपस्थित उनके प्रतिनिधियों से आवश्यक स्पष्टीकरण माँग सकती थी । ऐसा नहीं किया गया ।
- जून 2002 में, निविदा समिति ने महसूस किया कि दर अनुसूची से 10 प्रतिशत नीचे की दर पर प्रकाश आस्फाल्टिंग टॉल हाईवेज लिमिटेड का प्रस्ताव (तीसरा न्यूनतम) लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) की दरों की तुलना में ऊँचा था, जबकि इस समिति ने दर अनुसूची से 10.10 प्रतिशत नीचे की दर पर प्रकाश आस्फल्टिंग टॉल हाईवेज के प्रस्ताव को विवेक सम्मत माना (अगस्त 2002) ।

48 *न्यूनतम-1 (दर अनुसूची से 24.39 प्रतिशत नीचे)*

49 *न्यूनतम-2 (दर अनुसूची से 17.10 प्रतिशत नीचे)*

50 *न्यूनतम-3 (दर अनुसूची से 10 प्रतिशत)*

इस प्रकार न्यूनतम प्रस्ताव का विचार न करने में निविदा समिति के अनुचित निर्णय के परिणामस्वरूप 34.24 लाख रूपए का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ ।

प्रबंध समिति ने बताया (फरवरी 2005) कि जून 2002 में पहली बार बुलाई गई निविदाओं के विरूद्ध न्यूनतम निविदाकार ने निविदा के साथ निविदा आमंत्रण नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की थी अतएव निविदा समिति ने नई निविदायें आमंत्रित करने का निर्णय लिया । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदाकार निविदा आमंत्रण नोटिस में दी गई शर्तों को ध्यान में रखते हुये ही दरों को उदद्यृत करते हैं । इस पर भी, निविदाकार ने प्रस्ताव में यह इंकार भी नहीं किया था कि वह निविदा आमंत्रण नोटिस में उल्लेखानुसार तीन वर्षों तक सड़क का अनुरक्षण नहीं करेगा ।

यह प्रकरण सरकार/प्रबंध समिति को सूचित किया गया (मई 2006), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2006)

संविधिक निगम

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

अधिक भाड़े का भुगतान

भाड़े के देयकों की छानबीन करने तथा वापसी के दावे उठाने में विलम्ब होने के परिणामस्वरूप 2.86 करोड़ रूपए के अधिक परिवहन प्रभारों का भुगतान किया गया ।

4.11 संजय गांधी ताप विद्युत गृह, वीरसिंगपुर में विद्युत उत्पादन हेतु मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल), दक्षिण पूर्व कोलफिल्ड लिमिटेड की विभिन्न खदानों से प्राप्त कोयले का उपयोग कर रहा था । इस कोयले का परिवहन रेल के माल डिब्बों द्वारा खदानों से संजय गांधी ताप विद्युत गृह को किया जा रहा था तथा मण्डल ने, रेलवे द्वारा गणना किये अनुसार, खदानों से संजय गांधी ताप विद्युत गृह की दूरी के आधार पर भाड़ा प्रभारों का भुगतान किया । लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मण्डल ने अंतर्गत दूरी की सही स्थिति का सत्यापन किये बिना रेलवे के भाड़ा देयकों का भुगतान किया, परिणामस्वरूप अधिक भाड़े का भुगतान किया गया ।

मण्डल ने 2003-04 से 2005-06 के दौरान रेलवे के साथ अधिक भाड़े के भुगतान का प्रकरण उठाया परन्तु रेलवे ने 2.86 करोड़ रूपए की राशि के 10 प्रकरणों से संबंधित दावे यह कहकर अमान्य कर दिये कि ये दावे माल की सुपुर्दगी की तारीख से छः महीने के पश्चात प्रस्तुत किये गये थे अतएव ये भारतीय रेलवे अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है ।

इस प्रकार रेलवे द्वारा दावा की गई दूरी एंवं भाड़े, की उचित छानबीन के अभाव में तथा वापसी के दावे विलम्ब से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप मंडल को 2.86 करोड़ रूपए की हानि हुई ।

मण्डल ने बताया (जून 2006) कि रेलवे द्वारा उगाही किये गये तथा रेलवे की पावती में उल्लेखित भाड़ा प्रभार कोयले की मात्रा के सम्बंध में सत्यापित किये गये थे तथा रेलवे की पावती में उल्लिखित दूरी भारतीय रेलवे पर पूरी तरह विश्वास करते हुये आगे किसी अधिकृत प्रमाणीकरण के बिना स्वीकार की गई थी ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल को अपने स्वयं के वित्तीय हित में, भुगतान करने से पहले भाड़ा देयकों की शुद्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिये थी । इसके अतिरिक्त, उसे छः महीने की स्वीकार्य अवधि के भीतर ही दावा करना सुनिश्चित करना चाहिये था ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2006), उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2006)।

निधियों का अवरोध

अग्नि शमन प्रणाली प्रारंभ न करना तथा निधियों का तत्परिणामी अवरोध होना

4.12 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) ने, 3.76 करोड़ रूपए में, संजय गांधी ताप विद्युत गृह वीरसिंगपुर की युनिट-3 और 4 में स्थापित किये जाने हेतु सहायक पुर्जो तथा स्पेयर व विशेष यंत्रों सहित अग्नि शमक प्रणाली के सम्पूर्ण पैकेज की आकृति, यांत्रिकी, निर्माण एवं विमोचन (स्टेज-2) के लिये टैक्नोफैब इंजीनियरिंग लिमिटेड को आदेश दिया (अक्टूबर 1999) । 52.67 लाख रूपए की अनुमानित लागत से अग्निशमन प्रणाली लगाने, टैस्ट करने तथा चालू करने के लिये एक और आदेश भी उसी ठेकेदार को दिया गया (दिसम्बर 1999) ।

आदेशों के निर्बंधनों के अनुसार, अग्निशमन प्रणाली की आपूर्ति कर उसे लगाने का कार्य मांगपत्र के दिनांक (10 अगस्त 1999) से 15 महीने के भीतर अर्थात 11 नवम्बर 2000 से पहले पूर्ण किया जाना था । ठेकेदार ने न केवल सामग्री की आपूर्ति करने में विलम्ब किया बल्कि वह 3.36 करोड़ रूपए मूल्य की 90 प्रतिशत सामग्री की आपूर्ति करने (जनवरी 2003 तक) के पश्चात भी अग्निशमन प्रणाली को लगाने एवं चालू करने में असफल रहा ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मंडल द्वारा एक आदेश, अग्निशमन प्रणाली की आपूर्ति करने एवं उसे लगाने के लिए, अप्रैल 1994 और अक्टूबर 1994 में पूर्ण करने की अनुसूचित तारीखों के साथ, 8.83 करोड़ रूपए की कुल लागत से, संजय गांधी ताप विद्युत गृह की युनिट-I और II (स्टेज-I) में, टैक्नोफैब इंजीनियरिंग लिमिटेड को जुलाई और अगस्त 1993 में पहले ही दिया गया था । आपूर्तिकर्ता अग्निशमन प्रणाली को लगाने में असफल हो चुका था परन्तु अप्रैल 1998 तक कार्य की अवधि बढ़ा दी गई थी । सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली को चालू करने का कार्य फिर भी पूरा नहीं किया गया था ।

पहले के ठेके के अंतर्गत कार्यपूर्ण करने में फर्म की असफलता के बावजूद मण्डल ने उसी कार्य के लिये उसी आपूतिकर्ता को दुबारा आदेश दिया ।

इस प्रकार, उसी ठेकेदार को अग्निशमन प्रणाली की आपूर्ति करने एवं उसे लगानें के लिये आदेश देने में मंडल के अन्यायोचित निर्णय के परिणामस्वरूप 3.36 करोड़ रूपए की निधियों का अवरोध हुआ और मंडल को 1.28 करोड़ रूपए के ब्याज की (मार्च 2006 तक) तत्परिणामी हानि हुई ।

मण्डल ने बताया (सितम्बर 2005) कि अग्निशमन प्रणाली के आदेश इस योग्यता प्राप्त/ अनुभवी बोलीकर्ता को, जो कि ऐसी बड़ी परियोनाओं को पूर्ण कर चुका था, इसलिये दिये गये थे क्योंकि आदेश को अन्तिम रूप देते समय, कार्य में विलम्ब होने की ऐसी कोई सूचना नहीं थी ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार जुलाई/अगस्त 1993 में दिये गये ठेके के विरूद्ध आपूर्ति को समय पर पूर्ण करने में पहले ही दोषी रह चुका था । मंडल ने फर्म की पहले की असफलता की अनदेखी करते हुये उसी फर्म को अनुवर्ती आदेश भी दे दिये थे, यह प्रकरण सरकार /मंडल को अप्रैल 2006 में सूचित किया गया । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2006) ।

राजस्व का कम देयक बनाना

टैरिफ व्यवस्था का पालन न करने के परिणामस्वरूप विद्युत प्रभारों की कम राशि के देयक बने और 1.10 करोड़ रूपए के राजस्व की तत्परिणामी हानि हुई ।

4.13 मीटर सहित कनैक्शन प्राप्त करने के लिये उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 30 दिसम्बर 2004 से प्रभावशील करके देयक बनाने के लिये टैरिफ के पुनर्निरिक्षण का अनुमोदन किया । पुनरीक्षित टैरिफ के अनुसार, 100 रूपए प्रतिमाह कि विद्यमान दर के विरूद्ध, केवल घरेलू प्रयोजन के लिये विद्युत का उपयोग करने वाले, प्रत्येक घरेलू मीटर रहित उपभोक्ता से, शहरी क्षेत्रों में 170 रूपए प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 160 रूपए प्रतिमाह का एकमुश्त प्रभार वसूल किया जाना था । आगे इन प्रभारों में प्रत्येक तिमाही 10 रूपए की वृद्धि की जानी थी ।

दमोह संभाग (संचालन एवं संधारण) में लेखापरीक्षा के दौरान (मार्च 2006) यह देखा गया कि जनवरी और फरवरी 2005 में मीटर रहित घरेलू उपभोक्ताओं के देयक 170 रूपए/160 रूपए प्रतिमाह की प्रयोज्य दर के विरूद्ध केवल 100 रूपए प्रतिमाह की दर से तैयार किये गये थे । नौ[51] अन्य संभागों में भी देखा गया कि जनवरी से मार्च 2005 तक की अवधि में मीटर रहित घरेलू उपभोक्ताओं के देयक टैरिफ व्यवस्था के अनुसार तैयार नहीं किये गये थे । इसके परिणामस्वरूप ***परिशिष्ट-22*** में दिये गये विवरण के अनुसार 1.10 करोड़ रूपए की कम राशि के देयक तैयार किये गये ।

कार्यपालन यंत्री दमोह (दक्षिण) ने कम राशि के देयक बनाया जाना स्वीकार किया (मार्च 2006) तथा बताया कि उपभोक्ताओं के विरूद्ध मांग करके वसूली की जायेगी ।

[51] *दमोह (संचालन एवं संधारण), झाबुआ (संचालन एवं संधारण), राजगढ़, अलीराजपुर (संचालन एवं संधारण), बरवाहा, खरगोन, मण्डलेश्वर, सेंधवा, बड़वानी ।*

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अभी तक (अगस्त 2006) किसी भी संभाग में मांग करके वसूली नहीं की गई थी । इस प्रकार विभिन्न संभागों द्वारा कम राशि के देयक बनाये जाने के कारण मण्डल को 1.10 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ी थी ।

यह प्रकरण सरकार/बोर्ड को सूचित किया गया (मई 2006), उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2006) ।

जोखिम और लागत क्रय धारा लागू नहीं करना

दोषी आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध जोखिम और लागत क्रय धारा लागू न करने के परिणामस्वरूप 70.06 लाख रूपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया ।

4.14 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) ने मड़ीखेडा पन बिजली परियोजना के सिविल निर्माण कार्य के लिये टोर/कोमल स्टील छड़ों (माइल्ड स्टील बार्स) की आपूर्ति करने के लिये निविदायें आमंत्रित की (11 नवम्बर 2003) । मण्डल ने 2.93 करोड़ रूपए की लागत के, विमल इंडस्ट्रीज के न्यूनतम प्रस्ताव पर आदेश जारी किया (जनवरी 2004) । इस आदेश में प्रावधान था कि आपूर्ति, आदेश जारी होते ही तुरंत प्रारंभ कर दी जायेगी तथा उससे 60 दिन के भीतर पूर्ण कर दी जायेगी । आदेश के निर्बंधन भंग होने की दशा में मण्डल को आपूर्तिकर्ता की जोखिम एवं लागत पर सामग्री की प्रदाय न की गई मात्रा को क्रय करने का अधिकार था ।

ठेकेदार ने, आदेश प्राप्त होने पर, सामग्री की आपूर्ति करने के लिये अपनी अनिच्छा व्यक्त की । मण्डल ने आपूर्तिकर्ता को नोटिस दिया तथा 70.56 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय करते हुये अन्य स्त्रोत से सामग्री प्राप्त करने के लिये कार्यवाही प्रारंभ की । यद्यपि मण्डल के अधिवक्ता ने दोषी ठेकेदार से अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिये अभियोग पेश करने का परामर्श दिया (अप्रैल 2004) तथापि मण्डल ने उक्त ठेका निरस्त कर दिया तथा वसूली के लिये प्रकरण पेश नहीं करने का निर्णय लिया (अगस्त 2004) । मण्डल ने केवल 50,000 रूपए की ई.एम.डी. जब्त की (मई 2005) तथा फर्म को पाँच वर्ष के लिये काली सूची में डाल दिया ।

इस प्रकार, दोषी आपूर्तिकर्ता की जोखिम एवं लागत पर क्रय से संबंधित ठेके की धारा को लागू करने में मण्डल की असफलता के परिणामस्वरूप मण्डल को 70.06 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

मण्डल ने बताया (जून 2006) कि उसने अपने परामर्शदाता द्वारा दिये गये कानूनी परामर्श के आधार पर ही कार्य किया था तथा वह उस राशि की वसूली के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही कर रहा था ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कानूनी परामर्शदाता ने अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिये मुकदमा दायर करने का परामर्श दिया था, किन्तु मण्डल ने सिविल मुक्दमा दायर नहीं किया ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मई 2006), उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2006) ।

अनुचित प्रतिभूति जमा की स्वीकृति

मण्डल के पक्ष में ठेकेदार द्वारा जारी नहीं की गई नियत जमा पावतियों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ठेकेदार से 38.67 लाख रूपए की राशि के प्राप्य धन की वसूली नहीं हुई ।

4.15 संजय गांधी ताप विद्युत गृह, वीरसिंगपुर के लिये, रेल के माध्यम से, कोयले की लदान एवं संचालन के पर्यवेक्षण सहित गुणवत्ता एवं मात्रा में तालमेंल रखने का कार्य, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा 42.68 लाख रूपए की लागत से तीन वर्ष की अवधि के लिये बी.एस.एन. जोशी एण्ड सन्स, विशाखापटनम (ठेकेदार) को दिया गया था (जनवरी 2000) ।

इसके कार्य के क्षेत्र में, विद्युत गृह के संबंधित कार्यालयों से रेलवे भाड़ा प्रभार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट संकलित करना तथा उन्हें रेलवे पावतियों के संकलन हेतु संबंधित रेलवे प्राधिकारियों को सौंपना शामिल था । ठेकेदार का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना था कि रेलवे पावतियां भाड़ा प्रदत्त आधार पर तैयार की गई हो तथा रेलवे द्वारा कोई दाण्डिक प्रभार वसूल नहीं किया गया हो । यदि कोई दण्ड प्रभारित किया जाता है तो वह ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिये था ।

ठेका पूर्ण होने पर (15 मार्च 2003) मण्डल ने पाया (अगस्त 2004) कि रेलवे ने ठेकेदार द्वारा लदान के स्थान पर भाड़ा प्रभारों के भुगतान में विलम्ब किये जाने के कारण, मण्डल से 97.01 लाख रूपए की राशि का अधिभार वसूल कर लिया था और फर्म की प्रतिभूति जमा तथा चालू देयकों का समायोजन करने के उपरांत ठेकेदार से 93.41 लाख रूपए की राशि वसूली योग्य थी । इसलिये मण्डल ने अन्य निर्माण कार्यों के सम्बंध में ठेकेदार से संग्रहित 53.17 लाख रूपए की राशि की प्रतिभूति जमा तथा ई.एम.डी. के नगदीकरण का निर्णय लिया (अगस्त 2004) तथा न्यायालय में मुकदमा दायर करना भी तय किया । जब मण्डल ने ठेकेदार के बैंक में, प्रतिभूति जमा के रूप में संग्रहीत नियत जमा पावतियों के नगदीकरण का प्रकरण उठाया तो उसने केवल 14.31 लाख रूपए (बैंक कमीशन एवं आयकर का कटोत्रा करने के उपरांत) विमोचित कर दिये तथा नियत जमा पावतियां यह कहते हुये मण्डल को वापस कर दीं (अक्टूबर 2004) कि इन दस्तावेजों से ऋण भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि वे ठेकेदार द्वारा मण्डल के पक्ष में जारी नहीं कि गई थी । बैंक ने मण्डल से कहा कि वह नियत जमा पावतियों को ठेकेदार द्वारा मुक्त कराये अथवा उनके नगदीकरण के लिये ठेकेदार द्वारा जारी किया गया रद्द नहीं करने योग्य प्राधिकार-पत्र प्रस्तुत करे । लेकिन मण्डल उन दोनों में से कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सका, परिणामस्वरूप बैंक द्वारा दस्तावेजों से ऋण भुगतान नहीं किया गया ।

इस प्रकार प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त एवं अनुचित दस्तावेज स्वीकार करने के कारण, मण्डल ठेकेदार से 38.67[52] लाख रूपए की वसूली नहीं कर सका ।

यदि मण्डल ने नियत जमा पावतियां स्वीकार करते समय उनका सत्यापन किया होता तो यह हानि होने से बचा जा सकता था ।

यह प्रकरण सरकार/मण्डल को सूचित किया गया (मई 2006), उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2006)।

ऊँची दरों पर वाणिज्यिक कर का भुगतान करने के कारण परिहार्य व्यय ।

वाणिज्यिक कर की रियायती दर का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप 15.81 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ ।

4.16 मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण में उपयोग करने हेतु प्राप्त कच्चे माल एवं प्रासंगिक सामान पर वाणिज्यिक कर की रियायती दर प्रचलित की (सितम्बर 1998) । 1 अप्रैल 2000 से रियायती दर प्राप्त करने के लिये कच्चे माल के रूप में सीमेंन्ट को भी योग्य माना गया ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मुख्य अभियंता (सिविल), उत्पादन एवं वितरण परियोजना ने 4.6 प्रतिशत की दर पर वाणिज्यिक कर की रियायती दर का उपयोग नहीं किया तथा उसके स्थान पर विभिन्न परियोजनाओं के लिये अप्रैल 2000 और जून 2004 के बीच में क्रय की गई 8,222 मैट्रिक टन सीमेंन्ट पर 13.8 प्रतिशत की उच्चतर दर का भुगतान किया, परिणामस्वरूप 15.81 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुये, मण्डल ने बताया (जून 2006) कि उसके अपने कानूनी परामर्शदाता से परामर्श करके, आपूर्तिकर्ता से 15.81 लाख रूपए की वसूली के लिये कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी । तथापि, वास्तविक वसूली के सम्बंध में प्रतिवेदन, अभी प्रतीक्षित है (सितम्बर 2006) ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (मई 2006), लेकिन उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2006) ।

आवश्यकता के बिना की गई खरीददारी

1.20 करोड़ रूपए की निधियां अवरूद्ध हुई तथा 17.16 लाख रूपए के ब्याज की तत्परिणामी हानि हुई ।

4.17 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) ने संजय गांधी ताप विद्युत गृह, वीरसिंगपुर की चार इकाईयों को प्रारंभ करने के लिये आवश्यक सहायक उपकरणों को

52 *(1) नगदीकरण के लिये उपलब्ध कुल नियत जमा पावतियां 53.17 लाख रूपए । (2) आयकर और बैक प्रभार के कटोत्रे के पश्चात दो नियत जमा पावतियो के नगदीकरण द्वारा प्राप्त राशि 14.31 लाख रूपए । (3) नगदीकरण न की गई नियत जमा पावतियां 38.67 लाख रूपए ।*

चालू रखने में, ग्रिड खराब होने के कारण उत्पन्न हुई किसी आपातकालीन स्थिति की पूर्ति करने के लिये, दो डीजल जनरेटर सैट प्राप्त करने का निर्णय लिया (जून 1992) । मण्डल ने 1.70 करोड़[53] रूपए की कुल लागत से, दो 1000 के.वी.ए. के डीजल जनरेटर सैट तथा सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिये, पॉवरिका लिमिटेड, मुम्बई को एक आदेश जारी किया (जुलाई 2001) । एक और आदेश (जुलाई 2001) उसी आपूर्तिकर्ता को, 3 लाख रूपए की कुल लागत से सहायक उपकरण एवं उपभोग्य वस्तुओं सहित दो डीजल जनरेटर सैटों को उतारने, खड़ा करने, टैस्ट करने तथा चालू करने के लिये दिया गया । ये कार्य क्रमशः 31 जनवरी 2003 और 31 मार्च 2003 तक पूर्ण किये जाने थे ।

ठेकेदार ने 1.32 करोड़ रूपए मूल्य के डीजल जनरेटर सैटों की आपूर्ति की (नवम्बर 2002) । आपूर्ति आदेश के अनुसार मण्डल को निर्माण स्थल पर सामग्री की प्राप्ति के पश्चात 30 दिवस के भीतर 90 प्रतिशत बीजक राशि जारी करना आवश्यक था, किंतु मण्डल ने भुगतान नहीं किया ।

ठेकेदार ने भुगतान प्राप्त करने के लिये मण्डल और सरकार से सम्पर्क किया । भुगतान जारी करने के बजाय, मण्डल ने दोनों में से किसी के भी पक्ष में किसी वित्तिय दायित्व के बिना, अपने ही जोखिम एवं लागत पर निर्माण स्थल से डीजल जनरेटर सैटों को उठाने के लिये ठेकेदार से कहा (जुलाई 2003) । यद्यपि ठेकेदार सहमत हो गया परन्तु उसके द्वारा डीजल जनरेटर सैट उठाये नहीं गये ।

बाद में, मण्डल ने किस्तों में भुगतान जारी करने तथा आदेश के अनुसार, डीजल जनरेटर सैटों को खड़ा करने, टैस्ट करने तथा चालु करने के कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया (अगस्त 2004) । मण्डल ने सितम्बर 2004 और अप्रैल 2005 के बीच में ठेकेदार को 1.20 करोड़ रूपए का भुगतान किया परन्तु डीजल सैट अभी तक (मई 2006) चालू नहीं किये गये हैं । इस प्रकार आवश्यकता के बिना डीजल जनरेटर सैटों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप 1.20 करोड़ रूपए की राशि की निधियां अवरूद्ध हुई, तथा 17.16 लाख रूपए के ब्याज की तत्परिणामी हानि हुई ।

मण्डल ने बताया (मई 2006) कि निधियों के अभाव के कारण वह भुगतान नहीं कर सका तथा जब आपूर्ति की गई तब डीजल जनरेटर सैटों की सुपुर्दगी प्राप्त नहीं कर सका ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल को आदेश जारी करने के पूर्व निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिये थी ।

यह प्रकरण सरकार को सूचित किया गया (अप्रैल 2006), परन्तु उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2006) ।

53 *डीजल जनरेटर सैट तथा सहायक उपकरण 1.31 करोड़ रूपए तथा शुल्क, स्पेअर एवं अन्य 0.39 करोड़ रूपए ।*

भुगतान जारी करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

11 के.वी. वैक्युम सर्किट ब्रैकर्स की आदेशित आपूर्तियाँ प्रभावशीलन नहीं होने के परिणामस्वरूप 16.18 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

4.18 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) ने विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को 1,15,500 रूपए प्रत्येक से 700 की संख्या में 11 के.वी. के वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स की प्राप्ति के लिये आदेश जारी किये (नवम्बर 2002) । मण्डल द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में विलम्ब के कारण फर्म ने सम्पूर्ण मात्रा में आपूर्ति नहीं की तथा 287 वैक्युम सर्किट ब्रैकर्स आपूर्ति के लिये शेष रहे । मण्डल ने इस पूर्वधारणा पर कि आपूर्ति किए जाने वाले वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स के निर्माण में अधिक समय लगता है, इसलिये सामग्री की प्राप्ति से 45 दिवस के भीतर 100 प्रतिशत आश्वस्त भुगतान पर 500 वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स (पहले के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदाय नहीं किये गये 287 वैक्युम सर्किट ब्रैकर्स सहित) की प्राप्ति के लिये एक अन्य निविदा आमंत्रित की (दिसम्बर 2003) । 1,47,855 रूपए प्रति वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स की दर पर, बाद की निविदा में प्राप्त न्यूनतम प्रस्ताव पहले की दरों की तुलना में 32,355 रूपए ज्यादा थी । यद्यपि मण्डल ने चेयरमैन के हस्तक्षेप करने पर भुगतान की संशोधित शर्त पर वैक्युम सर्किट बैकर्स की शेष मात्रा की आपूर्ति करने के लिये मूल आपूर्तिकर्ताओं से सम्पर्क किया तथा आपूर्तिकर्ता उनकी आपूर्ति करने के लिये सहमत भी हुये, फिर भी मण्डल ने ऐसा मानकर कि मूल आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 287 वैक्युम सर्किट ब्रैकर्स की लम्बित आपूर्ति के विरूद्ध केवल 172 की ही आपूर्ति की जायेगी, अनुवर्ती निविदा के विरूद्ध (जुलाई और अगस्त 2004 में) ऊँची दर पर 178 उपकरणों की आपूर्ति के लिये आदेश जारी कर दिये ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आपूर्तिकर्ता 172 की अपेक्षित मात्रा में से केवल 117 वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स की आपूर्ति ही कर सके । एक और आपूर्तिकर्ता (क्रॉम्पटन ग्रीव्स) ने भी पहले की ही दरों पर 120 वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स की आपूर्ति की । इस प्रकार केवल 237 वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स की, पिछली दरों पर आपूर्ति की व्यवस्था की जा सकी परिणामस्वरूप 50 वैक्युम सर्किट ब्रैकर्स की आपूर्ति नहीं की गई, उनकी प्राप्ति 16.18 लाख रूपए का अतिरिक्त परिहार्य व्यय करके उच्चतर दरों पर की गई ।

मुख्य यंत्री (एस.एण्ड.पी.) ने बताया (जनवरी 2006) कि उन्होनें 607 वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स की कुल आवश्यकता के विरूद्ध केवल 390 वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स ही प्राप्त किये जिनमें से 237 न्यूनतम दर पर क्रय किये गये । इसलिये अतिरिक्त भुगतान का कोई प्रश्न ही नहीं था, बल्कि प्राप्त न करने के कारण 217 (607-390) वैक्युम सर्किट ब्रैकर्स की बचत ही हुई थी ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहले के आदेश (नवम्बर 2002) में शामिल 50 वैक्यूम सर्किट ब्रैकर्स जिनकी आपूर्ति नहीं की गई थी, को अनुवर्ती निविदा (दिसम्बर

2003) के विरूद्ध, ऊँची कीमत पर प्राप्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 16.18 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

यह प्रकरण सरकार/मण्डल को प्रेषित किया गया (मई 2006), लेकिन उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2006) ।

अतिरिक्त व्यय

आवश्यकतानुसार अग्रिम भुगतान करने विलम्ब के कारण 12.60 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय ।

4.19 घोरा-डोंगरी-सारनी ब्रॉड गेज साइडिंग का तत्काल सुधार करने हेतु, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) ने 1.88 करोड़ रूपए की कुल लागत से (उस समय प्रचलित आबकारी शुल्क तथा चुंगी सहित) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 608.80 मैट्रिक टन पटरियों के प्रदाय के लिये आदेश जारी किया (दिसम्बर 2004) ।

आदेश के निर्बंधन एवं शर्तों के अनुसार, आदेश जारी होने के पश्चात आबकारी शुल्क में होने वाली कोई भी वृद्धि मण्डल द्वारा देय थी तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रारूप बीजक के विरूद्ध सामग्री का कुल मूल्य दो किस्तों में अग्रिम में जारी किया जाना था और आपूर्तियां 31 मार्च 2005 तक पूर्ण की जानी थी ।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 98.47 लाख रूपए की राशि की 308 मैट्रिक टन मात्रा के लिये प्रारूप बीजक प्रस्तुत किया (जनवरी 2005) जिसमें क्रय आदेश में उल्लिखित 12 प्रतिशत के विरूद्ध 16 प्रतिशत आबकारी शुल्क शामिल था, इस प्रकार 608.80 मैट्रिक टन के लिये पुनरीक्षित मूल्य 1.94 करोड़ रूपए परिगणित किया गया । आपूर्तिकर्ता ने तुरंत अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करने के लिये मण्डल को स्मरण कराया (फरवरी और मार्च 2005) । तथापि मण्डल ने निधियाँ उपलब्ध होने के बावजूद 31 मार्च 2005 से पूर्व अग्रिम भुगतान नहीं किया, इस कारण से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 4 अप्रैल 2005 को आदेश निरस्त कर दिये ।

चूँकी सामग्री की तत्काल आवश्यकता थी अतः मण्डल ने नई निविदायें आमंत्रित की (जून 2005) जिनके विरूद्ध 2.07 करोड़ रूपए की एक मात्र वैध बोली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त हुई । मण्डल ने निविदा स्वीकार कर ली तथा 608.80 मैट्रिक की मूल मात्रा के लिये आदेश जारी कर दिया (सितम्बर 2005) जिसके विरूद्ध 598.50 मैट्रिक टन मात्रा की आपूर्ति की गई तथा सितम्बर और दिसम्बर 2005 के बीच में भुगतान किया गया । इस प्रकार पहले आदेश के विरूद्ध भुगतान जारी करने में हुये अन्यायोचित विलम्ब के कारण मण्डल को 12.60 लाख रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

मण्डल ने बताया (मई 2006) कि चूँकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किसी सहायक दस्तावेज के बिना ही प्रारूप बीजक प्रस्तुत कर दिया था, अतएव आबकारी शुल्क में कोई परिवर्तन होने पर आदेश में संशोधन करना आवश्यक हुआ । स्टील

अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अधिसूचना की प्रतिलिपि 2 मार्च 2005 को ही प्रदाय की जिसके परिणामस्वरूप आदेश का पुनरीक्षण करने और अग्रिम जारी करने में विलम्ब हुआ ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आबकारी शुल्क में परिवर्तन की अधिसूचना 2 मार्च 2005 को ही अर्थात आपूर्ति पूर्ण होने के लिये नियत दिनांक के भीतर ही भेज दी थी ।

यह प्रकरण सरकार/मण्डल को (अप्रैल 2006) में सूचित किया गया, परन्तु उसका उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2006) ।

सामान्य

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं तथा समीक्षाओं के उत्तर

4.20 स्थल पर ही निराकरण न की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों तथा राज्य सरकार के सम्बंधित प्रशासनिक विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संसूचित की जाती है । सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुखों को, छः सप्ताह की अवधि के अंतर्गत प्रशासनिक विभागों के संबंधित प्रमुखों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है । 28 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से संबंधित मार्च 2006 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह दर्शाया गया था कि सितम्बर 2006 के अंत में 2,088 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 5,573 कण्डिकायें लम्बित रहीं थी ***(परिशिष्ट-23)*** । इनमें से 4,803 कण्डिकाओं वाले 1,912 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर 1 से 20 वर्षों से नहीं दिये गये थे ।

इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिकायें, एवं समीक्षायें, अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव को प्रेषित कर दी गई थी । जिससे कि वे छः सप्ताह की अवधि के अंतर्गत तथ्यों एवं आकडों की पुष्टि कर सकें एवं उन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सके । परन्तु यह देखा गया कि अप्रैल 2006 तथा अगस्त 2006 के मध्य विभिन्न विभागों को प्रेषित 19 प्रारूप कण्डिकाओं तथा 5 प्रारूप समीक्षाओं में से, समस्त समीक्षाओं तथा 12 प्रारूप कण्डिकाओं के उत्तर ***परिशिष्ट-24*** में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतीक्षित रहे (सितम्बर 2006) ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये किः (क) उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये प्रक्रिया विद्यमान हो जो निर्धारित समय सारणी के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों / प्रारूप कण्डिकाओं / समीक्षाओं के उत्तर भेजने में विफल रहते हैं, (ख) एक निर्धारित समय सीमा में हानियों / लम्बित अग्रिमों / अधिक

भुगतानों की वसूली करने के लिये कार्यवाही की गई है और (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर देने की प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है ।

ग्वालियर
दिनांक 9 MAR 2007

(जे.एन.गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 13 MAR 2007

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-1

(कंडिका 1.3, 1.4, 1.5 एवं 1.17 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के पूंजी, बजट से प्राप्त ऋण/अंशपूंजी, अन्य ऋण तथा 31 मार्च 2005 को बकाया ऋणों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण-पत्रक

(स्तम्भ 3(क) से 4(च) में आँकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी (अंश आवेदन राशि साहित)					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूंजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण	2005-06 के अंत में बकाया ऋण **			2005-06 के लिए ऋण-अंशपूंजी अनुपात (विगत वर्ष) 4च/3ड
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकारी	धारक कम्पनी	अन्य	कुल	अंशपूंजी	ऋण		सरकार	अन्य	योग	
1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड)	4(च)	5
(अ)	**सरकारी कम्पनियाँ**												
	कार्यशील												
(क)	**कृषि एवं सम्बद्ध**												
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	209.50	120.00	--	--	329.50	--	--	--	197.16	--	197.16	0.60:1 (0.60:1)
	योग (क)	**209.50**	**120.00**	--	--	**329.50**	--	--	--	**197.16**	--	**197.16**	**0.60:1 (0.60:1)**
(ख)	**उद्योग**												
2.	म.प्र.ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन मर्यादित	80.25	--	--	--	80.25	--	--	--	--	--	--	--
3.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	267.75	15.00	--	--	282.75	--	--	--	--	--	--	--
4.	पिथमपुर ऑटोक्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	--	--	80.50	12.50	93.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ख)	**348.00**	**15.00**	**80.50**	**12.50**	**456.00**	--	--	--	--	--	--	--
(ग)	**इलेक्ट्रॉनिक्स**												
5.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित	2191.25	--	--	--	2191.25	--	--	--	--	--	--	--
6.	क्रिस्टल आई.टी. पार्क इंदौर मर्यादित	--	--	5.00	--	5.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ग)	**2191.25**	--	**5.00**	--	**2196.25**	--	--	--	--	--	--	--

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
(घ)	**हाथकरघा एवं हस्तशिल्प**												
7..	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित	1.70	52.00	72.46	--	126.16	--	--	10.00	6.00	249.45	255.45	2.02.1 (2.81:1)
	योग (घ)	**1.70**	**52.00**	**72.46**	**--**	**126.16**	**--**	**--**	**10.00**	**6.00**	**249.45**	**255.45**	**2.02.1 (2.81:1)**
(ङ)	वन												
8.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित	3793.16	138.60	--	--	3931.76	--	--	--	--	--	--	(0.23:1)
	योग (ङ)	**3793.16**	**138.60**	**--**	**--**	**3931.76**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**(0.23:1)**
(च)	**खनन**												
9.	म.प्र. राज्य खनन निगम मर्यादित	219.59	--	--	--	219.59	--	--	--	--	--	--	--
	योग (च)	**219.59**	**--**	**--**	**--**	**219.59**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
(छ)	**निर्माण**												
10.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	600.00	--	--	--	600.00	--	537.20	--	--	259.15	259.15	0.43:1 (1.07:1)
11.	म.प्र. सड़क विकास निगम मर्यादित	2000.00	--	--	--	2000.00	1000.00	--	--	--	--	--	--
	योग (छ)	**2600.00**	**--**	**--**	**--**	**2600.00**	**1000.00**	**537.20**	**--**	**--**	**259.15**	**259.15**	**0.09:1 (0.40:1)**
(ज)	**क्षेत्र विकास**												
12	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित	--	--	135.01	--	135.01	-	--	--	--	--	--	--
13.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मर्यादित	--	--	165.00	--	165.00	--	--	1665.93	--	1665.93	1665.93	10.10:1 (184.85:1)
14.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) मर्यादित	--	--	133.11	0.01	133.12	--	--	--	--	--	--	-- --
15.	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित	--	--	80.00	--	80.00	--	--	--	71.29	37.50	108.79	1.36:1 (1.83:1)
16.	इण्डस्ट्रीयल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (ग्वालियर) मर्यादित	--	--	75.00	--	75.00	--	--	--	--	--	--	-- --
17.	विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर मर्यादित	200.00	--	2497.40	--	2697.40		--	--	--	--	--	--
	योग (ज)	**200.00**	**--**	**3085.52**	**0.01**	**3285.53**		**--**	**1665.93**	**71.29**	**1703.43**	**1774.72**	**0.54:1 (14.69:1)**
(झ)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास**												
18.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	704.85	--	--	--	704.85	30.00	--	100.30	57.80	3334.62	3392.42	4.81:1 (5.00:1)

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
19.	म.प्र. आदिवासी वित्त एव विकास निगम मर्यादित	1867.00	69.00	--	--	1936.00	100.00		598.36	--	3376.40	3376.40	1.74:1 (1.67:1)
	योग (झ)	**2571.85**	**69.00**	**--**	**--**	**2640.85**	**130.00**	**--**	**698.36**	**57.80**	**6711.02**	**6768.82**	**2.56:1 (2.56:1)**
(ञ)	**सार्वजनिक वितरण**												
20.	म.प्र. सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड	847.44	--	--	--	847.44	--	--	--	--	--	--	-- --
	योग (ञ)	**847.44**	**--**	**--**	**--**	**847.44**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-- --**
(ट)	**पर्यटन**												
21.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	2497.29	--	--	--	2497.29	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ट)	**2497.29**	**--**	**--**	**--**	**2497.29**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
(ठ)	**वित्त**												
22.	दी प्रोवीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी मर्यादित	49.26	--	--	0.40	49.66	--	--	--	--	--	--	--
23.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	8109.18	--	--	--	8109.18	--	--	--	1364.27	33917.11	35281.38	4.35:1 (4.35:1)
	योग (ठ)	**8158.44**	**--**	**--**	**0.40**	**8158.84**	**--**	**--**	**--**	**1364.27**	**33917.11**	**35281.38**	**4.32:1 (4.32:1)**
(ड)	**विविध**												
24.	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	68.92	--	--	--	68.92	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ड)	**68.92**	**--**	**--**	**--**	**68.92**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
(ढ)	**ऊर्जा**												
25.	म.प्र. विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित	90183.03	--	--	--	90183.03	88054.87	7296.11	6433.50	26796.11	110287.01	137083.12	1.52:1(-)
26.	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	5.01	--	--	--	5.01	--	--	---	--	--	--	--
27.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	56982.78	--	---	--	56982.78	3677.78	1282.22	70677.99	5646.59	77407.13	83053.72	1.46:1 (1.44:1)
28.	म.प्र. विद्युत निर्माण कंपनी मर्यादित	161271.01	--	--	--	1612071.01	161266.00	--	275031.00	--	262973.00	262973.00	1.63:1 (--)
29.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	31605.01	--	--	--	31605.01	31600.00	--	--	--	--	--	--
	योग (ढ)	**340046.84**	**--**	**--**	**--**	**340046.84**	**284598.65**	**8578.33**	**352142.49**	**32442.70**	**450667.14**	**483109.84**	**1.42:1 (0.29:1)**
	योग-(अ)	**363753.98**	**394.60**	**3243.48**	**12.91**	**367404.97**	**285728.65**	**9115.53**	**354516.78**	**34139.22**	**493507.30**	**527646.52**	**1.44:1 (2.94:1)**

7	4	7	3		-06		9.01		43.45		37.95		1.43 1.43
110.97	9.62	**593.15**		31.97	2.22	305.03	8.81	18.04	227.08	**593.15**	**540.78**		

ड को प्रदर्शित

न जिनके लिये

जमाओं तथा

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
(आ)	सांविधिक निगम												
1.	म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड	71863.00	--	--	--	71863.00	40000.00	57905.06	64252.04	436863.00	398330.42	835193.42	11.62:1 (22.34:1)
2.	म.प्र. सड़क परिवहन निगम	10995.53	3185.35	--	--	14180.88	--	1226.00	--	3375.60	1435.94	4811.54	0.34:1 (0.30:1)
3.	म.प्र. वित्त निगम	5970.49	--	--	2243.80	8214.29	400.00	6000.00	11744.85	6000.00	43236.86	49236.86	5.99:1 (5.49:1)
4.	म.प्र. वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन	428.08	--	--	378.08	806.16	--	--	272.70	--	276.70	276.70	0.34:1 (0.01:1)
	योग-आ	**89257.10**	**3185.35**	--	**2621.88**	**95064.33**	**40400.00**	**65131.06**	**76269.59**	**44628.60**	**443279.92**	**889518.52**	**9.36:1 (10.75:1)**
	योग-अ+आ	**453011.08**	**3579.95**	**3243.48**	**2634.79**	**462469.30**	**326128.65**	**74246.59**	**430786.37**	**480377.82**	**936787.22**	**1417165.04**	**3.06:1 (7.70:1)**
	इ. अकार्यशील कम्पनियाँ												
(क)	कृषि एवं संबद्ध												
1.	म.प्र. उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित	592.29	--	--	--	592.29	--	--	--	--	--	--	--
2.	म.प्र. राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (क)	**592.29**	--	--	--	**592.29**	--	--	--	--	--	--	--
(ख)	उद्योग												
3.	म.प्र. चर्म विकास निगम मर्यादित	154.29	--	--	--	154.29	--	--	--	178.45	--	178.45	1.16:1 (--)
4.	म.प्र. फिल्म विकास निगम मर्यादित	103.84	--	--	--	103.84	--	--	--	--	--	--	--
5.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित	1511.67	--	--	--	1511.67	--	--	--	3254.46	--	3254.46	2.15:1 (2.15:1)
	योग (ख)	**1769.80**	--	--	--	**1769.80**	--	--	--	**3432.91**	--	**3432.91**	**1.94:1 (1.84:1)**
(ग)	इलेक्ट्रोनिक्स												
6.	आप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड	--	--	1500.00	896.71	2396.71	--	--	--	--	4576.72	4576.72	1.91:1 (1.92:1)
	योग (ग)	--	--	**1500.00**	**896.71**	**2396.71**	--	--	--	--	**4576.72**	**4576.72**	**1.91:1 (1.92:1)**
(घ)	वस्त्र												
7.	म.प्र. स्टेट वस्त्र निगम, मर्यादित	685.95	--	--	--	685.95	--	--	--	8481.98	110.20	8592.18	12.53:1 (12.53:1)
	योग (घ)	**685.95**	--	--	--	**685.95**	--	--	--	**8481.98**	**110.20**	**8592.18**	**12.53:1 (12.53:1)**

1.	2.	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	5
(ड़)	निर्माण												
8.	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित	500.00	--	--	--	500.00	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ड़)	500.00	--	--	--	500.00	--	--	--	--	--	--	--
(च)	वित्त												
9.	म.प्र. पंचायतीराज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम, मर्यादित	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (च)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	महायोग इ	3548.04	--	1500.00	896.71	5944.75	--	--	--	11914.89	4686.92	16601.81	2.79:1 (2.75:1)
महायोग (अ+आ+इ)##		456559.12	3579.95	4743.48	35131.50	468414.05	326128.65	74246.59	430786.37	492292.71	941474.14	1433766.85	3.06:1 (7.28:1)

टिप्पणी : *उन कम्पनियों को छोड़कर जिन्होंने वर्ष 2005-06 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है (क्रम संख्या अ-9,15,20 एवं आ-3, इ-4) उनकी जानकारी सामयिक हैं और वैसी है जैसी कि कम्पनियों/निगमों द्वारा दी गई हैं।*

** *इन राशियों में बंधपत्र, ऋणपत्र, इन्टर कॉरपोरेट डिपोजिट आदि शामिल हैं।*

@ *2005-06 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋणों को प्रदर्शित करते हैं।*

$ *वर्ष के अंत में निर्माणाधीन कार्य के विरूद्ध समायोजन किया गया हैं।*

* *चूंकि कंपनी ने वर्ष 2005-06 के लिये कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं अतः विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के लिये स्वीकार कर लिया गया है।*

सरकारी उपक्रमों में राज्य सरकार का निवेश 9488.52 करोड़ रुपये (अन्य का 9533.29 करोड़ रुपये) है। वित्त लेखे के अनुसार निवेश 5491.63 करोड़ रुपये है। अन्तर का मिलान किया जा रहा है।

*** *आंकड़े वित्त लेखे से लिए गए हैं ।*

परिशिष्ट-2

(कंडिका क्रमांक 1.6,1.7,1.13,1.19 एवं 1.20 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है के अद्यतन वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश

(स्तंभ 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूंजी (ए)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशतता	बकाया रहे लेखाओं की अवधि वर्षों में	कुल बिक्री	जनशक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
(अ)	सरकारी कंपनियां														
	कार्यशील														
(क)	कृषि एवं सम्बद्ध														
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	कृषि	21-03-1969	2003-04	2006-07	(-)146.84	(-)169.10	329.50	(-)256.21	467.08	(-)101.85	--	02	21036.28	563
	योग (क)					**(-)146.84**	**(-)169.10**	**329.50**	**(-)256.21**	**467.08**	**(-)101.85**	**--**	**02**	**21036.28**	**563**
(ख)	**उद्योग**														
2..	म.प्र.ट्रेड एण्ड इण्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	14-02-1977	2004-05	2006-07	(+)30.91	--	80.25	(+)533.32	663.57	(+)30.91	4.66	01	4897.36	21
3.	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	28-12-1961	2004-05	2006-07	(+)215.31	--	282.75	(+)1232.06	1395.35	(+)215.31	15.43	01	7279.79	384
4.	पिथमपुर ऑटोक्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	27.12.2004	प्रथम लेखा तैयार नहीं हुआ है ।									01	-	
	योग (ख)					**(+)246.22**	**--**	**363.00**	**(+)1765.38**	**2058.92**	**(+)246.22**	**11.96**	**03**	**12177.15**	**405**
(ग)	**इलेक्ट्रोनिक्स**														
5.	म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	18-11-1983	2004-05	2006-07	(-)134.81	-	2191.25	(+)630.61	3083.49	(-)134.81	--	01	105.12	69
6.	क्रिस्टल आई.टी. पार्क इंदौर लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.09.2004	2004-05	2006-07	---	---	5.01	--	(-)0.13	--	--	01	--	--
	योग (ग)					**(-)134.81**	-	**2196.26**	**(+)630.61**	**3083.36**	**(-)134.81**	**--**	**02**	**105.12**	**69**
(घ)	**हाथकरघा एवं हस्तशिल्प**														
7.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित	ग्राम उद्योग विभाग	18-11-1981	2001-02	2005-06	(+)40.47	--	106.16	(-)168.17	1562.58	(+)60.44	3.87	04	2373.77	306
	योग (घ)					**(+)40.47**	**--**	**106.16**	**(-)168.17**	**1562.58**	**(+)60.44**	**3.87**	**04**	**2373.77**	**306**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
(ड़)	वन														
8.	म.प्र. राज्य वन विकास निगम मर्यादित	वन	24-07-1975	2004-05	2006-07	(+)147.55	(-)82.63	3931.76	(+)872.69	5803.27	(+)147.55	2.54	01	1415.95	1207
	योग (ड़)					**(+)147.55**	**(-)82.63**	**3931.76**	**(+)872.69**	**5803.27**	**(+)147.55**	**2.54**	**01**	**1415.95**	**1207**
(च)	**खनन**														
9.	म.प्र. राज्य खनन निगम मर्यादित	खनिज संसाधन विभाग	19-01-1962	2005-06	2006-07	(+)1574.65	--	219.59	(+)3127.85	3204.30	(+)1574.86	49.15	--	4755.51	443
	योग (च)					**(+)1574.65**	**--**	**219.59**	**(+)3127.85**	**3204.30**	**(+)1574.86**	**49.15**	**--**	**4755.51**	**443**
(छ)	**निर्माण**														
10.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम मर्यादित	गृह (पुलिस)	31-03-1981	2003-04	2005-06	(+)17.03	--	600.00	(-)78.08	2552.12	(+)17.03	0.67	02	111.64	141
11.	म.प्र. रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी.	14.07.2004	प्रथम लेखा तैयार नहीं किया गया है ।									02	--	95
	योग (छ)					**(+)17.03**	**--**	**600.00**	**(-)78.08**	**2552.12**	**(+)17.03**	**0.67**	**04**	**111.64**	**236**
(ज)	**क्षेत्र विकास**														
12.	म.प्र. औद्यो. केन्द्र विकास निगम (भोपाल) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-10-1987	2003-04	2005-06	(+)0.50	--	135.01	(+)138.02	273.03	(+)0.50	0.18	02	271.30	273
13.	म.प्र. औद्यो. केन्द्र विकास निगम (इंदौर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	2002-03	2005-06	(+)77.19	--	165.00	(+)456.96	5119.53	(+)95.99	1.87	03	670.91	217
14.	म.प्र. औद्यो. केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	16-11-1981	2004-05	2006-07	(+)21.13	--	133.12	(+)664.31	784.72	(+)21.13	2.69	01	39.59	74
15.	म.प्र. औद्यो. विकास निगम (शिवा) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग.	16-11-1981	2005-06	2006-07	(+)3.80	(-) 4.56	80.00	(-)45.69	321.84	(+)3.80	1.18	--	--	95
16.	इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (ग्वालियर) मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	28-05-1985	2003-04	2005-06	(+)25.32	--	75.00	(+)133.60	211.79	(+)25.82	12.19	02	18.46	156
17.	एस.ई.जेड. इंदौर लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	20.02.2003	2003-04	2005-06	(-)41.84	--	2939.41	(-)41.84	3130.88	(-)26.45	--	02	28.32	---
	योग (ज)					**(+)86.10**	**(-) 4.56**	**3527.54**	**(+)1305.36**	**9841.79**	**(+)120.79**	**1.23**	**10**	**1028.58**	**815**
(झ)	**आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो का विकास**														
18.	म.प्र.पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	29-09-1994	1998-99	2004-05	(+)9.23	--	354.17	(-)7.21	1931.30	(+)55.12	2.85	07	19.90	23

19.	म.प्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	29-09-1994	2000-01	2004-05	(-)14.66	--	1577.00	(+)72.30	4637.14	(+)220.99	4.76	05	195.83	115
	योग (झ)					**(-)5.43**	--	**1931.17**	**(+)65.09**	**6568.44**	**(+)276.11**	**4.20**	**12**	**215.73**	**138**
(ञ)	**सार्वजनिक वितरण**														
20.	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	03-04-1974	2005-06	2006-07	(+)2152.58	(-)389.00	847.44	(+)7643.00	8503.73	(+)2959.83	34.81	--	96907.11	934
	योग (ञ)					**(+)2152.58**	**(-)389.00**	**847.44**	**(+)7643.00**	**8503.73**	**(+)2959.83**	**34.81**	--	**96907.11**	**934**
21.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	पर्यटन	24-05-1978	2003-04	2005-06	(-)32.12	--	2497.29	(-)1255.63	5034.36	(-)32.12	--	02	1135.16	738
	योग(ट)					**(-)32.12**	--	**2497.29**	**(-)1255.63**	**5034.36**	**(-)32.12**	--	**02**	**1135.16**	**738**
(ठ)	**वित्त**														
22.	दि प्रोवीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी मर्यादित	वित्त	04-12-1926	2003-04	2005-06	(+)180.31	-	49.66	(+)604.89	343.08	(+)180.31	52.56	02	288.31	20
23.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	13-09-1965	2004-05	2006-07	(+)448.35	--	8109.18	(-)63405.07	64342.09	(+)2997.74	.66	01	1259.88	102
	योग (ठ)					**(+)628.66**	-	**8158.84**	**(-)62800.18**	**64685.17**	**(+)3178.05**	**4.91**	**03**	**1548.19**	**122**
(ड)	**विविध**														
24.	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	ऊर्जा विभाग	25-08-1982	2004-05	2005-06	(-)238.38	--	68.92	---	(-)591.31	(-)238.38	--	01	5.70	235
	योग (ड)					**(-)238.38**	--	**68.92**	**---**	**(-)591.31**	**(-)238.38**	--	**01**	**5.70**	**235**
(ढ)	**ऊर्जा**														
25.	म.प्र. पारेषण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	22-11-01	2004-05	2005-06	--	--	5.01	--	(-)2.03	--	--	01	41400.09	5245
26	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	31-05-02	2004-05	2005-06	--	--	5.01	--	(+)4.82	--	--	01	--	--
27.	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	31-05-02	2004-05	2005-06	--	--	5.01	--	(-)3.90	--	--	01	--	--
28.	म.प्र. विद्युत निर्माण कंपनी मर्यादित	ऊर्जा	22-11-01	2004-05	2005-06	--	--	5.01	--	(-)4.51	--	--	01	--	6962
29.	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित	ऊर्जा	31-05-02	2004-05	2005-06	--	--	5.01	--	(-)4.54	--	--	01	--	--
	योग (द)					--	--	**25.05**	--	**(-)10.16**	--	--	**05**	**41400.09**	**12207**
	योग-अ					**(+)4335.68**	**(-)645.29**	**24802.52**	**(-)49148.29**	**112763.65**	**(+)8073.92**	**7.16**	**49**	**184215.98**	**18418**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
आ	**सांविधिक निगम**														
1.	म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल	ऊर्जा	01-04-1957	2004-05	2006-07	(+)124388.14	(-)219.12	167304.43	(-)94924.74	1020722.42	(+)155602.16	15.24	01	527358.38	57346
2.	म.प्र. सड़क परिवहन निगम	परिवहन	21-05-1962	2004-05	2006-07	(-)4534.22	--	14180.88	(-)78123.71	64697.13	(-)3405.34	--	01	18910.39	5646
3.	म.प्र. वित्त निगम	वित्त	30-06-1955	2005-06	2006-07	(-)514.03	--	8214.29	(-)22707.59	54078.18	(+)2573.41	4.75	--	3576.22	285
4.	म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	19-02-1958	2004-05	2005-06	(+)537.75	--	806.16	(+)6554.07	8518.42	(+)800.50	9.40	01	3471.24	1531
	योग-आ					**(+)119877.64**	**(-)219.12**	**190505.76**	**(-)189201.97**	**1148016.15**	**(+)155570.73**	**13.55**	**03**	**553316.23**	**64808**
	महायोग (अ+आ)					**(+)124213.32**	**(-)864.41**	**215308.28**	**(-)238350.26**	**1260779.80**	**(+)163644.65**	**12.98**	**52**	**737532.21**	**83226**
इ	**अकार्यशील कंपनियां**														
(क)	**कृषि**														
1.	म.प्र. उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित	जल संसाधन विभाग	13-07-1976	1992-93	2005-06	(-)5.34	--	592.29	(-)629.73	(-)32.50	(-)5.34	--	13	--	--
2	म.प्र. राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित	कृषि	22-03-1975	2001-02	2002-03	**चूंकि परिसम्पत्तियों और दायित्वों को म.प्र. कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमि. ने अगस्त 1983 से अधिग्राहीत कर लिया गया है अतः लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया गया ।**							04		
	योग (क)					**(-)5.34**	--	**592.29**	**(-)629.73**	**(-)32.50**	**(-)5.34**	--	**17**	--	--
(ख)	**उद्योग**														
3.	म.प्र. चर्म विकास* निगम मर्यादित	जल संसाधन विभाग	25-11-1981	1994-95	2002-03	(+)2.54	(-)0.54	71.79	(+)34.54	(+)717.68	(+)2.85	0.40	11	65.11	--
4.	म.प्र. फिल्म विकास निगम मर्यादित	संस्कृति विभाग	16-12-1981	2005-06	2006-07	**चूंकि कंपनी दिसंबर 1998 से स्वेच्छिक रुप से बंद हो गई थी अतः लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया है ।**							--	--	
5.	म.प्र. राज्य उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	11-04-1961	2003-04	2006-07	(-)236.13	--	1511.67	(-)5119.53	(+)745.06	(-)220.69	--	02	10.99	--
	योग (ख)					**(-)233.59**	**(-)0.54**	**1583.46**	**(-)5084.99**	**(+)1462.74**	**(-)217.84**	-	**13**	**76.10**	---
(ग)	**इलेक्ट्रॉनिक्स**														
6.	ऑप्टेल टेलीकम्युनीकेशन लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	23-12-1988	2004-05	2006-07	(-)495.89	--	2396.71	(-)7568.96	(+)1936.86	(-)452.00	--	01	--	35
	योग (ग)					**(-)495.89**	--	**2396.71**	**(-)7568.96**	**(+)1936.86**	**(-)452.00**	--	**01**	--	**35**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13.	14.	15	16
(अ)	वस्त्र														
7	म.प्र. राज्य वस्त्र उद्योग निगम मर्यादित	वाणिज्य एवं उद्योग	27-11-1970	2003-04	2004-05	(-)492.26	--	685.95	(-)10021.07	(-)284.96	(-)863.01	--	02	1.86	07
	योग (घ)					**(-)492.26**	**--**	**685.95**	**(-)10021.07**	**(-)284.96**	**(-)863.01**	**--**	**02**	**1.86**	**07**
(ड)	**निर्माण**														
8	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित	पी.डब्ल्यू.डी	04-10-1978	1989-90	1993-94	(-)112.99	-	500.00	(-)215.04	(+) 286.90	(-)112.99	-	16		
	योग (ड)					**(-)112.99**	-	**500.00**	**(-)215.04**	**(+) 286.90**	**(-)112.99**	-	**16**		
(च)	**वित्त**														
9.	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम मर्यादित	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	30-03-1981	2004-05	2005-06	(+)3.93	--	42.92	(+)48.18	(+)92.08	(+)3.93	4.27	01	6.65	--
	योग (च)					**(+)3.93**	**--**	**42.92**	**(+)48.18**	**(+)92.08**	**(+)3.93**	**4.27**	**01**	**6.65**	**--**
	योग इ					**(-)1336.14**	**(-)0.54**	**5801.33**	**(-)23471.61**	**(+)3461.12**	**(-)1647.25**	**--**	**50**	**84.61**	**42**
	महायोग (अ+आ+इ)					**(+)122877.18**	**(-)864.95**	**221109.61**	**(-)261821.87**	**1264240.92**	**(+)161997.40**	**12.81**	**102**	**737616.82**	**83268**

(ए) **नियोजित पूंजी शुद्ध परिसम्पत्तियों (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यो सहित) एवं कार्यचालन पूंजी, उन वित्तपोषी कम्पनियों/निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूंजी प्रदत्त** पूंजी, स्वतंत्र आरक्षित निधियों, बंधपत्रों, जमाओं एवं उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारंभिक शेष एवं अंतिम शेष के योग के औसत रूप में परिगणित की जाती है, को प्रदर्शित करती है।

(ब) **नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु उधार ली गई निधियों पर ब्याज को शुद्ध लाभ में जोड़ा गया है या हानि से घटाया गया है।**

* **कम्पनी ने अपने लेखे लेखापरीक्षा के कथन पर पुनरीक्षित किये।**

परिशिष्ट-3

(कंडिका 1.5 एवं 1.17 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियाँ, दायित्वों को छोड़ना, ऋणों के स्थगन की अनुमति एवं ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन तथा मार्च 2006 के अंत तक प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और बकाया गारंटियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(स्तम 3 (क) से 7 में आकड़े लाख रुपये)

क्रम संख्या	[illegible] का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त आर्थिक सहायता एवं अनुदान*				वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां*					वर्ष के दौरान छोड़े गये बकाया ऋण				ऋण जिन पर स्थगन की अनुमति दी गई	वर्ष के दौरान ऋणों का अंशपूंजी में परिवर्तन
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंक से नगद साख	अन्य स्त्रोतों से ऋण	आयातों के संबंध में बैंकों द्वारा खोले गये साख पत्र	विदेशी परामर्शियों अथवा संविदाकर्ताओं के साथ अनुबंध के अधीन भुगतान दायित्व	योग	ऋणों के प्रति भुगतान का अपलेखन	छोड़े गये ब्याज	छोड़ा गया दाण्डिक ब्याज	योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड़)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
अ	**कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**															
(क)	**कृषि एवं सम्बद्ध**															
1.	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित	-- (6.00)	204.00 (-)	- -	204.00 (6.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (क)	-- (6.00)	204.00 (-)	- -	204.00 (6.00)	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	**उद्योग**															
2.	क्रिस्टल आई.टी.पार्क इंदौर लिमिटेड	-	-- (214.00)	--	-- (214.00)											
	योग (ख)	--	-- (214.00)	--	-- (214.00)											
(ग)	**हाथकरघा एवं हस्तशिल्प**															
3.	म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित	- (176..33)	- (751.15)	- -	- (927.48)	-	10.00 (700.55)			10.00 (700.55)	-	-	-	-	-	-
	योग (ग)	- (176.33)	- (751.15)		(927.48)	-	10.00 (700.55)	-	-	10.00 (700.55)	-	-	-	-	-	-
(घ)	**वन**															
4.	म.प्र.राज्य वन विकास निगम मर्यादित	-- --	-- (115.00)		-- (115.00)											
	योग (घ)		-- (115.00)		-- (115.00)											

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
(ड)	**निर्माण**							--								
5.	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम	-- (-)	--	--	-- (--)	---	-- (259.15)	--	-	-- (259.15)	-	-	-	-	-	-
	योग (ड)					--	-- **(259.15)**	--		-- **(259.15)**						
(च)	**क्षेत्र विकास**															
6.	म.प्र. औ.के.वि.नि. (जबलपुर) मर्यादित	-- (--)	-- (--)	--	-- (--)	--	-- (268.35)			-- (268.35)						
7.	म.प्र.औ.के.वि.नि. (इन्दौर) मर्यादित	-- (188.88)	-- (339.00)	--	-- (527.88)	--	--	--	--	--						
	योग (च)	-- **(188.88)**	-- **(339.00)**		-- **(527.88)**	--	-- **(268.35)**	- -	- -	-- **(268.35)**	-	-	-	-	-	-
(छ)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास**															
8.	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	- -	- -	- -	- -	- -	100.00 (3334.62)	- -	- -	100.00 (3334.62)						
9.	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	- -	29.88 (100.00)	- -	29.88 (100.00)	- -	598.36 (3376.40)	- -	- -	598.36 (3376.40)						
	योग (छ)	- -	**29.88** **(100.00)**	- -	**29.88** **(100.00)**	- -	**698.36** **(6711.02)**	- -	- -	**698.36** **(6711.02)**						
(ज)	**सार्वजनिक वितरण**															
10	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन मर्यादित	19340.03 (--)	116.49 (--)	- -	19456.52 (-)	3000.00 (3000.00)	-	-	-	3000.00 (3000.00)	-	-	-	-	-	
	योग (ज)	**19340.03** **(--)**	**116.49** **(--)**	- -	**19456.52** **(-)**	**3000.00** **(3000.00)**	-	-	-	**3000.00** **(3000.00)**	-	-	-	-	-	-
(झ)	**पर्यटन**															
11.	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित	-- (2337.76)	25.00 (731.77)	- -	25.00 (3069.53)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-
	योग (झ)	-- **(2337.76)**	**25.00** **(731.77)**	- -	**25.00** **(3069.53)**	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-
(ञ)	**वित्त**															
12.	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	1435.00 (--)	--	--	1435.00 (--)	-- --	-- (1819.50)	--	--	-- (1819.50)						
	योग (ञ)	**1435.00** **(--)**	--	--	**1435.00** **(--)**	--	-- **(1819.50)**	--	--	-- **(1819.50)**						
(ट)	**विविध**															
13.	म.प्र. ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	154.93 (--)	616.54 (--)	--	771.47 (--)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग (ट)	**154.93** **(--)**	**616.54** **(--)**	--	**771.47** **(--)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
(ठ)	उर्जा															
14.	म.प्र. विद्युत निर्माण कंपनी मर्यादित	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)	-- (--)	158040.00 (322989.00)	-	-	158040.00 (322989.00)						
15.	म.प्र.विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित	--	--	--	--	--	4540.42 (32155.87)			4540.42 (32155.87)						
	योग (ठ)						**162580.42 (355144.87)**	-	-	**162580.42 (355144.87)**						
	योग (अ)	**20929.96 (2705.97)**	**991.91 (2250.92)**	**-- --**	**21921.87 (4959.89)**	**3000.00 (3000.00)**	**163288.78 (364903.44)**	**-- --**	**-- --**	**166288.78 (367903.44)**	--	--	--	--	--	--
आ	**कार्यशील सांविधिक निगम**															
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल**	- -	47318.98 (2250.00)	- -	47318.98 (2250.00)	- -	85100.00 (303300.00)	- -	- -	85100.00 (303300.00)						
2.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	-	--	- -	--	-- (114.02)	-- (1321.92)	-	-	-- (1435.94)						
3.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	-	-- (-)	--	-- (-)	-- (50967.50)	-	-	-	-- (50967.50)						
	योग (आ)	-- --	**47318.98 (2250.00)**	--	**47318.98 (2250.00)**	-- **(114.02)**	**85100.00 (355589.92)**	-- --	-- --	**85100.00 (355703.44)**						
(इ)	**अकार्यशील कंपनियां**															
1.	म.प्र. चर्म विकास निगम	-- (--)	-- (40.00)	-- (--)	-- (40.00)	--	--	--	--	--						
	योग (इ)	-- --	-- **(40.00)**	-- --	-- **(40.00)**	-- --	--	-- --	-- --	-- --						
	सकल योग (अ+आ+इ)	**20929.96 (2708.97)**	**48310.89 (4540.92)**	-- --	**69240.85 (7249.89)**	**3000.00 (3114.02)**	**248388.78 (720492.86)**	-- --	-- --	**251388.78 (723606.88)**						--

* *स्तम्भ 3(क) से 3(ध) तक कोष्ठकों में दिये गये आंकडे अनुदान तथा स्तम्भ 4(क) से 4(ड) तक के कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों को दर्शाते है।*

** *2005-06 के आंकड़े म.प्र.वि. मन्डल ने प्रस्तुत नहीं किए हैं। विगत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के लिए अपना लिया गया है।*

	4.97
	1.24
	1.67
	1.63
	05-06
	237.95
	143.45
	9.01
	29
	1.43 1.43
	10.97
	93.15
	9.62
	31.97
	2.22
	05.03
	8.81
	18.04
	27.08
	93.15
	10.78

परिशि

के लिये

ों का

ने प्रदर्शित

परिशिष्ट-4

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

कार्यशील सांविधिक निगम			
1. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल			
	2002-03	**2003-04**	**2004-05**
अ- देयताएं			
अंशपूंजी	169.62	169.62	1673.04
सरकार से ऋण	581.28	929.76	3787.10
अन्य दीर्घकालीन ऋण (बंधपत्रों सहित)	3492.67	3510.72	4222.95
आरक्षित निधियाँ एवं आधिक्य	---	--	--
चालू देयताएं तथा प्रावधान	9679.39	11835.86	6492.79
योग (अ)	**13922.96**	**16445.96**	**16175.88**
आ- परिसम्पत्तियाँ			
सकल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	9819.19	11022.18	11702.04
घटाएं-मूल्य ह्रास	4598.45	5074.64	5593.41
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	5220.74	5947.54	6108.63
प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य	2098.52	2842.30	2772.78
अस्थगित मूल्य	1.27	1.27	1.27
चालू परिसम्पत्तियाँ	4355.94	5226.40	6471.99
निवेश	218.13	290.25	130.58
लाभ-हानि खाता	2028.36	2138.20	690.63
योग-(आ)	**13922.96**	**16445.96**	**16175.88**
इ - नियोजित पूंजी**	**5545.24**	**2180.38**	**8860.61**
2. म.प्र. सड़क परिवहन निगम			
	2002-03	**2003-04**	**2004-05**
अ - देयताएं			
पूंजी (पूंजीगत ऋण तथा अंशपूंजी सहित)	141.81	141.81	141.81
उधारियाँ (सरकारी)	17.50	17.50	17.50
(अन्य)	142.31	142.04	141.50
निधियाँ$	428.11	430.29	433.89
व्यापारिक दायित्व तथा अन्य चालू देयताऐं (प्रावधान सहित)	553.66	617.71	634.97
योग (अ)	**1283.41**	**1349.35**	**1369.67**
आ - परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लाक	461.07	458.01	457.91
घटाएं- मूल्य ह्रास	55.20	53.69	58.63
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	405.87	404.32	399.28
प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य (चेसिस की लागत मूल्य सहित)	3.44	3.23	4.09
निवेश	0.09	0.09	0.09

** *नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तयाँ एवं (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों सहित) कार्यशील पूंजी के जोड़ कर प्रदर्शित करती है। कार्यशील पूंजी की गणना करते समय अस्थगित मूल्य तथा निवेश को चालू परिसम्पत्तियों से अलग रखा गया है।*

$ *मूल्य ह्रास निधियों को छोड़कर*

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	185.72	205.82	184.97
संचित हानि	688.29	735.89	781.24
योग-(आ)	**1283.41**	**1349.35**	**1369.67**
इ - नियोजित पूंजी#	**41.37**	**(-) 4.34**	**(-) 46.63**

3. मध्यप्रदेश वित्त निगम

	2003-04	2004-05	2005-06
अ - देयताऐं			
प्रदत्त पूंजी	73.78	75.29	79.29
शेयर आवेदन राशि	--	--	--
आरक्षित निधियाँ तथा अन्य आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य	9.27	9.13	9.01
उधारियाँ			
(i) बंधपत्र एवं ऋणपत्र	228.62	220.40	143.45
(ii) सांविधिक जमा			
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	132.64	175.36	237.95
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	6.19	--	--
(v) शेयर पूंजी के लिए ऋणः (क) राज्य सरकार (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	 1.43 1.43	 1.43 1.43	 1.43 1.43
(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)		15.00	110.97
अन्य देयताऐं एवं प्रावधान	3.39	8.73	9.62
योग- (अ)	**456.75**	**506.77**	**593.15**
आ - परिसम्पत्तियाँ			
नकद तथा बैंक शेष	15.59	17.70	31.97
निवेश	2.67	2.27	2.22
ऋण तथा अग्रिम	**209.87**	**252.75**	**305.03**
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	8.76	8.57	8.81
अन्य परिसम्पत्तियॉ	4.32	3.54	18.04
विविध व्यय	215.54	221.94	227.08
योग-(आ)	**456.75**	**506.77**	**593.15**
इ - नियोजित पूंजी*	**498.50**	**475.70**	**540.78**

नियोजित पूंजी, शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ (प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्यों सहित) तथा कार्यशील पूंजी के जोड़ को प्रदर्शित करती है।

** नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, पूंजी के स्थान पर ऋण, सीडमनी, ऋण पत्रों, आरक्षित निधियों (उनके अतिरिक्त जिनके लिये विशेष रूप से निधियों की व्यवस्था की जाती है और जिनमें बाहय निवेश से सहयोग प्राप्त होता है) बंध पत्रों, जमाओं तथा उधारियों (पुनर्वित्त पोषण सहित) के आरंभिक तथा अंतशेषों के कुल योग का औसत प्रदर्शित करती है।*

4. मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन			
	2003-04	**2004-05**	**2005-06**
अ - देयताएं			
प्रदत्त पूंजी	8.06	8.06	8.06
पूंजी के विरूद्ध अग्रिम			
आरक्षित निधियाँ तथा आधिक्य	72.73	76.42	85.98
उधारियाँ सरकार अन्य	-- 00	-- 0.04	-- 2.78
व्यापारिक दायित्व तथा चालू देयताऐं (प्रावधानो सहित)	16.96	25.10	28.71
योग-अ	**97.75**	**109.62**	**125.53**
आ - परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लाक	99.29	101.17	116.28
घटाएं- मूल्य ह्रास	34.69	38.32	41.95
शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियॉ	64.60	62.85	74.33
प्रगति पर पूंजीगत निर्माण कार्य	0.02	1.36	5.83
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	33.13	45.41	45.37
योग- आ	**97.75**	**109.62**	**125.53**
इ - नियोजित पूंजी	**80.79**	**84.49**	**94.04**

परिशिष्ट - 5

(कण्डिका 1.7 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(करोड़ रुपयों में)

अ - कार्यशील सांविधिक निगम				
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल			
	विवरण	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**
1	(क) राजस्व प्राप्तियाँ	4794.50	5688.42	6082.74
	(ख) सरकार से आर्थिक सहायता/परिदान	668.00	818.39	794.30
	योग	**5462.50**	**6506.81**	**6877.04**
2	राजस्व व्यय (पूंजी में परिणित शुद्ध व्यय) अमूर्त परिसम्पत्तियों के अपलेखन सहित परन्तु ह्रासमूल्य तथा ब्याज को छोड़कर	4788.48	5591.43	6313.70
3	वर्ष हेतु सकल आधिक्य(+)/घाटा(-)	674.02	915.38	563.34
4	पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन	(-)0.08	95.57	1511.89
5	वर्ष हेतु अंतिम सकल आधिकय(+)/घाटा(-)	673.94	1010.95	2075.23
6	विनियोजन			
	(क) ह्रासमूल्य (पूंजीगत को छोड़कर)	487.53	476.68	519.21
	(ख) सरकारी ऋणों पर ब्याज	62.77	87.34	106.75
	(ग) अन्य पर ब्याज, बंधपत्रों एवं अग्रिमों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	746.05	826.61	319.49
	(घ) ऋण पर कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार (ख+ग)	808.82	913.95	426.24
	(ड.) घटाएं पूंजीगत ब्याज	468.03	530.71	114.10
	(च) राजस्व को प्रभारित शुद्ध ब्याज (घ-ड.)	340.79	383.24	312.14
	(छ) कुल विनियोजन (क+च)	828.32	859.92	831.35
7	राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के लेखांकन से पूर्व की आधिक्य (+)/घाटा(-) (5-6(छ)-1(ख))	(-)822.38	(-)667.36	449.58
8	शुद्ध आधिक्य(+)/घाटा(-)(5-6(छ))	(-)154.38	151.03	1243.88
9	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	(-)279.30	(+)543.27	1556.02
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का प्रतिशत	–	10.65	17.56

नियोंजित पूंजी पर कुल प्रतिफल शुद्ध आधिक्य/घाटा एवं लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज (पूंजीगत ब्याज को छोडकर) के योग को प्रदर्शित करता है ।

2.	**मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम****				
		2002-03 (31-12-2002 तक)	**2002-03 (1-1-03 से 31-03-03 तक)**	**2003-04**	**2004-05**
1	परिचालन				
	(क) राजस्व	172.77	48.64	175.03	186.17
	(ख) व्यय	251.48	61.72	209.25	216.93
	(ग) बचत(+)/घाटा(-)	(-)78.71	(-)13.08	(-)34.22	(-) 30.76
2	गैर परिचालन				
	(क) राजस्व	3.96	1.38	4.97	2.93
	(ख) व्यय	9.23	4.34	15.75	17.51
	(ग) बचत(+)/घाटा(-)	(-)5.27	(-)2.96	(-)10.78	(-) 14.58
3	**योग**				
	(क) राजस्व	176.73	50.02	180.00	189.10
	(ख) व्यय	260.71	66.06	225.00	234.44
	(ग) शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	(-)83.98	(-)16.04	(-)45.00	(-) 45.34
4	पूंजी तथा ऋण पर ब्याज	12.15	2.96	11.00	11.00
5	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ***	**(-)71.83**	**(-)13.08**	**(-)34.00**	**(-) 34.34**

3.	**मध्यप्रदेश वित्त निगम**			
		2003-04	**2004-05**	**2005-06**
1	**आय**			
	(क) ऋण पर ब्याज	27.05	29.66	33.29
	(ख) अन्य आय	1.26	3.07	2.47
	योग - 1	**28.31**	**32.73**	**35.76**
2	**व्यय**			
	(क) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज	29.10	28.21	27.07
	(ख) अनिष्पादित परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	3.97	6.21	5.37
	(ग) अन्य व्यय	6.75	8.53	8.20
	योग - 2	**39.82**	**42.95**	**40.64**
3	कर पूर्व हानि (1-2)	11.51	10.22	4.88
4	कर हेतु प्रावधान	--	--	--

** *31 दिसम्बर 2002 से मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच बंटवारे के कारण म.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्ष 2002-03 के लेखे दो चरणों, एक 31 दिसम्बर 2002 तक एवं दूसरा 1 जनवरी से 31 मार्च 2003 तक में बनया है ।*

* *नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल आधिक्य/घाटा एवं लाभ हानि लेखे को प्रभारित कुल ब्याज (पूंजीगत ब्याज को छोड़कर) के योग को प्रदर्शित करता है ।*

5	अन्य विनियोग	0.25	(-)3.83	--
6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि**	--	--	--
7	भुगतान हेतु लाभांश	38.90	38.90	38.90
8	**नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ**	**15.55**	**17.99**	**22.19**
9	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	3.12	3.78	4.10
4.	**मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन**			
		2003-04	**2004-05**	**2005-06**
	आय			
	(क)वेयर हाऊसिंग प्रभार	32.64	34.71	37.63
	(ख) अन्य आय	0.68	1.15	1.82
	योग	**33.32**	**35.86**	**39.45**
	व्यय			
	(क) स्थापन्न प्रभार	13.74	14.91	15.34
	(ख) अन्य प्रभार	8.75	12.21	10.42
	योग	**22.49**	**27.12**	**25.76**
	कर पूर्व लाभ (+)/हानि(-)	10.83	8.74	13.69
	अन्य विनियोग@	10.56	8.44	13.39
	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.27	0.30	0.30
	वर्ष हेतु लाभांश	0.27	0.30	0.30
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	**10.91**	**11.36**	**14.23**
	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	13.50	13.45	15.13

179

** *लाभ विशिष्ट आरक्षित निधियों एवं करों के प्रावधान के उपरान्त लाभांश हेतु चालू वर्ष को लाभ को दर्शाती है ।*

@ *इसमें अवधि पूर्व समायोजन समाविष्ट नहीं है ।*

परिशिष्ट - 6

(कंडिका 1.12 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों का कार्यचालन निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(क)	कार्यशील सांविधिक निगम			
1.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल			
क्रम संख्या	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
	अधिष्ठापित क्षमता	**मेगावाट**		
(क)	ताप	2147.500	2147.500	2147.500
(ख)	जल	842.955	842.955	842.955
(ग)	गैस	--		--
(घ)	अन्य	--		--
	योग	**2990.455**	**2990.455**	**2990.455**
	सामान्य अधिकतम मांग	4769.000	5662.000	6112.000
	उत्पादित विद्युत :	**(मेगा किलोवाट घण्टे)**		
(क)	ताप	13680.860	13168.440	13502.600
(ख)	जल	1890.550	2632.720	2255.840
(ग)	गैस	--	--	--
(घ)	अन्य	--	--	--
	योग	**15571.410**	**15801.160**	**15758.440**
	घटाएं सहायक खपत	--	--	--
(क)	ताप	1315.050	1302.090	1333.730
	(प्रतिशतता)	(99.65)	(99.56)	(99.68)
(ख)	जल	4.610	5.700	4.320
	(प्रतिशतता)	(0.35)	(0.44)	(0.32)
(ग)	गैस	--	--	--
	(प्रतिशतता)	--	--	--
(घ)	अन्य	--	--	--
	(प्रतिशतता)	--	--	--
	योग	**1319.660**	**1307.790**	**1338.050**
	(प्रतिशतता)	**(9.66)**	**(8.28)**	**(8.49)**
	निवल उत्पादित विद्युत	14251.750	14493.370	14420.390
	क्रय की गई विद्युत	12926.340	14000.130	16206.265
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत	27178.090	28493.500	30626.655
	विक्रित विद्युत	15280.403	15996.060	17310.200
	पारेषण तथा वितरण हानियाँ	11897.687	12497.440	13316.455
	लोड फैक्टर (प्रतिशतता)	73.14	70.21	72.09

क्रम संख्या	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05
	विक्रय हेतु उपलब्ध कुल विद्युत की तुलना में पारेषण तथा वितरण हानियों की प्रतिशत	43.59	43.86	43.48
	विद्युतीकृत ग्रामों/नगरों की संख्या	50400	50474	50474
	विद्युतीकृत पम्प सैटों/कुओं की संख्या	1320923	1325092	1329388
	उपकेन्द्रों की संख्या	165066	172670	177902
	पारेषण/वितरण लाइनें (कि.मी.में)			
(क)	उच्च/मध्यम विद्युत दाब (वोल्टेज)	185984	191898	193871
(ख)	निम्न विद्युत दाब (वोल्टेज)	अनुपलब्ध	335062	337021
	सम्बद्ध भार (मेगावाट में)	8624	8678	8898
	उपभोक्ताओं की संख्या	6395646	6442961	6493500
	कर्मचारियों की संख्या	60299	58774	57346
	उपभोक्ताओं/कर्मचारियों का अनुपात	106:1	110:1	113:1
	वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (करोड़ रुपयों में)	814.25	1024.48	1146.690
	कुल राजस्व व्यय की तुलना में कर्मचारियों पर व्यय की प्रतिशतता	14.50	14.81	16.82
	विक्रीत यूनिट	**(मेगा किलोवाट घण्टे)**		
(क)	कृषि	4974.183	5347.00	5598.779
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(32.36)	33.10	32.15
(ख)	औद्योगिक	4171.096	5617.000	6028.295
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(27.14)	34.77	34.61
(ग)	वाणिज्यिक	651.589	608.000	799.434
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(4.24)	4.26	4.59
(घ)	घरेलू	3243.067	3311.000	3762.243
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(21.09)	20.50	21.60
(ड़)	अन्य	2333.741	1190.956	1226.552
	(कुल विक्रीत यूनिटों की तुलना में प्रतिशता)	(15.19)	7.37	7.04
	योग	**15373.676**	**16153.956**	**17415.30**
		(पैसे प्रति किलोवाट)		
(क)	राजस्व (सरकार से आर्थिक सहायता छोड़कर)	अनुपलब्ध	352	349
(ख)	व्यय*	अनुपलब्ध	359	370
(ग)	लाभ(+)/हानि(-)	अनुपलब्ध	(- 0.07	(-) 0.21
(घ)	सरकार से माँगी गई औसत आर्थिक सहायता (रुपयों में)	अनुपलब्ध	0.51	0.4
(ड़)	औसत ब्याज प्रभार (रुपयों में)	अनुपलब्ध	0.53	0.22

* *राजस्व व्यय में मूल्यह्रास सम्मिलित है परन्तु दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज सम्मिलित नहीं है ।*

2.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम				
क्रम संख्या	विवरण	2002-03		2003-04	2004-05
		(31-12-02 तक)	(01-01-03 से 31-03-03 तक)		
	धारित वाहनों की औसत संख्या	1747	1745	1690	1571
	मार्गस्थ वाहनों की औसत संख्या	1435	1417	1269	925
	वाहनों के उपयोग का प्रतिशत	82	81	75	58
	कर्मचारियों की संख्या	11199	11204	10665	10613
	कर्मचारी वाहन अनुपात	6:1	8:1	8:1	11:1
	वर्ष के अंत में परिचालित मार्गो की संख्या	अनुपलब्ध	1033	1033	1033
	मार्ग किलोमीटर	अनुपलब्ध	206561	206561	206561
	परिचालित किलोमीटर (लाख में)				
(क)	सकल	1396.10	380.32	1389.96	1264.61
(ख)	प्रभावी	1358.64	369.84	1351.49	1264.61
(ग)	निष्क्रिय	37.46	10.48	38.47	--
	सकल कि.मी.की तुलना में निष्क्रिय कि.मी.की प्रतिशतता	2.68	2.76	2.76	--
	प्रतिदिन प्रति बस द्वारा औसत किलोमीटर	220	264	250	250
	प्रति कि.मी.परिचालन राजस्व (पैसे) पिछले वर्ष की आय की तुलना में (प्रतिशत)	1360 9.94	1538 11.00	1633 6.18	2078 --
	प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	2044	2031	2045	2577
	लाभ(+)/हानि(-) प्रति किलोमीटर (पैसे)	(-)684	(-)493	(-)412	(-)499
	परिचालित आगारों की संख्या	57	47	47	42
	प्रति लाख कि.मी.पर कार्यभंग की औसत संख्या	7.00	8.90	6.90	7.00
	प्रति लाख कि.मी.पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.15	0.13	0.13	0.12
	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	600.00	553.54	391.94	--
	आकुपैन्सी अनुपात	61	62	60	60
	प्रतिलिटर परिचालित किलोमीटरः-				
(क)	डीजल तेल	4.05	4.06	4.05	4.10
(ख)	इंजन तेल	6.05	6.05	6.50	6.50

(राशिः करोड़ रुपयों में)

3.	मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन			
	विवरण	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
	(क) स्वगोदाम	229	230	232
		9.63	9.65	9.78
		2.04	2.13	2.10
	(ग) योग	**11.67**	**11.78**	**11.88**
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई औसत क्षमता (लाख टन में)	9.05	9.22	9.46
	उपयोग की प्रतिशतता	77	78	80
	प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत राजस्व (रुपए)	368.18	388.93	417.08
	प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत व्यय (रुपए)	248.48	294.15	272.34

4.	मध्यप्रदेश वित्त निगम						
	विवरण	**2003-04**		**2004-05**		**2005-06**	
		संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
	वर्ष के प्रारंभ में लंबित आवेदन	13	2.37	14	5.20	5	20.52
	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	155	68.72	556	177.54	569	193.74
	योग	**168**	**71.09**	**570**	**182.74**	**574**	**214.26**
	स्वीकृत आवेदन	136	54.95	515	162.23	558	167.72
	निरस्त/वापस/अंस्वीकृत/कम किये गये आवेदन	18	10.94	--	--	--	--
	वर्ष के अंत में लंबित किये गये आवेदन	14	5.20	41	9.83	16	46.54
	वितरित ऋण	95	41.83	388	110.01	550	115.54
	वर्ष के अंत में बकाया ऋण*	2733	452.91	2033	395.40	2228	358.91
	वर्ष के अंत में वसूली हेतु अधिदेय राशिः						
	(क) मूलधन		105.82		93.54		70.64
	(ख) ब्याज		17.79		15.13		14.94
	योग	**1574**	**123.61**	**1220**	**108.67**	**1161**	**85.58**
	वसूली प्रमाण पत्रों के प्रकरण में निहित राशि	227	40.27	208	37.56	195	31.78
	र	**1801**	**163.88**	**1428**	**146.23**	**1356**	**117.36**
	कुल बकाया ऋणों की तुलना में चूक का प्रतिशत		36.18		36.98		32.70

* *ब्याज सहित*

परिशिष्ट-7

(संदर्भ कंडिका 2.2.7)

31 मार्च 2006 को अधिप्राप्त, उपयोग की गई भूमि की स्थिति एवं शेषो को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	विवरण	लामटा संभाग बालाघाट	रायपुर भटोदी संभाग बैतूल	छिन्दवाड़ा संभाग छिन्दवाड़ा	कुन्डम संभाग जबलपुर	मोहगांव संभाग मंडला	बरघाट संभाग सिवनी	उमरिया संभाग उमरिया	सीधी संभाग सीध	योग
1.	मार्च 2001 तक अधिक प्राप्त भूमि एवं प्राप्ति का समय	32463.182 (76-2001)	35811.707 (76-2001)	10738.730 (89-2001)	23861.588 (76-93)	50635.280 (75-95)	32647.234 ()	22046.306 (76-97)	2164.140	210514.167
2.	अप्रैल 2001 से मार्च 2006 तक अधिक प्राप्त भूमि	6587.452	1670.900 (2003-04)	4099.200 (2004-05)	2600.294 (2004-05)	2733.170 (अप्रैल04)	3763.620	3758.080 (2004-05)	--	25212.716
3.	योग	39050.634	37482.607	14837.930	26607.882	53368.450	36410.854	25804.386	2164.140	235726.883
4.	मार्च 2006 तक उपयोगित भूमि	23975.143 (61)	23387.379 (62)	7848.200 (53)	22215.950 (84)	44386.040 (83)	21321.124 (59)	19351.870 (77)	1536.000 (71)	164704.676 (70)
5.	मार्च 2006 तक वन विभाग को लौटाई गई भूमि	62.617	--	3366.740	146.000	--		687.970	--	3575.357 (1.52)
6.	योग (4+5)	24037.760	23387.379	11214.940	22361.950	44386.040	21321.124	20039.840	1536.000	168280.033
7.	मार्च 2006 को शेष	15012.874	14095.228	3622.990	4245.932	8982.400	15089.730	5764.546	628.140	67446.850
8.	पुराना शेष	9614.467	12424.328	--	1645.638	6242.240	11326.110	2006.466	628.140	43894.389
9.	नया शेष	5398.407	1670.900	3622.990	2600.294	2733.170	3763.620	3758.080	--	23552.476

परिशिष्ट - 8

(कंडिका 2.2.10 में संदर्भित)

मानक आकार की समूल पौधों के उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

संभाग का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	उपयोग की गई क्यारियां	मानक आकार के समूल पौधों का वास्तविक उत्पादन			मानदण्डों के अनुसार उत्पादन 500/- क्यारी (लाख मे)	मानक आकार के समूल पौधों का कम उत्पादन, लाख में (7-4)
			योग (लाख में)	प्रति क्यारी	प्रतिशतता		
1	2	3	4	5	6	7	8
लामटा संभाग बालाघाट	2001	2090	9.80	469	67	10.45	0.65
	2002	3800	14.10	371	62	19.00	4.90
	2003	3500	12.66	362	52	17.50	4.84
	2004	4000	17.83	446	64	20.00	2.17
	2005	5000	20.25	405	58	25.00	4.75
छिन्दवाड़ा संभाग छिन्दवाड़ा	2001	550	2.51	456	65	2.75	0.24
	2002	1800	3.66	203	29	9.00	5.34
	2003	1500	3.52	235	33	7.50	3.98
	2004	2200	5.33	242	35	11.00	5.67
	2005	3200	11.85	370	53	16.00	4.15
कुन्डम संभाग जबलपुर	2001			521			
	2002	3000	9.91	330	47	15.00	5.09
	2003	3800	14.88	391	56	19.00	4.12
	2004	4000	13.29	332	47	20.00	6.71
	2005	4500	17.88	397	57	22.50	4.62
मोहगांव संभाग मंडला	2003	5000	22.69	454	65	25.00	2.31
	2004	5000	19.69	394	56	25.00	5.31
	2005	5000	18.09	362	52	25.00	6.91
बारघाट संभाग सिवनी	2001	2500	2.25	90	13	12.50	10.25
	2002	3540	10.90	308	44	17.70	6.80
	2003	3860	12.73	330	47	19.30	6.57
	2004	3650	7.93	217	31	18.25	10.32
	2005	5000	18.73	375	54	25.00	6.27
उमरिया संभाग उमरिया	2002	2400	4.74	197	36	12.00	7.26
	2003	3000	14.60	487	59	15.00	0.40
	2004	3130	12.42	397	57	15.65	3.23
	2005	3700	5.78	156	30	18.50	12.72
रायपुर मटोदी संभाग बैतूल	2002	1500	4.32	288	41	7.50	3.18
	2003	1000	4.60	460	66	5.00	0.40
	2004	1600	3.83	239	43	8.00	4.17
	योग	**92820**	**320.77**			**464.10**	**143.33**

प्रति समूल पौधों लागत-70 पैसे+14 पैसे (20 प्रतिशत संस्थापन लागत)=84 पैसे प्रति समूल पौधों

कम उत्पादित समूल पौधों का = 14333000 x 0.84 रूपये=1.20 करोड़ रूपयें

परिशिष्ट - 9

(कंडिका 2.2.19 में संदर्भित)

सागौन वृक्षारोपण(वर्षा पोंषित) की प्रति हैक्टेयर की लागत एवं तीन वर्षों तक संधारण सहित लागत को दर्शाने वाला विवरण पत्र ।

	2000-01					2001-02					2002-03					2003-04	
संभाग का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रति हेक्टे. वास्तविक लागत	अनुमानित लागत प्रति हेक्टेर	लागत में अंतर प्रति हेक्ट	राशि लाख में	क्षेत्र (हेक्टे)	प्रति हेक्टे वास्तविक लागत (रू)	अनुमानित लागत प्रति हेक्टेर (रू)	लागत मे अंतर प्रति हेक्टे	राशि लाख में	क्षेत्र (हेक्टे)	प्रति हेक्टे वास्तविक लागत (रू)	अनुमानित लागत प्रति हेक्टे. (रू)	लागत मे अंतर प्रति हेक्टे.	राशि लाख में	क्षेत्र (हेक्टे)	प्रति हेक्टे. वास्तविक लागत (रू)
लामटा	184.84	15987	16159			332.000	18645	16967	1678	5.57	516.400	19774	17815	1959	10.12	441.400	16509
रामपुर भटोदी	110.99	16145	16159			180.060	17683	16967	716	1.28	303.240	20476	17815	2661	8.12	235.352	19854
कुन्डम	350.000	16008	16159			130.000	18985	16967	2018	2.68	375.200	20120	17815	2305	8.69	528.000	
मोहगांव	128.400	18240	16159	2081	2.67	499.740	19568	16967	2601	13.00	784.580	19458	17815	1643	12.89	682.990	15241
बारधाट	145.870	23350	16159	7191	10.49	205.040	28263	16967	11296	23.16	450.660	14409	17815			431.800	13389
उमरिया			16159			70.000	16243	16967			200.087	15438	17815			344.600	
योग					13.16					45.69					39.82		
वास्तविक लागत की परिसीमा	15987 से 23350					16243 से 28263					14409 से 20476					रूपए 13389 से 19854	
						महायोग=98.67 लाख रूपये											

नोटः- वास्तविक वृक्षारोपण किया गया क्षेत्र = 441.400 हेक्टेयर, लामटा एवं बालाघाट संभागों द्वारा सूचित किया गया क्षेत्र = 541.400 हेक्टेयर

लामटा संभाग बालाघाट ने 2003 में वृक्षारोपण किए गए क्षेत्र के संबंध में गलत जानकारी प्रस्तुत की थी और तदनुसार प्रति हैक्टेयर लागत कम बताई गई थी जिसमें सुधार किया गया है ।

परिशिष्ट - 10

(कंडिका 2.2.29 में संदर्भित)

2001-02 से 2005-06 के दौरान, विक्रीत समस्त वनोपज के विषय में कुल सरकारी बोली, विक्रय मूल्य, उनके अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(राशिः- करोड़ रूपये में)

संभाग का नाम	वर्ष	कुल सरकारी बोली	कुल विक्रय मूल्य	कम बोली	अधिक बोली	कम बोली की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
लामटा संभाग बालाघाट	2001-02	--	--	--	--	--	
	2002-03	6.27	4.32	1.95	--	31	
	2003-04	5.85	4.64	1.21	--	20.7	
	2005-06	3.70	3.60	0.90	--		
	योग	15.82	12.56	3.26		27	
रामपुर भटोडी संभाग बैतूल	2001-02	--	--	--	--	--	--
	2002-03	15.12	12.37	2.75	--	18.22	सभी महीनों में कम
	2003-04	10.84	4.29	6.55		60.4	दिसंबर एवं फरवरी को छोड़कर सभी माहों में कम
	योग	25.96	16.66	9.30			
कुन्डम संभाग जबलपुर	2001-02	--	--	--	--	--	--
	2002-03	11.51	9.95	1.56		13.6	सभी महीनों में कम
	2003-04	5.82	5.50	0.32		5.5	अप्रैल एवं फरवरी माह को छोडकर सभी माहों में कम
	योग	17.33	15.45	1.88			
मोहगांव [illegible]ाग मंडला	2001-02	20.45	16.10	4.35		21.3	प्रत्येक माह में बोली से कम
	2002-03	17.98	13.78	4.20		23.4	प्रत्येक माह में बोली से कम
	2003-04	8.38	7.87	0.51		6.1	प्रत्येक माह में बोली से कम
	योग	46.81	37.75	9.06			
बारघाट संभाग सिवनी	2001-02			--		--	
	2002-03	13.20	9.61	3.59		27.6	
	2003-04	9.23	7.23	2.00		21.7	
	योग	22.43	16.84	5.59			
उमरिया संभाग उमरिया	2001-02	4.03	2.68	1.35		33.3	अप्रैल एवं मई को छोडकर सभी महीनो में कम
	2002-03	6.08	3.44	2.64		43.4	सभी महीनो में कम
	2003-04	2.99	1.70	1.29		43.1	सभी महीनो में कम
	योग	13.10	7.82	5.28			
	कुलयोग	141.45	107.08	34.37			

टिप्पणीः- बैतूल, जबलपुर एवं सिवनी के आंकड़े मुख्यालय पर आधारित है ।

परिशिष्ट - 11

(कंडिका 3.1.9 में संदर्भित)

31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान संस्वीकृतियों एवं संवितरणों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(राशिः करोड़ रुपए में)

विवरण	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में अनिर्णीत ऋण आवेदन	19	4.70	24	7.31	15	16.36	13	2.36	7	3.05
जोडें प्राप्त आवेदन	308	160.02	263	159.17	205	104.15	155	68.72	556	175.35
घटाएं निरस्त/वापस हुए आवेदन	51	41.08	54	34.96	26	5.57	22	10.97	6	2.85
निवल शेष	276	123.69	233	131.53	194	114.94	146	60.11	557	175.55
संस्वीकृत ऋण*	252	107.95	218	98.55	181	107.02	139	56.45	515	162.22
वर्ष के अंत में अनिर्णीत ऋण आवेदन	24	7.31	15	16.36	13	2.36	7	3.05	42	9.83
लक्ष्य	--	100.00	--	100.00	--	100.00	--	75.00	--	165.00
संवितरित ऋण	220	73.81	176	66.05	153	74.97	95	41.83	388	110.00
लक्ष्य	--	60.00	--	60.00	--	72.00	--	46.00	--	110.00
संस्वीकृत ऋण की संस्वीकृति के लिए लक्ष्य से प्रतिशतता	--	107.95	--	98.55	--	107.02	--	75.27	--	98.31
वितरित किए गए ऋण की वितरण के लिए लक्ष्य से प्रतिशतता	--	123.02	--	110.08	--	104.12	--	90.93	--	100.00

* 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के आंकड़ों में छत्तीसगढ राज्य के लिए वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है ।

परिशिष्ट - 12

(कंडिका 3.1.13 में संदर्भित)

2000-01 से 2004-05 के दौरान उद्योग-वार, क्षेत्र-वार, उद्योग के प्रकार, आकार एवं उद्देश्य वार आवधिक ऋणों की संस्वीकृति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	विवरण	श्रेणियों की संख्या	संस्वीकृति की राशि
1.	उद्योग की श्रेणीयाँ, जिनमें सहायता का संकेन्द्रीकरण अधिक था यथा सेवा, परिवहन उपकरण, खाद्य उत्पादन, मूल धातुएं, निर्माण, रसायन, औद्योगिक रसायनों एवं अन्यों को छोडकर ।	7	368.30 करोड़ रूपये
2.	उद्योग की श्रेणीयाँ जिनमें सहायता का संकेन्द्रीकरण अधिक नहीं था ।	21	163.88 करोड़ रूपये
3.	सहायता न दिए गए उद्योगों की श्रेणीयों यथा तम्बाकू उत्पादन, चमडा एवं चमड़े की वस्तुएं, जैव तकनीकी (बायोटैक) पुष्पोत्पादन एवं इलक्ट्रोनिक उपकरण	5	--
	योग	**33**	**532.18 करोड़ रूपये**

क्षेत्रवार ऋणों की संस्वीकृति

क्रम संख्या	विवरण	जिलों की संख्या	संस्वीकृति की राशि
1.	पिछड़े जिलों में सहायता	37	220.92 करोड़ रुपये
2.	पिछड़े जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में सहायता	9	212.25 करोड़ रुपये
	योग	**46**	**433.17 करोड़ रूपये**

लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सहायता

क्रम संख्या	विवरण	प्रतिशतता की सीमा	संस्वीकृति की राशि
1.	लघु उद्योग	60 से 53	272.34 करोड़ रुपये
2.	मध्यम श्रेणी के उद्योग	40 से 47	259.84 करोड़ रुपये
	योग	--	**532.18 करोड़ रुपये**

आकार के अनुसार ऋणों की संस्वीकृति

क्रम संख्या	विवरण	ऋण की राशि	आवेदनो की संख्या
1.	45 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता	131.52 करोड़ रुपये	923
2.	45 लाख रुपए से अधिक वित्तीय सहायता	359.16 करोड़ रुपये	311
	योग	**490.68 करोड़ रुपये**	**1234**

अल्पावधि ऋण एवं उच्चत्तर क्रय विभाग प्रबंधन 41.50 करोड़ रुपए को छोडकर उद्देश्य-वार ऋणों की संस्वीकृति

क्रम संख्या	विवरण	ऋण की राशि	प्रतिशतता
1.	नई परियोजनाओं के लिए सहायता की राशि	226.02 करोड़ रुपये	42
2.	विस्तार आधुनिकीकरण एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए सहायता की राशि	306.16 करोड़ रुपये	58
	योग	**532.18 करोड़ रुपये**	--

परिशिष्ट-13

(कंडिका 3.1.14 में संदर्भित)

ऋणों की संस्वीकृति एवं संवितरण में विभिन्न कमियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	ऋणग्रहिता का नाम	संस्वीकृत राशि	संस्वीकृत किए जाने का माह	संवितरित राशि	माह जब तक वितरण किया गया	31 दिसंबर 2005 को बकाया राशि		ऋण की प्रस्थिति	संक्षिप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष
						मूलधन	ब्याज		
क	असाध्य परियोजनाओं को ऋण की स्वीकृति								
1.	यश होटल इन्दौर	75.00	मार्च 2002	70.00	अक्टूबर 2002	103.17		अवमानक	कंडिका 3.1.17 में चर्चा की गई है ।
2.	मयूर मिल्क प्राडेक्ट प्रायवेट लिमिटेड	90.00	अगस्त 2000	90.00	मार्च 2001	167.08		संदिग्ध	कंडिका 3.1.18 में चर्चा की गई है ।
3.	रविन्द्र सिह तोमर	75.00	अक्टूबर 2001	75.00	नवम्बर 2001	69.34		संदिग्ध	कंडिका 3.1.19 में चर्चा की गई है ।
4.	दयाल कंसट्रक्शन कम्पनी	70.00	जून 2000	40.00	नवम्बर 2001	70.81		संदिग्ध	कंडिका 3.1.20 में चर्चा की गई है ।
5.	खोडीयार बेवरेजा प्रायवेट लिमिटेड	60.00	मार्च 1999	60.00	फरवरी 2000	72.47		अवमानक	परियोजना मूल्यांकन मे मिनरल वाटर उद्योग मे विद्यमान प्रतिस्पर्धा को ध्यान मे नही रखा गया था ।
		15.00	जनवरी 2001	15.00	मार्च 2001				
6.	सुप्रा स्क्राइब प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर	125.00 लाख रूपये जो कि बाद में घटाकर 99.00 लाख रूपये कर दिए	अप्रैल 2000	91.25	फरवरी 2002				कार्यान्वयन के दौरान परियोजना को लघु आकार देने के कार्य का पुनर्मूल्यांकन तथा साध्यता का आंकलन नये सिरे से नही किया गया था ।
7.	गरहा कम्प्यूटर प्रायवेट लिमिटेड	30.00	मई 2000	30.00	अप्रैल 2001				10 लाख रूपये की आवधिक जमा रसीद के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण शर्तो को शिथिल किया गया था तथा वैयक्तिक गारंटी प्राप्त की गई थी ।

8.	करूणा मेमोरियल हॉस्पिटल	25.00	अगस्त 2002	25.00	मार्च 2003	26.01		अवमानक	स्थानीय प्रशासन से विवाद के कारण प्रचालन व्यवहार्य नही हो पाया । स्थानीय इकाइयों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान मे नही रखा गया था । शासकीय चिकित्सालय एवं स्थानीय इकाइयों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान मे नही रखा गया था । भागीदारों की पूंजी पर ब्याज का भुगतान ऋण स्वीकृति पत्र के अनुसार नहीं किया जाना था । तथापि, भागीदारी विलेख में 12 प्रतिशत पर ब्याज का अनुबंध किया गया था । इसकी जानकारी होने के बावजूद भी ऋण जारी किया गया था ।
ख	**संदिग्ध साख योग्यता वाले प्रवर्तकों को ऋण की स्वीकृति ।**								
9.	प्रतिक एसोसियेट ग्वालियर	75.00	जूलाई 2005 तक	75.00	जूलाई 2005				कंडिका 3.1.21 में चर्चा की गई है ।
10.	गर्हा यूटिलब्रोकि टूल्स लिमिटेड	240.00	जूलाई 2000	240.00	अक्टूबर 2000	264.75		अवमानक	कंडिका 3.1.22 में चर्चा की गई है ।
11.	सायाजी होटल लिमिटेड	150.00	जनवरी 2005	150.00	मार्च 2005				ऋण की स्वीकृति कार्यशील पूंजी के सीमान्त धन की आवश्यकता के लिए दी गई थी । कंपनी तथा इसके प्रवर्तकों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक की चूककर्ताओं की सूची में अंकित थें । यह जानते हुए भी निगम ने इस तथ्य की उपेक्षा की । 100 लाख रूपये के उपयोग प्रमाणपत्र में यह विनिर्दिष्ट नही किया गया था । कि ऋण का उपयोग इसके इंदौर स्थित होटल के लिए किया गया था बाद मे भेजे गए 50 लाख रूपये के उपयोग प्रमाणपत्र को सनदी लेखाकारों द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था ।

12.	तुषार इन्डस्ट्रीज ग्वालियर	20.00	मार्च 2003	19.05	अप्रैल 2004	22.37		अवमानक	ऋण की स्वीकृति के समय, ऋणग्रहीता, रॉक मिल बोर्ड प्रायवेट लिमिटेड के एक अन्य 18 लाख रूपये के ऋण खाते में चूककर्ता था । 11.85 लाख रूपये की सीमा तक ऋण, बकाया ऋण एवं नकद जमाओं को चुकाने के लिए, एक बैंक को जारी किया गया था ।
13.	एपीकल ई-सोल्यूशन लिमिटेड	95.00	अगस्त 2000	80.25	नवम्बर 2000	40.00		अवमानक	176.43 लाख रूपये की पूंजी के रूप में अनुबंध के विरूद्ध कंपनी की पूजी केवल 21.52 लाख रूपये थी । 193.05 लाख रूपये शेयर-प्रीमीयम के ये जो सामान्य व्यय के लिए उपलब्ध नहीं होता है ।
ग	**पर्याप्त प्रतिभूति के बिना ऋणों की स्वीकृति**								
14.	बेलवेडेयर इंर्फोमेशन सिस्टम एण्ड कोटेक्नालोजीस लिमिटेड	75.00	मार्च 2001	75.00		99.92		संदिग्ध	कंडिका 3.1.23 में चर्चा की गई है ।
15.	पी.एस. केमशेफ्ट प्रायवेट लिमिटेड	125.00	जूलाई 2004	118.00	अक्टूबर 2001	118.51		मानक	निगम ने स्थायी परिसम्पत्तियों के रूप मे संपार्श्विक प्रतिभूतियों की शर्त को हटा दिया एवं इसको आवधिक जमा रसीद के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके लिए वित्तीय प्रबंध भी ऋण (25 लाख रूपये) जारी करके किया गया था । इस प्रकार ऋण पर्याप्त रूप से सुरक्षित नही था । इस प्रकार प्रवर्तकों को अनुचित अनुग्रह का लाभ दिया गया ।

घ	**ऋणों को अधिग्रहण करने के लिए ऋण स्वीकृत करना**								
16.	अनय ग्राफिक्स प्रायवेट लिमिटेड	75.00	जून 2001	75.00	मार्च 2002	114.14		संदिग्ध	कंडिका 3.1.25 में चर्चा की गई है ।
17.	मनीष फिल्मस प्रायवेट लिमिटेड इंदौर	100.00	नवम्बर 2003	100.00	नवम्बर 2004	98.57		मानक	ऋणग्रहीता भारतीय स्टेट बैंक का एक चूककर्ता था जिसने (बैंक ने) ऋणग्रहीता को एक मुश्त भूगतान का प्रस्ताव दिया था तथा निगम ने बैंक के ऋण की चुकौती के लिए 86 लाख रूपये जारी किए । बाद में बैंक ने स्वामित्व दस्तावेजों के वापस करने को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि दस्तावेज आवधिक ऋण तथा नगद जमा दोनो के लिए समान थें । निगम ने बैंक को 9.95 लाख रूपये और जारी किए तथा 3.05 लाख रूपये के शेष को देय ब्याज के विरूद्ध समायोजित कर लिया गया । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निगम के पास ऋण को अधिग्रहण करने हेतु कोई योजना नहीं थी,
18.	मधु अल्युमिनियम प्रायवेट लिमिटेड	100.00	जून 2004	100.00	जनवरी 2005				ऋणग्रहीता की ईक्विटी का निवल मूल्य केवल 0.14 लाख रूपये था । ऋणग्रहीता द्वारा 50 लाख रूपए का उपयोग बैंक ऑफ इंडिया को उधार-सुविधा के विरूद्ध पुनर्भुगतान हेतु किया गया था ।
ड़	**व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ऋण की स्वीकृति**								
19.	मराठवाडा प्रेसट्रेस लिमिटेड	100.00	अक्टूबर 2004	100.00	जनवरी 2005				ऋणग्रहीता द्वारा उत्पादन में वृद्धि के लिए खुले बाजार से ली गई उधारियों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ऋण संस्वीकृत एवं जारी किया गया था । ऋणग्रहीता ने 2002-03 मे पहले ही उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली थी ।

च	ऋणों की अनियमित स्वीकृति								
20.	डॉनी पोंलो उद्योग लिमिटेड	90.00	नवम्बर 2003	90.00	मार्च 2004				योजना के अनुसार ऋण ईक्विटी अनुपात 1:1 होना चाहिए था, वास्तविक ऋण इक्विटि अनुपात 1:1.29 था । इसके परिणामस्वरूप परियोजना पर 20 लाख रूपये तक का अधिक वित्त-पोषण हुआ था ।
21.	गोल्डी फिन एग्रो प्रायवेट लिमिटेड	20.00	जनवरी 2003	20.00	जनवरी 2004				जारी किए गए 20 लाख रूपयों में से 9 लाख रूपए का समायोजन पूर्ववर्ती ऋण लेखे में चूक के विरूद्ध किया गया था । अप्रतिभूतित ऋण के रूप मे 71.11 लाख रूपए की प्रतिधारण की शर्त पर ऋण के चुकता हो जाने की अवधि तक के लिए ऋण दिया गया था जब 45 लाख रूपये का नया ऋण स्वीकृत किया गया था तब ऋणग्रहीता ने मार्च 2003 के अंत तक 15.50 लाख रूपए का आहरण पहले ही कर लिया था । आहरण की जानकारी के बावजूद नया ऋण पुनः 71.11 लाख रूपए की प्रतिधारण की शर्त को अधिरोपित करते हुए स्वीकृत किया गया था । इस प्रकार ऋण की स्वीकृति अनियमित थी ।
		45.00	नवम्बर 2003	45.00	फरवरी 2004				
22.	मैसर्स आर.के.कन्स्ट्रक्शन कंपनी	12.00	अक्टूबर 2001	9.50	मार्च 2004	9.50		अवमानक	परियोजना पर किए गए 25.06 लाख रूपए के उपयोगार्थ चैक के माध्यम से भुगतान नही किया गया । पंजाब नैशनल बैंक के ऋण के भुगतान मे चूक करने के लिए गारंटीदाता की पत्नी की सम्पत्ती को कुर्क करते हुए एक नोटिस प्रकाशित किया । उपर्युक्त व्यक्ति ने निगम के सावधि ऋण के विरूद्ध में गारंटी दी थी लेकिन मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।
23.	आस्था इंडस्ट्रीज	75.00	--	75.00	--	176.02		अवमानक	विगत दो वर्षो से लाभदायकता की शर्त को शिथिल कर दिया गया था । ऋणग्रहीता कंपनी की संचित हानियाँ 29.48 लाख रूपए हो गई जो कि कमजोर वित्तीय स्थिति का परिचायक है ।
		100.00	अक्टूबर 2003	85.00	--				

24.	राजश्री प्रोडक्शन प्रायवेट लिमिटेड	75.00	मई 2003	75.00	फरवरी 2004				निगम ने कंपनी से 67 लाख रूपए की वसूली नही की और राजश्री प्लास्टीवुड लिमिटेड का अधिग्रहण ऋणग्रहीता कंपनी द्वारा किए जाने के समय इसका अधित्याग कर दिया, जिस समय कम्पनी को ऋण की स्वीकृति/जारी किया जा रहा था । बी.आई. एफ.आर. के आदेशों के अनुसार समायोजन राशि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही की गई थी ।

परिशिष्ट -14

(कंडिका 3.1.25 में संदर्भित)

31 मार्च 2005 को मूलधन एवं ब्याज की वसूली के लिए उठाई गई माँग, वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य, वास्तव मे की गई वसूली के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र

(राशि: करोड़ रूपए में)

	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
	वसूली हेतु बकाया राशि					
(i)	वर्ष के आरंभ मे बकाया	159.77	159.65	134.92	125.90	123.61
(ii)	वर्ष के दौरान बकाया राशि	102.84	78.50	115.02	80.81	75.49
	कुल वसूली योग्य राशि	**262.61**	**238.15**	**249.94**	**206.71**	**199.10**
	वसूली हेतु लक्षित राशि	100.00	100.00	110.00	95.00	85.00
	वसूल की जाने वाली राशि की लक्ष्य से प्रतिशतता	38	42	44	46	43
	निम्न के विरूद्ध वसूली					
(a)	पुराने बकाया	4.17 (2.6%)	18.18 (11.39%)	17.61 (13.05%)	18.01 (14.30%)	21.95 (17.76%)
(b)	चालू वर्ष की मांग	98.79 (96%)	85.04 (108%)	89.91 (78%)	65.09 (103%)	68.48 (91%)
	कुल वसूली	**102.96**	**103.22**	**107.52**	**83.10**	**90.43**
	बकाया राशि	159.65	134.93	142.42	123.61	108.67
	लक्ष्य के विरूद्ध वसूली की प्रतिशतता	**102.96**	**103.22**	**97.74**	**87.47**	**106.3**

परिशिष्ट 15

(कंडिका 3.1.27 में संदर्भित)

अनुवर्ती कार्यवाही का अभाव, वसुली के लिए न की गई कार्यवाही के प्रकरणो के विस्तृत विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	संवितरण की राशि एवं अवधि	चूक की अवधि	बकाया का माह	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
1.	एपिकल ई सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	80.25 लाख नवम्बर 2000	अगस्त 2001	40.00 लाखरूपये मार्च 2006	कंडिका 3.1.29 में चर्चा की गई है ।
	बिजिमेन ऑफसेट प्रिंटर प्राईवेट लिमिटेड इंदौर	नवम्बर 2001 तक 130 लाख रूपये	प्रारम्भ से	171.11 लाख रूपये (दिसम्बर 2005)	कंडिका 3.1.30 में चर्चा की गई है ।
	पॉपी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	11.50 लाख रूपये फरवरी 2003	प्रारम्भ से	16.32 लाख रूपये दिसम्बर 2005 **187.43 लाख रूपये**	जनवरी 2005 तक चैकों के अनादरित होने के बावजूद एन आई ए की धारा 138 के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । पार्टी से केवल 0.85 लाख रूपये का भुगतान प्राप्त हुआ था एवं फरवरी 2006 में इकाई को अंतिम रूप से अपने अधिकार मे ले लिया था । इस प्रकार कठोर कार्यवाही प्रारम्भ करने मे शिथिलता के कारण निगम ने 16.32 लाख रूपए की वसूली मे देरी कर दी ।
	जी.एस. ऑरगेनिक्स लिमिटेड इंदौर	30 लाख रूपये मार्च 1994 तक 50 लाख रूपये अक्टूबर 1996 तक		31.03.2006 को 97.36 लाख रूपये **97.36 लाख रूपये**	चूक के कारण निगम ने इकाई को दिसंबर 1998 में तथा संपार्श्विक प्रतिभूति को दिसंबर 2000 मे, राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अधीन, अपने अधिकार में ले लिया । 50 लाख रूपए के ऋण की स्वीकृति के समय 16 लाख रूपए मूल्य की संपार्शिक प्रतिभूति जिसमें एक भूखंड समाविष्ट था जो नजूल भूमि के अंतर्गत होनें के कारण विक्रय पर 3 लाख रूपए मूल्य पर बिका । कंपनी ने निगम की अनुमति प्राप्त किए बिना ही पब्लिक इश्यू जारी कर दिया । राजस्व वसूली प्रमाणपत्र का जारी किया जाना प्रतीक्षित है (मार्च 2006) ।
	सीलिन एनवायरमेंट टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड भोपाल	63.30 लाख रूपये 2003-04	2002 से	42.54 लाख रूपये मार्च 2006	निगम ने ऋण लेखे का निपटान 2.54 लाख रूपए की हानि उठाकर 40 लाख रूपए (मार्च 2006) पर किया जिसका भुगतान कंपनी द्वारा नही किया गया था (मार्च 2006) । कंपनी 2002 में पहले से ही चूककर्ता थी तो भी एक सावधि ऋण तथा परिसम्पत्ति जमा ऋण संस्वीकृत कर दिया गया था ।
	मैसर्स विजयंत टैक्स, इन्दौर	50 लाख 1999		89.69 लाख रूपये जनवरी 2005	पार्टी के द्वारा अनुरोध किए जाने पर निगम ने 89.69 लाख रूपए के बकाया शेष (जनवरी 2005) के विरूद्ध 63 लाख रूपए के एक मुश्त भुगतान पर ऋण लेखे का निपटान कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 26.69 लाख रूपए को छोड दिया गया । एक मुश्त भुगतान का पालन नहीं किया गया (मार्च 2006)

7.	मैसर्स वरूण सीमेंट इण्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	57.10 लाख रूपये फरवरी 1996		154.94 लाख रूपये सितम्बर 2005 **287.17 लाख रूपये**	ऋण एक ऐसी कम्पनी को संस्वीकृत किया गया था, जिसने कोई व्यापार प्रारम्भ नही किया था तथा जिस जेनरेटर सैट के लिए ऋण संस्वीकृत किया गया था, उसको सहायोगी कंपनी के परिसर में अधिणापित किया गया था । जेनरेटर सैट को अक्टूबर 2001 मे अधिकार में ले लिया गया था । ऋण लेखे का निपटान 70 लाख रूपए में कर दिया गया (मार्च 2002) कंपनी एक मुश्त भुगतान का पालन करने में विफल रही तथा परिवर्तित भुगतान अनुसूची को भी निगम ने 154.94 लाख रूपए की वसूली के लिए इकाई के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिया (सितम्बर 2005)
8.	डेकोरा टयूब्स लिमिटेड	38 लाख रूपये (जुलाई 1995) 95 लाख रूपये (मार्च 1996)	प्रारम्भ से	166.94 लाख(मार्च 2006) **166.94 लाख रूपये**	कंपनी ने सितंबर 1998 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना मंडल (बी.आई.एफ.आर.) से सम्पर्क किया । बी.आई.एफ.आर.ने मार्च 2004 मे संमापन की पुष्टि कर दी । सरकारी परिसमापक की नियुक्ति जुलाई 2005 मे हुई थी । परिसंपत्तियो की बिक्री मार्च 2006 तक पूर्ण नहीं हो पाई थी । संयत्र की कम उपयोगिता की जानकारी एवं अल्यूमिनियम उद्योग मे मंदी के बावजूद, निगम इकाई को अपने अधिकार में लेने में विफल रहा जिसके के कारण ऋणग्रहीता कंपनी को बी.आई.एफ.आर तक पहुचने में सुविधा रही ।
9.	धर सीमेंट लिमिटेड	100.00 लाख रूपये दिसम्बर 1996	प्रारम्भ से	172.39 लाख सितंबर 1999 **172.39 लाख रूपये**	निगम के उप-महाप्रबंधक क्षेत्र II के द्वारा इकाई का निरीक्षण 22-6-1997 को किया गया था और यह पाया गया कि संयंत्र निर्विघ्न रूप से कार्य कर रहा था अतः इसके कार्यचालन में कोई गंभीर समस्याऐ सामने नहीं आई । ठीक 8 माह की अवधि के पश्चात (फरवरी 1998) इकाई का पंजीयकरण बी.आई.एफ.आर. में हो गया । लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई. सी.आई.सी.आई.ने कंपनी के कुल मूल्य की क्षति को देखते हुए कंपनी को अधिकार मे लेने विलयन के लिए प्रस्तुत करने हेतु मुंबई के इकॉनामिक टाइम्स में 18-12-1997 को विज्ञापन इस प्रकार बी.आई.एफ.आर.को इसका संदर्भ दिए जाने के पूर्व निगम,राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत त्वरित कार्यवाही करने मे विफल रहा ।

परिशिष्ट -16
(कंडिका 3.1.30 में संदर्भित)

ऋणों का एक मुश्त भुगतान

क्र. सं.	इकाई का नाम	संवितरण की राशि एवं अवधि	चूक की अवधि	बकाया राशि एवं अवधि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	महामाया थर्मोलाइन प्राइवेट लिमिटेड	57.19 लाख रूपये मार्च 2000		79.23 लाख रूपये	कंडिका 3.1.31 में चर्चा की गई है।
2	सुपरास्क्राइव प्राइवेट लिमिटेड	91.25 लाख रूपये फरवरी 2002		137.61 लाख रूपये	कंडिका 3.1.32 में चर्चा की गई है।
3	एन.एम.आई. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	240 लाख रूपये 1998-99		292.19 लाख रूपये	कंडिका 3.1.33 में चर्चा की गई है।
4	भोपाल मोटर्स लिमिटेड, इंदौर	245 लाख रूपये नबम्बर 1998 से नवम्बर 2000		214.19 लाख रूपये	364.39 लाख रूपए मूल्य की प्रतिभूतियों के बावजूद, निगम ने ऋण लेखे का निपटान 114.20 लाख रूपए पर कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 99.99 लाख रूपए की हानि हुई ।
5	ई.एस.एस. पी. फिनसेक लिमिटेड भोपाल	200 लाख रूपये दिसम्बर 1998 से दिसम्बर 2000		160.94 लाख रूपये	वित्तीय परिसम्पत्तियों / प्रवर्तकों की संपत्ति एवं 380 लाख रूपए मूल्य की अन्य उपलब्ध प्रतिभूति के बावजूद, मार्च 2005 को आर.सी.बैठक में 100 लाख रूपए में ऋण का निपटारा किया गया जिसके परिणाम स्वरूप 60.94 लाख रूपए की हानि हुई ।
6	सेंगर होटल धार	25.00 लाख रूपये मार्च 2000	प्रारंभ से	36.71 लाख रूपये मार्च 2005	प्रतिष्ठान शुरू से ही चूककर्ता था । 30 लाख रूपए पर एक मुश्त भुगतान तय किया गया जो कि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठान द्वारा आदरित नहीं किया गया । आगामी दिनांको के चैक को प्राप्त करने की पूर्ति को भुगतान की शर्तों के विरूद्ध शिथिल किया गया । पार्टी के विफल रहने के बावजूद एक मुश्त भुगतान को निरस्त नहीं किया गया ।
7	गांधी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर	90 लाख रूपये मार्च 1999	प्रारंभ से	108.99 लाख रूपये जुलाई 2004	लेखे का निपटान 60.15 लाख रूपए में किया गया । पार्टी भुगतान को आदरित करने में विफल रही लेकिन इसे निरस्त नहीं किया गया । संपार्श्विक प्रतिभूतियों (10 लाख रूपए) एवं उत्कृष्ट प्रतिभूतियों (186.90 लाख) के होने के बावजूद निगम ने एक मुश्त भुगतान की शर्तों के विरूद्ध, एक मुश्त भुगतान में आगामी दिनांकों के चैकों की प्रप्ति करने की उपेक्षा की ।
8	जगदम्बा स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड	64 लाख रूपये अप्रैल 1998	प्रारंभ से	39.51 लाख रूपये फरवरी 2005	निगम ने अंततः दिसम्बर 1999 में तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों को अप्रैल 2000 में अपने अधिकार में ले लिया । इकाई की परिसम्पत्तियों को अंतिम रूप से 15 लाख रूपए में विक्रय कर दिया गया । निगम ने तीन माहों में भुगतान योग्य 44.51 लाख रूपए की कीमत पर ऋण लेखे का निपटान कर दिया । कंपनी ने 5 लाख रूपए का भुगतान कर दिया और ऋण-ग्रहिता के अनुरोध पर समयवृद्धि प्रदान कर दी (नवम्बर 2005) जिसमें विफल रहने पर समझौते को

					निरस्त माना जाना था । निगम ने न तो 39.51 लाख रूपए की शेष राशि को प्राप्त किया और न ही समझौते को निरस्त किया (फरवरी 2006) ।
9	मोहता सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड	109 लाख रूपये (5 ऋण) 1985 से 1994		217.55 लाख रूपये जून 2000	निगम द्वारा ऋण लेखे का निपटान 57.15 लाख रूपए में किया गया (जुलाई 1997) । ऋण ग्रहीता समझौते को पूर्ण रूप से आदरित करने में विफल रहा । निगम ने राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत इकाई को अपने अधिकार में ले लिया (अप्रैल 2001) । अंतत निगम ने 65 लाख रूपये के भुगतान पर ऋण लेखे का निपटान कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 152.55 लाख रूपये की हानि हुई । निगम ने वसूली में विलम्ब किया । सितम्बर 1994 में निगम ने यह देखा कि ऋण ग्रहिता स्वैच्छिक चूककर्ता था और निधियों का दूरूपयोग ब्याज पर ऋण देकर तथा अपनी चालू परिसम्पत्तियों का वित्त प्रबन्धन करके कर रहा था। निगम ने निपटान राशि के पुनर्भुगतान पर भी 4.53 लाख रूपए की राशि के ब्याज का अधित्याग कर दिया ।
10	राजश्री फोरेक्स लिमिटेड	60 लाख रूपये जून 1994	प्रारम्भ से	104.52 लाख रूपये	निगम ने पार्टी के ऋण लेखे का निपटान फरवरी 2001 में 44.52 लाख रूपए की हानि पर 60 लाख रूपए में कर दिया । ऋण ग्रहीता प्रारंभ से ही चूककर्ता था । तो भी निगम ने परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में लेने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी । वसूली समिति की बैठक (मई 1997) भी दिसम्बर 1997 में बी.आई.एफ.आर को ऋण ग्रहीता की जानकारी भेजे जाने के पूर्व ऋणग्रहीता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने में विफल रही । इस प्रकार, निगम के द्वारा परिसंपत्तियो को अपने अधिकार में लेने एवं उनके विक्रय/प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गांरटी को भुनाने मे निगम की विफलता के फलस्वरूप 44.52 लाख रूपए की हानि हुई ।
11	मोइरा ग्रुप ऑफ कंपनीज	241.50 लाख रूपये (6 ऋण)		129.69 लाख रूपये	निगम ने 1986 से 1995 के मध्य 241.50 लाख रूपए के छः सावधि ऋणों की संस्वीकृति की थी तथा सभी ऋण लेखे चूक वाले थे । निगम ने पहले उपर्युक्त ऋण लेखे का पुनर्निर्धारण एवं बकाया ब्याज के लिए निधियों की व्यवस्था भी कराई थी । वसूली समिति ने दिनांक 16.3.2002 की बैठक में 129.69 लाख रूपए के कुल बकाया ऋण के विरूद्ध 64.69 लाख रूपए का त्याग करते हुए 65 लाख रूपए के ऋण लेखे के निपटान का संकल्प पारित किया । प्रतिष्ठान ने एक मुश्त भुगतान समझौते को आदरित नहीं किया ।

परिशिष्ट - 17

(कंडिका 3.2.14 में संदर्भित)

एशियन विकास बैंक के निर्माण कार्यों के लिए सामग्री की अग्रिम अधिप्राप्ति के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	मूल्य (लाख रूपए में)	सामग्री की प्राप्ति		स्टेशन का कार्यान्वयन/चालू करना		अग्रिम अधिप्राप्ति माहो में
			से	तक	से	तक	
I	नियंत्रण एवं रिले पैनल						
	(क) 400 के वी पैनल	29.81	12/03	6/04	12/04	7/05	13
	(ख) 220 के वी पैनल	151.16	12/03	6/04	3/04	3/05	6
	(ग)132 के वी पैनल	840.00	10/03	4/04	10/03	11/04	7
	(ध)33 के वी पैनल	147.00	8/03	11/03	8/03	11/04	12
II	सी.टी./पी.टी. इकाइयाँ						
	(क) 400 के वी सी टी	94.14	1/04	3/04	12/04	7/05	14
	(ख) 220 के वी सी टी	164.82	3/03	8/03	3/04	3/05	16
	(ग) 132 के वी सी टी	275.55	2/03	3/04	10/03	11/04	7
III	आइसोलेटर्स						
	(क) 400 के वी	42.8	3/03	--	12/04	7/05	24
	(ख) 220 के बी	72.5	3/03	7/03	3/04	3/05	16
	(ग) 132 के वी	170.35	4/03	8/03	10/03	11/04	11
	(ध) 33 के. वी	56.24	2/03	9/03	8/03	11/04	10
IV	पी.एल.सी.सी.उपकरण, वेव ट्रेप्स, सी वी टी, कप्लिंग कपेसीटर	920.00	11/03	9/04	3/04	3/05	5
V	उप-स्टेशन स्विच यार्ड स्ट्रेक्चर्स	1362.70	6/03	6/04	3/04	3/05	9
	योग (अ)	**4,327.07**					

क्रम संख्या	मद/ गन्तव्य का विवरण	सम्बन्धित क्षेत्र भंडार का नाम	प्राप्त की गई मात्रा (संख्या)	मूल्य (लाख रूपयों में)	प्राप्त होने की दिनांक	चालू करने की दिनांक	विलम्ब माहों में
I	390 के.वी. लाइटनिंग एरेस्टर						
	क) 400 के.वी.एस/एस बीना	सागर	3	2.99	30/7/03	जून 05	20
	ख)400 के.वी.एस/एस भोपाल	भोपाल	3	2.99	4/8/03	जूलाई 05	20
	ग) 400 के.वी.एस/एस नागदा	रतलाम	3	2.99	अगस्त 03	दिसम्बर 04	13
II	198 के.वी. लाइटनिंग एरेस्टर						
	क) 400 के.वी.एस/एस बीना	सागर	7	2.96	जुलाई 03	जून 05	20
	ख)400 के.वी.एस/एस भोपाल	भोपाल	3	1.27	अगस्त 03	जुलाई 05	20
	ग) 400 के.वी.एस/एस नागदा	रतलाम	2	0.85	अगस्त 03	दिसम्बर 04	13
	घ) 400 के.वी.एस/एस नागदा	रतलाम	4	1.69	अगस्त 03	दिसम्बर 04	13
	ड़)नरसिंगपुर	जबलपुर	6	2.54	सितम्बर 03	मार्च 04	3
	च) बादनगर उज्जैन	उज्जैन	9	3.81	दिसम्बर 03	अक्टूबर 04	7
	योग (ब)			**22.09**			
	कुल योग (अ+ब)			**4,349.16**			

परिशिष्ट - 18

(कंडिका 3.2.15 में संदर्भित)

एक ही निविदा कै विभिन्न पैकेजों में आधिप्राप्त एक समान मदों की तुलनात्मक दरों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

निविदा का संदर्भ	मद का विवरण	पैकेज संख्या	प्रति यूनिट दर (रूपयों में)	अंतर प्रति यूनिट (रूपयो में)	अधिप्राप्त मात्रा(संख्या)	कुल अंतर रूपयों में
1	2	3	4	5	6	7
टी.आर.-02	132 के.वी.सर्किट ब्रेकर	III (03471-4 तिथि 06-11-02)	692218	उत्तर के अनुसार		
		IV (03472-5 तिथि 6-11-02	668694	10682	85	907970
टी.आर.-03	132 के.वी.सी.टी. 400-200/1-1-1 एमपियर अनुपात के साथ	III (03481-7 तिथि 19-12-02)	65460			
		IV (03484-0 तिथि 19-12-02)	74000	8540	135	1152900
टी.आर.-07	132 के.वी.एवं 33 के.वी.के ठोस अंतर्भाग इंसुलेटर्स	II (03525-2 तिथि 30-4-03)	4620	--		
		III (03526-3तिथि 30-4-03)	4545	75	5330	399750
टी.आर.-14	200 के.वी. के फेब्रिकेटेड गेलवेनाइज्ड टॉवर पार्टर्स् सहायक उपकरणों के साथ	I (03517-1 तिथि 5-4-03	32815 प्रति एम टी	--		
	132 के.वी.के फ्रेब्रिकेटेड गेलवेनाइज्ड टॉवर पार्टर्स् उपकरणों के साथ	II (03518-2 तिथि 5-4-03	31785प्रति एम टी	1030 प्रति एम टी	2617 एम टी.	2695510
	132 के.वी.फ्रेब्रिकेटेड गेलवेनाइज्ड टॉवर पार्टर्स् उपकरणों के साथ	III (03519-3 तिथि 5-4-03	33746 प्रति एम टी	1961 प्रति एम टी	4940 एम टी	9687340
टी.आर.-10	उप-स्टेशन स्विचयार्ड स्ट्रक्चर्स एवं एम एस फ्लैट्स	I (3521 –8 तिथि 10-4-03	27930 प्रति एम टी	--		
		II (03494-3 तिथि 24-12-02)	26711 प्रति एम टी	1219	2600 एम टी	3169400
टी.आर.-04	I -नियंत्रण एवं रिले पैनल (ए प्रकार)132 के. वी. के संपूर्ण फीडर के लिए	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	403200			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	420379	17179	52	893308
	II- नियंत्रण एवं रिले पैनल (बी प्रकार) 132 के. वी. 220 के. वी. साइड के लिए	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	190800			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	349585	158785	5	793925
	III- नियंत्रण एवं रिले पैनल (सी प्रकार) 132 के. वी. के ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	498600			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	478412	20188	20	403760

	सहायक उपकरण					
	(i) संपूर्ण मॉडयूल्स सहित दूरस्थ सुरक्षा परियोजना	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	324000			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	231454	92546	8	740368
	(ii) विशेषक सुरक्षा रिले	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	378000			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	185701	192299	4	769196
	(iii) संख्यात्मक रिले जिसमे दो अतिरिक्त विद्युत प्रवाह एवं एक अर्थ दोष दिशाहीन तत्व हो	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	18900			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	40382	21482	4	85928
	(iv) संख्यात्मक रिले जिसमें दो अतिरिक्त विद्युत प्रवाह एवं एक निर्देशित अर्थ दोष तत्व हो	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	18900			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	100932	82032	6	492192
	(v) संख्यात्मक रिले जिसमें दो अतिरिक्त विद्युत प्रवाह एवं एक उच्च निर्देशित अर्थ दोष तत्व हो	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	100932			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	18900	82032	8	656256
	(vi) पारंपरिक आई डी एम टी इंडक्शन	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	16200			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	20000	3800	4	15200
	(vii) डी.सी. आपूर्ति पर्यवेक्षण रिले	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	810			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	1900	1090	8	8720
	(viii) ट्रिपिंग रिले	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	1620			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	4200	2580	4	10320
	(xi) डिजिटल एंपियर मीटर	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	1215			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	1733	518	17	7770
	(x) डिजिटल वोल्ट मीटर	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	1215			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	1733	518	17	7770
	(xi) डिजिटल पॉवर फैक्टर मीटर	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	2430			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	4016	1586	4	6344
	(xii) डिजिटल एम डब्ल्यू मीटर	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	4355			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	4016	339	8	2712
	(xiii) डिजिटल एम वी ए आर मीटर	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	4355			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	4016	339	8	2712
	(xiv) लाल एवं हरा रंग प्रदर्शित करते हुए संख्याओं को	**II (03495-4 तिथि 26-12-02)**	65			

		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	188	123	85	10455
	(xv) हाथ से उपयोग होने वाले झण्डे सहित 4 सहायक रिले तत्व	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	3375			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	8360	4985	8	39880
	(xvi) एननीकेशन फेसी विन्डो 8 वे	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	3780			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	10000	6220	2	12440
	(xvii) एननीकेशन फेसी विन्डो 12 वे	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	5670			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	12500	6830	2	13660
	(xviii) पेरिफरल के साथ पी.सी.	II (03495-4 तिथि 26-12-02)	48000			
		III (03510-4 तिथि 20-2-03)	75000	27000	20	540000
टी.आर. 36	मध्यप्रदेश उर्जा क्षेत्र विकास परियोजना से संबंधित 220 के. वी. एवं 132 के. वी. के फेब्रिकेटेड एवं गेल्वेनाइज्ड टॉवर पार्टस् एवं सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति	पैकेज-I	51694	--	--	--
		पैकेज-II	52387	693	2352	1629936
		पैकेज-III	52031	337	2360	795320
		पैकेज-IV	52140	446	2380	1061480
		पैकेज-V	52132	438	2398	1050324
					कुल योग	**28062846**

परिशिष्ट - 19

(कंडिका 3.3.6 में संदर्भित)

31 मार्च 2005 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठापनों की जांच की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण पत्र

	2000-01			2001-02			2002-03			2003-04			2004-05		
क्षेत्र	संयोजनों की संख्या	जांचे गए संयोजनों की संख्या	जांच की प्रतिशतता	कनेक्शन्स की संख्या	जांचे गए कनेक्शन्स की संख्या	जांच की प्रतिशतता	कनेक्शन्स की संख्या	जांचे गए कनेक्शन्सकी संख्या	जांच की प्रतिशतता	कनेक्शन्सकी संख्या	जांचे गए कनेक्शन्स की संख्या	जांच की प्रतिशतता	कनेक्शन्स की संख्या	जांचे गये कनेक्शन्स की संख्या	जांच की प्रतिशतता
जबलपुर	1207888	247882	20.54	1175287	92129	7.84	1155909	116727	10.10	1172957	130426	11.12	1187535	118926	10.01
रीवा	506252	76525	15.12	529811	100068	18.89	543194	71674	13.19	548156	55498	10.12	549356	71899	13.09
सागर	484647	32827	6.77	527184	86750	16.46	534555	58506	10.94	543553	54870	10.09	549589	50020	9.10
भोपाल	895647	173528	19.37	1004877	95956	9.55	1019942	99581	9.76	1045075	84316	8.06	1053755	72095	6.84
ग्वालियर	664723	27970	4.21	718964	36235	5.04	734484	31200	4.25	726578	31645	4.35	752188	30543	4.06
इंदौर	1247096	554739	44.48	1282576	541103	42.19	1276294	461428	36.15	1297643	394666	30.41	1295365	381116	29.42
उज्जैन	1111544	329969	29.69	1164416	352294	30.25	1131261	531136	46.95	1108092	476129	42.97	1103760	381108	34.53
योग	**6117797**	**1443440**	**23.59**	**6403115**	**1304535**	**20.37**	**6395639**	**1370252**	**21.42**	**6442054**	**1227550**	**19.05**	**6491548**	**1105707**	**17.03**

परिशिष्ठ - 20

(कंडिका 3.3.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्ट की गई चोरी की गई घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र

	2000-01			2001-02			2002-03			2003-04			2004-05		
क्षेत्र	जांचे गए कनेक्शन्स की संख्या	पता लगाई गई चोरियां	चोरी की प्रतिशतता	जांचे गए कनेक्शन्स की संख्या	पता लगाई गई चोरियां	प्रतिशतता	जांचे गए कनेक्शन्स की संख्या	पता लगाई गई चोरियां	प्रतिशतता	जांचे गए कनेक्शन्स की संख्या	पता लगाई गई चोरियां	प्रतिशतता	जांचे गए कनेक्शन्स की संख्या	पता लगाई गई चोरियां	प्रतिशतता
जबलपुर	247882	61252	24.71	92129	21920	23.79	116727	20326	17.41	130426	25402	19.48	118926	27750	23.33
रीवा	76525	38118	49.81	100068	56805	56.77	71674	25831	36.04	55498	17404	31.36	71899	12122	16.86
सागर	32827	9662	29.43	86750	14978	17.27	58506	28191	48.18	54870	16900	30.80	50020	9831	19.65
भोपाल	173528	94009	54.18	95956	35119	36.60	99581	32749	32.89	84316	32120	38.09	72095	24162	33.51
ग्वालियर	27970	11594	41.45	36235	17864	49.30	31200	19242	61.67	31645	16257	51.37	30545	20044	65.62
इंदौर	554739	247668	44.64	541103	116586	21.55	461428	135663	29.40	394606	95823	24.27	381116	81078	21.27
उज्जैन	329969	154768	46.90	352294	167121	47.44	531136	149949	28.23	476129	102070	21.63	381108	96107	25.22
योग	**1443440**	**617071**	**42.75**	**1304535**	**430393**	**32.99**	**1370252**	**411951**	**30.06**	**1227550**	**306885**	**25.00**	**1105709**	**271094**	**24.52**

परिशिष्ट - 21

(कंडिका 3.3.8 में संदर्भित)

31मार्च 2005 को समाप्त पांच वर्षो के दौरान उठाई गई मांग, वसूल की गई राशि एवं वसूल न की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(राशिः लाख रूपये में)

क्षेत्र	2000-01			2001-02			2002-03			2003-04			2004-05		
	उठाई गई मांग	वसूल की गई राशि	वसूल नहीं की गई राशि	उठाई गई मांग	वसूल की गई राशि	वसूल नहीं की गई राशि	उठाई गई मांग	वसूल की गई राशि	वसूल नहीं की गई राशि	उठाई गई मांग	वसूल की गई राशि	वसूल नहीं की गई राशि	उठाई गई मांग	वसूल की गई राशि	वसूल नहीं की गई राशि
जबलपुर	1067.54	687.92	379.62	709.60	545.13	164.47	635.02	463.58	171.44	674.72	474.40	200.32	747.93	532.12	215.81
रीवा	1165.38	475.61	689.77	790.79	729.11	61.68	540.82	495.63	45.19	425.16	295.97	129.19	359.32	255.25	104.07
सागर	324.75	152.31	172.44	530.31	381.29	149.02	554.55	397.57	156.98	361.35	223.46	137.89	141.73	91.47	50.26
भोपाल	1031.24	683.60	347.64	1123.49	824.01	299.48	1281.84	962.00	319.84	1434.00	865.11	568.89	1335.77	783.58	552.19
ग्वालियर	928.37	491.15	437.22	584.74	465.00	119.74	927.34	595.07	332.27	800.42	549.46	250.96	955.33	616.62	338.71
इंदौर	2103.31	1746.54	356.77	1914.99	1748.73	166.26	2196.76	1783.84	412.92	2034.44	1806.61	227.83	2557.66	2313.57	244.09
उज्जैन	1365.03	1155.29	209.74	1488.64	1383.97	104.67	1753.04	1435.40	317.64	1898.14	1468.18	429.96	2268.04	1752.30	515.74
योग	**7985.62**	**5392.42**	**2593.20**	**7142.56**	**6077.24**	**1065.32**	**7889.37**	**6133.09**	**1756.28**	**7628.23**	**5683.19**	**1945.04**	**8365.78**	**6344.91**	**2020.87**

परिशिष्ठ - 22

(कंडिका 4.13 में संदर्भित)

विद्युत प्रभारों की कम विलिंग के विवरणों को दर्शाने वाला विवरण - पत्र

(राशिः रूपयों में)

संभाग	शहरी / ग्रामीण	अवधि	राशि जिसका बिल बनाया गया	राशि जिसका बिल बनाया जाना है @ 170/160 प्रति उपभोक्ता	राशि जिसका कम बिल बनाया गया
दमोह (संचालन एवं संधारण)	शहरी	जनवरी - फरवरी 05	1136600	1932220	795620
	ग्रामीण	जनवरी - फरवरी 05	2161200	3457920	1296720
धार (संचालन एवं संधारण)	शहरी	जनवरी - मार्च 05	निरंक	निरंक	निरंक
	ग्रामीण	जनवरी - मार्च 05	217363	384800	167437
झाबुआ (संचालन एवं संधारण)	शहरी	जनवरी - मार्च 05	284820	806990	522170
	ग्रामीण	जनवरी - मार्च 05	1856048	4368160	2512112
राजगढ़	शहरी	जनवरी - मार्च 05	25527	62050	36523
	ग्रामीण	जनवरी - मार्च 05	351873	700480	348607
अलिराजपुर (संचालन एवं संधारण)	शहरी	जनवरी - फरवरी 05	62029	125800	63771
	ग्रामीण	जनवरी - फरवरी 05	1637179	5234400	3597221
बड़वाहा	शहरी	जनवरी - मार्च 05	निरंक	निरंक	निरंक
	ग्रामीण	जनवरी - मार्च 05	16114638	2508960	894322
खरगौन	शहरी	जनवरी - मार्च 05	निरंक	निरंक	निरंक
	ग्रामीण	जनवरी - मार्च 05	556718	599040	42322
मंडलेश्वर	शहरी	जनवरी - मार्च 05	323023	354790	31767
	ग्रामीण	जनवरी - मार्च 05	1122522	1368160	245638
सेंधवा	शहरी	जनवरी - मार्च 05	निरंक	निरंक	निरंक
	ग्रामीण	जनवरी - मार्च 05	463857	725600	261743
बड़वानी	शहरी	जनवरी - मार्च 05	30324	44880	14556
	ग्रामीण	जनवरी - मार्च 05	1062221	1231680	169459
				कुल योग	**10999988**

परिशिष्ट-23

(कंडिका 4.20 में संदर्भित)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रमांक	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	बकाया कंडिकाओं की संख्या	बकाया कंडिकाओं का सबसे प्रारंभिक वर्ष
1.	उर्जा	02	1573	3726	1985-86
2.	परिवहन	01	345	1014	1986-87
3.	वाणिज्य एवं उद्योग	12	76	309	1992-93
4.	खनिज संसाधन	01	08	43	1996-97
5.	आदिवासी कल्याण	01	08	52	1994-95
6.	पर्यटन	01	08	56	1993-94
7.	गृह	01	11	52	1992-93
8.	ग्रामोद्योग	02	16	59	1987-88
9.	कृषि	01	09	64	1990-91
10.	अल्पसंख्यक कल्याण	01	04	14	2000-01
11.	वन	01	06	50	1998-99
12.	खाद्य एवं लोक वितरण	02	17	91	1991-92
13.	वित्त	02	07	43	1997-99
	योग	**28**	**2088**	**5573**	

परिशिष्ट-24

(कंडिका 4.20 में संदर्भित)

समीक्षाएं एवं प्रारुप कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं

क्रमांक	विभाग का नाम	समीक्षाओं की संख्या	प्रारुप कंडिकाओं की संख्या	जारी करने की अवधि
1.	उर्जा	2	9	अप्रैल 2006 से अगस्त 2006
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	--	3	अप्रैल 2006 से जुलाई 2006
3.	वित्त	1	--	जुन 2006
4.	वन	1	--	जुलाई 2006
5.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1	--	अगस्त 2006
	योग	**5**	**12**	